छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492 002

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 27 मार्च, 2015

क्रमांक एफ 6–42/2012/12 :: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

अध्याय–एक
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.–** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 कहलायेंगे।

(2) ये नियम, गौण खनिज संबंधी उत्खनन पट्टे तथा अन्य खनिज रियायत प्रदान करने एवं उसके विनियमन और उससे संबंधित प्रयोजनों के लिये छत्तीसगढ़ राज्य में ही लागू होंगे।

(3) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.–** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67);

(ख) ''अपर संचालक'', ''संयुक्त संचालक'', ''उप संचालक'' तथा ''सहायक भौमिकीविद'' से अभिप्रेत है, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित अधिकारी;

(ग) ''करार'' से अभिप्रेत है उसमें विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक गौण खनिजों के उत्खनन करने तथा ले जाने का करार;

(घ) ''वायु प्रदूषण'' का वही अर्थ होगा जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का सं. 14) की धारा 2 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत उसके लिये समनुदेशित है;

(ड.) ''अपीलीय प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है शासन अथवा इन नियमों के अधीन ऐसी शक्तियों से निहित कोई अन्य प्राधिकारी;

(च) ''निर्धारिती'' से अभिप्रेत है, खनि पट्टा, उत्खनन पट्टा अथवा उत्खनन–अनुज्ञापत्र धारक व्यक्ति और इसमें ऐसा कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जो इन नियमों के अधीन प्रदान की गई गौण खनिज के खदान, सिवाय उसके जो नियमों द्वारा छूट प्राप्त है, धारण करता है;

(छ) ''निर्धारण प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है जिले में पदस्थ उप संचालक (खनिज प्रशासन), खनि अधिकारी, सहायक खनि अधिकारी तथा खनि निरीक्षक;

(ज) ''निर्धारण'' से अभिप्रेत है निकाले गये गौण खनिजों के संदर्भ सहित इन नियमों के अधीन उदग्रहीत निर्धारण;

(झ) ''निर्धारण वर्ष'' से अभिप्रेत है पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए उसके प्रारंभ होने की तारीख से 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली वार्षिक अवधि तथा उसके पश्चात् 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक अथवा उसका कोई भाग;

(ञ) ''सहयोजन'' से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्तियों का निकाय जो अपने सदस्यों के आर्थिक हित के लक्ष्य एवं संवर्धन के उद्देश्य से सहयुक्त हों और जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र 17 सन् 1961) के अंतर्गत इस हेतु रजिस्ट्रीकृत हों;

#(ञञ) **''नीलामी राशि''** से अभिप्रेत है बोलीदार द्वारा पट्टा क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले खनिज के लिए मासिक आधार पर राज्य शासन को रूपये प्रति घनमीटर/प्रति मीट्रिक टन अथवा अन्य किसी मानक इकाई के आधार पर भुगतान किये जाने वाला उद्धृत मूल्य;''

(ट) ''गरीबी रेखा के नीचे'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय–समय पर गरीबी रेखा के नीचे के रूप में घोषित परिवार;

(ठ) ''कलेक्टर'' का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का सं. 20) के अंतर्गत उसके लिए समनुदेशित है;

अंतःस्थापित 23.3.2016

(ड) छत्तीसगढ़ के राजस्व संभाग के ''आयुक्त'' का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का सं. 20) में उनके लिये समनुदेशित है;

(ढ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है ऐसा सक्षम प्राधिकारी जिसे इन नियमों के उपबंधों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया गया हो;

#(ढढ) **''समेकित अनुज्ञप्ति''** से अभिप्रेत है नियम 7 के अधीन स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति–सह–उत्खनिपट्टा;

(ण) ''सहकारी सोसायटी'' का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) के अन्तर्गत उसके लिये समनुदेशित है;

(त) ''निगम'' का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) के अन्तर्गत उसके लिये समनुदेशित है;

(थ) ''अनिवार्य भाटक (डेड रेन्ट)'' और ''स्वामिस्व (रायल्टी)'' का क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम के अन्तर्गत उसके लिये समनुदेशित है;

(द) ''संचालक'' से अभिप्रेत है संचालक/आयुक्त, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन;

(ध) ''शिक्षित बेरोजगार'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति,–

(एक) जो कम से कम हाईस्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र धारक हो, अर्थात् छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की (10+2) प्रणाली में 10वीं उत्तीर्ण हो;

(दो) जो छत्तीसगढ़ का निवासी हो;

(तीन) जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 35 वर्ष से कम हो;

(चार) जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार का हो; और

(पांच) जिसने किसी भी समय शिक्षित बेरोजगारों हेतु किसी अन्य प्लान के अधीन कोई सुविधा न ली हो।

#(धध) **''इलेक्ट्रॉनिक नीलामी''** से अभिप्रेत है ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक नीलामी, जो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,

---

अंतःस्थापित 23.3.2016

भारत सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता हो, जिसमें बोली बढ़ते क्रम में गतिशील दो चरण प्रक्रिया में होगी, जैसा कि इन नियमों के अधीन व्याख्या की गयी है;

#(धधध) ''**इलेक्ट्रॉनिक निविदा**'' से अभिप्रेत है ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से निविदा, जो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता हो, जिसमें बोली एक परिमित समय–सीमा के भीतर बोलियों को प्रस्तुत करना शामिल है, जैसा कि इन नियमों के अधीन व्याख्या की गयी है;''

(न) ''पर्यावरण'' का वही अर्थ होगा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 2 के खण्ड (क) के अंतर्गत उसके लिये समनुदेशित है;

(प) ''वित्तीय आश्वासन'' से अभिप्रेत है खनिपट्टाधारी, उत्खनन पट्टाधारी अथवा उत्खनन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई प्रतिभूतियां, जिससे प्राधिकारियों द्वारा सुधार और पुनर्वास लागत के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की जा सके;

#(पप) ''**आधार मूल्य**'' से अभिप्रेत है इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के प्रथम चरण में तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों के बीच उच्चतम आरंभिक मूल्य प्रस्थापना और वह एक राशि, जो पट्टा क्षेत्र से प्रति माह निकासी किये गये खनिज का रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी;''

(फ) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ब) ''ग्राम पंचायत'', ''जनपद पंचायत'', ''जिला पंचायत'' और ''ग्राम सभा'' का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) में कमशः उनके लिये समनुदेशित है;

#(बब) ''**आरंभिक कीमत प्रस्थापना**'' से अभिप्रेत है इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के प्रथम चरण में बोलीदार द्वारा प्रस्तुत आरंभिक प्रस्थापना और वह एक राशि, जो पट्टा क्षेत्र से प्रति माह निकासी किये गये खनिज का रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी;''

अंतःस्थापित 23.3.2016

(भ) ''पट्टेदार'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनि पट्टा, उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया हो तथा इसमें ऐसा कोई ठेकेदार, उप–पट्टेदार तथा अभिकर्ता सम्मिलित है जिसे चाहे उस रूप में नियुक्त किया गया हो अथवा नहीं, किन्तु जो पट्टेदार की ओर से कार्य करते हुए या कार्य करने का आशय रखते हुए, खनिज के प्रबंधन, पर्यवेक्षण, उत्खनन तथा प्रेषण में भाग लेता हो;

(म) ''खान'' और ''स्वामी'' का क्रमशः वही अर्थ होगा जो खान अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 35) में उसके लिये समनुदेशित है;

(य) ''खनिज रियायत'' के अन्तर्गत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनि पट्टा, उत्खनन पट्टा एवं उत्खनन अनुज्ञापत्र सम्मिलित है;

(कक) ''खनि अधिकारी'', ''सहायक खनि अधिकारी'' तथा ''खनि निरीक्षक'' से अभिप्रेत है संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित अधिकारी;

(कख) ''खनन संक्रिया'' और ''उत्खनन संक्रिया'' से अभिप्रेत है ऐसी संक्रिया जो € {किसी} गौण खनिज को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये की गई हो तथा इसके अन्तर्गत सम्मिलित है खान से संबंधित मशीनों की स्थापना, रास्तों का निर्माण;

(कग) ''गौण खनिज'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची–एक तथा अनुसूची–दो में यथा विनिर्दिष्ट खनिज तथा ऐसे अन्य खनिज जिन्हें भारत सरकार अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ङ) के अन्तर्गत, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गौण खनिज के रूप में घोषित करें;

(कघ) ''नगरपालिका'' का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 3 के खण्ड (18) के अन्तर्गत उनके लिये समनुदेशित है;

(कङ) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

€ शुद्धिपत्र दिनांक

#(कड.ड.) **''अधिमानी बोलीदार''** से अभिप्रेत है नियम 9 के उप–नियम (2) के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (नौ), नियम 9क के उप–नियम (2) के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (पांच), नियम 39 के उप–नियम (2) के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (नौ) एवं नियम 39क के उप–नियम (2) के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (पांच) में निर्दिष्ट बोलीदार;''

(कच) ''पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति'' से अभिप्रेत है ऐसी अनुज्ञप्ति जिसे गौण खनिज की पूर्वेक्षण संक्रिया करने के प्रयोजन हेतु प्रदान की गई हो;''

#(कचच) **''पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह उत्खनि पट्टा''** से अभिप्रेत है द्विस्तरीय रियायत, जो कि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के माध्यम से पूर्वेक्षण संकियाएं करने के उपरांत उत्खनन पट्टे के माध्यम से गौण खनिज की खनन संकियाएं संचालित करने के उद्देश्य से स्वीकृत है;''

(कछ) ''पूर्वेक्षण संक्रिया'' से अभिप्रेत है, ऐसी संक्रियाएं जिन्हें गौण खनिजों के भण्डारों के पूर्वेक्षण, पता लगाने या पुष्टि करने के प्रयोजन के लिये की गई हो;

(कज) ''सार्वजनिक स्थान'' से अभिप्रेत है रास्ते, सार्वजनिक भवन, जलाशय, सिंचाई नहरें, तालाब, प्राकृतिक नाले, ग्रामीण मार्ग, धार्मिक स्थान, श्मशान घाट (कब्रिस्तान) आदि;

#(कजज) **''अर्हित बोलीदार''** से अभिप्रेत है नियम 9 के उप–नियम (2) के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (आठ), नियम 9क के उप–नियम (2) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (दो), नियम 39 के उप–नियम (2) के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (छः) एवं नियम 39क के उप–नियम (2) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (दो) में निर्दिष्ट बोलीदार;''

(कझ) ''खदान बंद करने की प्लान'' से अभिप्रेत है खदान या उसके भाग के संबंध में खनन एवं खनिज प्रसंस्करण संक्रियाओं को बन्द कर, भूमि–पुनरूद्धार एवं पुनर्वास करने के प्रयोजन हेतु एक प्लान, जो राज्य शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं निर्धारित प्ररुप में विनिर्दिष्ट रीति में तैयार की जायेगी;

अंतःस्थापित 23.3.2016

(कञ) ''उत्खनन पट्टा'' से अभिप्रेत है गौण खनिज के खनन करने एवं हटाने के लिए स्वीकृत #{खनन} पट्टा जैसा कि अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित है;

(कट) ''उत्खनन अनुज्ञापत्र'' से अभिप्रेत है गौण खनिज को किसी विनिर्दिष्ट मात्रा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर निकास एवं हटाने के लिए इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञा;

(कठ) ''उत्खनन प्लान'' से अभिप्रेत है गौण खनिज/खनिजों के खनन के लिये इन नियमों के अधीन तैयार की गई प्लान;

(कड) ''रेल्वे'' और ''रेल प्रशासन'' का क्रमशः वही अर्थ होगा जो भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का सं. 24) के अन्तर्गत उनके लिये समनुदेशित है;

(कढ) ''मान्य योग्य व्यक्ति'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो ऐसी विहित शैक्षणिक योग्यता अथवा/एवं अनुभव रखता है, जो कि इन नियमों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो;

#(कढढ) **''आरक्षित कीमत''** से अभिप्रेत है न्यूनतम कीमत, जिसके ऊपर बोलीदारों को उनकी बोली उद्घृत करनी है और यह कीमत संबंधित खनिज के अधिसूचित स्वामिस्व का बीस प्रतिशत होगी, जो कि प्रति माह निकासी किये गये खनिज का रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी, जैसा कि इन नियमों के अधीन यथा परिभाषित;''

(कण) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(कत) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(कथ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(कद) ''विशेष क्षेत्र'' का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) में उनके लिये समनुदेशित है;

(कध) ''राज्य शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

#(कधध) **''सफल बोलीदार''** से अभिप्रेत है नियम 10 के खण्ड (2) तथा नियम 42 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट बोलीदार;''

अंतःस्थापित 23.3.2016

''(कधधध) **''निविदा दस्तावेज''** से अभिप्रेत है नियम 9 के उप–नियम (2) के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (दो), नियम 9क के उप–नियम (2) के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (दो), नियम 39 के उप–नियम (2) के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (दो) एवं नियम 39क के उप–नियम (2) के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (दो) में यथा उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी वेबसाइट अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा वेबसाइट पर प्रकाशित दस्तावेज;''

(कन) ''जल प्रदूषण'' का वही अर्थ होगा जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) के अन्तर्गत उनके लिये समनुदेशित है।

(2) सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु जो परिभाषित नहीं है, किन्तु जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) में परिभाषित है, उनका क्रमशः वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

3. छूट.– इन नियमों में दी गई कोई भी बात निम्नलिखित के लिए, लागू नहीं होगी,–

(एक) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आनुवांशिक कुम्हार या उनकी सहकारी सोसायटी द्वारा परंपरागत संसाधनों से बर्तन, कवेलू और ईंट बनाने के लिए, किन्तु चिमनी–भट्टे में निर्माण किया द्वारा या यांत्रिक संसाधनों द्वारा नहीं, उनके साधारण निवास के ग्राम के ऐसे क्षेत्र से साधारण मिट्टी या साधारण रेत निकालने के लिए जो कि साधारण मिट्टी या साधारण रेत निकालने के लिए ग्राम पंचायतें उनके अपने क्षेत्र के भीतर सुनिश्चित और निर्धारित करें:

परन्तु कोई भी उत्खनन, सार्वजनिक स्थान और ऐसे सार्वजनिक स्थान से सभी दिशाओं में 50 मीटर तक नहीं किया जाएगा।

(दो) ऐसी खानों से, चाहे वह निजी या शासकीय भूमि में स्थित हों, गौण खनिज निकालने के लिए जब कि ऐसी खानें राज्य शासन के किसी विभाग के उपयोग के लिए विनियोजित न हों और गौण खनिज, विक्रय के लिए खनित न हो, किन्तु वे कुओं के निर्माण या मरम्मत, अन्य कृषि कार्यों के लिए अथवा राजस्व या वन ग्रामों में निवास करने वाले कृषकों, ग्रामीण कारीगरों और मजदूरों के निवास गृहों के निर्माण या मरम्मत के लिए, अपेक्षित हो;

(तीन) संबंधित पंचायतों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए शासकीय भूमि से

#अंतःस्थापित 23.3.2016

गौण खनिजों को निकालने के लिये छूट प्राप्त होगी।

(चार) सतह पर गौण खनिजों की खोज, जिसमें गड्ड़े, खाइयां खोदकर या अन्यथा मिट्टी को सारवान रूप से हटाया जाना अंतर्वलित न हो।

(पांच) भौमिकीय हथौड़े द्वारा नमूना लेने के उद्देश्य से सतह को छिलना, मिट्टी को सारवान रूप से हटाया जाना नहीं माना जायेगा:

परन्तु यह कि पूर्वोक्त छूट, ऐसे किसी कार्य से जो राज्य या केन्द्रीय शासन के किसी विद्यमान नियमों या किसी अधिनियम के अधीन किसी निजी व्यक्ति द्वारा राज्य शासन या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना, गौण खनिजों के अनाधिकृत उत्खनन के लिए किया जाये, उन्मुक्ति नहीं होगी।

(छः) अनुसूची–दो के भाग–ख में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों का उत्खनन और विनियमन, समय–समय पर संशोधित छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन आदेश, 2006 के द्वारा शासित होगी।

अध्याय–दो

पूर्वेक्षण तथा खनन या उत्खनन संक्रियाएं करने पर सामान्य निर्बंधन

4#{ पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा समेकित अनुज्ञप्ति} या उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञापत्र के बिना पूर्वेक्षण या उत्खनन संक्रिया का प्रतिषेध.–

(1) कोई भी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र में, इन नियमों के अधीन प्रदान किये गये #{पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा समेकित अनुज्ञप्ति}या उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञापत्र के निबंधन तथा शर्तों के अधीन तथा उनके अनुसार ही पूर्वेक्षण या उत्खनन संक्रिया करेगा, अन्यथा नही:

परंतु यह कि इस उप–नियम में दी गई कोई भी बात, इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व प्रदान की गई ऐसी किसी #{पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा समेकित अनुज्ञप्ति} या उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञापत्र जो तत्समय प्रवृत्त थी, की निबंधनों तथा शर्तो के अनुसार किसी क्षेत्र में किये गये किसी पूर्वेक्षण या उत्खनन संक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेगी:

#अंतःस्थापित 23.3.2016

परन्तु यह और कि विद्यमान उत्खनन पट्टा एवं उत्खनन अनुज्ञापत्र पर ये नियम इसके नवीनीकरण की तिथि से लागू होंगे।

(2) कोई भी #{पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा समेकित अनुज्ञप्ति} या उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञापत्र, इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही प्रदान किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

(3) इन नियमों के उपबंधों अथवा इन नियमों के अधीन जारी आदेशों के उल्लंघन में स्वीकृत, नवीनीकृत कोई #{पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा समेकित अनुज्ञप्ति} या उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञापत्र अथवा साधारण रेत एवं बजरी को हटाने की अनुमति शून्यवत होगी और प्रभावी नहीं होगी।

#(4) अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या उत्खनन पट्टा के अनुदान हेतु ग्रामसभा अथवा ग्राम पंचायत की पूर्व अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

#(5) अनुसूचित क्षेत्रों में, नीलामी से गौण खनिजों के उत्खनन के लिये रियायत अनुदान हेतु ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत की पूर्व अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।''

5. #{पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा समेकित अनुज्ञप्ति}या उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान करने पर निर्बंधन.–

(1) कोई भी #{पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा समेकित अनुज्ञप्ति} या उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञापत्र किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिक न हो या ऐसी कोई कम्पनी न हो जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 18) की धारा 2 के खण्ड (20) के अधीन यथा परिभाषित है और ऐसी शर्तो को पूरी नहीं करता है जो इन नियमों द्वारा विहित है।

स्पष्टीकरण– इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए, किसी फर्म या व्यक्तियों के किसी अन्य संघ के मामले में, उसको (व्यक्ति को) भारतीय सत्व (इंडियन एनटीटी) तभी समझा जायेगा यदि ऐसे फर्म या संघ के समस्त सदस्य भारत के नागरिक हों।

(2) कोई भी #{पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा समेकित अनुज्ञप्ति} या उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञापत्र, निम्नलिखित क्षेत्र के संबंध में प्रदान नहीं किया जायेगा:–

(क) जो शासन द्वारा, शासन एवं स्थानीय प्राधिकारियों के उपयोग के लिए या

#अंतःस्थापित 23.3.2016

किसी अन्य सार्वजनिक या विशेष प्रयोजनों के लिए, आरक्षित के रूप में अधिसूचित किया गया हो, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से ही प्रदान किया जाएगा, अन्यथा नही;

(ख) जो वन भूमि हो, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) में यथाविहित समुचित प्राधिकारी की अनुमति के बिना;

(ग) जो किसी पुल, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, रेलपथ से, सभी दिशाओं में, 100 मीटर की दूरी के भीतर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क, लोक निर्माण विभाग की अन्य जिले के सड़कों से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतर तथा ग्रामीण कच्चे रास्ते से, सभी दिशाओं में, 10 मीटर के भीतर या ग्रामीण मार्ग को छोड़कर, किसी सार्वजनिक स्थान से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतरः

परन्तु यह कि संशोधित प्रावधान, विद्यमान उत्खनन पट्टों, उत्खनन अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण की तारीख से लागू किये जायेंगे।

(घ) जो सघन एवं संलग्न न हो।

6. **सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टी के बिना कोई उत्खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जाएगा.–** राज्य शासन अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा गौण खनिज के लिए उत्खनन पट्टा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि–

(क) यह दर्शित करने वाले साक्ष्य हैं कि जिस क्षेत्र के पट्टे के लिए, आवेदन किया गया है उसका पहले पूर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उसमें खनिज पदार्थ का होना ऐसे क्षेत्रों में पूर्वेक्षण संक्रिया के माध्यम से अन्यथा सिद्ध कर दिया गया है;

परन्तु अनुसूची–एक के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तब तक उत्खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि पट्टे के लिए आवेदित क्षेत्र पूर्व से पूर्वेक्षित न हो,

परन्तु और यह भी अनुसूची–एक के भाग–ख एवं भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र अथवा छः मीटर से

अधिक गहराई के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तब तक उत्खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि पट्टे के लिए आवेदित क्षेत्र पूर्व से पूर्वेक्षित न हो,

(ख) अनुसूची–एक के भाग–ख एवं भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के पांच हेक्टर से कम क्षेत्र पर छः मीटर की सीमित गहराई तक प्रस्तावित उत्खनन संक्रियाओं के लिए पूर्वेक्षण अनिवार्य नहीं होगा तथापि संबंधित जिले के उप संचालक/खनि अधिकारी अथवा क्षेत्रीय कार्यालय के उप संचालक अथवा सहायक भौमिकीविद् अथवा संचालक द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण के माध्यम से आवेदित खनिज की उपलब्धता की पुष्टी होने के उपरांत ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया जाएगा,

परन्तु नियम 31 के उप–नियम (3) में यथा विहित राजस्व शीर्ष में शासकीय कोषालय में रूपये पांच हजार का गैर वापसी योग्य स्थल निरीक्षण शुल्क जमा किया जाएगा।

(ग) संबंधित क्षेत्र में संचालक द्वारा इस संबंध में अधिसूचित सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित उत्खनन प्लान है।

अध्याय–तीन

#{पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा समेकित अनुज्ञप्ति} प्रदान करना

#{7.समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करना.– (1) समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्तियां,–

(क) इस नियम के प्रावधान अनुसूची–एक तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों पर लागू होंगी:

परन्तु यह प्रावधान अनुसूची–एक के भाग–ख और भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये उत्खनन पट्टा पर लागू नहीं होंगे, जिसमें पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्र पर छः मीटर की सीमित गहराई तक खनन् संक्रिया प्रस्तावित की गयी हो।

(ख) राज्य सरकार को अनुसूची–एक के भाग–क एवं ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये, समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्तियाँ, संचालक द्वारा आयोजित इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी प्रकिया के माध्यम से होंगी।

#नियम 7 प्रतिस्थापित 23.3.2016

(ग) संचालक को अनुसूची–एक के भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये कलेक्टर द्वारा आयोजित इलेक्ट्रॉनिक–निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दस हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्तियाँ होंगी।

(घ) कलेक्टर को अनुसूची–एक के भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये 10 हेक्टेयर क्षेत्र तक की समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्तियाँ इलेक्ट्रॉनिक–निविदा प्रक्रिया के माध्यम से होंगी।

(2) **वर्तमान रियायत धारकों और आवेदकों के अधिकार,–**

(क) इस संशोधित नियम के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिये प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों के अधीन ऐसे आवेदन मान्य होंगे, जिसमें इन संशोधन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व पूर्वेक्षण के लिए सैद्धांतिक सहमति का पत्र या स्वीकृति आदेश जारी किया जा चुका है।

(3) **समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रारंभिक प्रक्रिया,–**

(क) (एक) जिस क्षेत्र में, खनिज की विद्यमानता के पर्याप्त साक्ष्य दर्शित नही हैं, उन क्षेत्रों की स्वप्रेरणा से पहचान, सीमांकन कर तथा उन्हें अधिसूचित कर ऐसे क्षेत्रों को यथा स्थिति, इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी या इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के माध्यम से समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने की शक्तियाँ सक्षम प्राधिकारी को होगी।

(दो) ऐसे क्षेत्रों जो कि उप–खण्ड (एक) में समाहित नहीं है तथा जिस क्षेत्र में गौण खनिज की उपस्थिति के पर्याप्त साक्ष्य नहीं है ऐसे क्षेत्रों में समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये प्ररूप–एक में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त किये जा सकेंगे। अनुसूची–एक के भाग–क एवं भाग–ख में अन्तर्विष्ट खनिजों के लिये आवेदन, संचालक तथा अनुसूची–एक के भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में अन्तर्विष्ट खनिजों के लिये आवेदन, कलेक्टर द्वारा प्राप्त किये जायेंगे।

(ख) सक्षम प्राधिकारी, प्राप्त हुए आवेदनों पर प्राप्ति का दिनांक एवं समय अंकित करेगा और आवेदन प्राप्ति के 60 दिवस की कालावधि के भीतर आवेदित क्षेत्र के लिये यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के लिये प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी या इलेक्ट्रॉनिक–निविदा को विभागीय वेबसाईट पर अधिसूचित किया जायेगा। यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी या इलेक्ट्रॉनिक–निविदा की अधिसूचना का विवरण संबंधित कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(ग) राज्य शासन, यदि उसकी राय में यह आवश्यक एवं समीचीन हो तो जिला या जिलों में खनिजों के प्रवर्गों के खनिज निक्षेपों के आकार एवं क्षेत्र के संबंध में निबंधन एवं शर्तें, प्रक्रिया और बोली के मानक विहित करेगा जिसके अधीन इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा बुलाई जाएगीः

परन्तु, किसी विशिष्ट खान अथवा खानों को किसी विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए सुरक्षित करने के लिए निबंधन एवं शर्तों में सम्मिलित किया जायेगा तथा ऐसे शर्तों के अध्यधीन ऐसे योग्य, अंतिम उपभोगी को ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति हो।

(4) **समेकित अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन,–**

प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ :–

(क) गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क की राशि रूपये पांच हजार। यह शुल्क शासकीय कोष में निम्नलिखित राजस्व प्राप्ति मद में जमा कराना होगा,–

0853 अलौह धातु खनन् एवं धातुकर्म उद्योग
(102) खनिज संबंधी रियायत शुल्क, किराया और रायल्टी
(0278) गौण खनिजों से प्राप्तियॉ
तथा मूल कोष रसीद चालान आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जायेगाः

परन्तु आवेदन शुल्क की राशि को नीलामी/निविदा दस्तावेज की लागत के रूप में जमा की जाने वाली राशि के विरूद्ध समायोजन किया जायेगा।

(ख) प्ररूप–दो में यथा विहित अदेय प्रमाणपत्र, जो राज्य शासन द्वारा इस निमित्त, शासन या किसी अधिकारी या प्राधिकारी से अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अधीन भुगतान योग्य खनन की बकाया राशि जैसे रायल्टी, अनिवार्य भू–भाटक तथा सतह का किराये भुगतान संबंधी, में होगीः

परन्तु यदि आवेदक, कोई भागीदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है तो ऐसा प्रमाणपत्र, यथास्थिति, भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के सभी सदस्यों द्वारा दिया जायेगाः

परन्तु यह और कि जहां विधि के न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसी खनन की वसूली योग्य राशि बकाया या आयकर की वसूली को स्थगित किये जाने का कोई व्यादेश जारी किया गया है वहां उसके भुगतान न होने को उक्त समेकित अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के आशय के लिए निरर्हता नहीं मानी जायेगीः

परन्तु यह और भी कि जहां व्यक्ति ने अनुज्ञप्ति की प्राप्ति के लिये सक्षम प्राधिकारी के समाधान हेतु शपथ पत्र यह कथन करते हुए प्रस्तुत कर दिया गया है कि वह राज्य में कोई खनिज रियायत धारण नहीं करता है या उसने धारित नहीं की थी तो उसको उक्त अदेय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु यह और भी कि सम्यक् रूप से निष्पादित शपथ पत्र यह कथन करते हुए देना होगा कि कोई वसूली योग्य देय राशि बकाया नहीं है इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि उपरोक्त अपेक्षित प्रमाण पत्र उस दशा में अवैध हो जायेगा यदि पक्षकार उक्त आवेदन की तारीख से तीस दिवस के भीतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है :

परन्तु यह और भी कि ऐसा प्रमाण पत्र धारक को, उपरोक्त अनुमति प्रमाण पत्र की स्वीकृति के लिए खनन की देय राशि के बकाया भुगतान का दायित्व से विमुक्ति नहीं देगा जो कि बाद में, अधिनियम या

उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन उसके द्वारा भुगतान योग्य पाया जाये।

(ग) शपथ पत्र में यह कथन करते हुए कि आवेदक ने,–

(एक) आयकर विवरणी प्रस्तुत कर दी;

(दो) उस पर निर्धारित आयकर का भुगतान कर दिया; और

(तीन) स्व–निर्धारण के आधार पर आयकर का भुगतान कर दिया है, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 (क्र. 43 सन् 1961) में उपबंधित है

(घ) एक शपथ पत्र, राज्य के ऐसे खनिजवार क्षेत्रों की विशिष्टियां दर्शित करते हुए, जो कि आवेदक या उसके साथ संयुक्त रूप से कोई भी व्यक्ति,–

(एक) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/समेकित अनुज्ञप्ति के अधीन पहले से ही धारण करता है;

(दो) उसके लिए आवेदन किया किन्तु स्वीकृत नहीं हुआ है; और

(तीन) उसके लिए साथ–साथ आवेदन किया जा रहा है।

(ङ.) लिखित में कथन कि आवेदक ने उस क्षेत्र में जहां भूमि उसके स्वामित्व में नहीं है, सतह का अधिकार प्राप्त कर लिया है, या पूर्वेक्षण संक्रिया शुरू करने के लिए स्वामी से सहमति प्राप्त कर ली है :

परन्तु यह कि ऐसा कथन, आवश्यक नहीं होगा जहां भूमि शासन के स्वामित्व में है।''}

8. नियम 7 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत प्राप्त ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र की अभिस्वीकृति, प्ररूप–तीन में उसके प्राप्त होने की तिथि पर दी जायेगी ।

#{ 9. इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये प्रक्रिया,–

(1) समेकित अनुज्ञप्ति की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए पूर्व अध्यपेक्षायें,–

(क) इन नियमों के उपबंधो के अनुसार सक्षम प्राधिकारी राज्य के भीतर के किसी भी क्षेत्र के लिये एक समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये नीलामी प्रक्रिया की पहल कर सकेगा।

#नियम 7 एवं 9 प्रतिस्थापित 23.3.2016

(ख) सक्षम प्राधिकारी, नीलामी के संबंध में बोली आमंत्रित करने की सूचना जारी करने के पूर्व, संबंधित राजस्व अधिकारियों एवं वन अधिकारियों से प्राप्त सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर ऐसे क्षेत्र की पहचान एवं सीमांकन करेगा जहां नीलामी के माध्यम से समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

(2) समेकित अनुज्ञप्ति के लिये इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी की प्रक्रिया.–

(क) समेकित अनुज्ञप्ति के लिए पात्रता,–

(एक) समेकित अनुज्ञप्ति की नीलामी में भाग लेने के प्रयोजन के लिये, आवेदक नियम 5 में यथाविनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

(दो) नीलामी में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारण नीलामी में भाग लेने के लिये निर्धारित निबंधनों और शर्तो के अनुसार किया जायेगा और सफल बोलीदार का विनिश्चय केवल पात्र बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक नीलामी,–

(एक) नीलामी केवल एक आनलाईन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से दो चरणों में अद्यतन बढ़ते क्रम से संचालित किया जायेगा।

(दो) सक्षम प्राधिकारी कोई ऐसे आनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का उपयोग करेंगे जो कि मानकीकरण, जांच और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक –उपापन पद्धतियों की गुणवत्ता की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धातों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(ग) बोली लगाने के लिये मानक,–

(एक) एक निश्चित कीमत निर्धारित होगी जिसे आरक्षित कीमत कहा जायेगा, जो कि विशिष्ट खनिज के अधिसूचित स्वामिस्व का बीस प्रतिशत होगा; यह राशि निकासी किये गये खनिज के लिए रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी।

(दो) बोलीदार द्वारा "नीलामी राशि" के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, पट्टा क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले खनिज हेतु नीलामी के लिए निर्धारित रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन/अन्य कोई मानक इकाई आरक्षित कीमत से अधिक राशि उद्धृत की जायेगी।

(तीन) नीलामी राशि, प्रति माह निकासी किये गये खनिज के लिए मासिक आधार पर राज्य शासन को देय होगी। बोलीदार द्वारा उद्धृत और इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी प्रक्रिया से स्वीकार की गयी दर खनिज निकासी प्रारंभ किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी मूल्य वृद्धि के अध्यधीन होगी तथा इस हेतु जिस वर्ष में नीलामी की गयी है, वह आधार वर्ष होगा।

(चार) जहां किसी क्षेत्र को एक से अधिक खनिजों के लिये नीलामी किया जा रहा है, वहां उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

(पांच) उत्खनन् पट्टा प्रदान किये जाने के पश्चात् यदि कोई एक या अधिक नए खनिजों का पता चलने पर उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

(घ) बोली लगाने की प्रक्रिया,–

(एक) सक्षम प्राधिकारी, नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये नीलामी की सूचना का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर करेगा। नीलामी हेतु सूचना का विवरण संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और ऐसी सूचना में नीलामी के अधीन आने वाले क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,–

(I) संबंधित राजस्व अधिकारी से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र की विशिष्टियां, जिसे राजस्व भूमि, वन भूमि और निजी भूमि के रूप में विभाजित किया जायेगा; और

(II) क्षेत्र में खोजे गये सभी खनिजों से संबंधित खनिज पदार्थों के साक्ष्यों के बारे में संक्षिप्त विवरण।

(दो) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए नीलामी के दस्तावेज में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा,–

(I) क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का प्रतिवेदन और विवरण;

(II) संबंधित राजस्व अधिकारियों के सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र का राजस्व सर्वेक्षण का विवरण, जिसे वन भूमि, राजस्व भूमि विवरण और निजी भूमि के रूप में विभाजित किया जायेगा;

(तीन) बोलीदार को नीलामी के दस्तावेजों के अध्ययन हेतु नियत कालावधि प्रदान की जायेगी।

(चार) बोली लगाने की प्रक्रिया, निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के 21 दिन की कालावधि के पश्चात् प्रारंभ होगी। नीलामी एक उच्चगामी आनलाईन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी होगी।

(पांच) प्रथम–चरण में बोलीदार को तकनीकी बोली और आरंभिक कीमत प्रस्थापना, जो कि आरक्षित कीमत से अधिक होगी, प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी बोली का मूल्यांकन

बोलीदार द्वारा पात्रता की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिये होगा।

(छः) केवल उन्हीं बोलीदारों को जो विहित पात्रता शर्तों के अनुरूप पात्र पाये जायेंगे उन्हें **"तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदार"** घोषित किया जायेगा।

(सात) तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों के बीच आरक्षित कीमत से अधिक उच्चतम आरंभिक कीमत प्रस्थापना ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के दूसरे–चरण के लिये आधार मूल्य होगा।

(आठ) (I) आरंभिक कीमत के बोली दस्तावेजों (आरंभिक कीमत बोली) को खोलने के उपरांत तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों को उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नगामी आरम्भिक कीमत प्रस्थापना के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जायेगा और उन श्रेणियों के प्रथम पचास प्रतिशत तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदार (किसी भिन्नांश को उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जायेगा) या शीर्ष के पांच तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदार, इनमें से जो भी उच्चतर हो, दूसरे चरण में भाग लेने के लिए अर्हित बोलीदार के रूप में अर्हित होंगे। केवल अर्हित बोलीदार, नीलामी प्रक्रिया अर्थात ऑनलाईन अग्र नीलामी के दूसरे चरण में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

(II) यदि तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों की संख्या पांच से कम हो, तो सभी तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों को अर्हित बोलीदार के रूप में मान्य किया जायेगा।

(III) दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप आरम्भिक कीमत प्रस्थापना की दशा में, ऐसे सभी तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों को अर्हित बोलीदार का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये समान श्रेणी में रखा जायेगा और ऐसे मामलों में, ऊपर उल्लिखित पचास प्रतिशत को पचास प्रतिशत धन तकनीकी रूप से अर्हित ऐसे बोलीदारों की संख्या तक बढ़ा दिया जायेगा, जिनकी आरम्भिक कीमत प्रस्थापनाएं

ऐसी समरूप आरम्भिक कीमत प्रस्थापनाओं की संख्या से कम समरूप है।

(नौ) अधिकतम अंतिम कीमत प्रस्थापना प्रस्तुत करने वाले बोलीदार को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा।

(3) पट्टा क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र के स्वामी को प्रथम इंकार का अधिकार,–

जहां पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी हेतु अधिसूचित कोई भूमि पूर्णतः या अंशतः निजी भूमि हो, ऐसे प्रकरण में किसी बोलीदार द्वारा दी गयी उच्चतम कीमत प्रस्थापना का प्रकटन किया जायेगा और निजी भूमि के स्वामी जिसने बोली की प्रक्रिया में भाग लिया हो और पट्टा क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामी हो, को प्रथम इंकार का अधिकार होगा। उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना को स्वीकार करने के पश्चात ऐसे निजी भूमि के स्वामी को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा। अन्यथा ऐसे निजी भूमि के स्वामी द्वारा इंकार किये जाने पर उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना वाले बोलीदार को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगाः

परन्तु यह कि निजी भूमि के स्वामी द्वारा प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग किये जाने की सूचना नीलामी के लिए रखे गये उक्त क्षेत्र के लिए बोले गये उच्चतम कीमत के घोषणा की तिथि से सात दिवस के भीतर लिखित में देनी होगी। यदि वह उक्त कालावधि के भीतर ऐसा करने में विफल होता है तो यह मान्य किया जायेगा कि उसने अपने प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग कर लिया है।

(4) यदि नीलामी प्रक्रिया के किसी भी चरण में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिए नियत तिथि में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्धि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि पुनः एक ही बोली प्राप्त हो तो उसे स्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा। लिखित में कारण दर्शित करते हुए नीलामी को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।''}

#नियम 9 प्रतिस्थापित 23.3.2016

{9क. इलेक्ट्रॉनिक निविदा के माध्यम से समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया.– (1) समेकित अनुज्ञप्ति की इलेक्ट्रॉनिक निविदा के लिए पूर्व अध्यपेक्षायें,–

(क) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कलेक्टर जिला के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के लिए समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया की पहल कर सकेगा।

(ख) कलेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक निविदा के लिये बोली आमंत्रित करने की सूचना जारी करने के पूर्व, संबंधित राजस्व एवं वन अधिकारी से प्राप्त सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर ऐसे क्षेत्रों की पहचान एवं सीमांकन करेगा जहां इलेक्ट्रॉनिक निविदा के माध्यम से समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

(2) समेकित अनुज्ञप्ति की इलेक्ट्रॉनिक निविदा के लिये प्रक्रिया,–

(क) समेकित अनुज्ञप्ति के लिए पात्रता,–

(एक) समेकित अनुज्ञप्ति की इलेक्ट्रॉनिक निविदा में भाग लेने के लिये, आवेदक नियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा।

(दो) निविदा में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारण निविदा में भाग लेने के लिये पात्रता हेतु निर्धारित निबंधनों और शर्तो के अनुसार किया जायेगा और ऐसे पात्र बोलीदारों को तकनीकी अर्हित बोलीदार कहा जायेगा। सफल बोलीदार का विनिश्चय केवल तकनीकी अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक निविदा,–

(एक) निविदा केवल ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित की जायेगी।

(दो) कलेक्टर, ऐसे किसी ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का उपयोग कर सकेगा, जो कि मानकीकरण जांच और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक –उपापन

पद्धतियों की गुणवत्ता की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

(ग) बोली लगाने के लिये मानक,–

(एक) एक निश्चित कीमत निर्धारित होगी जिसे आरक्षित कीमत कहा जायेगा, जो कि विशिष्ट खनिज के अधिसूचित स्वामित्व का बीस प्रतिशत होगा; यह राशि निकासी किये गये खनिज के लिए रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी।

(दो) बोलीदार द्वारा ''नीलामी राशि'' के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, पट्टा क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले खनिज हेतु नीलामी के लिये निर्धारित रूपये प्रति घनमीटर/टन/अन्य मानक इकाई आरक्षित कीमत से अधिक राशि उद्धृत की जायेगी।

(तीन) नीलामी राशि, प्रति माह निकासी किये गये खनिज के लिए मासिक आधार पर राज्य शासन को देय होगी। बोलीदार द्वारा उद्धृत और इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया से स्वीकार की गयी दर खनिज निकासी प्रारंभ किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी मूल्य वृद्धि के अध्यधीन होगी तथा इस हेतु जिस वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक निविदा की गयी है, वह आधार वर्ष होगा।

(चार) जहां किसी क्षेत्र को एक से अधिक खनिज के लिये इलेक्ट्रॉनिक निविदा द्वारा आवंटित किया जा रहा है, वहां उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी की राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

(पांच) उत्खनन् पट्टा अनुदत्त किये जाने के पश्चात्, यदि कोई एक या अधिक नए खनिजों का पता चलने पर उप–नियम (दो)

के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

(घ) बोली लगाने की प्रक्रिया.—

(एक) सक्षम प्राधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये निविदा आमंत्रण की सूचना का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक निविदा हेतु सूचना का विवरण संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और ऐसी सूचना में इलेक्ट्रॉनिक निविदा के अधीन आने वाले क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(I) संबंधित राजस्व अधिकारी से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र की विशिष्टियां, जिसे राजस्व भूमि, वन भूमि और निजी भूमि में विभाजित किया जायेगा; और

(II) क्षेत्र में खोजे गये सभी खनिजों के बाबत् खनिज पदार्थों के साक्ष्यों के बारे में संक्षिप्त विशिष्टियां।

(दो) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित समाविष्ट होगाः—

(एक) क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का प्रतिवेदन और विवरण;

(दो) संबंधित राजस्व अधिकारियों से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र के राजस्व सर्वेक्षण का विवरण, जिसे वन भूमि, राजस्व भूमि, निजी भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

(तीन) बोलीदारों को निविदा दस्तावेजों के अध्ययन हेतु नियत कालावधि दी जायेगी।

(चार) बोली लगाने की प्रक्रिया, निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के इक्कीस दिनों की कालावधि के पश्चात् प्रारंभ होगी। निविदा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर एक इलेक्ट्रॉनिक निविदा की प्रक्रिया होगी।

(पांच) बोलीदार जो उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना देता है उसे अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा।

(छः) दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप आरम्भिक कीमत प्रस्थापना की दशा में, जिस बोलीदार द्वारा पहले बोली प्रस्तुत की गयी हो, उसे अधिमानित बोलीदार घोषित किया जायेगा। लिखित में कारण अंकित करते हुए निविदा को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

(3) पट्टा का क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र के स्वामी को प्रथम इंकार का अधिकार— जहां पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा हेतु अधिसूचित कोई भूमि निजी भूमि पूर्णतः या अंशतः हो, ऐसे प्रकरण में किसी बोलीदार द्वारा दी गयी उच्चतम कीमत प्रस्थापना का प्रकटन किया जाएगा और निजी भूमि के स्वामी जिसने बोली की प्रक्रिया में भाग लिया हो और जो पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक पट्टा क्षेत्र के स्वामी को प्रथम इंकार का अधिकार होगा। उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना को स्वीकार करने के पश्चात ऐसे निजी भूमि के स्वामी को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा। अन्यथा ऐसे निजी भूमि के स्वामी द्वारा इंकार किये जाने पर उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना वाले बोलीदार को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगाः

परन्तु निजी भूमि के स्वामी द्वारा प्रथम इंकार के अधिकार का उसका उपयोग किये जाने की सूचना, निविदा के लिए रखे गये क्षेत्र के लिए बोले गये उच्चतम कीमत की घोषणा के तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर लिखित में देनी होगी। यदि वह उक्त कालावधि के भीतर ऐसा करने में विफल होता है तो यह मान्य किया जाएगा कि उसने अपने प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग कर लिया है।

(4) यदि निविदा के किसी भी चरण में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिये नियत तारीख में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्धि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि पुनः एक ही बोली प्राप्त हो तो उसे स्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा। लिखित में कारण अंकित करते हुए निविदा को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।}

{**10. समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आदेश.–** (1) नीलामी/निविदा की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात्, अधिमानित बोलीदार नियम 13 में विनिर्दिष्ट रीति में एक कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा और ऐसी कार्यपालन प्रतिभूति की प्राप्ति पर सक्षम प्राधिकारी अधिमानी बोलीदार को आशय पत्र जारी करेगा।

(2) आशय पत्र प्राप्त होने पर अधिमानी बोलीदार को निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर सफल बोलीदार समझा जाएगा, अर्थात्:–

(क) पात्रता संबंधी सभी निबंधन एवं शर्तो का अनुपालन;
(ख) सभी सहमतियों, अनुमोदन, अनुज्ञा पत्रों, अनापत्तियों और वैसे ही अन्य दस्तावेजों को जो पूर्वेक्षण संबंधी संक्रियाओं को प्रारंभ करने संबंधी लागू विधियों के अधीन अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करना; और
(ग) निजी भूमि के लिए भूमि स्वामी की सहमति; और
(घ) पूर्वेक्षण की योजना प्रस्तुत करना।

(3) उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा करने पर सफल बोलीदार को सक्षम प्राधिकारी समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा और ऐसी समेकित अनुज्ञप्ति इन नियमों के ऐसे उपबंधो के अधीन रहते हुए होगी जो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और उत्खनन पट्टे के लिए लागू हो।

(4) आशय पत्र जारी होने की तिथि से वन भूमि के संबंध में एक वर्ष तथा गैर वन भूमि के संबंध में छः माह के भीतर उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में विफल रहने पर आशय पत्र को स्वमेव निरस्त मान्य किया जायेगा और सफल बोलीदार द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्यपालन प्रतिभूति राजसात किया जा सकेगाः

परन्तु यह कि यदि अधिमानी बोलीदार के पास समय के भीतर, उप–नियम (2) की शर्तें पूर्ण नहीं करने का पर्याप्त कारण होने पर,

---

नियम 9 एवं 10 प्रतिस्थापित 23.3.2016

संचालक द्वारा उप–नियम (4) की अवधि में, छः माह की अतिरिक्त कालावधि बढ़ाई जा सकेगी।

(5) समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के लिए न्यूनतम क्षेत्र ऐसे न्यूनतम क्षेत्र से कम नहीं होगा, जिस हेतु उत्खनन पट्टा इन नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जा सकेगा तथा अधिकतम क्षेत्र इन नियमों के अनुसार होगा।

(6) समेकित अनुज्ञप्ति का धारक, समेकित अनुज्ञप्ति के क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रिया का संचालन करेगा, जिससे खनिज पदार्थो का साक्ष्य सुनिश्चित किया जा सके, और उसके अधीन बनाये गये नियमो के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि समेकित अनुज्ञप्ति का धारकः

(क) इन नियमों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूर्ण करने में विफल रहता है, तो ऐसे धारक उत्खनन पट्टा प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा और समेकित अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी।

(ख) इन नियमों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूर्ण करता है अथवा अन्यथा खनिज पदार्थो की विद्यमानता को स्थापित करता है, ऐसा धारक उत्खनन पट्टा प्राप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन करेगाः

परन्तु उत्खनन पट्टा केवल ऐसे क्षेत्र के लिए प्रदान किया जायेगा जिसके लिए खनिज पदार्थो का साक्ष्य पाया गया है और जो उत्खनन संक्रियाओं के लिए आवश्यक हो तथा यह ऐसे अधिकतम क्षेत्र से अधिक नहीं होगा जिसके लिए इन नियमों के अधीन उत्खनन पट्टा प्रदान किया जायेगाः

परन्तु यह और कि समेकित अनुज्ञप्ति के किसी धारक द्वारा कोई अतिरिक्त क्षेत्र, इसमें सुधार होने के पश्चात्, अभ्यर्पित समझा जायेगा।

11. अवधि जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जा सकेगी.– (1) अनुसूची–एक

नियम 10 प्रतिस्थापित 23.3.2016

के भाग–क के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट आकारीय पत्थर एवं संगमरमर खनिजों के लिये ग्रेनाईट संरक्षण और विकास नियम, 1999 एवं संगमरमर विकास और संरक्षण नियम, 2002 के प्रावधान क्रमशः लागू होंगे।

(2) अनुसूची–एक के भाग–ख के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, इसके निष्पादन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी।

(3) अनुसूची–एक के भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, इसके निष्पादन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी।

{(4) समेकित अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण सह उत्खनन पट्टे) की कुल अवधि के लिये प्रदान किया जायेगा जो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा उत्खनन पट्टे की अवधि का योग होगा, जो कि इन नियमों के अधीन उक्त खनिजों के लिए विहित है।}

12. **पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु क्षेत्रफल निषेध** .– (1) अनुसूची–एक के भाग–क के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये ग्रेनाईट संरक्षण और विकास नियम, 1999 एवं संगमरमर विकास और संरक्षण नियम, 2002 के प्रावधान क्रमशः लागू होंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति अनुसूची–एक के भाग–ख एवं भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में, एक या एक से अधिक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के लिये कुल पचास हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र अर्जित नहीं करेगाः

परन्तु यदि राज्य शासन की राय हो कि किसी खनिज के विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किये जाएंगे, किसी व्यक्ति को एक या अधिक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां ऐसे क्षेत्र के लिए अर्जित करने की अनुज्ञा दे सकता है, जिसका कुल क्षेत्रफल पूर्वोक्त क्षेत्रफल से अधिक है।

स्पष्टीकरण :–इस खण्ड के प्रयोजन के लिये 'व्यक्ति' के अंतर्गत एक व्यक्ति, संयुक्त हिन्दु परिवार, कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ अथवा व्यक्त्तियों का निकाय चाहे वह निगमित हो या न हो, स्थानीय प्राधिकारी और प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति सम्मिलित है।

#{13. समेकित अनुज्ञप्ति हेतु बोली प्रतिभूति और कार्यपालन प्रतिभूति :

(1) सभी बोलीदार द्वारा नीलामी/निविदा में भाग लेने के लिए क्रमशः अनुसूची पांच एवं छः के अनुसार बोली प्रतिभूति की राशि जमा की जायेगी।

नियम 11(4) अंतःस्थापित नियम 13 प्रतिस्थापित 23.3.2016

(2) नीलामी/निविदा की समाप्ति के पश्चात् अधिमानी बोलीदार घोषित किये जाने की तिथि से सात दिवस के भीतर अधिमानी बोलीदार अनुसूची पांच/छः में विनिर्दिष्ट राशि का डिमांड ड्राफ्ट अथवा तीन वर्ष की कालावधि के लिए वैध बैंक गारण्टी, कार्यपालन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत करेगा, जिसे समय–समय पर पूर्ण पट्टा अवधि के दौरान बढ़ाया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।''

(3) कार्यपालन प्रतिभूति समेकित अनुज्ञप्ति अनुबंध के उपबंधों के अधीन अविलंब लागू की जा सकेगी।}

14. साठ दिवस के अंदर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का निष्पादन.– (1) जहां पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के प्रदाय के लिए #{आदेश पारित किया गया है}, वहां आदेश की तारीख से साठ दिवस के अंदर, प्ररूप–चार के अनुसार अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित किया जायेगा। यदि ऐसा कोई विलेख आवेदक की ओर से किसी व्यतिक्रम के कारण उक्त अवधि के भीतर निष्पादित नहीं किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने वाले आदेश को रद्द कर सकेगा और उस दशा में संदाय किया गया शुल्क शासन के पक्ष में राजसात करेगा;

(2) जहां आदेश की तारीख से साठ दिवस के अंदर, अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित किये जाने में अनुज्ञप्तिधारी अक्षम है, वहां वह उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके कारणों का उल्लेख करते हुए संचालक को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत किये गये आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन, रूपये पांच सौ के गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) संचालक, उप–नियम (2) के अधीन किये गये आवेदन की प्राप्ति पर, विलेख के निष्पादन नहीं करने के कारणों की पर्याप्तता और यर्थातता के बारे में समाधान हो जाने पर विलेख के निष्पादन की अवधि में वृद्धि करने हेतु आदेश पारित कर सकेगा।

15. #{पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और समेकित अनुज्ञप्ति} का रजिस्टर संधारित किये जाना.– (1) #{पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और समेकित अनुज्ञप्ति} के प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्रों का रजिस्टर, प्ररूप–पांच में संबंधित जिले के खनि शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत #{पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और समेकित अनुज्ञप्ति} का रजिस्टर, प्ररूप–छः में संबंधित

नियम 14(1) एवं नियम 15(1),(2) प्रतिस्थापित 23.3.2016

जिले के खनि शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा।

16. **पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की शर्तें**:— इन नियमों के अधीन स्वीकृत की गई प्रत्येक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, किन्ही अन्य शर्तों के अतिरिक्त, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात्:—

(एक) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक, प्लान ऐसी रीति में दर्शाते हुए जिसमें वह पूर्वेक्षण संक्रियाएं करना प्रस्तावित करता है, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन की तिथि से तीस दिवस की अवधि के भीतर, संबंधित कलेक्टर तथा संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा;

(दो) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक, पूर्वेक्षण संक्रियाओं के प्रारंभ की सूचना, प्ररुप—सात में संबंधित कलेक्टर तथा संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिससे कि वह, ऐसे प्रारंभ से पन्द्रह दिवस की अवधि के भीतर उनको पहुंच सके;

(तीन) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति संक्रियाओं पर किये गए समस्त व्ययों का और ऐसी संक्रियाओं तथा उनके भेजे जाने के दौरान प्राप्त समस्त खनिजों की मात्रा और अन्य विशिष्टियों का भी, लेखा संधारित करेगा;

(चार) अनुज्ञप्तिधारी, रायल्टी के भुगतान पर तथा खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त करने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान विश्लेषण (जांच) के प्रयोजन के लिये अधिकतम पांच घन मीटर तक खनिज एकत्रित कर सकेगा तथा ले जा सकेगा;

(पांच) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे किसी खनिज के, जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट नहीं है, के खोज की रिपोर्ट, ऐसी खोज की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर, संबंधित कलेक्टर तथा संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और साथ ही ऐसे खनिज को उसके पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति में सम्मिलित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त क्षेत्र से खोजे गये नये खनिज का, उसे पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति में सम्मिलित किये जाने तक निकास (प्रेषण) नहीं करेगा:

परन्तु यह कि ऐसे किसी खनिज की खोज, जो कि गौण खनिज के रुप में विनिर्दिष्ट नहीं है, के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी को इन नियमों के अधीन ऐसे खनिज के लिए खनिज रियायत प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

(छः) अनुज्ञप्तिधारी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्र शासन या राज्य शासन द्वारा विहित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं करेगा;

(सात) ग्रेनाइट अथवा संगमरमर का अनुज्ञप्तिधारी, ग्रेनाईट संरक्षण और विकास नियम, 1999 एवं संगमरमर विकास और संरक्षण नियम, 2002 के प्रावधानों का क्रमशः पालन करेगा;

(आठ) (क) अनुज्ञप्तिधारी, संबधित कलेक्टर तथा संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्ररुप–आठ में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति समाप्ति से नब्बे दिवस की अवधि के भीतर, अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) नियम 13 के अंतर्गत जमा कोई राशि, यदि इन नियमों के अधीन राजसात नहीं की गई हो, तो अनुज्ञप्तिधारी को, उपरोक्त खण्ड (क) में यथा निर्दिष्ट पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर, वापसी योग्य होगी।

(नौ) अनुज्ञप्तिधारी, उस भूमि जिसके संबंध में अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है के नुकसान के लिये, नुकसान की सीमा तक, प्रतिपूर्ति करेगा;

(दस) अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा हुए नुकसान, क्षति या विक्षोभ के लिये किसी तीसरे पक्ष के दावे के विरूद्ध, राज्य शासन को प्रतिपूर्ति करेगा;

(ग्यारह) दखलरहित और अनारक्षित शासकीय भूमि पर वृक्षों की कटाई के संबंध में ऐसा निर्बंधन तथा ऐसी अन्य पर्यावरणीय शर्तें रखेगा, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये;

(बारह) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध किसी क्षेत्र में पर्यावरण अथवा अन्य किसी कारण से, जैसा कि समय–समय पर अधिसूचित किया जाये, पूर्वेक्षण सक्रियां पर निर्बंधन;

(तेरह) दखल की गई भूमि पर प्रवेश के संबंध में शर्तें;

(चौदह) अनुज्ञप्त क्षेत्र में या उससे संलग्न क्षेत्र में अन्य खनिजों का कार्य करने के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

17. अनुज्ञप्तिधारी का कर्तव्य .– अनुज्ञप्ति के निर्वहन के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी,–

(एक) स्वीकृत क्षेत्र अथवा संबंधित जिले के खनि शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित समीपस्थ क्षेत्र में, पूर्वेक्षण संक्रियाओं के कारण गिराये गये वृक्षों की संख्या जो कि दुगने से कम नहीं होगा, के एवज में पौधा रोपण एवं उनकी देखभाल हेतु तत्काल उपाय करेगा;

(दो) पूर्वेक्षण संक्रियाओं द्वारा विनष्ट हुए अन्य वनस्पति (पेड़–पौधों) को, यथासंभव सीमा तक, पूर्व रूप में स्थापित करेगा;

(तीन) अनुज्ञप्ति के अंतर्गत धारित भूमि में समस्त बोर को सुरक्षित बंद एवं सभी उत्खनन क्षेत्रों की भराई अथवा तार से घेराबंदी की जायेगी;

(चार) भूमि सतह के अधिभोगी को, ऐसी क्षतिपूर्ति जैसा कि कलेक्टर द्वारा निर्णित किया जाये, का भुगतान करेगा;

(पांच) संबंधित कलेक्टर एवं संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी जानकारी एवं विवरण प्रस्तुत करेगा जैसा कि नियम में विहित किया जाये;

(छः) केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या कलेक्टर या संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, उसके द्वारा किए जा रहे पूर्वेक्षण संक्रियाओं के निरीक्षण हेतु अनुमति प्रदान करेगा;

(सात) पूर्वेक्षण संक्रियाएं ऐसी रीति में की जायेंगी जिससे कि खनिज भण्डार के व्यवस्थित विकास एवं खनिजों के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा को सुरक्षित किया जा सके।

18. **अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण.–** इस नियमों के पालन न किए जाने अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के किसी धारक पर अधिरोपित की गई किसी शर्त के भंग होने की दशा में, स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा, और/अथवा नियम 13 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप को पूरा अथवा उसके भाग को राजसात कर सकेगा:

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, अनुज्ञप्तिधारी को पन्द्रह दिवस की लिखित सूचना एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, नहीं किया जायेगा।

19. **कतिपय क्षेत्र की उपलब्धता.–** अनुसूची–एक एवं अनुसूची–दो के भाग–क के खनिजों के किसी ऐसे क्षेत्र के लिए, जो उत्खनन पट्टे के अधीन पूर्व में धारित हो या धारण किया जा रहा हो या जो संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म अथवा भारतीय भू–विज्ञान सर्वेक्षण अथवा अन्य किसी शासकीय संस्थान द्वारा अन्वेषण/ पूर्वेक्षण हेतु क्षेत्र आरक्षित किया गया हो, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु कोई आवेदन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके (अनुज्ञप्ति) प्रदान करने के क्षेत्र की उपलब्धता, कम से कम तीस दिवस पूर्व राजपत्र में अग्रिम में अधिसूचित न कर दी जाए:

परन्तु राज्य शासन, किसी विशेष मामले में लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस नियम के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा।

अध्याय–चार

#{ पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, समेकित अनुज्ञप्ति, उत्खनन पट्टा एवं उत्खनन अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की शक्ति}

#{20. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये शक्ति की सीमा– (1) अनुसूची–एक तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और समेकित अनुज्ञप्ति नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित प्राधिकारी द्वारा, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए, कॉलम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन, प्रदान की जाएगी और कॉलम (5) में वर्णित प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा आयोजित की जायेगी :–

सारणी

स. क.	स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी	खनिज	स्वीकृति हेतु शक्तियों की सीमा	इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी/ इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के लिये सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	राज्य शासन	अनुसूची–एक के भाग–क एवं भाग–ख में विनिर्दिष्ट खनिज	संपूर्ण शक्तियां	संचालक
2.	संचालक	अनुसूची–एक के भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिज	जहां आवेदित क्षेत्र दस हेक्टेयर से अधिक हो	कलेक्टर
3.	कलेक्टर	अनुसूची–एक के भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिज	जहां आवेदित क्षेत्र दस हेक्टेयर तक हो	कलेक्टर"

}

प्रतिस्थापित 23.3.2016

#{21. **उत्खनन पट्टे प्रदान करने के लिये शक्ति की सीमा.–** अनुसूची–एक तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में उत्खनन पट्टा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित प्राधिकारी द्वारा कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए, कॉलम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन, प्रदान किया जायेगा और कॉलम (5) में वर्णित प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा आयोजित की जायेगी:–

सारणी

स. क.	अनुज्ञप्ति/पट्टा की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी	खनिज	स्वीकृति हेतु शक्तियों की सीमा	इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी/इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के लिये सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	राज्य शासन	अनुसूची–एक के भाग–क एवं भाग–ख में विनिर्दिष्ट खनिज	संपूर्ण शक्तियां	संचालक
2.	संचालक	अनुसूची–एक के भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिज	जहां आवेदित क्षेत्र दस हेक्टेयर से अधिक हो	कलेक्टर
3.	कलेक्टर	अनुसूची–एक के भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिज	जहां आवेदित क्षेत्र दस हेक्टेयर तक हो	कलेक्टर''

}

22. **भारत सरकार द्वारा घोषित किये गये नये गौण खनिजों के संबंध में लंबित आवेदन.–** भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित किये गये गौण खनिजों में से किसी खनिज के संबंध में अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनि पट्टा के लंबित आवेदनों के मामलों में, इन नियमों के प्रभावशील होने की तिथि से साठ दिवस के भीतर संशोधित आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर ही इन नियमों के अधीन विचार किया जा सकेगा।

प्रतिस्थापित 23.3.2016

अध्याय–पांच

अनुसूची–एक तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में उत्खनन पट्टे का प्रदान किया जाना

23. उत्खनन पट्टे के लिए आवेदन.– #{ अनुसूची–एक तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए उत्खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आवेदन प्ररूप–नौ में तीन प्रतियों में किया जायेगा}। आवेदन पत्र पर पांच रूपये मूल्य का न्यायालयीन शुल्क स्टाम्प चिपकाया जायेगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरणों के साथ–साथ, उसमें किए गए कथन के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे, अर्थात्:–

(एक) यदि आवेदक एक व्यक्ति हो, तो उसका नाम, राष्ट्रीयता, व्यवसाय, जाति, शैक्षणिक अर्हता, आयु, निवास स्थान, वर्तमान पता तथा वित्तीय प्रास्थिति;

(दो) यदि आवेदक एक कम्पनी हो, तो उसका नाम, व्यवसाय का स्वरूप तथा स्थान और रजिस्ट्रीकरण या निगमन का स्थान, संचालकों की सूची, उनकी राष्ट्रीयता, वित्तीय प्रास्थिति तथा रजिस्ट्रीकरण/निगमन का प्रमाणपत्र;

(तीन) यदि आवेदक एक फर्म है, तो उसका नाम, व्यवसाय का स्वरूप तथा स्थान, भागीदारों का निवास स्थान, उनकी राष्ट्रीयता, भागीदारी विलेख, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तथा वित्तीय प्रास्थिति;

(चार) यदि आवेदक एक सोसायटी/सहयोजन है, तो उसका नाम, कार्य का स्वरूप, स्थान, सदस्यों की सूची, उनकी जाति, शैक्षणिक अर्हता, राष्ट्रीयता, रजिस्ट्रीकरण, प्रमाणपत्र, उपविधियां तथा प्रत्येक सदस्य की वित्तीय प्रास्थिति;

(पांच) वह भूमि जिसके संबध में उत्खनन पट्टा अपेक्षित है, यथासंभव ठीक स्थिति तथा सीमा स्पष्ट करने वाले नक्शे या प्लान के द्वारा चित्रित विवरण जहां क्षेत्र का सर्वेक्षण न हुआ हो, वहां क्षेत्र की स्थिति रास्ते, तालाब इत्यादि कुछ स्थाई प्राकृतिक विशेषताओं से दर्शाई जाएंगी;

(छः) नवीनतम खसरा पांचशाला की प्रति;

(सात) खनिजों या खनिज जिसका/जिनका खनन आवेदक करना चाहता है;

(आठ) कालावधि जिसके लिए उत्खनन पट्टा अपेक्षित है;

(नौ) प्रयोजन जिसके लिए निकाले गये खनिज का उपयोग किया जाएगा;

प्रतिस्थापित 23.3.2016

(दस) किसी उत्खनन पट्टे के प्रदान किये जाने #{......} के प्रत्येक आवेदन पत्र, राज्य के प्रत्येक जिले में खनिजवार क्षेत्रों के विवरण दर्शाते हुए, एक शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे जिसे आवेदक स्वयं या किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से–

(क) उत्खनन पट्टे के अधीन पहले से ही धारित करता है;

(ख) उसके लिए आवेदन किया गया है किन्तु स्वीकृत नहीं हुआ है; और

(ग) उसके लिए साथ–साथ आवेदित किया जा रहा है;

(ग्यारह) जहां भूमि उसके (आवेदक के) स्वामित्व की नहीं है, वहां इस आशय का एक शपथ पत्र कि आवेदक ने भूमि के सतह अधिकार प्राप्त कर लिया है या खनन संक्रिया संचालन हेतु भूमि स्वामी/स्वामियों की सहमति प्राप्त कर ली है:

परन्तु जहां भूमि के अधिकार राज्य शासन में निहित् है, ऐसे शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी;

(बारह) उत्खनन पट्टे के प्रदाय किये जाने #{......} के लिए, प्रत्येक आवेदन पत्र, ऐसे समस्त जिलों में जहां आवेदक खनिज रियायतें धारण करता है या पूर्व में धारण करता था, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन देय खनन शोध्यों (माइनिंग ड्यूज) के संबंध में, जिले के खनि शाखा के खनि अधिकारी या सहायक खनि अधिकारी या प्रभारी अधिकारी द्वारा प्ररूप–दो में प्रदान किये गये अदेय (नो ड्यूज) प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे:

परन्तु आवेदक के लिए अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा, यदि उसने ऐसा शपथ–पत्र और ऐसी अन्य साक्ष्य, जो संबंधित प्राधिकारी के इस बाबत् समाधान के लिए अपेक्षित है कि वह, राज्य के किसी भी जिले में कोई खनिज रियायत धारण नहीं करता है या उसने पूर्व में कोई खनिज रियायत धारण नहीं की थी :

परन्तु यह और कि अदेय प्रमाणपत्र का प्रदान किया जाना, ऐसे प्रमाणपत्र के धारक को उन खनि शोध्यों का भुगतान करने के दायित्वों से उन्मोचित नहीं करेगा, जो कि अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके द्वारा बाद में देय पाये जा सकते हो ;

(तेरह) उत्खनन पट्टा प्रदाय हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ पूर्वेक्षण प्रतिवेदन या खनिज पदार्थो की विद्यमानता उपदर्शित करने वाला प्रतिवेदन संलग्न किया जायेगा, जैसा कि नियम 6 में हो;

विलोपित 23.3.2016

(चौदह) अनुसूची–एक के भाग–ख एवं भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए पांच हेक्टर से कम क्षेत्र पर, छः मीटर की सीमित गहराई तक के लिए उत्खनन पट्टे की स्वीकृति अथवा नवीनीकरण के प्रत्येक आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण शुल्क के लिए रूपये पांच हजार का चालान संलग्न करना होगा; तथा

(पंद्रह) किसी खनिज की खनि पट्टा स्वीकृति हेतु लंबित आवेदनों के निराकरण के पूर्व यदि उक्त खनिज को अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ड.) के अधीन भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गौण खनिज घोषित कर दिया जाता है तो भारत सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि के पूर्व से ऐसे लंबित आवेदनों से संबंधित क्षेत्र के लिये उक्त अधिसूचना की तिथि से साठ दिवस के भीतर, आवेदक के द्वारा, इन नियमों के अनुरूप संशोधित आवेदन प्रस्तुत करने पर ही इन नियमों के अधीन खनि पट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकेगा :

परन्तु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व से स्वीकृत खनि पट्टे का नवीनीकरण इन नियमों के अधीन किया जायेगा ।

#{**23क. उत्खनन पट्टा का प्रदान करना .–** (1) उत्खनन पट्टा प्रदान करने की शक्तियां–

(क) अनुसूची–एक के भाग–क एवं भाग–ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये संचालक द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रकिया के माध्यम से उत्खनन पट्टा प्रदान करने की शक्ति, राज्य सरकार को होगी।

(ख) अनुसूची–एक के भाग–ग एवं अनुसूची दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये कलेक्टर द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रकिया के माध्यम से दस हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिये उत्खनन पट्टा प्रदान करने की शक्ति संचालक को होगी।

(ग) अनुसूची एक के भाग–ग एवं अनुसूची दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये कलेक्टर द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रकिया के माध्यम से दस हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए उत्खनन पट्टा प्रदान करने की शक्ति कलेक्टर को होगी।

नियम 23क अंतःस्थापित 23.3.2016

(2) वर्तमान रियायत धारकों तथा आवेदकों के अधिकार– (क) इस संशोधित नियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व, उत्खनन पट्टा प्रदान करने के लिये सभी प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य हो जायेंगे।

(ख) उप–नियम (क) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस संशोधन नियम के प्रारंभ होने की तारीख से निम्नलिखित मान्य होंगेः–

(एक) जहां इस संशोधन नियम के प्रारंभ होने के पूर्व, किसी भूमि के संबंध में किसी भी खनिज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान की जा चुकी है, वहां पर अनुज्ञप्तिधारी को उस भूमि पर उस खनिज के संबंध में उत्खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारक–

(I) ऐसे भूमि में खनिज पदार्थों के विद्यमान होने को साबित करने के लिए आवश्यक पिटिंग तथा वेधन के माध्यम से पूर्वेक्षण संक्रियायें संचालित की है अथवा उसमें खनिज पदार्थों का होना अन्यथा सिद्ध कर दिया गया है;

(II) इन नियमों के उपबंधो के अधीन अमान्य नहीं हो गया हो; और

(III) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति के नब्बे दिवस की कालावधि के भीतर अथवा संचालक द्वारा विस्तारित कालावधि में जो कि छः माह से अधिक न हो, उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु आवेदन करने के लिए असफल नहीं रहा है।

(दो) ऐसे प्रकरणों में जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संशोधन नियम के प्रारंभ होने के पूर्व, उत्खनन के लिए आशय पत्र (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो), अथवा स्वीकृति आदेश, जारी कर दिया गया है, आशय पत्र की शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए इस नियम के प्रारंभ होने के 180 दिवस की कालावधि के भीतर अथवा संचालक द्वारा बढ़ाई गई अवधि जो कि छः माह से अधिक नहीं होगी।

(तीन) इन नियमों के नियम 38 के अंतर्गत नवीनीकरण के लिये लंबित आवेदन।

नियम 23क अंतःस्थापित 23.3.2016

(3) उत्खनन पट्टा प्रदान करने के लिए प्रारम्भिक प्रक्रिया–

(क) (एक) यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी या इलेक्ट्रॉनिक निविदा के माध्यम से उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए राज्य शासन द्वारा विहित रीति में जहां पर गौण खनिज के लिए खनिज पदार्थों की विद्यमानता स्थापित की गयी हो, ऐसे क्षेत्र को सक्षम प्राधिकारी को स्व–प्रेरणा से चिन्हित, सीमांकित और अधिसूचित करने की शक्तियां होंगी।

(दो) ऐसे क्षेत्रों जो कि उप–खण्ड (एक) में समाहित नहीं है, में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे क्षेत्रों के लिए प्ररूप–एक में आवेदन प्राप्त कर सकेंगे, जहां उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिये गौण खनिज के लिये खनिज पदार्थों की विद्यमानता स्थापित की गयी हो; संचालक द्वारा अनुसूची एक के भाग–क एवं भाग–ख में अन्तर्विष्ट खनिजों के लिये आवेदन प्राप्त किये जायेंगे और कलेक्टर द्वारा अनुसूची एक के भाग–ग तथा अनुसूची दो के भाग–क में अन्तर्विष्ट खनिजों के लिये आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

(ख) सक्षम प्राधिकारी प्राप्त हुए आवेदनों पर प्राप्ति का समय और दिनांक अंकित करेगा तथा प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति तारीख के साठ दिवस के कालावधि के भीतर यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के लिये प्रक्रिया आरंभ करेगा। विभागीय वेबसाइट में यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के लिए सूचना को अधिसूचित किया जायेगा। यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा हेतु अधिसूचना का विवरण संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

नियम 23क अंतःस्थापित 23.3.2016

(ग) राज्य शासन, यदि उसकी राय में यह आवश्यक एवं समीचीन हो तो जिला या जिलों में खनिजों के प्रवर्गों के खनिज निक्षेपों के आकार एवं क्षेत्र के संबंध में निबंधन एवं शर्तें, प्रक्रिया और बोली के मानक विहित करेगा जिसके अधीन इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा बुलाई जाएगीः

परन्तु यह कि किसी विशिष्ट खान अथवा खानों को किसी विशेष अंतिम उपयोग के लिए सुरक्षित करने के लिये निर्बंधन एवं शर्तों में जोड़ा जा सकेगा, ऐसी शर्तो के अध्यधीन जिससे केवल ऐसे योग्य, अंतिम उपभोगी को नीलामी में भाग लेने की अनुमति हो।}

24. उत्खनन प्लान के अनुसार गौण खनिजों की उत्खनन संक्रिया का किया जाना .–

(1) सम्यक रुप से अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार ही उत्खनन संक्रिया की जायेगी;

(2) एक बार अनुमोदित उत्खनन प्लान, पट्टे के संपूर्ण अवधि के लिए वैध होगाः

(3) उत्खनन पट्टा संचालन के दौरान अनुमोदित उत्खनन प्लान के उपांतरण के लिए भी, पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा;

(4) जहां पर #{इन संशोधित नियमों} के लागू होने के पूर्व से बिना अनुमोदित उत्खनन प्लान के उत्खनन संक्रियाएं की जा रही थी ऐसे उत्खनन पट्टाधारी को इन नियमों के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर राज्य शासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी से अनुमोदन हेतु उत्खनन प्लान प्रस्तुत करना होगा।

(5) उत्खनन प्लान में सम्मिलित होंगे–

(एक) आवेदक का नाम

(दो) पता

शहर

जिला

पिन कोड

फोन नम्बर

ई–मेल

(तीन) आवेदक की प्रास्थिति

प्रतिस्थापित 23.3.2016

(चार) उत्खनन प्लान बनाने वाले मान्य योग्य व्यक्ति का नाम :

पता

शहर

जिला

पिन कोड

फोन नम्बर

ई–मेल

(पांच) मान्य योग्य व्यक्ति का पंजीकरण क्रमांक

अथवा राज्य शासन को प्राधिकार

स्वीकृति एवं नवीनीकरण की तारीख

.... तक वैध

(छः) पूर्वेक्षण एजेन्सी का नाम एवं विवरण

(सात) पता :–

शहर

जिला

पिन कोड

फोन नम्बर

ई–मेल

(आठ) क्या क्षेत्र का पूर्वेक्षण, संचालनालय, भौमिकी तथा

खनिकर्म द्वारा किया गया है, यदि हां तो

पूर्वेक्षण प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न करें

(नौ) अवस्थिति तथा अभिगम्यता

क्षेत्र का विवरण (अवस्थिति मानचित्र के साथ)

जिला, तहसील, पटवारी हल्का नम्बर, ग्राम,

खसरा क्रमांक / कक्ष क्रमांक

पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में)

स्वामित्व

यदि पास में कोई सार्वजनिक सड़क / रेल्वे लाईन होने पर

उसकी लगभग दूरी

पांच या पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र होने पर

अक्षांश–देशांश सहित टोपोशीट क्रमांक

आरक्षित वन / संरक्षित वन के अंतर्गत क्षेत्र को

वन मानचित्र पर चिन्हांकित किया जाए

(दस) खनिज निकाय की प्रकृति और विस्तार
दर्शित करने वाले क्षेत्र

(ग्यारह) स्थल अथवा स्थलों, जहां उत्खनन
संक्रिया प्रस्तावित हो तथा उत्खनन
संक्रियाओं की प्रस्तावित अधिकतम गहराई;

(बारह) अनन्तिम उत्खनन प्लान, उत्खनन का
वार्षिक कार्यक्रम तथा पांच वर्षों के लिए
वर्षवार उत्खनन हेतु प्लान;

(तेरह) मानवीय उत्खनन या मशीनरी और
यांत्रिक युक्तियों के उपयोग द्वारा
खनन की सीमा;

(चौदह) पर्यावरण की सुरक्षा, विशेषकर उत्खनन
संक्रियाओं के कारण वायु एवं जल प्रदूषण के उपाय;

(पन्द्रह) भूमि के पुनरुद्धार के उपाय;

(सोलह) उत्खनन बंद करने की प्लान
(अस्थाई अनुज्ञप्ति के मामले में लागू नहीं);

25. **मान्य योग्य व्यक्ति (आर.क्यू.पी.) द्वारा उत्खनन प्लान का तैयार किया जाना .–**

(1) कोई उत्खनन योजना तब तक अनुमोदित नहीं की जायेगी जब तक कि वह संचालक द्वारा यथा अधिसूचित मान्य योग्य व्यक्ति अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार न की गई हो।

(2) योग्य व्यक्ति/अधिकृत व्यक्ति को निम्नानुसार अर्हता एवं अनुभव रखना होगा, अर्थात् :–

(एक) केन्द्रीय अधिनियम या राज्य शासन के अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा भू–विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, इसमें सम्मिलित है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्था या भारत के बाहर किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा स्वीकृत कोई समतुल्य योग्यता; और

(दो) उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् खनिज अन्वेषण/प्रशासन या खनन के क्षेत्र में तीन वर्ष का व्यावसायिक अनुभव अथवा संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के नियोजन में हो।

(3) मान्य योग्य व्यक्ति/अधिकृत व्यक्ति, विद्यमान उत्खनन प्लान के उपांतरणों को भी क्रियान्वित कर सकेगा।

26. **उत्खनन प्लान का अनुमोदन.**–(1) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रत्येक उत्खनन प्लान के साथ, उत्खनन पट्टे के अधीन आच्छादित क्षेत्र के प्रत्येक हेक्टेयर अथवा उसके भाग के लिए एक हजार रुपये के गैर वापसी योग्य शुल्क संलग्न किये जाएंगे।

(2) उत्खनन प्लान के संबंध में संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश अथवा निर्देश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश या निर्देश की संसूचना के तीस दिनों के अंदर, ऐसे आदेश या निर्देश के पुनरीक्षण के लिए संचालक को एक सौ रूपये के मूल कोषालय चालान के साथ आवेदन करेगाः

परन्तु यह कि किसी ऐसे आवेदन पत्र को तीस दिनों की उक्त कालावधि पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि संचालक संतुष्ट हो कि उसके पास समय के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(3) उप–खण्ड (2) के अधीन पुनरीक्षण के लिए किसी आवेदन पत्र की प्राप्ति पर संचालक, व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे किसी अधिकारी, जिसके द्वारा उत्खनन प्लान का अनुमोदन किया गया है, द्वारा किए गए आदेश या जारी निर्देश को पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा।

(4) उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का, ऐसे आवेदन पत्र के निपटारे हेतु यथावश्यक परिवर्तन सहित, अनुसरण किया जाएगा ।

27. **उत्खनन प्लान के अनुमोदन की शक्तियां.–** उत्खनन योजना का अनुमोदन संचालक द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिसूचना के माध्यम से अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा#{:}

#{"परन्तु अनुसूची–एक के भाग–ख में विनिर्दिष्ट खनिजो के उत्खनन योजना का अनुमोदन भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा भी किया जायेगा।"}

28. संचालक द्वारा मान्यता की स्वीकृति.– (1) नियम 25 में निर्दिष्ट अर्हताएं एवं अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति, मान्य योग्य व्यक्ति के रुप में मान्यता प्रदान किए जाने के लिए, संचालक या संचालक द्वारा सम्यक रुप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(2) संचालक या संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, मान्यता प्रदान कर सकेगा या मान्यता प्रदान करने से इंकार कर सकेगा और जहां मान्यता अस्वीकृत कर दी जाती है वहां लिखित रुप में कारणों को अभिलिखित करेगा और उससे आवेदक को संसूचित करेगा।

अंतःस्थापित 23.3.2016

(3) पांच वर्षों की एक आरंभिक कालावधि तक मान्यता प्रदान की जायेगी और एक समय में पांच वर्षों की कालावधि के लिये नवीनीकृत की जा सकेगी:

परन्तु यह कि संचालक अथवा संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, मान्यता का नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेंगे।

(4) मान्यता के लिए आवेदन पत्र को, स्वीकृत या नवीनीकृत करने से इंकार करने वाले संचालक के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य शासन को की जायेगी, जहां पर संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया हो वहां पर अपील, संचालक को की जा सकेगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) यदि मान्य योग्य व्यक्ति उत्खनन प्लान के बनाने के लिए गलत अथवा बनावटी आंकड़े/जानकारी का उपयोग करता है तो मान्यता प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी, मान्य योग्य व्यक्ति की मान्यता को निरस्त अथवा उत्खनन प्लान तैयार करने से पांच वर्ष की अवधि के लिये ब्लैक लिस्ट अथवा दोनों, कर सकेगा:

परन्तु मान्य योग्य व्यक्ति की मान्यता को निरस्त या ब्लैक लिस्ट करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए:

परन्तु यह और भी कि मान्य योग्य व्यक्ति की मान्यता को निरस्त और उत्खनन प्लान निर्माण करने से ब्लैक लिस्ट करने के संचालक के आदेश के विरुद्ध अपील, राज्य शासन को होगी, तथा प्रकरण में जहां आदेश संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किया गया है वहां अपील, संचालक को होगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

(6) यदि मान्य योग्य व्यक्ति द्वारा उत्खनन प्लान के तैयार करने के लिए गलत अथवा बनावटी आंकड़े/जानकारी का उपयोग किया जाता है तो वह, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो कि पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगा, से दण्डित किया जाएगा।

(7) गलत अथवा बनावटी आंकड़े/जानकारी का उपयोग कर तैयार की गयी कोई भी उत्खनन प्लान, शून्यवत और अप्रभावी होगी ।

29. **वित्तीय आश्वासन.–** (1) प्रत्येक उत्खनन पट्टा धारक द्वारा वित्तीय आश्वासन दिया जाएगा। वित्तीय आश्वासन की रकम, पट्टा क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टर या उसके भाग के लिए पच्चीस हजार रुपये होगी।

(2) वित्तीय आश्वासन, यथास्थिति, कलेक्टर अथवा संचालक की निम्नलिखित प्ररुपों में से एक में प्रस्तुत किया जाएगा:–

(एक) किसी अनुसूचित बैंक से क्रेडिट पत्र; या

(दो) प्ररूप–दस में प्रतिभू बन्ध–पत्र;

(3) उत्खनन पट्टे विलेखों के निष्पादन के पूर्व पट्टेधारी, यथास्थिति, कलेक्टर या संचालक, को वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत करेगा।

(4) जहां पर उत्खनन संक्रियाएं इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व से संचालित की जा रही हो, ऐसे उत्खनन पट्टाधारी द्वारा, इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत किया जावेगा;

(5) वित्तीय आश्वासन की निर्मुक्ति, उत्खनन बंद करने की प्लान में अंतर्विष्ट उपबंधों का संतोषजनक अनुपालन करने विषयक पट्टेधारी द्वारा दी गई सूचना पर, तथा कलेक्टर द्वारा प्रमाणित किए जाने पर, प्रभावी होगी;

(6) यदि कलेक्टर के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि अनुमोदित उत्खनन बंद करने की प्लान में, जिसके संबंध में वित्तीय आश्वासन दिया गया था, परिकल्पित रुप में सुरक्षात्मक भूमि पुनरूद्धार और पुनर्वास उपाय, उत्खनन बंद करने की प्लान के अनुसार पूर्णतः या अशतः, कार्यान्वित नहीं किए हैं या नहीं किए जाएंगे, तो कलेक्टर, पट्टेधारी को आश्वासन दी गई राशि को प्रत्याहृत करने के लिए आदेश जारी करने के अपने आशय की लिखित सूचना, आदेश जारी किए जाने की तारीख के कम से कम तीस दिन पूर्व, देगा।

(7) उप–नियम (6) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, यदि पट्टेधारी से कोई लिखित समाधानप्रद उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित कलेक्टर, प्रतिभूति रकम समपहृत करने के लिए आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति, संचालक को पृष्ठांकित की जाएगी।

(8) कलेक्टर द्वारा ऐसे आदेश जारी करने पर संचालक, सुरक्षात्मक भूमि पुनरूद्धार और पुनर्वास उपायों के प्रयोजन के लिए वित्तीय आश्वासन के रुप में उपबंधित या अभिप्राप्त किए गए किसी प्रत्यय पत्र या बंध पत्र; किसी प्रतिभूत गारंटी को वसूल कर सकेगा तथा उन उपायों का क्रियान्वयन कर सकेगा या ऐसा करने के लिये अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा।

30. उत्खनन पट्टा स्वीकृति हेतु क्षेत्र निषेध.– (1) अनुसूची–एक के भाग–क के अधीन विनिर्दिष्ट ग्रेनाईट एवं संगमरमर खनिजों के लिये, क्रमशः ग्रेनाईट संरक्षण और विकास नियम, 1999 एवं संगमरमर विकास और संरक्षण नियम, 2002 के प्रावधान, लागू होंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति अनुसूची–एक के भाग–ख एवं भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में एक या एक से अधिक उत्खनन पट्टों के लिए पचास हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र अर्जित नहीं करेगाः

परन्तु यदि राज्य शासन की यह राय है कि किसी खनिज के विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किये जाएंगे, किसी व्यक्ति को एक या अधिक उत्खनन पट्टे ऐसे क्षेत्र के लिए अर्जित करने की अनुज्ञा दे सकता है, जिसका कुल क्षेत्रफल पूर्वोक्त क्षेत्रफल से अधिक है :

परन्तु गौण खनिज/खनिजों के क्लस्टर माइनिंग का अधिकतम क्षेत्र पांच सौ हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए 'व्यक्ति' के अंतर्गत एक व्यक्ति, संयुक्त हिन्दु परिवार, कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ अथवा व्यक्त्तियों का निकाय चाहे वह निगमित हो या न हो, स्थानीय प्राधिकारी और प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति सम्मिलित है।

(3) अनुसूची–एक के भाग–ख में विनिर्दिष्ट खनिजों तथा भाग–ग के सरल कमांक–2 फ्लेगस्टोन (फर्शी पत्थर) को छोड़कर, अन्य विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए, न्यूनतम क्षेत्र एक हेक्टर से कम नहीं होगा। फर्शी पत्थर के मामले में और अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए, न्यूनतम क्षेत्र 0.40 हेक्टर से कम नहीं होगा।

परन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व से स्वीकृत उत्खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिए इस उप नियम में विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र, लागू नहीं होंगे।

31. आवेदन शुल्क .– (1) अनुसूची–एक तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए, उत्खनन पट्टे के प्रदाय किये जाने या नवीनीकरण के संबंध में, प्रत्येक आवेदन पत्र के लिये, गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान किया जायेगा;

(2) गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क, निम्नलिखितम रीति में जमा किया जाएगा :–

सरल कमांक	आवेदित क्षेत्र	शुल्क
(1)	(2)	(3)
(एक)	पांच हेक्टेयर तक	रूपये पांच हजार
(दो)	पांच हेक्टेयर से अधिक	रूपये दस हजार

(3) आवेदन शुल्क, शासकीय कोषालय में राजस्व प्राप्ति शीर्ष–

0853 – अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग
{102} – खनिज संबंधी रियायत शुल्क, किराया और रायल्टी
(0278) – छोटे खनिजों से प्राप्तियॉ

में जमा किया जायेगा तथा मूल कोष रसीदी चालान, आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

32. आवेदनों को प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी.– जिले के उप संचालक या खनि अधिकारी या सहायक खनि अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उत्खनन पट्टे की स्वीकृति अथवा नवीनीकरण के आवेदनों को प्राप्त करेंगे और उस पर वह दिनांक एवं समय अंकित करेंगे जिस पर उसके द्वारा आवेदन प्राप्त किया गया है ।

33. कतिपय क्षेत्रों की उपलब्धता.– अनुसूची–एक तथा अनुसूची–दो के भाग–क में उल्लिखित खनिजों के किसी ऐसे क्षेत्र के लिए, जो खनि/उत्खनन पट्टे के अधीन पूर्व में धारित हो या धारण किया जा रहा हो या जिसके संबंध में पट्टा प्रदान किये जाने के आदेश हो चुके हों, किन्तु किसी कारणवश पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया हो या जिसके संबंध में पट्टा प्रदान किये जाने बाबत् आदेश प्रतिसंहृत किया गया हो या जिसके संबंध में उत्खनन पट्टे हेतु आवेदन–पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया हो कि उस क्षेत्र को किसी प्रयोजन हेतु आरक्षित किया जाना हो, तब तक उत्खनन पट्टे के लिए कोई आवेदन नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह तारीख, जिससे कि ऐसा क्षेत्र पट्टा प्रदान करने के लिये उपलब्ध होगा, कम से कम तीस दिन पूर्व राजपत्र में अग्रिम में अधिसूचित न कर दी जायेः

परंतु राज्य शासन किसी विशेष मामले में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, इस नियम के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा :

34. सार्वजनिक क्षेत्र इत्यादि में समुपयोजन हेतु क्षेत्रों का आरक्षित किया जाना.– राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र को पर्यावरण के संरक्षण, परिरक्षण के लिये, राज्य शासन द्वारा भंडार का निर्धारण करने के लिये अथवा केन्द्रीय या राज्य शासन द्वारा स्थापित सरकारी निगम या कम्पनी अधिनियम, 2012 (2013 का 18) की धारा 2 की उप–धारा (45) के अर्थ के अंतर्गत सरकारी कम्पनी द्वारा समुपयोजन हेतु आरक्षित कर सकेगा।

35. आवेदन की अभिस्वीकृति.– (1) जहाँ उत्खनन पट्टे को प्रदान किये जाने या उसका नवीनीकरण करने के लिए कोई आवेदन, व्यक्तिगत रुप से दिया जाये, वहाँ उसकी अभिस्वीकृति तुरंत दी जायेगी और जहाँ ऐसा आवेदन पंजीकृत डाक से प्राप्त हो और अन्य मामलों में, ऐसी अभिस्वीकृति, उसकी प्राप्ति से तीन दिन के भीतर दी जायेगी।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन–पत्र की अभिस्वीकृति, प्ररुप–तीन में दी जायेगी।

36. उत्खनन पटटे के लिए आवेदनों का रजिस्टर.– उत्खनन पट्टे के आवेदनों का रजिस्टर जिले के खनि अधिकारी या सहायक खनि अधिकारी द्वारा प्ररुप–ग्यारह में संधारित किया जायेगा।

37. **समयपूर्व आवेदन– (1)** ऐसे क्षेत्रों के संबंध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा उत्खनन पट्टा स्वीकृति के आवेदन पत्र, जिनकी स्वीकृति हेतु उपलब्धता को नियम 33 के अधीन अधिसूचित किये जाने के लिये अपेक्षा की जाती है, समय पूर्व समझे जायेंगे तथा ग्रहण नही किये जायेंगे यदि–

(एक) उस नियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, अथवा

(दो) जहां ऐसी कोई अधिसूचना जारी की गई है किंतु अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान नहीं हुआ है।

(2) उप नियम (1) के अनुसार आवेदन के साथ भुगतान किये गये शुल्कों को आवेदक के अनुरोध पर, वापस किया जायेगा।

38. उत्खनन पट्टे का नवीनीकरण.– (1) उत्खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र, उस तारीख से जिस पर ऐसे पट्टे का अवसान हो, कम से कम एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा एवं पट्टे के अवसान के पूर्व निपटारा किया जाएगा और यदि

आवेदन का उस अवधि के पूर्व निपटारा नहीं हो पाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि पट्टे की अवधि स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा आवेदन के नवीनीकरण के अंतिम निर्णय के पारित होने तक बढ़ा दी गयी है #{ : }

#{"परन्तु इस उप–नियम के प्रावधान, इस संशोधन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व, स्वीकृत उत्खनन पट्टे के प्रकरणों में ही लागू होंगे किन्तु नियम 38क के उप–नियम (3) एवं (4) के अन्तर्गत उत्खनन पट्टे की कालावधि में वृद्धि किये गये प्रकरण में लागू नहीं होंगे।"}

अंतःस्थापित 23.3.2016

{ **38क. उत्खनन पट्टे की कालावधि .–** (1) इस संशोधन नियम के प्रारंभ होने की तारीख से तथा उसके पश्चात् अनुसूची एक के भाग–ख में विनिर्दिष्ट समस्त खनिजों के लिये उत्खनन पट्टा पच्चास वर्षों की कालावधि हेतु प्रदान की जायेगी।

(2) इस संशोधन नियम के प्रारंभ होने की तारीख से तथा उसके पश्चात् अनुसूची एक के भाग–क और भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट समस्त खनिजों के लिये उत्खनन पट्टा तीस वर्षों की कालावधि हेतु प्रदान की जायेगी।

(3) ऐसे सभी उत्खनन पट्टे जो कि अनुसूची–एक के भाग–ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए संशोधन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व जारी किए गए है, उन पट्टों की कालावधि का उसके अंतिम बार किये गये नवीनीकरण की कालावधि के अवसान की तिथि से 31 मार्च, 2020 तक अथवा विगत् नवीनीकरण की कालावधि पूर्ण होने तक अथवा ऐसे पट्टे की स्वीकृति की तारीख से पचास वर्ष की कालावधि, जो भी बाद में हो, तक पट्टे की सभी निबंधन एवं शर्तो के पालन किये जाने के अध्यधीन, विस्तारित किया जायेगा और विस्तारित किया गया समझा जायेगा :

परन्तु पट्टाधारक को इस आशय के पूरक पट्टा अनुबंध के निष्पादन पर उपरोक्त अधिकार प्रदान किया जायेगा जिसे कि इन नियमों के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर निष्पादित किया जायेगा। लिखित कारणों का उल्लेख करते हुए संचालक को यह शक्ति होगी कि उक्त अवधि में छः माह की अतिरिक्त अवधि की वृद्धि कर सके।

(4) ऐसे सभी उत्खनन पट्टे जो कि अनुसूची–एक के भाग–क और भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए संशोधन नियम के प्रारंभ होने के पूर्व जारी किए गए है, उन पट्टे की कालावधि का उसके अंतिम बार किये गये नवीनीकरण की कालावधि की अवसान की तिथि से 31 मार्च 2020 तक अथवा विगत् नवीकरण की अवधि पूर्ण होने तक अथवा ऐसे पट्टे की स्वीकृति की तारीख से तीस वर्ष की कालावधि, जो भी बाद में हो, तक पट्टे की सभी निबंधन एवं शर्तो के पालन किये जाने के अध्यधीन, विस्तारित किया जायेगा और विस्तारित किया गया समझा जायेगा :

परन्तु पट्टाधारक को इस आशय के पूरक पट्टा अनुबंध के निष्पादन पर उपरोक्त अधिकार प्रदान किया जायेगा जिसे कि इन नियमों के प्रारंभ होने के

नियम 38क अंतःस्थापित 23.3.2016

एक वर्ष के भीतर निष्पादित किया जायेगा। लिखित कारणों का उल्लेख करते हुए संचालक को यह शक्ति होगी कि उक्त अवधि में छः माह की अतिरिक्त अवधि की वृद्धि कर सके।

(5) पट्टा अवधि के समाप्ति के पश्चात्, यदि क्षेत्र में खनिज संसाधनों की उपलब्धता रहती है तो पट्टे को इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुरूप यथास्थिति, नीलामी या निविदा के माध्यम हेतु रखा जायेगा।}

#{ 39. इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से उत्खनन पट्टा का प्रदान किया जाना.–

(1) उत्खनन पट्टे की नीलामी के लिए पूर्व अध्यपेक्षाएं.–

(क) इन नियमों के उपबंधो के अधीन सक्षम प्राधिकारी राज्य के भीतर के किसी भी क्षेत्र के संबंध में उत्खनन पट्टा प्रदान करने के लिए नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर सकेगा।

(ख) सक्षम प्राधिकारी, नीलामी के संबंध में बोली आमंत्रित करने की सूचना जारी करने के पूर्व, संबंधित राजस्व एवं वन अधिकारी से प्राप्त सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर ऐसे क्षेत्रों की पहचान एवं सीमांकन करेगा जहां इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी के माध्यम से उत्खनन पट्टा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

(2) उत्खनन पट्टा हेतु इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी के लिए प्रक्रिया:–

(क) उत्खनन पट्टा के लिए पात्रता–

(एक) उत्खनन पट्टा की नीलामी में भाग लेने के प्रयोजन के लिये, आवेदक नियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

(दो) नीलामी में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारण नीलामी में भाग लेने के लिये निर्धारित निबंधनों और शर्तो के अनुसार किया जायेगा और सफल बोलीदार का विनिश्चय केवल पात्र बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

नियम 39 अंतःस्थापित 23.3.2016

(ख) इलेक्ट्रॉनिक नीलामी–

(एक) नीलामी केवल ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से दो चरणों में अद्यतन बढ़ते क्रम से संचालित की जायेगी।

(दो) सक्षम प्राधिकारी, ऐसे किसी आनलाईन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफार्म का उपयोग कर सकेंगे जो मानकीकरण जॉच और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक–उपापन पद्धतियों की गुणवत्ता की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(ग) बोली लगाने के लिये मानक–

(एक) एक निश्चित कीमत निर्धारित होगी जिसे ''आरक्षित कीमत'' कहा जायेगा, जो कि विशिष्ट खनिज के अधिसूचित स्वामिस्व का बीस प्रतिशत होगा; यह राशि निकासी किये गये खनिज के लिए रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी।

(दो) बोलीदारों द्वारा ''नीलामी राशि'' के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, पट्टा क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले खनिज हेतु नीलामी के लिए निर्धारित रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन/अन्य कोई मानक इकाई आरक्षित कीमत से अधिक राशि उद्धृत की जायेगी।

(तीन) जहां किसी क्षेत्र को एक से अधिक खनिजों के लिये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी माध्यम से किया जा रहा है, वहां उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

नियम 39 अंतःस्थापित 23.3.2016

(चार) नीलामी राशि, प्रति माह निकासी किये गये खनिज के लिए मासिक आधार पर राज्य शासन को देय होगी। बोलीदार द्वारा उद्धृत और इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी प्रक्रिया से स्वीकार की गयी दर खनिज निकासी प्रारंभ किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी मूल्य वृद्धि के अध्यधीन होगी तथा इस हेतु जिस वर्ष में नीलामी की गयी है, वह आधार वर्ष होगा।

(पांच) उत्खनन् पट्टा प्रदान किये जाने के पश्चात् यदि कोई एक या अधिक नए खनिजों का पता चलने पर उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के प्रयोजन से उद्धृत नीलामी राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

(घ) बोली लगाने की प्रक्रिया–

(एक) सक्षम प्राधिकारी, नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये नीलामी की सूचना का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर करेगा। नीलामी हेतु सूचना का विवरण संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा और ऐसी सूचना में नीलामी के अधीन आने वाले क्षेत्रों के बारे में संक्षिप्त विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,–

(I) संबंधित राजस्व अधिकारी से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र की विशिष्टियां, जिसे राजस्व भूमि, वन भूमि और निजी भूमि के रूप में विभाजित किया जायेगा; और

(II) क्षेत्र में खोजे गए सभी खनिजों से संबंधित खनिज पदार्थो के साक्ष्य के बार में संक्षिप्त विशिष्टियां।

नियम 39 अंतःस्थापित 23.3.2016

(दो) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए नीलामी के दस्तावेज में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे–

(I) क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का प्रतिवेदन और विवरण;

(II) संबंधित राजस्व अधिकारियों के सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र के राजस्व सर्वेक्षण का विवरण, जिसे वन भूमि, राजस्व भूमि और निजी भूमि के रूप में विभाजित किया जायेगा।

(तीन) बोलीदार को नीलामी के दस्तावेजों के अध्ययन हेतु नियत कालावधि प्रदान की जायेगी।

(चार) बोली लगाने की प्रक्रिया, नीलामी की सूचना के प्रकाशन के 21 दिन की कालावधि के पश्चात् प्रारंभ होगी। नीलामी एक उच्चगामी ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी होगी।

(पांच) प्रथम चरण के लिये, बोलीदार को तकनीकी बोली और आरंभिक कीमत प्रस्थापना, जो कि आरक्षित कीमत से अधिक होगी, प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी बोली का मूल्यांकन बोलीदार द्वारा पात्रता की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिए होगा।

(छ:) केवल उन्हीं बोलीदारों को जो विहित पात्रता शर्तों के अनुरूप पात्र पाये जायेंगे उन्हें **"तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदार"** घोषित किया जायेगा।

(सात) तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों के बीच आरक्षित कीमत से अधिक उच्चतम आरंभिक कीमत प्रस्थापना ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के दूसरे दौर के लिये आधार मूल्य होगा।

(आठ) (I) आरंभिक कीमत के बोली दस्तावेजों (आरंभिक कीमत बोली) को खोलने के उपरांत तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों को उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नगामी आरम्भिक कीमत प्रस्थापना के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जायेगा और उन श्रेणियों के प्रथम पचास प्रतिशत तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदार (किसी भिन्नांश को उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जायेगा) या शीर्ष के पांच

नियम 39 अंतःस्थापित 23.3.2016

तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदार, इनमें से जो भी उच्चतर हो, दूसरे दौर में भाग लेने के लिए अर्हित बोलीदार के रूप में अर्हित होंगे। केवल अर्हित बोलीदार नीलामी प्रक्रिया अर्थात् ऑनलाईन अग्र नीलामी के दूसरे चरण में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

(II) यदि तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों की संख्या पांच से कम हो, तो सभी तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों को अर्हित बोलीदार के रूप में मान्य किया जायेगा;

(III) दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप आरम्भिक कीमत प्रस्थापना की दशा में, ऐसे सभी तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों को अर्हित बोलीदार का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये समान श्रेणी में रखा जायेगा और ऐसे मामलों में, ऊपर उल्लिखित पचास प्रतिशत को पचास प्रतिशत धन तकनीकी रूप से अर्हित ऐसे बोलीदारों की संख्या तक बढ़ा दिया जाएगा, जिनकी आरम्भिक कीमत प्रस्थापनाएं ऐसी समरूप आरम्भिक कीमत प्रस्थापनाओं की संख्या से कम समरूप है।

(नौ) अधिकतम अंतिम कीमत प्रस्थापना प्रस्तुत करने वाले बोलीदार को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा।

(3) पट्टा क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र के स्वामी को प्रथम इंकार का अधिकार– जहां पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी हेतु अधिसूचित कोई भूमि पूर्णतः या अंशतः निजी भूमि हो, ऐसे प्रकरण में किसी बोलीदार द्वारा दी गयी उच्चतम कीमत प्रस्थापना का प्रकटन किया जायेगा और निजी भूमि के स्वामी जिसने बोली की प्रक्रिया में भाग लिया हो और पट्टा क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामी हो, को प्रथम इंकार का अधिकार होगा। उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना को स्वीकार करने के पश्चात् ऐसे निजी भूमि के स्वामी को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा। अन्यथा ऐसे निजी भूमि के स्वामी द्वारा इंकार किये जाने पर

नियम 39 अंतःस्थापित 23.3.2016

उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना वाले बोलीदार को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगाः

परन्तु यह कि निजी भूमि के स्वामी द्वारा प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग किये जाने की सूचना नीलामी के लिए रखे गये उक्त क्षेत्र के लिए बोले गये उच्चतम कीमत के घोषणा की तिथि से सात दिवस के भीतर लिखित में देनी होगी। यदि वह उक्त कालावधि के भीतर ऐसा करने में विफल होता है तो यह मान्य किया जायेगा कि उसने अपने प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग कर लिया है।

(4) पट्टाधारी को प्रथम इंकार का अधिकारः पट्टा की कालावधि समाप्ति पर इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रकिया से पट्टा क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक नीलामी हेतु रखा जायेगा। उक्त पट्टा क्षेत्र के धारक को नीलामी में भाग लेने पर प्रथम इंकार का अधिकार होगा।

(5) यदि नीलामी प्रक्रिया के किसी भी चरण में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिए नियत तिथि में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्धि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि पुनः एक ही बोली प्राप्त हो तो उसे स्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा। लिखित में कारण दर्शित करते हुए नीलामी को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।}

#{39क. इलेक्ट्रॉनिक निविदा के माध्यम से उत्खनन पट्टा प्रदान करना.– (1) उत्खनन पट्टा की निविदा के लिए पूर्व अध्यपेक्षाएं–

(क) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के लिए उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया की पहल कर सकेगा।

(ख) सक्षम प्राधिकारी, निविदा के लिये बोली आमंत्रित करने की सूचना जारी करने के पूर्व, संबंधित राजस्व एवं वन अधिकारी से प्राप्त सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर ऐसे क्षेत्रों की पहचान एवं सीमांकन करेगा जहां इलेक्ट्रॉनिक निविदा के माध्यम से उत्खनन पट्टा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

नियम 39 एवं 39क अंतःस्थापित 23.3.2016

(2) उत्खनन पट्टा की इलेक्ट्रॉनिक निविदा के लिए प्रक्रिया–

(क) उत्खनन पट्टा के लिए पात्रता–

(एक) उत्खनन पट्टा की इलेक्ट्रॉनिक–निविदा में भाग लेने के प्रयोजन के लिये, आवेदक को नियम 5 में यथाविनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा।

(दो) निविदा में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारणा निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता हेतु निर्धारित निबंधनों और शर्तो के अनुसार किया जायेगा और ऐसे पात्र बोलीदारों को **तकनीकी अर्हित बोलीदार** कहा जायेगा। सफल बोलीदार का विनिश्चय केवल तकनीकी अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक–निविदा–

(एक) निविदा केवल ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित की जायेगी।

(दो) कलेक्टर, ऐसे किसी ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का उपयोग कर सकेगा, जो मानकीकरण जांच और गुणवत्ता प्रमाणान निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक–उपापन पद्धतियों की गुणवत्ता की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूर्ण करता हो।

(ग) बोली लगाने के लिये मानक–

(एक) एक निश्चित कीमत निर्धारित होगी जिसे आरक्षित कीमत कहा जायेगा, जो कि विशिष्ट खनिज के अधिसूचित स्वामिस्व का बीस प्रतिशत होगा; यह राशि निकासी किये गये खनिज के लिए रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी।

नियम 39क अंतःस्थापित 23.3.2016

(दो) बोलीदार द्वारा ''नीलामी राशि'' के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, पट्टा क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले खनिज हेतु नीलामी के लिये निर्धारित रूपये प्रति घनमीटर/टन/अन्य मानक इकाई आरक्षित कीमत से अधिक राशि उद्धृत की जायेगी।

(तीन) नीलामी राशि, प्रति माह निकासी किये गये खनिज के लिए मासिक आधार पर राज्य शासन को देय होगी। बोलीदार द्वारा उद्धृत और इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया से स्वीकार की गयी दर खनिज निकासी प्रारंभ किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी मूल्य वृद्धि के अध्यधीन होगी तथा इस हेतु जिस वर्ष में निविदा की गयी है, वह आधार वर्ष होगा।

(चार) जहां किसी क्षेत्र की एक से अधिक खनिज के लिये इलेक्ट्रानिक–निविदा द्वारा आवंटित किया जा रहा है, वहां उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी की राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

(पांच) उत्खनन् पट्टा अनुदत्त किये जाने के पश्चात् यदि कोई एक या अधिक नए खनिजों का पता चलने पर उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

(घ) बोली लगाने की प्रक्रिया–

(एक) सक्षम प्राधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये निविदा आमंत्रण की सूचना का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक निविदा हेतु अधिसूचना का विवरण

नियम 39क अंतःस्थापित 23.3.2016

संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और ऐसी सूचना में इलेक्ट्रॉनिक निविदा के अधीन आने वाले क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,–

(I) संबंधित राजस्व अधिकारी से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र की विशिष्टियां, जिसे राजस्व भूमि, वन भूमि और निजी भूमि में विभाजित किया जायेगा; और

(II) क्षेत्र में खोजे गये सभी खनिजों से संबंधित खनिज पदार्थों के साक्ष्यों के बारे में संक्षिप्त विवरण।

(दो) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे,–

(I) क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का प्रतिवेदन और विवरण;

(II) संबंधित राजस्व अधिकारियों से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र के राजस्व सर्वेक्षण का विवरण, जिसे वन भूमि, राजस्व भूमि, निजी भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

(तीन) बोलीदारों को निविदा के दस्तावेजों के अध्ययन हेतु नियत कालावधि प्रदान की जायेगी।

(चार) बोली लगाने की प्रक्रिया, निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन की कालावधि के पश्चात् प्रारंभ होगी। इलेक्ट्रॉनिक निविदा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर एक इलेक्ट्रॉनिक निविदा की प्रक्रिया होगी।

(पांच) बोलीदार जो उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना देता है उसे अधिमानी बोलीदार के रूप में घोषित किया जायेगा।

नियम 39क अंतःस्थापित 23.3.2016

(छः) दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप आरम्भिक कीमत प्रस्थापना की दशा में, जिस बोलीदार द्वारा पहले बोली प्रस्तुत की गयी हो, उसे अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा। लिखित में कारण अंकित करते हुए बोली को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

(3) पट्टा क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र के स्वामी को प्रथम इंकार का अधिकार– जहां पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा हेतु अधिसूचित कोई भूमि निजी भूमि पूर्णतः या अंशतः हो, ऐसे प्रकरण में किसी बोलीदार द्वारा दी गयी उच्चतम कीमत प्रस्थापना का प्रकटन किया जायेगा और निजी भूमि के स्वामी जिसने बोली की प्रक्रिया में भाग लिया हो और जो पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक पट्टा क्षेत्र का स्वामी हो, को प्रथम इंकार का अधिकार होगा। उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना को स्वीकार करने के पश्चात ऐसे निजी भूमि के स्वामी को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा। अन्यथा ऐसे निजी भूमि के स्वामी द्वारा इंकार किये जाने पर उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना वाले बोलीदार को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगाः

परन्तु यह कि निजी भूमि के स्वामी द्वारा प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग किये जाने की सूचना, निविदा के लिए रखे गये क्षेत्र के लिए बोले गये उच्चतम कीमत के घोषणा की तिथि से सात कार्य दिवस के भीतर लिखित में देनी होगी। यदि वह उक्त कालावधि के भीतर ऐसा करने में असफल होता है तो यह मान्य किया जायेगा कि उसने अपने प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग कर लिया है।

(4) पट्टाधारी को प्रथम इंकार का अधिकार– पट्टा की कालावधि समाप्ति पर इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से पट्टा क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक निविदा हेतु रखा जायेगा। उक्त पट्टा क्षेत्र के धारक को नीलामी में भाग लेने पर प्रथम इंकार का अधिकार दिया जायेगा।

अंतःस्थापित 23.3.2016

(5) यदि निविदा के किसी भी चरण में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिए नियत तिथि में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्धि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि पुनः एक ही बोली प्राप्त हो तो उसे स्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा। लिखित में कारण दर्शित करते हुए निविदा को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।}

40. इंकार किये जाने के कारणों का अभिलिखित किया जाना.– (1) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे और उसको संसूचित करने के पश्चात, उस पूर्णतः या अंशतः क्षेत्र पर, जिनके लिए आवेदन किया गया, उत्खनन पट्टे को स्वीकृत करने या नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

(2) नियम 23 के अधीन प्रस्तुत किये गये उत्खनन पट्टे की स्वीकृति या नवीनीकरण के आवेदन, केवल इस आधार पर स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि प्ररूप–नौ की सभी महत्वपूर्ण विशिष्टियों में पूरा नहीं है, या नियम 23 के उप नियम (ग्यारह) एवं (बारह) में निर्दिष्ट दस्तावेज के साथ नहीं दिया गया है।

(3) जहां यह प्रतीत होता है कि आवेदन, सभी महत्वपूर्ण विशिष्टियों में पूरा नहीं है और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ नहीं है, वहां स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी, सूचना द्वारा, आवेदक से यथास्थिति, कमियों की पूर्ति करने या दस्तावेजों को अविलंब तथा किसी भी दशा में आवेदक द्वारा उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के पश्चात् नहीं उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा।

41. उत्खनन पट्टों का रजिस्टर– (1) खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी द्वारा प्ररूप–बारह में उत्खनन पट्टों का रजिस्टर संधारित किया जायेगा ।

(2) उत्खनन पट्टों के आवेदनों का रजिस्टर तथा उत्खनन पट्टों का रजिस्टर किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा, अर्थात्:–

(क) पहले घंटे या उसके भाग के लिए पचास रुपये;
(ख) पश्चात्वर्ती घंटे या उसके भाग के लिए पचास रुपये;

अंतःस्थापित 23.3.2016

(3) उप–नियम (2) के अधीन शुल्क, नियम 31 के उप–नियम (3) में यथा विहित उसी रीति में जमा किया जायेगा ।

#{ **42. उत्खनन पट्टा प्रदान करने का आदेश.–** (1) नीलामी/निविदा की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात्, अधिमानी बोलीदार नियम 46 के उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से एक कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा और ऐसी कार्यपालन प्रतिभूति के प्राप्त होने पर, मंजूरकर्ता प्राधिकारी, अधिमानी बोलीदार को आशय पत्र या आदेश जारी करेगा।

(2) आशय पत्र प्राप्त होने पर, अधिमानी बोलीदार को निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर सफल बोलीदार समझा जायेगा, अर्थात्ः–

(क) पात्रता संबंधी सभी शर्तो का पालन;

(ख) सभी सहमतियों, अनुमोदन, अनुज्ञा पत्रों, अनापत्तियों और वैसे ही अन्य दस्तावेजों को जो उत्खनन संबंधी संक्रियाओं को प्रारंभ करने संबंधी लागू विधियों के अधीन अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करना;

(ग) निजी भूमि के लिए भूमि स्वामी/स्वामियों की सहमति; और

(घ) नियम 24 के अनुसार तैयार किया गया और अनुमोदित उत्खनन योजना प्रस्तुत करना।

(3) उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा करने पर मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा सफल बोलीदार को उत्खनन पट्टा प्रदान किया जायेगा और ऐसे उत्खनन पट्टा इन नियमों के ऐसे उपबंधो के अधीन रहते हुए होगा, जो उत्खनन पट्टे को लागू हो।

(4) उत्खनन पट्टा प्रदान किये जाने के लिए न्यूनतम क्षेत्र ऐसे न्यूनतम क्षेत्र से कम नहीं होगा, जिस हेतु उत्खनन पट्टा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रदान किया जा सके एवं इन नियमों के अनुसार अधिकतम क्षेत्र होगा।

(5) आशय पत्र जारी होने की तिथि से वन भूमि के संबंध में एक वर्ष तथा गैर वन भूमि के संबंध में छः माह के भीतर उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट

अंतःस्थापित 23.3.2016

शर्तों को पूरा करने में विफल रहने पर, आशय पत्र को स्वमेव निरस्त माना जायेगा और सफल बोलीदार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यपालन प्रतिभूति राजसात किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि यदि अधिमानी बोलीदार के पास समय के भीतर, उप–नियम (2) की शर्तें पूर्ण नहीं करने का पर्याप्त कारण होने पर, संचालक द्वारा उप–नियम (5) की कालावधि में छः माह की अतिरिक्त कालावधि बढ़ाई जा सकेगी।}

43. **उत्खनन पट्टे की कालावधि.–** वह कालावधि, जिसके लिए खनि पट्टा/उत्खनन पट्टा प्रदाय किया जा सकेगा #{.....} किया जा सकेगा, नीचे दी गई सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :–

#{सारणी

स.क.	**खनिजों के नाम**	**कालावधि**
(1)	(2)	(3)
1	अनुसूची–एक के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिज	तीस वर्ष
2	अनुसूची–एक के भाग–ख में विनिर्दिष्ट खनिज	पचास वर्ष
3	अनुसूची–एक के भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिज	तीस वर्ष''

}

44. **चूनापत्थर (गौण खनिज), संगमरमर और फर्शीपत्थर का समेकित धारित क्षेत्र.–** कोई भी पट्टेदार राज्य में चूनापत्थर (गौण खनिज), संगमरमर और फर्शीपत्थर का कुल मिलाकर पचास हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को साधारणतः धारण नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरणः– उपरोक्त सीमा साधारणतः नवीनीकरण के मामलों में भी लागू होगी ।

45. **सतह के नीचे सीमाएं.–** उत्खनन पट्टे से आच्छादित क्षेत्र की सीमाएं, सतह से नीचे पृथ्वी के केन्द्र की ओर ऊर्ध्व रूप से होंगी।

#{ **46.** **उत्खनन पट्टा हेतु बोली और कार्यपालन प्रतिभूति.–** (1) सभी बोलीदारों द्वारा नीलामी/निविदा में अनुसूची पांच एवं छः में उल्लिखित बोली प्रतिभूति राशि, जो भी लागू हो, जमा की जायेगी।

अंतःस्थापित 23.3.2016

(2) नीलामी/निविदा की समाप्ति के पश्चात् अधिमानी बोलीदार घोषित किये जाने की तिथि से सात दिवस के भीतर अधिमानी बोलीदार अनुसूची पांच/छः में विनिर्दिष्ट राशि का डिमांड ड्राफ्ट अथवा तीन वर्ष की कालावधि के लिए वैध बैंक गारण्टी, कार्यपालन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत करेगा, जिसे समय–समय पर पूर्ण पट्टा अवधि के दौरान बढ़ाया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।''

(3) कार्यपालन प्रतिभूति, उत्खनन पट्टा अनुबंध के उपबंधों के अनुसार अविलंब ली जा सकेगी।}

47. पट्टे का निष्पादन नब्बे दिवस में किया जाएगा.– (1) जहां कोई उत्खनन पट्टा प्रदान या नवीनीकृत किया जाता है, वहां पट्टा स्वीकृत करने के आदेश के नब्बे दिवस के भीतर, प्ररुप तेरह में पट्टा विलेख निष्पादित किया जायेगा और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा और यदि पूर्वोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है, तो पट्टा स्वीकृत करने वाला आदेश प्रतिसंहृत किया गया समझा जायेगा और उस दशा में, संदत्त आवेदन शुल्क राज्य शासन को समपहृत हो जाएगा।

(2) जहां आदेश की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित करने में पट्टादार अक्षम है वहां वह कारणों का उल्लेख करते हुए उक्त कालावधि के अवसान के पूर्व संचालक को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन, रूपये पांच सौ के गैर वापसी योग्य शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) संचालक, उप–नियम (2) के अधीन किये गये आवेदन की प्राप्ति पर, विलेख निष्पादन नहीं करने के कारणों की पर्याप्तता और यर्थातता के बारे में समाधान हो जाने के पश्चात, विलेख के निष्पादन की अवधि में वृद्धि हेतु आदेश पारित कर सकेगा।

(5) कलेक्टर प्रत्येक पट्टा विलेख की प्रति, रेखांक सहित संबंधित जनपद पंचायत को भेजेगा तथा क्षेत्र का पूर्ण विवरण संबंधित ग्राम पंचायत को संसूचित करेगा।

अंतःस्थापित 23.3.2016

48. पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण.– (1) जब किसी क्षेत्र के बारे में कोई उत्खनन पट्टा प्रदान किया जाता है, तो उप संचालक या खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी द्वारा पट्टेदार के खर्च पर नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार संगणित शुल्क वसूल करने के पश्चात् निर्देशांक को दर्शाते हुये पट्टे के अधीन प्रदाय किये गये क्षेत्र दर्शाते हुये ट्रेसिंग क्लाथ में नक्शा तैयार करने तथा सीमांकन कराने की व्यवस्था की जाएगीः–

सारणी

स.क्र	क्षेत्र	शुल्क की राशि
(1)	(2)	(3)
(क)	20 हेक्टेयर से अनधिक क्षेत्र	न्यूनतम रुपये एक हजार के अध्यधीन रहते हुए रुपये पांच सौ प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिए।
(ख)	20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र	रुपये एक हजार प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिए ।

(2) पट्टेदार अपने खर्च पर पट्टा–विलेख के साथ संलग्न प्लान में चित्रित सीमा रेखा के प्रत्येक कोनों या कोण पर जमीन की सतह से कम से कम एक मीटर ऊंचे सारवान सामग्री के सीमा स्तम्भ लगायेगा तथा उनका संधारण करेगा, प्रत्येक सीमा स्तम्भ में निर्देशांक दर्शाएगा।

(3) किन्हीं दो आनुक्रमिक सीमा स्तम्भों की अधिकतम दूरी 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4) उप–नियम (1) के अधीन शुल्क नियम 7 के उप–नियम (2) में उल्लेखित राजस्व आगम शीर्ष में जमा की जायेगी।

49. भाटक और स्वामिस्व (रायल्टी).– (1) जब कोई उत्खनन पट्टा प्रदान किया जायेगा या उसका नवीनीकरण किया जायेगा,–

(क) अनुसूची–चार में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अनिवार्य भाटक प्रभारित किया जायेगा;.

(ख) चूनापत्थर के सिवाय अनुसूची–तीन में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार स्वामिस्व (रायल्टी) प्रभारित किया जायेगा;

(ग) चूनापत्थर के बारे में स्वामिस्व (रायल्टी) की दर वही होगी, जो भारत सरकार द्वारा अधिनियम की अनुसूची–दो में अन्य चूनापत्थर के लिए समय–समय पर नियत की जाये;

(घ) पट्टेदार द्वारा दखल में लिये गये या उपयोग किये गये क्षेत्र के बारे में सतह भाटक जिले के कलेक्टर द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के दिनांक पर तथा उस दिनांक से उप–नियम (1) के उपबंध ऐसे प्रारंभ होने के दिनांक के पूर्व प्रदाय या नवीनीकृत किये गये तथा ऐसे दिनांक पर विद्यमान पट्टों पर भी लागू होंगे।

(3) यदि पट्टा, एक ही क्षेत्र में एक से अधिक खनिज उत्खनन की अनुमति देता है, तो प्रत्येक खनिज के संबंध में अलग–अलग अनिवार्य भाटक प्रभारित किया जा सकेगाः

परन्तु यह कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज के संबंध में अनिवार्य भाटक या स्वामिस्व (रायल्टी) जो भी रकम अधिक हो, का भुगतान करने का दायी होगा।

(4) किसी पट्टा लिखित में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पट्टेदार, निकाले गये और/या खपाये गये किसी भी खनिज के संबंध में अनुसूची–तीन तथा चार में समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों से स्वामिस्व (रायल्टी)/अनिवार्य भाटक का भुगतान करेगा।

(5) राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची–तीन और चार को संशोधित कर सकेगा ताकि किसी भी खनिज के संबंध में देय स्वामिस्व (रायल्टी)/अनिवार्य भाटक की दर में राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से वृद्धि की जा सके या उसे घटाया जा सकेः

परन्तु यह कि किसी भी खनिज के संबंध में स्वामिस्व (रायल्टी)/अनिवार्य भाटक की दर तीन वर्ष की किसी कालावधि के दौरान एक से अधिक बार वृद्धि नहीं की जायेगी।

(6) भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ड.) के अधीन किसी खनिज को गौण खनिज घोषित किये जाने पर उक्त खनिज के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित स्वामिस्व (रायल्टी)/अनिवार्य भाटक की दरें तब तक प्रभावशील रहेगी जब तक कि राज्य शासन द्वारा अनुसूची–तीन एवं चार में उक्त खनिजों के लिए दरों को अधिसूचित न कर दिया जाये । यह प्रावधान भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा गौण खनिज घोषित किये गये खनिजों पर भी लागू होगा ।

50. डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउंडेशन.– (1) खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित किसी भी जिले के लिए राज्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 9ख के अधीन गैर लाभ अर्जित करने वाले "डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउंडेशन" की स्थापना अधिसूचना के द्वारा की जायेगी।

(2) डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्र के हित एवं लाभ के लिए उस रीति से कार्य करना होगा जैसा कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जाये।

(3) डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउंडेशन की रचना एवं कार्य ऐसा होगा जैसा कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जाये ।

#{ (4) उत्खनन् पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/समेकित अनुज्ञप्ति का धारक, उस जिले जिसमें उत्खनन संक्रियाएं की जा रही है, के जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास को स्वामिस्व का संदाय करने के अतिरिक्त निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट दर से अंशदान का भुगतान करेगा,–

सारणी

स. क्र.	पट्टे की श्रेणी	जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास को अंशदान			
		इन नियमों में संशोधन के पूर्व		इन नियमों में संशोधन के पश्चात्	
		अनुसूची–एक के भाग–ख में खनिज	अनुसूची–एक के भाग–क और भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क में खनिज	अनुसूची–एक के भाग–ख में खनिज	अनुसूची–एक के भाग–क और भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क में खनिज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उत्खनन पट्टा/ पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का आवंटन बिना नीलामी के	तीस प्रतिशत	पांच प्रतिशत	तीस प्रतिशत	तीस प्रतिशत
2	उत्खनन पट्टा/ समेकित अनुज्ञप्ति का आवंटन नीलामी के माध्यम से	लागू नहीं	लागू नहीं	दस प्रतिशत	दस प्रतिशत
3	उत्खनन अनुज्ञा पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नही	तीस प्रतिशत }

#प्रतिस्थापित 23.3.2016

(5) उपनियम (4) के अनुसार डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउंडेशन को भुगतान की जाने वाली राशि #{12 जनवरी 2015 से देय हो}।

अध्याय–छः
उत्खनन पट्टा–सामान्य शर्तें

51. उत्खनन पट्टे की शर्तें. – (1) प्रत्येक उत्खनन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगाः–

(क) पट्टेदार, पट्टे के प्रथम वर्ष के सिवाय प्रत्येक वर्ष के लिए अनुसूची–चार में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार पूरे वर्ष के लिए अनिवार्य भाटक का अग्रिम भुगतान वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख या उससे पूर्व करेगा;

(ख) पट्टेदार प्रत्येक खनिज के लिए अनिवार्य भाटक या स्वामिस्व (रायल्टी) का, जो भी रकम, अधिक हो, भुगतान करेगा. परन्तु दोनों नहीं. जैसे ही पट्टेदार द्वारा खपाये गये या परिवहन किये गये खनिज का स्वामिस्व (रायल्टी) पूर्व में भुगतान किये गये अनिवार्य भाटक की रकम के बराबर हो जाता है वह पट्टा क्षेत्र से खपाये या परिवहन किये जाने के लिए आशयित खनिज के संबंध में स्वामिस्व (रायल्टी) का भुगतान करेगा. अनिवार्य भाटक या स्वामिस्व (रायल्टी), शासकीय कोषालय में निम्नलिखित राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जाएगा, अर्थात्ः–

0853 – अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग
{102} – खनिज संबंधी रियायत शुल्क, किराया और रायल्टी
(0278) – छोटे खनिजों से प्राप्तियाँ

#{"(खख) नीलामी/निविदा के माध्यम से प्रदान किये गये पट्टे का पट्टेदार अनुमोदित की गयी नीलामी राशि की दर से पट्टा क्षेत्र से प्रति माह निकासी किये गये खनिज के लिए नीलामी राशि का भी भुगतान करेगा।"

(ग) पट्टेदार, खनन संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा दखल में लिये

#प्रतिस्थापित 23.3.2016

गये या उपयोग में लाये गये क्षेत्र के लिए पूरे वर्ष के संबंध में भूतल भाटक का अग्रिम भुगतान वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख को या उसके पूर्व करेगा;

(घ) कोई अन्य कार्यवाही जो कि इन नियमों के अधीन अथवा पट्टे के किसी अन्य शर्त के अधीन समय के भीतर #{खण्ड (क), (ख), (खख) (ग)} में यथा विनिर्दिष्ट शोध्यों के भुगतान में चूक के मामले में किया जा सकता है, के होते हुये भी, #{अनिवार्य भाटक, स्वामिस्व, नीलामी राशि तथा भूतल भाटक} के समस्त चूक किये गये भुगतानों के लिये पट्टेदार, प्रतिवर्ष 24% की दर से ब्याज अथवा खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64क के अधीन विहित ब्याज की दर के समतुल्य, जो भी अधिक हो, भुगतान करेगा।

(2) यदि पट्टा क्षेत्र में किसी खनिज का पता लगता है, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो पट्टेदार इस पता चलने की रिपोर्ट बिना विलम्ब के कलेक्टर को करेगा तथा ऐसे खनिज का पट्टा प्राप्त किये बिना खनन या निपटारा नहीं करेगा। यदि वह ऐसे खनिज का पता चलने के नब्बे दिवस के भीतर ऐसे पट्टे के लिए आवेदन नहीं करता है, तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे खनिज का पट्टा किसी अन्य व्यक्ति को, जो उसके लिए आवेदन करे, स्वीकृत कर सकेगा।

(3) पट्टेदार, राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन समय–समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा ।

(4) पट्टेदार, उत्खनन किये गये क्षेत्र या कलेक्टर द्वारा चयनित किसी अन्य क्षेत्र में खनन संक्रियाओं के कारण नष्ट हुए वृक्षों की संख्या के दुगुने वृक्ष लगाने के अतिरिक्त भूमि को पूर्ववत करने तथा समतलीकरण के संबंध में समस्त उपाय करेगा।

(5) पट्टेदार, पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख से एक वर्ष के भीतर खनन संक्रिया प्रारंभ करेगा तथा उसके पश्चात् ऐसी संक्रियाओं का उपयुक्तता, निपुणता और कुशलता से संचालन करेगा ।

#प्रतिस्थापित 23.3.2016

(6) इन नियमों की अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जहां पट्टा निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारंभ नहीं की गई हैं या ऐसी संक्रियाओं के ऐसे प्रारंभ करने के पश्चात् #{एक वर्ष की संचयी कालावधि} के लिए

बंद कर दी जाती है वहां स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी आदेश द्वारा उत्खनन पट्टा व्यपगत हो गया घोषित कर सकेगा तथा इस घोषणा की संसूचना पट्टेदार को देगा ।

(7) जहां पट्टेदार उसके नियंत्रण के बाहर के कारणों से एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए खनन संक्रियाएं प्रारंभ करने में असमर्थ रहता है या #{एक वर्ष की संचयी कालावधि} के लिए खनन प्रारंभ करने के पश्चात् उसे चालू रखने में असमर्थ रहता है, तो वह ऐसी कालावधि की समाप्ति के कम से कम नब्बे दिन पूर्व स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को ऐसे कारण स्पष्ट करते हुए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(8) उप–नियम (7) के अधीन प्रत्येक आवेदन के संबंध में रुपये पांच सौ गैर वापसी योग्य शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क की राशि नियम 31 के उप–नियम (3) में विहित आगम मद में शासकीय कोषालय में जमा की जावेगी।

(9) पट्टा स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी उप–नियम (7) के अधीन किया गया आवेदन प्राप्त होने पर खनन संक्रियाएं प्रारंभ न करने या उसके बंद करने के संबंध में कारण की पर्याप्तता और यथार्थता के बारे में संतुष्ट होने पर स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी उस तारीख के पूर्व, जिस पर की, पट्टा अन्यथा व्यपगत हो जाता, पट्टे की कालावधि बढ़ाने या कालावधि बढ़ाने से इंकार करने बाबत् आदेश पारित कर सकेगाः

परन्तु यह कि जहां स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी, उप–नियम (7) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, उस तारीख के पूर्व, जिस पर कि पट्टा अन्यथा व्यपगत हो गया होता, कोई आदेश पारित नहीं करता है वहां पट्टे की कालावधि संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने तक या एक वर्ष की कालावधि के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, बढ़ाई गई समझी जाएगी ।

(10) जहां खनन संक्रियाएं प्रारंभ न करने का कारण,–

(एक) सतह अधिकारों को अर्जन में, या

(दो) पट्टा–क्षेत्र का कब्जा प्राप्त करने में, या

(तीन) मशीनों के प्रदाय या उनकी स्थापना में, या

#प्रतिस्थापित 23.3.2016

(चार) बैंकों या किसी वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त होने में,

विलंब हो और पट्टेदार, खनन संक्रिया प्रारंभ न करने के पर्याप्त कारण दर्शाते हुये सम्यक् रूप से निष्पादित शपथपत्र के द्वारा समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य

प्रस्तुत करने में, सफल हो जाता है वहां स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी, ऐसे घोषणा/आदेश, जिसके द्वारा पट्टा व्यपगत हो गया है, को प्रतिसंहृत कर सकेगा।

(11) पट्टेदार स्वयं के खर्चे पर पट्टे के साथ संलग्न रेखांक में दर्शाए अनुसार सीमांकन को उपदर्शित करने के लिए आवश्यक सीमा चिन्ह तथा सीमा स्तम्भ स्थापित करेगा तथा उनको हमेशा अच्छी दशा में रखेगा और उनका उचित रख–रखाव करेगा।

(12) पट्टेधारी, नियम 5 (2) के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में कोई उत्खनन संक्रिया नहीं करेगा और न ही ऐसी संक्रियाएँ अनुज्ञात करेगा ।

(13) पट्टेदार खान से प्राप्त सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण तिथिवार, पट्टाधृत क्षेत्र से निकासी/खपत की मात्रा, ऐसे खनिजों से प्राप्त मूल्य, क्रेता का नाम, प्राप्त धन की रसीदें, वहां नियोजित व्यक्तियों की संख्या दर्शाते हुए सही लेखा रखेगा और संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के समस्त अधिकारियों तथा जिला/जनपद/ग्राम पंचायत द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को किसी भी समय उसके द्वारा संधारित कोई लेखा और अभिलेख की जांच करने की अनुज्ञा देगा एवं संबंधित जिला/जनपद/ग्राम पंचायत एवं कलेक्टर को ऐसी जानकारी तथा विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो उनके द्वारा अपेक्षित की जाएं ।

(14) पट्टेदार, पट्टा–क्षेत्र से खनिज या उसके उत्पाद ले जाने वाले प्रत्येक वाहन के साथ प्रत्येक खेप के लिए छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के प्ररुप–1 में अभिवहन पास जारी करेगा । अभिवहन पास दो प्रतियों में पुस्तक के रूप में तैयार किया जायेगा. आवश्यक प्रविष्टियां करने के पश्चात् दूसरी प्रति वाहन के चालक को दी जायेगी । पट्टेदार द्वारा प्ररूप–चौदह में आवेदन प्रस्तुत करने पर खनि अधिकारी अभिवहन पास बुक सम्यक् रूप से मुद्रांकित तथा हस्ताक्षर कर प्रदाय करेगा। पट्टेदार, उपरोक्त उप–नियम (1) के खंड (ख) के अधीन स्वामिस्व (रायल्टी) का भुगतान करने तथा अभिवहन पास जारी करने के पूर्व, उसे जारी किये गये पूर्व के उपयोग किये गये समस्त अभिवहन पास की मूल प्रतियों की पुस्तक, उपयोग न किये गये अभिवहन पास की पुस्तिका सहित वापस करेगा। खनि अधिकारी प्रदाय किये गये तथा उपयोग किये गये अभिवहन पास की पुस्तकों की द्वितीय प्रति का उचित लेखा रखेगा और उपयोग न किये गये अभिवहन पास की पुस्तक को पट्टेदार वापस जमा करेगा।

(15) कोई भी जो खनिज या उसके उत्पाद जैसे ईंट, कवेलू, चूना, परिष्कृत पत्थर, ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स, चिप्स, पत्थर का चूरा तथा गिट्टी इत्यादि छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के प्ररुप–एक में विधिमान्य अभिवहन पास के बिना परिवहन करता है या यदि अभिवहन पास अधूरा, विकृत या बिगाड़ा हुआ पाया जाता है तो कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जिला/जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं ग्राम सभा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उप संचालक, खनि अधिकारी, सहायक खनि अधिकारी या खनि निरीक्षक, खनिज या उसके उत्पाद को समस्त औजार और उपस्कर तथा परिवहन के लिए उपयोग में लाये गये वाहन सहित अभिग्रहित कर सकेगा:

परन्तु इस उप–नियम के उपबंध नियम (3) के खण्ड (1) के प्रयोजनों के लिए लागू नहीं होंगे ।

(16) कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जिला/जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं ग्राम पंचायत उप–संचालक, खनि अधिकारी, लिखित में आदेश द्वारा, अधिकतम रूपये दस हजार तक, किन्तु जो रूपये पांच हजार से कम नहीं होगी, शास्ति अधिरोपित कर सकेंगे।

(17) जब इस प्रकार अधिरोपित शास्ति, जमा कर दी जाये तब अधिग्रहित खनिज, उसके उत्पाद, औजार, उपस्कर और वाहन निर्मुक्त किये जा सकेंगे।

(18) यदि इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का भुगतान, शास्ति के अधिरोपित करने के आदेश की तिथि से 15 दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो इस प्रकार अभिग्रहित समस्त खनिज, उसके उत्पाद, औजार, उपस्कर तथा वाहन समपहृत हो जायेंगे और राज्य शासन की सम्पति माने जायेंगे।

(19) पट्टेदार, स्वामिस्व (रायल्टी) के निर्धारण के प्रयोजन हेतु, अभिलेख, पुस्तकें तथा लेखें 30 जून/31 दिसम्बर से तीस दिन के भीतर अथवा निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लिखित सूचना द्वारा कभी भी मांगे जाने पर, संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। विफल होने पर, उक्त अभिलेख के प्रस्तुत किये जाने तक रूपये एक हजार प्रतिमाह शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

(20) पट्टेदार,–

(क) प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, पूर्व मास में उत्खनित, हटाये गये/खपत किये गये खनिज/खनिजों की पूर्ण मात्रा दर्शाते हुये, कलेक्टर तथा ग्राम पंचायत को प्ररूप–पन्द्रह में विवरण प्रस्तुत करेगा;

(ख) जून और दिसम्बर तक की अर्धवार्षिक विवरणी प्ररुप–सोलह में जुलाई और जनवरी के पन्द्रहवें दिन या उसके पूर्व, कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा;

(ग) प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक कलेक्टर को प्ररूप–सत्रह के अन्तर्गत गत कैलेण्डर वर्ष के दौरान उत्खनित/हटाये गये/खपत किये गये खनिज/खनिजों की मात्रा और मूल्य, नियोजित मजदूरों की औसत संख्या (स्त्री और पुरूष अलग–अलग) एवं कार्य दिनों की संख्या के संबंध में, जानकारी देते हुये विवरण प्रस्तुत करेगा।

(घ) प्रकरण में यदि पट्टेदार, खण्ड (क), (ख) एवं (ग) में यथा विहित अवधि/तिथि में जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उक्त जानकारी विहित प्ररूप में प्रस्तुत करने तक, पांच सौ रुपये प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

(21) पट्टेदार, यथास्थिति, रेलवे प्रशासन या स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के समाधान के लिये, खान के किसी भाग को मजबूत बनायेगा या उसमें आलंब लगायेगा जिसमें उनकी राय में रेलवे, पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, जलाशय, तालाब, नहर या अन्य कोई सार्वजनिक निर्माण या भवनों की सुरक्षा के लिए मजबूत किये जाने या आलंब लगाये जाने की आवश्यकता है।

(22) यदि पट्टेदार या उसका अंतरिती या समनुदेशिती, उप–नियम (23) के अधीन प्रवेश या निरीक्षण अनुज्ञात नहीं करता है तो स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी पट्टे को निरस्त करेगा तथा नियम 46 के अधीन पट्टेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप को पूर्णतः या अंशतः समपहृत करेगा।

(23) (एक) पट्टेदार, पट्टे में समाविष्ट किसी भवन, उत्खनन या भूमि के निरीक्षण के प्रयोजन के लिये राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को और जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रवेश करने के लिये अनुज्ञात करेगा।

(दो) खदान का प्रत्येक मालिक, अभिकर्ता या प्रबंधक, खनन संक्रियाओं से संबंधित विषयों में अनुसंधान करने या प्रशिक्षण करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायेगा।

(24) पट्टेदार महानिदेशक, खान सुरक्षा भारत शासन धनबाद, महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो भारत शासन नागपुर और उस जिले, जिसमें खदान स्थित है, के जिला दण्डाधिकारी को, इन नियमों से संलग्न प्ररूप–अठ्ठारह के अन्तर्गत तत्काल, सूचना देगा और खान अधिनियम, 1952 एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में उल्लिखित प्रावधानों का उस समय अनुपालन करेगा, जबः–

(क) खदान में कार्य उपरिवर्ती आधार से नीचे विस्तारित हो जाये;

(ख) किसी विवृत खदान में किया गया उत्खनन, उच्चतम बिन्दु से निम्नतम बिन्दु तक नापने पर छः मीटर से अधिक हो जाये; या

(ग) किसी दिन नियोजित व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक हो जाए; या

(घ) किसी विस्फोटकों का उपयोग किया जाये।

(25) राज्य शासन को सदैव, उस भूमि से निकाले गये खनिजों का अग्रक्रय करने का अधिकार होगा जिसके संबंध में पट्टा स्वीकृत किया गया हैः

परन्तु यह कि पट्टेदार को अग्रक्रय के समय ऐसे समस्त खनिजों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य भुगतान किया जायेगा।

(26) पट्टेदार या उसके अंतरिती या समनुदेशिती द्वारा इस नियम के उपनियम (1), (3), (4), (11), (12) या (13) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी का भी भंग किये जाने की दशा में, कलेक्टर/अपर कलेक्टर, पट्टेदार या उसके अंतरिती या उसके समनुदेशिती को यह कारण बताते हुए कि भंग के लिए उसे क्यों न दण्डित किया जाये और यह निर्देश देते हुए कि वह सूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर भंग का उपचार करे, लिखित में एक सूचना देगा और यदि पट्टेदार या उसका अंतरिती या समनुदेशिती समुचित कारण दर्शाने में असफल रहने या भंग का उपचार ऐसी कालावधि के भीतर न करने पर स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पट्टा पर्यवसित कर सकेगा और सम्पूर्ण प्रतिभूति निक्षेप या उसके भाग को समपहृत कर सकेगा या विकल्प में पट्टेदार से भंग के लिये ऐसी शास्ति जो अनुसूची–चार के कॉलम (5) में वर्णित वार्षिक अनिवार्य भाटक की रकम चार गुना किन्तु किसी भी दशा

में दस हजार रूपये से कम न हो, जो पट्टाकर्ता €{नियत} करें, प्राप्त कर सकेगा।

(27) पट्टेदार या उसके अंतरिती या समनुदेशिती द्वारा पट्टे की किन्हीं अन्य शर्तों का भंग होने की दशा में, स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी पट्टेदार से ऐसी शास्ति करने की,

जो वार्षिक अनिवार्य भाटक, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (5) में दर्शित है, के रकम के दुगनी रकम के बराबर से अधिक नहीं हो, किन्तु किसी भी स्थिति में रूपये पांच सौ से कम न हो, का भुगतान करने की अपेक्षा करेगा।

(28) उत्खनन पट्टे में ऐसी अन्य शर्ते भी अन्तर्विष्ट हो सकती है, जिन्हें स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी निम्नलिखित के संबंध में आवश्यक समझे, अर्थात् –

(क) #{भाटक, स्वामिस्व तथा नीलामी राशि} के भुगतान की समय सीमा, रीति तथा स्थान;

(ख) पट्टे द्वारा आवृत भूमि के नुकसान के लिए प्रतिकर;

(ग) पेड़ों की कटाई;

(घ) किसी प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध किये गये किसी क्षेत्र में सतह की संक्रियाओं पर निर्बंधन;

(ङ.) सतह के दखल के लिए पट्टेदार द्वारा सूचना;

(च) पट्टेदार द्वारा पट्टा क्षेत्र या समीपवर्ती क्षेत्र में अन्य खनिजों के उत्खनन के लिए दी जाने वाली सुविधाएं;

(छ) आरक्षित या संरक्षित वन में प्रवेश करना या कार्य करना;

(ज) गढ्ढ़ों तथा शाफ्टों को सुरक्षित करना;

(झ) दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना;

(ञ) तीसरे पक्ष के दावों के विरूद्ध राज्य शासन के लिये क्षतिपूर्ति;

(ट) खदान क्षेत्र में स्वच्छता बनाये रखना;

(ठ) पट्टे के समर्पण, अवसान या पर्यवसान पर भूमि तथा खानों का कब्जा देना;

(ड) पट्टे के पर्यवसान के पश्चात् छोड़ी गई सम्पत्ति का समपहरण;

(ढ) युद्ध या आपात स्थिति में संयंत्र, मशीनरी, परिसर तथा खानों का कब्जा लेने की शक्ति;

€ शुद्धिपत्र 30.1.2016 # प्रतिस्थापित 23.3.2016

(ण) ऐसे प्रकरणों में तृतीय पक्ष के अधिकारों के संरक्षण की रीति (चाहे प्रतिकर के द्वारा या अन्यथा) जहां, खनन संक्रियाओं के कारण ऐसे किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो;

(त) उत्खनन पट्टे के धारक व्यक्ति द्वारा खनन संक्रियाओं के कारण नष्ट हुए पेड़ पौधे तथा अन्य वनस्पति जैसे कि पेड़, झाड़ियां आदि का पुनर्वास, उसी क्षेत्र में या राज्य शासन द्वारा चयनित किसी दूसरे क्षेत्र में करने की रीति (चाहे पुनर्वास के खर्चे के प्रतिपूर्ति द्वारा या अन्यथा);

(थ) खदान में किसी समाविष्ट भूमि या अन्य खनिज रियायतों में खनन प्रयोजनों के लिए रास्तों का उपयोग, रख–रखाव एवं निर्माण, विद्युत पारेषण लाइनों, ट्रामवेज, रेलपथ, आकाशीय रज्जुमार्ग पाइप लाइन्स का निर्माण, संधारण तथा उपयोग और पानी के लिए मार्ग बनाना ।

52. **विशेष शर्तें**.– उत्खनन पट्टे में राज्य शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई विशेष शर्तें भी अन्तर्विष्ट हो सकेंगी ।

53. **काटने तथा तराशने की इकाई की स्थापना**.– (1) नियम 51 के उप–नियम (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, काटने तथा तराशने की इकाई स्थापित करने के लिए प्रदाय किये गये अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट खनिजों के उत्खनन पट्टे के संबंध में, यदि राज्य में इकाई, पट्टा/पट्टे निष्पादन किये जाने से एक वर्ष की कालावधि के भीतर स्थापित न की जाये, तो उक्त पट्टा/पट्टे पर्यवसित कर दिये गये समझे जायेंगे।

(2) जहां पट्टेदार अनुबंध निष्पादन की तारीख से एक वर्ष के भीतर काटने तथा तराशने की इकाई स्थापित करने में अक्षम है वहां वह उसके लिये कारणों का उल्लेख करते हुए उक्त कालावधि के अवसान के पूर्व संचालक को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन, पांच हजार रूपये के गैर वापसी योग्य शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) संचालक, उप–नियम (2) के अधीन किये गये आवेदन की प्राप्ति पर, काटने तथा तराशने की इकाई स्थापित नहीं करने के कारणों की पर्याप्तता और यर्थातता के बारे में समाधान हो जाने के पश्चात, काटने तथा तराशने की इकाई स्थापना की कालावधि में एक वर्ष तक की वृद्धि हेतु आदेश पारित कर सकेगा।

(5) पट्टेदार, उत्खनन पट्टा प्रदाय किये जाने के प्रथम वर्ष अथवा उप–नियम (4) में की गई वृद्धि की कालावधि के भीतर राज्य शासन द्वारा अनुज्ञात मात्रा के अपरिष्कृत ब्लाकों का अंतर्राज्यीय परिवहन या निर्यात कर सकेगा।

54. पट्टेदार के अधिकार.– नियम 51 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, पट्टेदार को खनन संक्रियाओं के प्रयोजनों के लिए उसे पट्टे पर दी गई भूमि पर निम्नलिखित अधिकार होंगेः–

(एक) खानों में कार्य करना;

(दो) गढ्ढ़े खोदना तथा भवन और सड़कों का निर्माण करना;

(तीन) संयंत्र तथा मशीनरी स्थापित करना;

(चार) उत्खनन करना और भवन या सड़क में लगने वाली सामग्री प्राप्त करना तथा ईंटें बनाना किन्तु विक्रय के लिए नहीं;

(पांच) पानी का उपयोग करना;

(छः) चट्टा लगाने के लिये भूमि का उपयोग करना;

(सात) पट्टे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य कार्य करना ।

55. पट्टा पर्यवसित करने का अधिकार – पट्टेदार सरकार को देय समस्त शोध्यों का भुगतान करने और यदि लागू हो तो उत्खनन बंद करने की प्लान की शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को किसी भी समय, छः माह से अन्यून लिखित में सूचना देकर पट्टे को पर्यवसित कर सकेगा ।

56. उत्खनन पट्टे का अंतरण.– (1) कोई भी पट्टेदार अपने पट्टे का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण नहीं करेगा या उप पट्टे पर नहीं देगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कोई अनुबंध करेगा; जिसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भी किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे के क्षेत्र के ऊपर कोई अधिकार प्राप्त होता हैः

परन्तु यह कि पच्चीस हजार रूपये प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के लिए नियम 31 के उप–नियम (3) मे विहित की गई रीति के अनुसार भुगतान करने पर स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी पट्टेदार को अंतरण की अनुज्ञा दे सकेगाः

परन्तु शासकीय भूमि पर स्वीकृत उत्खनन पट्टा के अंतरण के प्रकरण में अंतरण शुल्क प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के लिए पचास हजार रूपये होगा।

(2) यदि स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी की राय में पट्टेदार ने उप–नियम (1) का भंग किया है, स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी, लिखित में आदेश द्वारा किसी भी समय पट्टा पर्यवसित कर सकेगा।

(3) उप–नियम (1) के अधीन उत्खनन पट्टे के अंतरण के लिये आवेदन करने पर, जहां स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी ने ऐसे पट्टे के अंतरण की सहमति दे दी है, वहां अंतरण पट्टा विलेख प्ररूप–उन्नीस में अनुज्ञा से तीन माह के भीतर या ऐसी और कालावधि के भीतर, जैसी कि स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करें, किया जायेगा ।

57. पट्टों का समामेलन.– (1) संचालक, खनिज के संरक्षण एवं विकास के हित में एवं ऐसे कारणों को लेखबद्ध करते हुए, एक पट्टेधारी/पट्टेधारियों द्वारा धारित दो या अधिक निकटवर्ती पट्टों के समामेलन को अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) पट्टेधारी/पट्टेधारियों द्वारा समामेलन हेतु आवेदन के साथ, समामेलन हेतु प्रस्तावित पट्टों के संबंध में एकजाई उत्खनन प्लान प्रस्तुत करेगा।

(3) समामेलन हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ दस हजार रुपये का गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क जमा किया जाएगा।

(4) समामेलित पट्टों की कालावधि, उस पट्टे के साथ समाप्त (को–टर्मिनस) होगी जिस पट्टे की कालावधि पहले समाप्त होगी।

(5) सभी दिशाओं में एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी के भीतर स्थित पट्टों को निकटवर्ती पट्टे के रुप में मान्य किया जायेगाः

परन्तु यह कि उन पट्टों का समामेलन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां कोई बारहमासी मार्ग अथवा नाला अथवा नदी अथवा नहर अथवा उच्चदाब विद्युत लाईन अथवा रेल्वे लाईन अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित संरचना उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र के भीतर 50 मीटर के अंतर्गत स्थित हो।

(6) पट्टे के बीच का क्षेत्र जैसा कि उप–नियम (5) में उल्लिखित है पट्टे के समामेलन का भाग होगा।

अध्याय–सात
अनुसूची–एक के भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों हेतु उत्खनन अनुज्ञापत्र का प्रदाय

58. उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदाय किये जाने की प्रकिया.– (1) (एक) अनुसूची–एक के भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों को किसी भूमि विशेष से

कोई गौण खनिज जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य शासन के किसी विभाग अथवा उपक्रम के कार्यों के लिए आवश्यक हो के उत्खनन, निकास और परिवहन के लिए कलेक्टर उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान करेगा :

#{ परन्तु यह कि अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट किसी गौण खनिज, सरल क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट खनिजों को छोड़कर, के उत्खनन, निकास और परिवहन के लिए कलेक्टर, केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के किसी विभाग अथवा उपक्रम के कार्यों के लिए अथवा किसी कार्य के लिये आवश्यक किसी विनिर्दिष्ट भूमि में उत्खनन, निकास और परिवहन के लिये उत्खनन किसी व्यक्ति को भी उत्खनन अनुज्ञापत्र भी प्रदान कर सकेगा।''}

(दो) इस तरह की अनुमति केवल संबंधित विभागीय प्राधिकारी को अथवा उनके अधिकृत ठेकेदार को ठेका स्वीकृत करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही प्रदान की जाएगी :

#{''परन्तु नियम 58 के उप–नियम (1) के खण्ड (एक) के परन्तुक के मामले में, उपरोक्त प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।'' }

(तीन) उत्खनन अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन, एक सौ रूपये के आवेदन शुल्क के साथ प्ररूप–बीस में संबंधित जिले के कलेक्टर को किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक आवेदन इसकी प्राप्ति की तारीख पर प्ररुप–तीन में स्वीकार किये जायेंगे।

(चार) उत्खनन अनुज्ञापत्र के आवेदनों का रजिस्टर प्ररूप–इक्कीस में संधारित किया जाएगा।

(पांच) खनिज की आवश्यकता एवं उपलब्धता का समाधान होने पर कलेक्टर उन शर्तों पर जैसा कि वह ठीक समझे, प्ररूप–बाईस में उत्खनन अनुज्ञापत्र स्वीकृत करेगा।

(2) उत्खनन अनुज्ञापत्र का क्षेत्र एक हेक्टेयर और अवधि # {दो वर्ष} की कालावधि से अधिक नहीं होगी और खनिज की मात्रा, विशिष्ट कार्य/कार्यों जिसके लिए अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया है को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक नहीं होगी।

प्रतिस्थापित 23.3.2016

(3) खनिज के परिवहन के लिए छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन और संग्रहण) नियम, 2009 के प्ररूप–एक में विनिर्दिष्ट अभिवहन पास स्वामिस्व (रायल्टी) के अग्रिम भुगतान पर ही जारी किया जाएगा।

(4) उत्खनन अनुज्ञापत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :–

(क) उत्खनन अनुज्ञापत्र धारक, क्षेत्र से हटाये गये और परिवहन किये गये खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा संधारित करेगा।

(ख) उत्खनन अनुज्ञापत्र धारक, उप संचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/ खनि निरीक्षक अथवा कलेक्टर या जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उत्खनन संक्रियाओं के निरीक्षण एवं लेखा के सत्यापन करने की अनुज्ञा देगा।

(ग) अनुज्ञात मात्रा के 30 दिवस की कालावधि के भीतर अथवा उसके पहले परिवहन करते ही सभी अभिवहन पास की मूल प्रति, उपयोग नहीं किये गये अभिवहन पास, संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित मात्रा के सम्पूर्ण विवरण के साथ स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

{(गग) अनुसूची–एक के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों, सरल क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट खनिजों को छोड़कर, जिसके लिए कलेक्टर द्वारा उत्खनन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए निर्धारित प्ररूप–तीन ख में कलेक्टर तथा संबंधित अनुज्ञा पत्रधारक के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(गगग) अनुसूची दो के भाग क में अन्तर्विष्ट खनिजों, सरल क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट खनिज को छोड़कर, जिसके लिए कलेक्टर द्वारा उत्खनन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये पट्टेदार द्वारा प्रतिभूति निक्षेप के रूप में दस हजार रूपये की राशि जमा किये जायेंगे।}

(घ) उत्खनन अनुज्ञापत्र के धारक को क्षेत्र से खनिजों के उत्खनन अथवा हटाने पर लागू होने वाले सभी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत समस्त अनुमतियां/सम्मतियां प्राप्त करना होगा।

प्रतिस्थापित 23.3.2016

(ड.) उत्खनन अनुज्ञापत्र का धारक प्रत्येक माह की दस तारीख तक प्ररूप–पन्द्रह में विवरणी कलेक्टर और ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा।

(च) अन्य कोई शर्तें जिसे स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी उचित समझे।

59. खुदाई कार्य के दौरान प्राप्त गौण खनिज के निपटारे के लिये अनुमति.– (1) पंचायत के पोखरों/तालाबों, कुएँ, जलाशय अथवा अन्य खुदाई कार्यों से प्राप्त होने वाले ऐसे गौण खनिजों को हटाने और उपयोग करने के लिए कलेक्टर अनुमति देगा।

(2) ऐसे खनिज के लिए स्वामिस्व (रायल्टी) के बराबर राशि का भुगतान करने पर निश्चित मात्रा एवं अवधि के लिए उक्त अनुमति दी जाएगी।

60. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत स्वीकृत खनि पट्टा क्षेत्र से खनन के दौरान प्राप्त होने वाले गौण खनिज के निपटारे की अनुमति.– कलेक्टर, खनि पट्टा क्षेत्र से खनन संक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले किन्हीं गौण खनिजों को स्थानीय शासकीय निकायों सहित शासन की निर्माण गतिविधियों के उद्देश्य के लिए परिवहन एवं उपयोग करने की अनुमति देगा।

परन्तु खनि पट्टा क्षेत्र के भीतर एकत्रित गौण खनिज का उपयोग राज्य शासन के निर्माण विभागों के अतिरिक्त अन्य के द्वारा किये जाने के मामले में कलेक्टर, इसे नीलामी के द्वारा विक्रय करेगा। इस प्रकार से विक्रय किये जाने वाले गौण खनिज के लिए स्वामिस्व (रायल्टी) का अग्रिम भुगतान किया जाएगा।

अध्याय–आठ
उत्खनन संक्रियाएं

61. विवृत खुदाई – (1) विवृत खुदाई में, बनाई गई पेड़ियो (बेंचों) को इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा ताकि खनिज और अधिभार (ओव्हर बर्डन) में पेड़ियां पृथक रहे, जिससे कि खनिज के मिश्रण अथवा अपव्यय को बचाया जा सके।

(2) (एक) जलोढ़ मिट्टी, मुरूम, बजरी, चिकनी मिट्टी या इसी प्रकार की अन्य जमीन में, किनारों का ढाल ऐसे सुरक्षित कोण पर रखा जायेगा, जो कि क्षितिज से 45 डिग्री से

अधिक नहीं होगा या ऐसा कोई अन्य कोण रखा जायेगा, जिसकी सक्षम प्राधिकारी लिखित में आदेश द्वारा अनुज्ञा दे।

(दो) किनारों को पेड़ीदार रखा जायेगा और किसी भी पेड़ी की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा उनकी चौड़ाई ऊंचाई से कम नहीं होगी।

(तीन) अधिभार की पेड़ियों को पर्याप्त रूप से पूर्व में ही तैयार रखा जायेगा, जिससे कि उनमें की जाने वाली खुदाई से खनिज की खुदाई में कोई बाधा न हो।

(चार) उत्खनन संक्रियाओं के दौरान प्राप्त अधिभार और अपशिष्ट सामग्री को विक्रय के अयोग्य अथवा निम्न श्रेणी (सब ग्रेड) खनिजों के साथ मिलाने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, उनके अलग से ढेर तथा चट्टे बनाकर रखे जायेंगे।

(पांच) उत्खनन संक्रियाओं का संचालन कुशलता से और राज्य और केन्द्रीय अधिनियमों तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अनुसार, जहां लागू हो, किया जायेगा।

(छः) यदि संबंधित जिले का कलेक्टर या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की राय में, इसके उपबंधों का पालन करना युक्तियुक्त तौर पर साध्य नहीं है तो वह, लिखित आदेश द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि वह उसमें (आदेश में) विनिर्दिष्ट करे, उन मामलों में जिनमें विशेष कठिनाई विद्यमान है, संक्रिया के लिये इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

62. छूट – खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) और उसके अधीन बनाये गये नियमों में दिये गये छूटों के अध्यधीन रहते हुए, पट्टेदार उक्त अधिनियम तथा नियमों के समस्त उपबंधों का पालन करेगा।

अध्याय–नौ
पर्यावरण का संरक्षण

63. पर्यावरण का संरक्षण.– (1) उत्खनन पट्टा का प्रत्येक धारक उत्खनन संक्रियाएं करते समय, पर्यावरण का संरक्षण और प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिये यथासंभव पूर्वावधानियां निम्नलिखित रीति से बरतेगा, अर्थात् –

(क) जहॉ कहीं भी ऊपरी मिट्टी विद्यमान है और उत्खनन संक्रियाओं के लिये उसकी खुदाई की जानी है, वहॉ उसे पृथक से हटाया जायेगा;

(ख) इस प्रकार से हटायी गयी ऊपरी मिट्टी का भविष्य के उपयोग के लिये भंडारण किया जायेगा;

(ग) ढेरों को, उनसे सामग्री के बहकर निकलने से भूमि का ग्रेड घटने या कृषि क्षेत्र के नुकसान, भू–पृष्ठ जल संग्रह का प्रदूषण या बाढ़ कारित होने पर रोकने के लिये समुचित रूप से सुरक्षित रखा जायेगा;

(घ) ढेरों के लिये पट्टा क्षेत्र के भीतर यथा संभव अभेद्य एवं खनिज रहित स्थान चुना जायेगा;

(ड.) ऊपरी मिट्टी के ढेरों का यथोचित रूप से चबूतरा बना दिया जायेगा और ऊपर वनस्पति से या अन्यथा उन्हें स्थिर किया जायेगा ।

(2) इस प्रकार हटायी गयी ऊपरी मिट्टी का उपयोग उस भूमि के प्रत्यावर्तन या पुनरूद्धार करने के लिये किया जायेगा, जिसकी खनन संक्रियाओं के लिये आगे आवश्यकता नहीं हो ।

(3) अधिभार इत्यादि का हटाया जाना, भण्डारण और उपयोग,–

(क) उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुज्ञापत्र का प्रत्येक धारक, उत्खनन के दौरान या आकारीकरण के दौरान जनित अधिभार, अनुपयोग चट्टान, कूड़ा करकट और सूक्ष्म कणों का अलग–अलग ढेरों में भण्डारण करेगा;

(ख) ढेरों को समुचित रूप से सुरक्षित किया जायेगा और उनके यथोचित रूप से चबूतरे बना दिये जायेंगे और ऊपर वनस्पति से या अन्यथा उन्हें स्थिर किया जायेगा;

(ग) जहॉ कहीं संभव हो, अनुपयोगी चट्टान, अधिभार इत्यादि को खदान के खुदे क्षेत्र में इस दृष्टि से पुनः भर दिया जायेगा, ताकि भूमि को यथा संभव उसके मूल रूप में उपयोग में लाये जा सके।

64. भूमि का सुधार तथा उसका पुनरूद्धार.– उत्खनन पट्टा का प्रत्येक धारक–

(एक) उत्खनन संक्रियाओं से प्रभावित भूमियों के क्रमिक प्रत्यावर्तन, उसके सुधार और उसके पुनरूद्धार का भार अपने ऊपर लेगा और इस कार्य को, ऐसी संक्रियाओं के पूर्ण किये जाने और खदान का परित्याग किये जाने के पूर्व, पूर्ण करेगा;

(दो) उत्खनन संक्रियाए ऐसी रीति से करेगा, जिससे कि उत्खनन पट्टा के अधीन धारित तथा समीपस्थ क्षेत्र के पेड़—पौधों को कम से कम नुकसान पहुँचे;

(तीन) उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुज्ञापत्र का प्रत्येक धारक,—

(क) उसी क्षेत्र में या कलेक्टर द्वारा चुने गये किसी अन्य क्षेत्र में, उत्खनन संक्रियाओं के कारण नष्ट हुए वृक्षों की संख्या के कम से कम दुगुने वृक्षारोपण का तत्काल उपाय करेगा;

(ख) पट्टे के अस्तित्व के दौरान उनकी देखभाल करेगा तत्पश्चात् इन वृक्षों को जिस क्षेत्र में खदान अवस्थित है, उस ग्राम पंचायत को सौंप देगा; और

(ग) उत्खनन संक्रियाओं द्वारा विनष्ट अन्य पेड़ पौधों की यथासंभव पूर्ववत करेगा।

(चार) उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुज्ञापत्र धारक द्वारा इन नियमों का पालन करने में विफल रहने पर, स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी पुनरुद्धार तथा सुधार का व्यय, पट्टा/अनुज्ञापत्र धारक द्वारा नियम 29 के अन्तर्गत प्रस्तुत वित्तीय आश्वासन से वसूल करेगा।

65. सार्वजनिक स्थानों की क्षति, इत्यादि बाबत् सावधानियां.— उत्खनन पट्टा के प्रत्येक धारक अथवा संस्थाएं, जो कि अनुसूची—दो के भाग ख में विनिर्दिष्ट गौण खनिज, साधारण रेत एवं बजरी के हटाने हेतु जिम्मेदार हैं, द्वारा पट्टा/निर्धारित क्षेत्र के भीतर अथवा उसके समीपस्थ क्षेत्र में स्थित, सार्वजनिक भवन अथवा स्मारक, मार्ग, धार्मिक स्थानों को क्षति से बचाने के लिए पर्याप्त सावधानी रखेगा।

66. वायु, जल एवं पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि के संबंध में उपाय.— उत्खनन पट्टा के प्रत्येक धारक अथवा संस्थाएं, जो कि अनुसूची—दो के भाग ख में विनिर्दिष्ट गौण खनिज, साधारण रेत एवं बजरी के हटाने हेतु उत्तरदायी हैं, वायु एवं जल प्रदूषण से बचने एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु समस्त आवश्यक उपाय करेंगे और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14), जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, यदि लागू हो, समस्त आवश्यक सम्मति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करेंगे एवं उत्खनन/हटाने की संक्रिया के दौरान, यथास्थिति, सम्मति में उल्लिखित समस्त आवश्यक कदम उठायेंगे/कार्रवाई करेंगे।

67. क्लस्टर खनन हेतु प्रावधान.– (1) ''क्लस्टर'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा घोषित वह भौगोलिक सीमा जिसमें पूर्व से स्वीकृत उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुज्ञापत्र स्थित है अथवा जहॉं भविष्य में अनुमति दिया जाना हो। क्लस्टर का क्षेत्र यथासंभव 500 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा एवं क्लस्टर निर्माण के समय खनिज रियायतों का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से कम नहीं होगा। 500 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले क्लस्टर के लिये रियायतों के अन्तर्गत न्यूनतम क्षेत्र इसी अनुपात में होगा।

(2) क्लस्टर के अंतर्गत उचित उत्खनन प्लान जिसमें क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्लान (ईएमपी) सम्मिलित है €{के बगैर} कोई भी उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं किया जाएगा। पट्टा/अनुज्ञापत्र के क्लस्टर के लिये, पट्टेधारियों/अनुज्ञाधारियों के सहयोजन द्वारा मान्य योग्य व्यक्ति/एजेन्सी के माध्यम से क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्लान तैयार की जायेगी तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को पर्यावरणीय समाशोधन/सम्मति हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्लान (ईएमपी) के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले छोटे पट्टेधारियों/अनुज्ञाधारियों द्वारा एक सहयोजन बनाया जायेगा। क्लस्टर की सीमा के अंतर्गत आने वाले पट्टे/अनुज्ञापत्र का धारक उक्त सहयोजन का सदस्य माना जायेगा। उक्त सहयोजन, तत्संबंधी कानून के प्रावधानों के तहत् पंजीकृत होगा।

(4) क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्लान (ईएमपी) का मुख्य उद्देश्य, क्षेत्रीय पर्यावरण जोखिम का प्रबंधन करना होगा क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्लान में मुख्यतः निम्नलिखित विषयों का समावेश होगा, अर्थात् :–

(एक) सतही मिट्टी के हटाने एवं उपयोग;
(दो) अधिभार, अनुपयोगी पत्थर आदि का भण्डारण;
(तीन) भूमि का उद्धार एवं पुनरूद्धार;
(चार) वायु प्रदुषण के विरूद्ध सावधानियॉं;
(पांच) अपशिष्ट का निकास;
(छः) ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध सावधानियॉं;
(सात) वनस्पति एवं जीव की बहाली;

€ शुद्धिपत्र 30.1.2016

(आठ) जल प्रबंधन;

(नौ) जोखिम प्रबंधन;

(दस) एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन।

68. इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व संचालित उत्खनन पट्टा अथवा अनुज्ञापत्र.– जहाँ इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व, यथास्थिति, उत्खनन पट्टा अथवा अनुज्ञापत्र के अधीन उत्खनन सक्रियाएं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन प्लान /स्कीम के बिना चालू कर दी गई हैं, वहां ऐसे सभी उत्खनन पट्टे/अनुज्ञापत्र का धारक, ऐसे उत्खनन पट्टे के नवीनीकरण के समय अथवा इन नियमों के प्रारंभ होने से छः माह के भीतर जो भी पहले हो, अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन प्लान /स्कीम प्रस्तुत करेंगे।

69. शास्ति.– नियम 63 से 65 तक के किसी उपबंधों का उल्लंघन, कारावास से जिसकी अवधि तीन माह तक हो सकती है अथवा जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा। ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्ध के पश्चात्, लगातार उल्लंघन किये जाने की दशा में प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहे, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो पच्चीस सौ रूपये प्रतिदिन हो, अधिरोपित किया जाये।

अध्याय–दस
स्वामिस्व (रायल्टी) का निर्धारण

70. स्वामिस्व (रायल्टी) का निर्धारण तथा विनिश्चय.– (1) किसी निर्धारण वर्ष में या यथा अपेक्षित किसी निर्धारिती से शोध्य स्वामिस्व (रायल्टी) का निर्धारण तथा अवधारण, पट्टेदार द्वारा पट्टा विलेख/अनुज्ञापत्र के निबंधनों तथा शर्तों के अधीन तथा अपेक्षित उस वर्ष के संबंध में अपेक्षित विवरणियां प्रस्तुत कर दी जाने के पश्चात् या उत्पादन, प्रेषण या खपाये जाने के बारे में पट्टाधारक/अनुज्ञापत्र धारक द्वारा विवरण प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात्, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा :

परन्तु यह कि निर्धारण प्राधिकारी, निर्धारण वर्ष के दौरान किसी विशिष्ट कालावधि के लिए, उस कालावधि के संबंध में विवरणियां प्राप्त होने के पश्चात् अनन्तिम निर्धारण कर सकेगा।

(2) उप–नियम (1) में यथा वर्णित स्वामिस्व के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, निर्धारिती प्ररूप–पन्द्रह में आगामी मास की 10 तारीख तक मासिक विवरणी तथा प्ररूप–सत्रह में वार्षिक विवरणी निर्धारण वर्ष के अवसान होने से एक माह के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि निर्धारिती उप–नियम (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा फाइल की गई विवरणियां गलत प्रतीत होती हैं, तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसी जांच–पड़ताल, जो वह उचित समझे, कर सकेगा और निर्धारण वर्ष के लिए स्वामिस्व (रायल्टी) का निर्धारण कर सकेगा :

परन्तु यह कि निर्धारण प्राधिकारी इस उप–नियम के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(4) उप–नियम (3) के प्रयोजनों के लिए निर्धारण प्राधिकारी, निर्धारिती से सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी तारीख और स्थान पर उपसंजात होने और ऐसे किसी साक्ष्य को, जिन पर निर्धारिती उसके द्वारा दी गई विवरणियों, विवरणों तथा अभिलेखों की शुद्धता के संबंध में विश्वास करे, पेश करने और निर्धारण वर्ष के संबंध में ऐसे लेखे, जैसे कि निर्धारण प्राधिकारी अपेक्षित करे, प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने के लिए 15 दिन की एक सूचना तामील करेगा।

(5) उप–नियम (4) में दी गई सूचना में विनिर्दिष्ट दिवस पर या उसके पश्चात् किसी अन्य दिवस पर, जैसा कि निर्धारण प्राधिकारी निर्धारित करे, निर्धारण प्राधिकारी, ऐसी साक्ष्य, जैसी कि निर्धारिती द्वारा इस निमित्त प्रस्तुत की जाय, सुनने तथा उस पर विचार करने के पश्चात्, निर्धारिती द्वारा देय स्वामिस्व (रायल्टी) के बारे में लिखित में एक आदेश देगा।

(6) इन नियमों में अथवा उत्खनन पट्टा के करार में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्धारिती उप–नियम (2), (4) तथा (5) के किसी उपबंधों का उल्लंघन करता है अथवा यदि उसने किसी नियमित लेखा रखने का ऐसा ढंग जिसके आधार पर निर्धारण सही तरीके से किया जा सके, नहीं अपनाया है, तो निर्धारण प्राधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर स्वामिस्व (रायल्टी) का निर्धारण करेगा तथा प्रत्येक उल्लंघन के लिए अनुसूची–चार के कॉलम (5) में उल्लिखित वार्षिक अनिवार्य भाटक के 50% तक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(7) यदि कोई निर्धारिती, उप–नियम (2) के अधीन प्ररूप–चौदह में किसी माह की मासिक विवरण विहित कालावधि में प्रस्तुत करने में विफल रहता है और यदि निर्धारण प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि निर्धारिती ने स्वामिस्व (रायल्टी) के भुगतान का अपवंचन या परिवर्जन किया है तो निर्धारण प्राधिकारी निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर उस कालावधि के लिए स्वामित्व (रायल्टी) का निर्धारण करेगा, जिसका भुगतान निर्धारिती द्वारा तत्काल किया जायेगा ।

अध्याय–ग्यारह

अनधिकृत निकास तथा परिवहन के लिए शास्ति

71. अनधिकृत निकास तथा परिवहन के लिए शास्ति.– (1) जब भी कोई व्यक्ति इन नियमों के अनुसार न होकर अन्यथा खनिजों का निकास अथवा परिवहन करता पाया जाये अथवा जिसकी ओर से ऐसा निकास अथवा परिवहन किया जाये, उसे खनिजों के अवैध निकास के लिए एक पक्षकार उपधारित किया जायेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकता है, अथवा ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकता है, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) जब कोई व्यक्ति इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में खनिजों का निकास करते या परिवहन करते हुए पाया जाये, तो कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक अथवा जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी खनिज और उनके उत्पाद के साथ–साथ ऐसे अपराध में प्रयुक्त समस्त औजार, उपस्कर और वाहनों को अभिग्रहीत कर सकेगा।

(3) अवैध रूप से निकास या परिवहन किये गये खनिज या उनके उत्पाद, औजार, उपस्कर और वाहनों को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी, उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से ऐसी वस्तुएं इस प्रकार अभिग्रहीत की गई हैं उनकी एक रसीद देगा तथा उस मजिस्ट्रेट को, जिसे ऐसे अपराध को विचारण करने की अधिकारिता है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4) उप–नियम (2) के अधीन अभिग्रहीत ऐसी संपत्ति, उन व्यक्तियों द्वारा, जिनके कब्जे से वह संपत्ति अधिग्रहीत की गई थी, उसे अभिग्रहीत करने वाले अधिकारी के समाधान हेतु एक

बंधपत्र निष्पादित किये जाने पर निर्मुक्त की जायेगी। जब ऐसे अधिकारी द्वारा उसे पेश करने की अपेक्षा की जाये तो वह ऐसे अपेक्षित स्थान तथा समय पर पेश की जायेगी :

परन्तु यह कि जहां उप–नियम (3) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, वहां अभिग्रहीत सम्पत्ति ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश से ही छोड़ी जायेगी।

(5) कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/खनि अधिकारी या जिला/जनपद/ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, अभियोजन संस्थित करने के पहले या उसके पश्चात् उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार कारित अपराध का, इस प्रकार निकास या परिवहन किये गये खनिज के बाजार मूल्य का भुगतान करने पर और ऐसे जुर्माने जो इस प्रकार निकास या परिवहन किये गये खनिज के बाजार मूल्य से दुगने तक हो सकता है, किन्तु किसी भी मामले में पाँच हजार रूपये से कम नहीं होगा अथवा इस प्रकार निकास किये गये खनिज के स्वामिस्व (रायल्टी) के दस गुने से, इनमें से जो भी अधिक हो, का भुगतान करने पर प्रशमन कर सकेगाः

परन्तु यह कि निरंतर उल्लंघन की दशा में कलेक्टर/उपसंचालक/खनि अधिकारी, अधिरोपित जुर्माने के अतिरिक्त, ऐसा उल्लंघन जारी रहने तक एक हजार रूपये प्रतिदिन भी वसूल कर सकेंगे।

(6) जहां उप–नियम (5) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन कर दिया जाता है, उस अपराध के बारे में, जिसका इस प्रकार प्रशमन किया गया हो, अपराधी के विरूद्ध, यथास्थिति, कोई कार्रवाई या अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी और यदि अपराधी अभिरक्षा में हो तो उसे तत्काल छोड़ा जाएगा।

(7) कोई व्यक्ति जो इन नियमों के उल्लंघन में किसी भूमि पर अतिचार करता है, को कलेक्टर द्वारा बेदखली किये जाने का आदेश तामील किया जायेगा।

(8) यदि अधिरोपित जुर्माना और अन्य रकम का, आदेश की तारीख से एक माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो उप–नियम (2) के अधीन अभिग्रहीत की गई समस्त संपत्ति, अपराध का विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश से समपहृत किये जाने के दायित्वाधीन होगी :

परन्तु यह कि आदेश से एक माह के भीतर ऐसी रकम का भुगतान किये जाने पर अभिग्रहीत ऐसी समस्त संपत्ति; खनिज या उसके उत्पाद के सिवाय, निर्मुक्त कर दी जायेगी

और उप–नियम (2) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहीत खनिज या उसके उत्पादन, समपहृत किये जायेंगे तथा राज्य शासन की सम्पत्ति होंगे।

(9) इस नियम के अधीन कार्यवाही करने के लिए सशक्त प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझे, तो पुलिस सहायता के लिए पुलिस प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध करेंगे तथा पुलिस प्राधिकारी ऐसी सहायता उपलब्ध करायेगा, जैसी कि खनिज के अवैध उत्खनन तथा परिवहन को रोकने हेतु उक्त अधिकारी को, इस नियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, सशक्त बनाने हेतु आवश्यक हो।

(10) (एक) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाये, कलेक्टर या तो सामान्यतः या विशेष मामले या मामलों के किसी वर्ग के लिए, जो इस नियम के अधीन दण्डनीय हैं, समस्त या किसी अपराध का अन्वेषण करने हेतु किसी अधिकारी को, जो सहायक खनिज अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, प्राधिकृत कर सकेगा;

(दो) ऐसा अन्वेषण करने के लिये इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी, संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 12) के अधीन पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(तीन) अन्वेषण अधिकारी, इस नियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की शक्तियों का प्रयोग करेगाः–

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर करने के लिए बाध्य करना तथा शपथ या प्रतिज्ञान पर उसका परीक्षण;

(ख) अभिलेख पेश करने के लिए बाध्य करना।

72. निर्माण संक्रियाओं में गौण खनिजों के खपत के अभिलेखों के संधारण का प्रावधान.–

(1) ऐसे व्यक्ति, कंपनी, फर्म, सोसायटी/सहयोजन, जो कि रिहायशी भवन अथवा भवनों के विक्रय अथवा व्यवसायिक भवन अथवा भवनों के विक्रय/किराये के प्रयोजन हेतु निर्माण में संलग्न है, उपार्जित और उनके द्वारा उपयोग किए गए समस्त गौण खनिजों के सही लेखा का संधारण प्ररूप–तेईस में करेंगे तथा संबंधित जिले के खनि शाखा के प्रभारी अधिकारी को प्राप्त और उनके द्वारा उपयोग किए गए गौण खनिजों की त्रैमासिक रिपोर्ट प्ररूप–चौबीस में ऐसे प्रस्तुत करेंगे, ताकि प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के तीस दिवस के अंदर पहुंच सके।

(2) ऐसे व्यक्ति, कंपनी, फर्म, सोसायटी/एसोसियेशन, जो कि रिहायशी भवन अथवा भवनों के विक्रय अथवा व्यवसायिक भवन अथवा भवनों के विक्रय/किराये के प्रयोजन हेतु निर्माण में संलग्न है, जिला कलेक्टर जिला खनि अधिकारी या संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को किसी निर्माण सामग्री के संग्रहण के किसी परिसर/क्षेत्र में निर्माण में प्रयुक्त या संग्रहित खनिजों के निरीक्षण के प्रयोजन से प्रवेश करने की अनुमति देंगे ।

73. उत्खनन संक्रियाओं का निलंबन.— संचालक/जिला कलेक्टर या संचालक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इन नियमों के तहत स्वीकृत किये गये पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, उत्खनन पट्टा या उत्खनन अनुज्ञापत्र के निबंधनों तथा शर्तों के उल्लंघन करने पर अथवा बिना अनुमति अथवा अनुज्ञा पत्र के पूर्वेक्षण/उत्खनन संक्रियायें पाये जाने पर, पूर्वेक्षण संक्रिया/उत्खनन संक्रियाओं को प्रतिबंधित तथा खनिज, उपकरण, औजार एवं वाहन को अभिग्रहीत कर सकेगा, बिना इस बात के, कि खनिज, उपकरण, औजार एवं वाहन मौके पर हैं अथवा मार्गस्थ हैं:

परन्तु पूर्वेक्षण/उत्खनन संक्रियाओं को प्रतिबंधित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा ।

अध्याय—बारह

गौण खनिज अपराध निवारण पुरस्कार

74. पुरस्कार.— (1) €{......} संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के कोई भी अधिकारी, अवैध खनन तथा परिवहन के संबंध में अथवा अधिनियम तथा नियमों के विरूद्ध अन्यथा अपराध के अभियोजन में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने अथवा योगदान हेतु, पुरस्कृत किये जा सकेंगे।

(2) पुरस्कार उसी स्थिति में दिया जा सकेगा जबकि दी गई सूचना नियमों के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए उपयोगी हो।

(3) पुरस्कार की शर्तें तथा सीमा.— इन नियमों के अधीन दिये जाने वाले पुरस्कार नगद में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दिये जायेंगे—

(एक) जहां खनिजों को अभिग्रहीत किया गया है.— पुरस्कार की अधिकतम रकम

€शुद्धिपत्र 30.1.2016

अभिग्रहीत खनिज के विक्रय मूल्य की वसूली के पश्चात् उसके 5% अथवा दस हजार रूपये, इनमें से जो भी कम हो, होगी;

(दो) जहां कोई खनिज अभिग्रहीत नहीं किया गया है– पुरस्कार की अधिकतम रकम वसूल की गई शास्ति की रकम का पांच प्रतिशत होगी।

(4) इन नियमों के अधीन पुरस्कार का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जायेगा। इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये पुरस्कार के संबंध में किसी भी प्राधिकारी को अपील नहीं होगी।

75. **प्राधिकारी तथा पुरस्कार का प्रकार.–** (1) पुरस्कार प्रदान करने का अधिकार संचालक में निहित होगा।

(2) पुरस्कार प्रदान करने के प्रकरण अथवा प्रस्ताव का परीक्षण और पुरस्कार देने का निर्णय ऐसी समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें संचालक तथा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट संचालनालय के दो अन्य अधिकारी होंगे।

(3) पुरस्कार छत्तीसगढ़ ट्रेजरी कोड़ के जिल्द–दो के प्ररुप–चौतीस में उस आहरण तथा संवितरण अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा, जो कि संबंधित शासकीय सेवक के वेतन तथा भत्तों का संवितरण करता है।

अध्याय–तेरह

राजस्व का जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के बीच संवितरण

76. **राजस्व का जमा किया जाना.–** (1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या पंचायतों के नियंत्रण के अंतर्गत गौण खनिज से प्राप्त राजस्व ब्याज सहित नियम 31 के उप–नियम (3) के अनुसार प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किया जायेगा। राज्य शासन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर यदि विधान सभा द्वारा विनियोग से ऐसा उपबंध किया गया है तो संचित निधि से ऐसी समस्त रकम आहरित करेगा, जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों के राजस्व से प्राप्त हुई हो और जिसका संवितरण किया जाना है।

(2) उप–नियम (1) के अंतर्गत आहरित राशि, गौण खनिज के उत्खनन एवं उससे संबंधित प्रक्रियाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा विहित प्रक्रिया एवं निर्देश के अनुसार वितरित की जायेगी ।

(3) उप–नियम (1), गौण खनिज ''साधारण रेत एवं बजरी'' से प्राप्त राजस्व, जो कि संबंधित नगर निगम/ नगर पालिका/जनपद पंचायत या ग्राम पंचायतों में सीधे जमा होता है, पर लागू नही होगा ।

अध्याय–चौदह
अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन

77. अपील, अपीलीय प्राधिकारी.– (1) जहां, इन नियमों के अधीन किसी भी विषय के संबंध में, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति का प्रयोग किया गया है, वहां इन नियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को और उस रीति में होगी, जो कि छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम, 1995 में विहित है ।

(2) जहां इन नियमों के अधीन किसी भी विषय के संबंध में कलेक्टर द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति का प्रयोग किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ को होगी ।

(3) जहां इन नियमों के अधीन किसी भी विषय के संबंध में संचालक द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति का प्रयोग किया गया है, वहां इन नियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील राज्य शासन को होगी।

78. पुनरीक्षण.– राज्य शासन तथा संचालक, किसी भी समय स्वप्रेरणा से उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में या की गई कार्रवाई की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाये गये किसी मामले के अभिलेख मंगवा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा तथा उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि उचित समझेः

परन्तु इस नियम के अधीन पुनरीक्षण में कोई आदेश तब तक परिवर्तित अथवा पलटा नहीं जायेगा जब तक कि हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

79. पुनर्विलोकन.–राज्य शासन स्वप्रेरणा से या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर राज्य शासन द्वारा पारित मूल आदेश का पुनर्विलोकन मूल आदेश के जारी होने के नब्बे दिवस के भीतर कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे :

परन्तु इस नियम के अधीन पुनर्विलोकन में कोई आदेश तब तक परिवर्तित अथवा पलटा नहीं जायेगा जब तक कि हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

80. अपील की परिसीमा.– कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगी, जब तक कि वह आदेश की तारीख से साठ दिवस के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती तथा उपरोक्त कालावधि की संगणना करने में उक्त आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा:

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उक्त कालावधि के पश्चात् भी ऐसी कोई अपील ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी उसका यह समाधान कर दे कि अपील के आवेदन को समयावधि के भीतर प्रस्तुत न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था।

81. #{अपील/पुनर्विलोकन} के लिए आवेदन.– (1) #{अपील/पुनर्विलोकन} का आवेदन इन नियमों से संलग्न प्ररुप–पच्चीस में तीन प्रतियों में किया जायेगा। #{अपील/पुनर्विलोकन} आवेदन के साथ गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क एक हजार रुपये शासकीय कोषालय में नियम 31 के उपनियम (3) में उल्लिखित राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जायेगा तथा मूल, रसीदी चालान आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

(2) #{अपील/पुनर्विलोकन} के आवेदन पर दस रुपये मूल्य का न्यायालय शुल्क स्टाम्प चिपकाया जायेगा।

(3) उप–नियम (1) के अधीन किसी व्यक्ति को उत्खनन पट्टा प्रदान करने से इंकार करने के आदेश के विरुद्ध ऐसे प्रत्येक #{अपील/पुनर्विलोकन} के आवेदन में, ऐसे किसी

प्रतिस्थापित 23.3.2016

भी व्यक्ति को, जिसे उसी क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में उत्खनन पट्टा प्रदान किया गया है, पक्षकार बनाया जायेगा।

(4) उप–नियम (1) के अधीन #{अपील/पुनर्विलोकन} के आवेदन के साथ, आवेदक उसकी उतनी प्रतियां, जितनी कि उप–नियम (3) के अधीन पक्षकार बनाये गये है, प्रस्तुत करेगा ।

82. #{अपील/पुनर्विलोकन} **आवेदन की प्रतिलिपियां संबंधित पक्षकारों को भेजा जाना.–** #{अपील/पुनर्विलोकन} के आवेदन तथा उसकी प्रतिलिपियां प्राप्त होने पर #{अपीलीय प्राधिकारी/राज्य शासन}, #{अपील/पुनर्विलोकन} के आवेदन की प्रतिलिपि नियम 81 के उप–नियम (3) के अधीन बनाये गये पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार को वह तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए भेजेगा, जिस तारीख को या उसके पूर्व वह #{अपील/पुनर्विलोकन} के आवेदन के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन, यदि कोई हो, कर सकेगा ।

83. **#{अपील/पुनर्विलोकन} आवेदन पर आदेश.–** जहाँ इन नियमों के अधीन कोई #{अपील/पुनर्विलोकन} आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ प्राधिकारी ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित या अपास्त कर सकेगा या उसके संबंध में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित और न्यायसंगत समझे ।

84. **स्थगन प्रदान करना.–** #{अपीलीय प्राधिकारी/राज्य शासन}, किसी भी समय, यह निर्देश दें सकेगा कि उस आदेश का निष्पादन, जिसके विरूद्ध #{अपील/पुनर्विलोकन} आवेदन लंबित है, ऐसे समय के लिए, जैसा कि वह न्यायसंगत एवं उचित समझे, स्थगित किया जाये :

परन्तु यह कि खनन शोध्यों की वसूली के लिए कोई स्थगन तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि स्थगन चाहने वाले पक्षकार ने भाटकों, स्वामिस्वों (रायल्टी) तथा उन पर देय ब्याज की निर्विवाद रकम का भुगतान न कर दिया हो और ऐसे भाटकों, स्वामिस्व (रायल्टी) तथा ब्याज की विवादित रकम के लिए बैंक गारंटी नहीं दी है ।

प्रतिस्थापित 23.3.2016

अध्याय–पन्द्रह
विविध

85. प्रकट भूलों का परिशोधन करने की शक्ति.– सक्षम प्राधिकारी, इन नियमों के अधीन उसके द्वारा पारित आदेश की तारीख से छः महीने के भीतर किसी भी समय स्वप्रेरणा से अभिलेख को देखते ही प्रकट होने वाली किसी भूल या गलती को ठीक कर सकेगा और उसी प्रकार की कालावधि के भीतर उत्खनन की स्वीकृति आवेदन द्वारा ध्यान में लाई गई ऐसी किसी भूल या गलती को परिशोधित कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी परिशोधन जो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुज्ञापत्र को प्रदान करने हेतु किसी दूसरे आवेदन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो या ऐसा प्रभाव डालना तात्पर्यित हो, तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने ऐसा करने के अपने आशय की सूचना ऐसे आवेदक को न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया हो ।

86. विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण.– किसी मामले या मामलों के वर्ग में, जिसमें राज्य शासन की यह राय हो कि लोकहित की ऐसी अपेक्षा है, तो वह इन नियमों में विहित नियमों से भिन्न निबंधनों तथा शर्तों पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकेगी ।

87. खदान का कब्जा वापस करना.– (1) जहां, उत्खनन पट्टा रद्द कर दिया जाता है या पर्यवसित हो जाता है या अग्रक्रयाधिकार का प्रयोग किया जाता है या उस कालावधि का, जिसके लिए पट्टा प्रदान किया गया है, अवसान हो जाता है, तो पट्टेदार पट्टे के रद्द किये जाने या पट्टे के पर्यवसित हो जाने या अग्रक्रयाधिकार के प्रयोग किये जाने से पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर या पट्टे के अवसान होने के ठीक पश्चात् आने वाली तारीख को, जैसी भी दशा हो, उस जिले के कलेक्टर को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को या जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को खदान का कब्जा सौंप देगा।

(2) जहां पट्टेदार उप–नियम (1) के अनुसार खदान का कब्जा सौंपने में असफल रहता है, वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिला पंचायत/जनपद

पंचायत/ग्राम पंचायत, पट्टेदार पर एक सूचना या तो डाक द्वारा या उसकी एक प्रति पट्टेदार को व्यक्तिगत रूप से या उसके कुटुम्ब के सदस्यों में से किसी सदस्य पर या उसके नौकरों में से किसी नौकर को निविदत्त करते हुए या परिदत्त करते हुए या उसके निवास स्थान से सहजदृश्य स्थान के किसी भाग पर चस्पा करते हुए या उसे कम से कम ऐसे समाचार पत्र में, जिसका उस परिक्षेत्र में जहां पट्टेदार निवास करता है, परिचालन है, प्रकाशित करवा कर तामील करेगा या करवायेगा।

(3) उप–नियम (2) के अधीन सूचना में यह विवरण अंतर्विष्ट रहेगा कि सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर पट्टेदार उप–नियम (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को खदान का कब्जा सौंप दे, जहाँ पट्टेदार उप–नियम(2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर खदान का कब्जा नियम 67 के उप–नियम (1) में प्राधिकृत अधिकारी को सौंपने में असफल रहता है, वहां वह पट्टेदार से खदान का कब्जा ले सकेगा तथा उस प्रयोजन के लिए ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा, जैसा कि इन नियमों के उपबंधों द्वारा विहित किया जाये ।

88. भूतल अधिकारों, इत्यादि के लिए स्वामी को प्रतिकर का संदाय.– पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा उत्खनन पट्टा अथवा उत्खनन €{ अनुज्ञापत्र का धारक उस भूमि के धरातल के अधिभोगी को ऐसा वार्षिक प्रतिकर, जो कि} संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अवधारित किया जाए, संदाय करने के लिए दायी होगा, जिस पर वह यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा उत्खनन पट्टा अथवा उत्खनन अनुज्ञापत्र धारण करता है।

89. शक्तियों तथा कृत्यों का प्रत्यायोजन.– €{........} राज्य शासन, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी कोई शक्ति या ऐसा कोई कृत्य, जो इन नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग किया जा सकता है या पालन किया जा सकता है, ऐसे विषयों के संबंध में, ऐसी शर्तो के, यदि कोई हो, अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, राज्य शासन के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी या उनका पालन किया जा सकेगा, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें ।

€ शुद्धिपत्र 30.1.2016

90. **निरसन.—** इन नियमों के तत्स्थानी वे समस्त नियम या कार्यकारी अनुदेश, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, एतद्द्वारा, निरसित किये जाते है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों या अनुदेशों के अधीन की गई कोई भी बात या की गई कार्रवाई, जहां तक कि वे इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हों, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(इफ्फत आरा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

अनुसूची—एक
विनिर्दिष्ट खनिज

भाग—क

1. आकारीय पत्थर – ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय, परतदार तथा कायांतरित चट्टानें, जिनका उपयोग काट कर और चमकाकर, विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है।
2. संगमरमर, जिसका उपयोग काट कर और चमकाकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है।

भाग—ख

1. अगेट;
2. बॉल क्ले;
3. बैराइट्स;
4. कैल्केरियस सैण्ड;
5. कैल्साइट;
6. चॉक;
7. चिनी मिट्टी;
8. अन्य क्ले;
9. कोरण्डम;
10. डायस्पोर;
11. डोलोमाइट;
12. ड्रानाइट अथवा पायरोसेनाइट;
13. फेलसाइट;
14. फेल्सपार;
15. अग्निसह मृत्तिका;
16. पुफस्काइट क्वार्टजाइट;
17. जिप्सम;
18. जस्पर;
19. कयोलिन;
20. लेटेराइट;
21. चूना कंकड;

22. अभ्रक;

23. ऑकर;

24. पाइरोफाइलाइट;

25. क्वार्टज;

26. क्वार्टजाइट;

27. बालू (अन्य);

28. शेल;

29. सिलिका बालू;

30. स्लेट; और

31. स्टोटाइट अथवा टैल्क अथवा सोपस्टोन।

भाग–ग

1. निम्न श्रेणी चूनापत्थर, जब भट्‌टी में जलाकर चूना के विनिर्माण और/अथवा भवन, सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री के रुप में उपयोग किये जाने पर।
2. फ्लेगस्टोन – प्राकृतिक परतदार पत्थर, जिसका उपयोग फर्श, छत आदि के लिए तथा काटने और तराशने के उद्योग में किया जाता है.
3. यांत्रिक क्रिया द्वारा गिट्‌टी बनाने के लिए पत्थर (अर्थात क्रशर के उपयोग हेतु).
4. बेन्टोनाइट/फुलर्स अर्थ.
5. स्थाई चिमनी भट्‌टे द्वारा ईट या टाईल्स निर्माण हेतु साधारण मिट्‌टी।

अनुसूची–दो
अन्य खनिज
भाग–क

1. ईंट, बर्तन, कवेलू इत्यादि बनाने (स्थायी चिमनी भट्टे के अलावा) के लिए साधारण मिट्टी.
2. रबल, चिप्स के रूप प्रयुक्त पत्थर, बोल्डर, रोडमेटल, गिट्टी, ढोका, खण्डा, परिष्कृत पत्थर,
3. मुरुम.
4. ग्रेवल.
5. रेह मिट्टी.
6. स्लेट, जब भवन निर्माण सामग्री के लिए उपयोग की जाये.
7. शेल, जब भवन निर्माण सामग्री के लिए उपयोग की जाये.
8. क्वार्टजाइट तथा क्वार्टजाइट सेन्ड, जब भवन अथवा रोड, मेटल या घरेलू बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाये.
9. साल्ट पीटर.

भाग–ख

1. साधारण रेत एवं बजरी.

अनुसूची – तीन
(देखिए नियम 49)

स्वामिस्व की दरें

सरल क्रमांक	खनिज	दरें
(1)	(2)	(3)
1.	आकारीय पत्थर–ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय, परतदार तथा परिवर्तित चट्टानें, जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है :–	
	(क) काला रंग	रूपये 1500 प्रति घनमीटर
	(ख) अन्य रंग	रूपये 500 प्रति घनमीटर
2.	संगरमरमर, जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है.	रूपये 750 प्रति घनमीटर
3.	अन्य प्रयोजन के लिए संगमरमर पत्थर.	रूपये 350 प्रति घनमीटर
4.	फ्लेग स्टोन–प्राकृतिक परतदार पत्थर, जिसका उपयोग फर्श, छत आदि के लिये किया जाता है.	रूपये 103 प्रति घनमीटर
5.	साधारण रेत, बजरी.	रूपये 20 प्रति घनमीटर
6.	मुरूम.	रूपये 20 प्रति घनमीटर
7.	पत्थर– (क) बोल्डर (ख) गिट्टी, रोड मेटल (ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा, ढोका	रूपये 103 प्रति घनमीटर
8.	ईंट तथा टाइल्स बनाने के लिए साधारण मिट्टी.	रूपये 20 प्रति घनमीटर
9.	अन्य गौण खनिज.	रूपये 30 प्रति घनमीटर

अनुसूची–चार
(देखिए नियम 49)
अनिवार्य भाटक की दरें
रूपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष में

सरल क्रमांक	खनिज की श्रेणी	उत्खनन पट्टे का प्रथम वर्ष	उत्खनन पट्टे के द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष	उत्खनन पट्टे के चतुर्थ वर्ष और आगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आकारीय पत्थर–ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय, परतदार तथा परिवर्तित चट्टानें, जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है.	निरंक	10,000	15,000
2.	संगमरमर, जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है तथा अन्य प्रयोजन के लिए संगमरमर	निरंक	5,000	7,500
3.	निम्न श्रेणी चूना पत्थर, जब भट्टी में जलाकर चूना के विनिर्माण और/अथवा भवन, सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री के रुप में उपयोग किये जाने पर	निरंक	5,000	7,500
4.	फ्लेगस्टोन– प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श, छत आदि के लिए किया जाता है.	निरंक	5,000	7,500
5.	क्रशर के लिए पत्थर	निरंक	5,000	7,500
6.	साधारण रेत, बजरी	निरंक	5,000	7,500
7.	मुरूम	निरंक	2,000	3,000
8.	भवन के प्रयोजन के लिए पत्थर तथा अन्य गौण खनिज.	निरंक	2,000	3,000

#{ अनुसूची–पांच

अनुसूची–एक के भाग–क और भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये समेकित अनुज्ञप्ति और उत्खनन पट्टा की नीलामी/निविदा के लिए शुल्क, सुरक्षा प्रतिभूति राशि आदि के रूप में किया जायेगाः–

सारणी

स. क्र.	मद	दरें
(1)	(2)	(3)
1.	नीलामी/निविदा दस्तावेज की लागत	रूपये पांच हजार
2.	बोली प्रतिभूति	कार्यपालन प्रतिभूति का बीस प्रतिशत
3.	इलेक्ट्रॉनिक नीलामी/निविदा के लिए प्रक्रिया शुल्क	रूपये पांच सौ
4.	कार्यपालन प्रतिभूति	(अधिसूचित उच्चतम अनिवार्य भाटक X हेक्टेयर में रियायत हेतु क्षेत्रफल (या उसके भाग) X पट्टा अवधि) का आधा

स्पष्टीकरण : उच्चतम अनिवार्य भाटक से अभिप्रेत है संबंधित खनिज के लिए पांचवे वर्ष और आगे के लिए अधिसूचित अनिवार्य भाटक।

अनुसूची–छः

अनुसूची–एक के भाग–ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये समेकित अनुज्ञप्ति और उत्खनन पट्टा के नीलामी हेतु शुल्क, सुरक्षा प्रतिभूति आदि के अनुसार किया जायेगा,–

सारणी

स. क्र.	मद	दरें
(1)	(2)	(3)
1.	नीलामी दस्तावेज की लागत	रूपये पांच हजार
2.	बोली प्रतिभूति	कार्यपालन प्रतिभूति का बीस प्रतिशत
3.	इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए प्रक्रिया शुल्क	रूपये पांच सौ
4.	कार्यपालन प्रतिभूति	अधिसूचित उच्चतम अनिवार्य भाटक X हेक्टेयर में रियायत हेतु क्षेत्रफल (या उसके भाग) X पट्टा अवधि

स्पष्टीकरण : उच्चतम अनिवार्य भाटक से अभिप्रेत है संबंधित खनिज के लिए पांचवे वर्ष और आगे के लिए अधिसूचित अनिवार्य भाटक।}

अंतःस्थापित 23.3.2016

प्ररूप एक

[देखिए नियम 7(1)]

''तीन प्रतियों में जमा करें''

गौण खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन

दिनांक ....माह............ 20........ को .... (स्थान) में प्राप्त किया गया.

दिनांक................. 20.......

प्रति,

कलेक्टर
जिला ....
छत्तीसगढ़

1. मैं/हम निवेदन करता हूँ / करते हैं, कि छत्तीगसढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अधीन मुझे/हमें पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान की जाये।

2. नियमों के अधीन देय रूपये .... की राशि आवेदन शुल्क के रूप में चालान क्र. .... दिनांक .... स्थान .... में जमा कर दी गई है।

3. आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैः–

(एक)	आवेदक का नाम	....
(दो)	आवेदक की राष्ट्रीयता (भागीदार, संचालक, सदस्य)	....
(तीन)	रजिस्ट्रीकरण अथवा निगमन का स्थान (फर्म, कंपनी अथवा सोसायटी/सहयोजन)	....
(चार)	व्यक्ति की उपजीविका (वृत्ति), फर्म या कंपनी या सोसायटी/ सहयोजन के व्यवसाय की प्रकृति तथा व्यवसाय का स्थान.	....
(पांच)	व्यक्ति/फर्म, कंपनी अथवा सोसायटी / सहयोजन का डाक का पूर्ण पता, पिन कोड, फोन/मोबाईल नंबर ई–मेल	....
(छः)	व्यक्ति, भागीदारों, संचालकों, सदस्यों के पेन कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/ड्रायविंग लाइसेंस/आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित प्रति	....
(सात)	जाति (व्यक्ति अथवा सोसायटी / सहयोजन के सदस्यों की).	....
(आठ)	शैक्षणिक अर्हता (व्यक्ति अथवा सोसायटी / सहयोजन के सदस्यों की)..	....
(नौ)	आयु (व्यक्ति अथवा सोसायटी /!सहयोजन के सदस्यों की)	....

(दस)	निवास का पता (व्यक्ति अथवा सोसायटी / सहयोजन के सदस्यों की)	....
(ग्यारह)	संचालकों / भागीदारों / सदस्यों की सूची	....
(बारह)	रजिस्ट्रीकरण / निगमन प्रमाण – पत्र.	....
(तेरह)	आर्थिक प्रास्थिति.	....
(चौदह)	आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेण्डम / भागीदारी विलेख / उप–विधि.	....
(पन्द्रह)	खनिज / खनिजों, जिसका आवेदक पूर्वेक्षण करने का आशय रखता हैं.	....
(सोलह)	वह कालावधि जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अपेक्षित है.	....

4. राज्य के प्रत्येक जिले में खनिजवार पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के समस्त क्षेत्र दर्शाते हुए शपथ पत्र द्वारा समर्थित विवरण :–

(एक) मेरे / हमारे नाम / नामों पर (तथा अन्यों के साथ संयुक्त रूप से), मेरे / हमारे व्दारा पहले ही धारित पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति,

(दो) आवेदित परन्तु अभी तक स्वीकृत नहीं, और

(तीन) साथ–साथ आवेदन किया गया हैं.

5. सतह अधिकार प्राप्त करने का शपथ पत्र.
6. प्ररूप–दो में अदेय (नो–ड्यूज) प्रमाण–पत्र.
7. (क) प्लान (छः प्रतियों) जिसके लिए आवेदन किया गया है, की अवस्थिति करते हुए तथा क्षेत्र / क्षेत्रों की सीमाएं दर्शाते हुए तथा रियायतें, यदि कोई हों, समीपस्थ लगा हुआ / संलग्न हैं / हैं (यदि यह प्लान / ये प्लान अपर्याप्त समझे जाएं, मैं / हम प्रार्थना करते है कि आवश्यक क्षेत्र / क्षेत्रों का प्लान दो प्रतियों में आपके कार्यालय में मेरे / हमारे खर्चे पर तैयार किये जा सकते हैं).

   (ख) खसरा पांच साला.

8. प्लान में महत्वपूर्ण विशेषताएं दर्शाई जानी चाहिए, जैसे–

   (एक) यदि रेल्वे है, तो उसके पूर्ण ब्यौरे अर्थात् क्या दक्षिण–पूर्व मध्य रेल्वे या पूर्व तटीय रेल्वे, ब्रांच लाइन या मुख्य लाईन या कोयला खान, ट्रामवे.

   (दो) यदि सड़क है तो क्या ग्राम या लोक निर्माण विभाग या गाड़ी रास्ता.

   (तीन) कुंए

   (चार) मंदिर या मस्जिद.

   (पांच) मरघट या कब्रिस्तान आदि.

9. मांगा गया अधिमानी अधिकार (नियम / उप नियम का उल्लेख करें)
10. कोई अन्य विशिष्टियां, जिन्हें आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हैं

अनुसूची

आवेदित क्षेत्र का विवरण :–

(एक) ग्राम का नाम

(दो) ग्राम पंचायत

(तीन) प्रत्येक खसरे अथवा उसके भाग का क्रमांक और क्षेत्रफल

खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में

(चार) नैसर्गिक आकृति के संदर्भ में आवेदित क्षेत्र का पूर्ण विवरण

(पांच) ब्लॉक

(छः) विधानसभा

(सात) तहसील

(आठ) पटवारी हलका नंबर

(नौ) जिला

11. संलग्नकों की सूची

(एक)

(दो)

(तीन)

(चार)

(पांच)

(छः)

(सात)

(आठ)

(नौ)

(दस)

स्थान . . . . भवदीय,

दिनांक . . . .

नाम तथा पदनाम

टिप्पणी–

- यदि आवेदन पत्र आवेदक के प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेन्ट) द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है तो अधिकार पत्र (पावर ऑफ एटार्नी) संलग्न करना चाहिए।
- यदि सभी खसरा क्रमांक इस प्ररूप में दर्ज नहीं किये जा सकें तो उसे पृथक शीट पर दर्ज करते रहना चाहिए तथा संलग्न कर हस्ताक्षरित करें।
- जहां किसी खसरा क्रमांक का केवल कोई हिस्सा अपेक्षित हो, तो उस भाग का अनुमानित क्षेत्रफल पर्याप्त होगा।

प्ररूप दो
[देखिए नियम 7(2)(ख), 23(बारह)]

अदेय प्रमाण–पत्र

कार्यालय, जहॉं से जारी किया गया ....

क्रमांक .... जिला .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिला .... में नीचे दी गई खनिज रियायतें श्री/सर्वश्री .... के द्वारा धारित है :–

(पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनि पट्टा/उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुज्ञापत्र आदि)

ग्राम	तहसील	खनिज	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कुल देय का निर्धारण (रूपयों में)				कालावधि
				सरफेस रेट	अनिवार्य भाटक	(स्वामिस्व) (रायल्टी)	अन्य	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

–––––– से ––––– तक की कालावधि के दौरान भुगतान की गई धनराशि रूपयों में

सरफेस रेंट	अनिवार्य भाटक	स्वामिस्व (रायल्टी)	अन्य	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

बकाया देय धन :–

1.

2.

3.

1. यदि किसी वर्ष में निर्धारण नहीं हुआ है, तो उसके कारणों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिये।
2. यह दर्शाया जाना चाहिए कि क्या इस पट्टे के संबंध में कोई कुर्की अथवा आर.आर.सी. लंबित है।
3. यह जारी करने की तारीख से केवल छः माह के लिए विधिमान्य है।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पदनाम, पद मुद्रा सहित.

प्ररूप तीन

[देखिए नियम 8, 35(2), 58(1)(तीन)]

गौण खनिज की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/उत्खनन पट्टा/उत्खनन अनुज्ञापत्र या नवीनीकरण के आवेदन की रसीद

अनुक्रमांक.. दिनांक .... समय ....

श्री/सर्वश्री .... व्दारा ग्राम .... पंचायत .... तहसील .... जिले .... छत्तीसगढ़ में स्थित लगभग .... हेक्टेयर में .... खनिजों के बारे में .... स्वीकृत करने/नवीनीकरण हेतु दिया गया आवेदन निम्नलिखित सहपत्रों सहित आज दिनांक .... .20 .... को प्राप्त किया.

संलग्नक :–

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....
नाम ....

(प्राप्तकर्ता अधिकारी की पद मुद्रा)

प्ररुप चार
गौण खनिज का पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति विलेख
[नियम 14 देखिए]

यह करार दिनांक .... दिन सन् 20 .... को राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य (जो इसमें इसके पश्चात् शासन के रूप में निर्दिष्ट है जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे) प्रथम पक्षकार

और

दूसरे पक्षकार

जहॉ अनुज्ञप्तिधारी एक व्यक्ति हो

....(व्यक्ति का नाम, पता एवं व्यवसाय सहित) (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट है जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधिगण तथा अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे)

जहॉ अनुज्ञप्तिधारी एक से अधिक व्यक्ति हो

....
....(व्यक्ति का नाम, पता एवं व्यवसाय सहित)
तथा...
.... (व्यक्ति का नाम, पता एवं व्यवसाय सहित)
तथा (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट है जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधिगण तथा अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे)

जहॉ अनुज्ञप्तिधारी एक रजिस्ट्रीकृत फर्म हो

....
.... (भागीदारों के नाम तथा पते)
तथा...(भागीदारों के नाम तथा पते)
तथा ....(भागीदारों के नाम तथा पते)
जो, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) अधीन रजिस्ट्रीकृत (फर्म का नाम) ....
...............................के नाम तथा कार्यशैली के अन्तर्गत भागीदारी में व्यवसाय करते हैं तथा जिनका रजिस्ट्रीकरण कार्यालय .... नगर .... में है (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट है जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकूल है वहां उक्त फर्म के समस्त भागीदार, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे)

जहां अनुज्ञप्तिधारी एक रजिस्ट्रीकृत कंपनी हो

.... (जिस अधिनियम के अधीन निगमित हो) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी...(कंपनी का नाम) और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ....
....(पता) में है (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट है जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे)

के बीच आज तारीख .... को किया गया।

यतः अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों ने, गौण खनिज नियम, 2015 (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट है), के अनुसार अनुसूची–''क'' में विनिर्दिष्ट .... भूमि जो कि इससे संलग्न प्लान में लिखित तथा चित्रित है में .... (गौण खनिज) के लिए पूर्वेक्षण की अनुज्ञप्ति हेतु राज्य शासन को आवेदन किया है और राज्य शासन के साथ ऐसी अनुज्ञप्ति की विहित प्रतिभूति के रूप में रूपये ....की राशि जमा की है।

अब इसे साक्ष्य के रूप में निम्नानुसार प्रस्तुत करते है :–

भाग–एक

इसमें इसके पश्चात् आरक्षित तथा अन्तर्विष्ट शुल्क, स्वामिस्व (रायल्टी), प्रसंविदा तथा करार के प्रतिफल में तथा अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों के पक्ष पर भुगतान किये जाने, क्रियान्वयन तथा निष्पादन किये जाने हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है तथा अनुज्ञप्तिधारियों को पूर्ण अधिकार तथा अनुज्ञप्ति अन्तरित करता है।

भूमि में प्रवेश करना तथा खनिजों की खोज करना, प्राप्त करना या ले जाना और प्राप्त खनिजों का निपटारा करना :–

(1) उक्त भूमि में प्रवेश करना और उक्त भूमियों में सब जगह पड़े हुए या उसके भीतर के .... (खनिजों का नाम) के समस्त या किसी खनिज की खोज करना, खनन करने, वेधन करना या अन्यथा तलाशी करना।

(2) यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए खनिजों को प्राप्त करने या ले जाने का अधिकार प्रदान नहीं करेगाः

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी, स्वामिस्व (रायल्टी) के भुगतान पर खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त करने के उपरान्त नियम 16(4) में यथा विनिर्दिष्ट परीक्षण के प्रयोजन के लिए 5 घन मीटर तक .... (खनिज का नाम) को एकत्र कर सकेगा तथा ले जा सकेगा।

झाड़–झंखाड़ झाड़–जंगल साफ करना आदि :–

(3) इन प्रस्तुतियों के भाग दो के खण्ड (4) तथा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, लिखित में प्राप्त की गई कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति सहित उपर्युक्त प्रयोजन के लिए झाड़–झंखाड़ और झाड़–जंगल साफ करने तथा पूर्वेक्षण संक्रिया प्रभावी रूप से करने के लिए यथा आवश्यक प्रयोजनों के लिए उक्त भूमि पर कोई नाली या जल मार्ग का निर्माण और उपयोग करेगा तथा वहॉ पर नियोजित कर्मकारों के लिए एवं इसी प्रकार की स्वीकृति के साथ किसी पानी का उपयोग सदैव इस उपबन्ध के साथ करना कि ऐसे उपयोग से किसी कृषि भूमि, ग्राम, भवन, या जलाशय के स्थानों के लिए जहॉ पूर्व से पशुधन स्वभावतः आते हैं, में कोई कमी नही आयेगी या हस्तक्षेप नहीं होगा और कोई जल स्त्रोत, झरने या कुएॅ ऐसे उपयोग से या एतद्द्वारा अनुज्ञप्ति की पूर्वेक्षण संक्रियाओं से गंदे या प्रदूषित नहीं होंगे।

उक्त भूमियों पर मशीनरी आदि लाना तथा स्थापित करना :–

(4) उक्त भूमियों पर सभी ऐसी अस्थायी झोपड़ियॉ, शेड और संरचना, वाष्प तथा अन्य इंजिन मशीनरी तथा सुविधाऍ, चल सम्पत्ति और उन सुविधाओं का परिनिर्माण करना एवं उसको लाना जो एतदद्वारा अनुज्ञप्त पूर्वेक्षण संक्रियाओं को प्रभावकारी ढंग से करने के लिए तथा उस पर नियोजित किये गये कर्मकारों के लिए उचित एवं आवश्यक होगा।

तथापि राज्य शासन में पूरी शक्ति और स्वतंत्रता आरक्षित है। सभी समयों में भीतर या उस पर प्रवेश करने की तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अनुदान या पट्टा देने की जिस किसी को भी प्रवेश करने की स्वतंत्रता और उक्त भूमियों पर उन समस्त या किन्हीं आशयों के लिए उन आशयों को छोड़कर जिसके लिए पूरे अधिभार और अनुज्ञप्ति एतदद्वारा स्पष्ट रूप से अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों और विशेष रूप से (और यहॉ किसी भी रूप में सामान्य शक्ति और स्वतंत्रता को सीमित किए बिना) प्रदान किये गये है, उक्त भूमियों के ऊपर या मध्य से ऐसी सड़कें बनाना ट्राम वे, रेल पथ तथा रज्जुपथ जैसा कि किन्हीं आशयों के लिए आवश्यक तथा समीचीन समझा जाएगा और उक्त भूमि से या उसमें से ऐसे पत्थर मिट्टी या अन्य सामाग्री प्राप्त करना जैसा कि ऐसी सड़कों, ट्रामवेज तथा रेलपथ या रज्जु पथ को मरम्मत करने एवं बनाये रखने तथा सभी समयों में ऐसी सड़कों, ट्रामवेज, तथा रेलपथ या रज्जु पथ से सभी आशयों के लिए बार–बार गुजरने के लिए आवश्यक और अध्यपेक्षित हो और जैसी अवसर की अपेक्षा हो।

इन प्रस्तुतियों के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुज्ञप्ति तथा उक्त अधिकार धारण किया जाएगा।

भाग–दो

अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रसंविदाएं

अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों, एतदद्वारा राज्य शासन के साथ निम्नानुसार प्रसंविदा/प्रसंविदाऍ करते है:–

स्वामिस्व (रायल्टी) की दरें एवं भुगतान :–

(1) #{परीक्षण के प्रयोजन के लिए निकास जाने वाले खनिज के लिए, उक्त नियमों की अनुसूची तीन में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे दरों से राज्य शासन को स्वामिस्व तथा नियम 50 में अधिसूचित दरों के अनुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास को अग्रिम में भुगतान करेगा।}''

कार्यकुशल कारीगर की भॉति कार्य करना:–

(2) एतद्द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति की संक्रिया को शुद्ध, व्यवस्थित, दक्षतापूर्ण कार्यकुशल कारीगर की भॉति और यथासंभव भूमि की सतह और वृक्षों, फसलों, भवनों, संरचनाओं और उस पर अन्य सम्पत्ति को थोड़ा नुकसान पहुॅचाए, चलाना और कार्य करना ।

ऐसे भूमि के मालिक या कब्जेदार या खातेदार की पंजीकृत सहमति से किसी निजी भूमि या खातेदारी में आंकलन का कार्य कर सकेगा ।

किसी ऐसी भूमि के जिस पर किसी व्यक्ति का दखल हो, उसकी सहमति के बिना प्रवेश नहीं

प्रतिस्थापित 23.3.2016

करना और न ही किसी वृक्ष, खड़ी फसल, भवन, झोपड़ियॉं निर्माण अथवा किसी भूमि के दखलकार या अन्य व्यक्ति की, अन्य किसी प्रकार की सम्पत्ति को उसके स्वामी, दखलकार या व्यक्ति की बिना लिखित सहमति से प्रवेश करना, हानि पहुॅंचाना ।

सही हिसाब रखनाः–

(3) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, पूर्वेक्षण संक्रियाओं पर किए गए समस्त खर्चों का विश्वसनीय और सहीं हिसाब बनाये रखेगा और ऐसी संक्रियाओं के तथा प्राप्त किए गए समस्त खनिजों के भेजे जाने के दौरान उनकी मात्रा तथा अन्य विशिष्टियों का भी हिसाब रखेगा ।

ब्रिज, सड़क आदि से निर्बंधित दूरी के भीतर कोई पूर्वेक्षण संक्रियाएं नहीं किया जाना :–

(4) अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेल्वे लाईन के किसी पुल से 100 मीटर, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग के अन्य जिला मार्ग अंतर्गत निर्मित सड़क से 50 मीटर; तथा ग्रामीण कच्चे मार्ग से 10 मीटर; अथवा ग्रामीण रास्ते के अलावा कोई सार्वजनिक स्थल से 50 मीटर के अंदर किसी स्थान पर कोई पूर्वेक्षण संक्रियाएॅं करने के लिए कार्य नहीं करेगा अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं देगा।

बिना पूर्व अनुमति के, किसी वन भूमि में प्रवेश तथा वृक्षों को काटना अथवा हानि पहुॅंचाना, आदिः–

(5)(एक) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों और केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अधीन बिना पूर्व लिखित अनुमति के किसी वन भूमि में प्रवेश नहीं करेगा और वन भूमि में स्थित किन्ही इमारती लकड़ी अथवा वृक्षों की कटाई नहीं करेगा या क्षति नहीं पहुॅंचाएगा।

(दो) किसी वन भूमि में, प्राधिकृत वन अधिकारी तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित अनुमति की शर्तों तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अधीन पूर्व लिखित अनुमति अभिप्राप्त किये बिना, प्रवेश नहीं करेगा एवं पूर्वेक्षण प्रारंभ नहीं करेगा ।

समस्त दावों से शासन को मुक्त करनाः–

(6)(क) इस अनुज्ञप्ति द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करने के कारण हुई समस्त टूट–फूट अथवा क्षति अथवा अव्यवस्था के लिए समुचित समाधान करना तथा क्षतिपूर्ति करना जैसा कि तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार विधिक प्राधिकरण द्वारा आंकलित की जाए तथा राज्य शासन को ऐसे समस्त दावों से जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे टूट–फूट, क्षति अथवा अव्यवस्था के कारण किए जाएं तथा उस संबंध में जो मूल्य अथवा व्यय चुकाना पड़े उससे पूर्ण एवं समस्त रुप से मुक्त रखना ।

(ख) समय–समय पर केन्द्र या राज्य शासन द्वारा विहित न्यूनतम मजदूरी की अपेक्षा कम मजदूरी नहीं देगा ।

(ग) खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों का पालन करना ।

(घ) छत्तीसगढ़ गौण खनिज रियायत नियम, 2015 के उपबंधों का पालन करना ।

(ड.) पर्यावरण के संरक्षण के लिए, अपने खर्चों पर उपाय करना, जैसे वृक्षारोपण, खान की भूमि का सुधार और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का उपयोग करना और ऐसे अन्य उपायों को करना, जो केन्द्र या राज्य शासन द्वारा समय–समय पर विहित किए जाएं ।

(च) सतह की भूमि के दखलकार को, इन नियमों में बताई गई तारीख और रीति में मुआवजा भुगतान करना।

जमा की गई प्रतिभूति आदि की जब्तीः–

(7) जब कभी जमा की गयी प्रतिभूति राशि रुपये .... या उसका कोई भाग या कोई अन्य राशि एतद्द्वारा राज्य शासन के पास संपूर्ति हेतु जमा कराई हो, वह राज्य शासन द्वारा इस निमित्त एतद्द्वारा घोषित शक्तियों के अनुसरण में, जब्त या अनुप्रयुक्त की जाएगी तद्पश्चात अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों, तत्काल ऐसी अन्य रकम को राज्य शासन को जमा करेगा/करेंगे, जो कि प्रतिभूति के विनियोजित नहीं किये गये भाग को, राज्य शासन के पास जमा प्रतिभूति की राशि रूपये .... के समतुल्य करने के लिए पर्याप्त हो।

अनुज्ञप्तिधारी का न्यास, संघ आदि से नियंत्रित नहीं होनाः–

(8) अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों, स्वयं या सभी को, केवल राज्य शासन से लिखित सहमति के सिवाय स्वयं को या परस्पर सभी को किसी न्यास, संघ, निगम या व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा/जायेंगे।

दुघर्टना की रिपोर्टः–

(9) अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों, किसी दुर्घटना जो इस अनुज्ञप्ति के अधीन संक्रियाओं के उपक्रम में घटित हो सकती है जिसके कारण मृत्यु, शारीरिक गंभीर क्षति या सम्पत्ति को गंभीर क्षति या गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली या खतरा पहुॅचाने वाली क्षति हुई हो, की रिपार्ट 24 घंटे के भीतर, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, संबंधित जिले के कलेक्टर को भेजेगा।

(10) ग्रेनाइट और मार्बल के पूर्वेक्षण के मामलो में अनुज्ञप्तिधारी ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम, 1999 और संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियम, 2002 एवं समय–समय पर यथासंशोधित नियमों का पालन करेगा और इन नियमों के अधीन यथाविहित को छोड़कर उक्त अनुज्ञप्ति के अधीन किसी अन्य रूप में आंकलन या अन्य संक्रियाऐं नही करेगा।

अवधि पूर्व समाप्ति या अधित्याग के पश्चात् भूमि की सतह पर बेधन या छिद्र बन्द करना, बाड़ लगाना, आदि तथा यथापूर्व स्थिति में लानाः–

(11) उस भूमि के मामले को छोड़कर जिस पर अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों को अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्ति या शीघ्र अवधारण पर या उसके पूर्व, एक उत्खनन पट्टा स्वीकृति किया जाएगा, तो वह अनुज्ञप्ति के पर्यावसान या शीघ्र अवधारण या अनुज्ञप्ति के परित्याग की तारीख जो भी पहले घटित होगी, के तीन महीनों के भीतर सुरक्षित रूप से किसी भी बेधन या छिद्र को बंद करेगा तथा भर देगा या किसी छिद्र या उत्खनन स्थल में बाड़ लगायेगा, जो कि ऐसी सीमा तक किये जायेगें, जिसकी अपेक्षा संबंधित कलेक्टर द्वारा की गयी हो। जितनी सीमा तक भूमि की सतह और समस्त भवन या उस पर अवस्थित जो आंकलन

के उपक्रम में क्षतिग्रस्त या विनष्ट हो चुके हो यथा पूर्व स्थिति में बहाल करेगा, परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों से उस भूमि की सतह या किसी भवन को यथापूर्व स्थिति में बहाल करने की अपेक्षा नही की जाएगी, यदि उसके बारे में पूरा और समुचित मुआवजा पहले ही भुगतान किया जा चुका है।

अवधि समाप्ति, अवधि पूर्व समाप्ति या अधित्याग के पश्चात् मशीनरी आदि हटाया जाना :–

(12) इस अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्ति या शीघ्रतर अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों 30 दिनों के भीतर अपने/उनके स्वयं के खर्चे पर शीघ्रता से तमाम भवन, संरचनाएँ, संयंत्र, इंजन, मशीनरी, औजार, उपकरण, बर्तन–भाड़े तथा अन्य सम्पत्ति, चल सम्पत्ति वहॉ पूर्व में अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संस्थित की गई या लाई गई और तब वहां उक्त भूमि पर खड़ी या मौजूद होने पर तथा इन विलेखों के प्राधिकार के अधीन अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वहॉ पूर्व में प्राप्त किये गये खनिज भी और जो उस समय उक्त भूमियों पर हो, हटा लेगाः

परन्तु यह कि प्रसंविदा उक्त भूमियों के किसी ऐसे भाग को लागू नहीं होगी, जो कि इस अनुज्ञप्ति के वर्तमान रहने के दौरान अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों को अनुदत्त किसी उत्खनन पट्टे में सम्मिलित की जाये। अगर मशीनरी इत्यादि सही अवधि में नही हटाई जायेगी तो वह सरकारी संपत्ति हो जायेगी।

जमा प्रतिभूति की वापसी के पहले किए गए कार्य का प्रतिवेदन :–

(13) किसी समय, उक्त जमा प्रतिभूति को, उसे या उनको वापस करने से पहले या किसी अन्य खाते में अन्तरण करने के पहले या अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्ति से एक माह के भीतर या अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्ति या संक्रियाओं के अधित्याग के पश्चात्, जो भी पूर्वतर हो, अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों, संचालक अथवा संबंधित कलेक्टर को गोपनीय रूप से एक पूरी रिपोर्ट उसके/उनके द्वारा कार्य कर चुकने की पेश करेगा/करेंगे और उसमें उसके/उनके द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन चलाई या की जा रही संक्रियाओं के उपक्रम में, अनुज्ञप्ति द्वारा समाविष्ट क्षेत्र के भू–विज्ञान या भौमिकी तथा खनिज संसाधनों के संबंध में अर्जित की गई सूचनाएँ प्रकट करेगा/करेंगे।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त जानकारी की रिपोर्टः–

(14) अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्ति या संक्रियाओं का परित्याग के या अनुज्ञप्ति का पर्यावसन, इसमें से जो पूर्वतर हो, के नब्बे दिवस के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी राज्य शासन को उसके द्वारा किये गये कार्य की अंतिम प्रतिवेदन और अनुज्ञप्ति द्वारा आच्छादित क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रियाओं के अनुक्रम में खनिज संसाधनों की सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करेगा। प्रमाणित और संभावित खनिज भंडारों की श्रेणी और मात्रा अंतिम प्रतिवेदन में बतायी जाएंगी।

भाग–तीन

शासन की शक्तियां

यह एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में सहमति हुई है :–

शर्तो के भंग करने की दशा में अनुज्ञप्ति का निरसन और जमा राशि का समपहरणः–

(1) अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा या उसके अन्तरिती या उसके समनुदेशिती द्वारा अनुज्ञप्ति की किसी शर्त के किसी उल्लंघन किये जाने की दशा में, राज्य शासन अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों को उसको/उनको अपना पक्ष अभिकथन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा और जहॉ उसका यह समाधान हो जाता है कि उल्लंघन ऐसा है जिसे कि दूर करने का उपाय नहीं किया जा सकता, अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों या उसके अन्तरिती या समनुदेशिती को तीस दिनों की सूचना देकर अनुज्ञप्ति समय–पूर्व समाप्त कर देगा और उक्त जमा राशि रूपया .... समस्त या कुछ भाग जो उस बारे में प्रसंविदाओं के अधीन जमा की गई जैसी कि सक्षम अधिकारी उचित समझे, जब्त करेगा। उस दशा में, जबकि सक्षम अधिकारी उल्लंघन को सुधार योग्य प्रकृति का होना मानता है, तो वह, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों या उसके अन्तरिती को सूचना देते हुए उससे/उनसे अपेक्षा करेगा कि वह/वे सूचना की प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिनों के भीतर उल्लंघन का सुधार और उसे यह सूचित करते हुए कि यदि ऐसा सुधार ऐसी अवधि के भीतर नहीं किया गया तो प्रस्तावित शास्ति लगा दी जाएगी। यदि विहित कालावधि के भीतर उल्लघंन का उपचार नहीं किया जाता है तो प्रतिभूति राशि के समपरण सहित अनुज्ञप्ति रद्द हो जायेगी।

भाग–चार

अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों के अधिकार

यह एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में अतिरिक्त सहमति हुई है :–

(1) अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों को उत्खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए अधिमान्यता :–

जहॉ किसी भूमि पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है तो उक्त भूमि पर अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों को अन्य किसी व्यक्ति की अपेक्षा (समकक्ष) उत्खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए अधिमान्यताधिकार रहेगाः

परन्तु यह कि स्वीकृति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा, उक्त भूमि में खनिज भंडार स्थापित करने के लिए पूर्वेक्षण संक्रियाएं किया है; पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन नहीं किया गया है और अन्यथा उत्खनन पट्टा अनुदत्त किये जाने के लिए योग्य व्यक्ति है।

(2) जमा राशि की वापसी :–

नियम 13 के अन्तर्गत जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप यदि इन नियमों के अधीन राजसात नही की गई हो तो आवेदक को वापिस की जाएगी, शीघ्र ही नियम 16(8)(क) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

भाग—पॉच

सामान्य उपबंध

यह अंतिम रूप से निम्नानुसार सहमति हुई है :—

अपरिहार्य घटना के कारण अनुज्ञप्ति के निर्बंधनों की पूर्ति में विलंबः—

नये खनिज की खोज :—

(1) अनुज्ञप्ति में, जो खनिज विनिर्दिष्ट नहीं है, उनमें से किसी का पता चलने पर कलेक्टर और संचालक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी को अनुज्ञप्तिधारी ऐसी खोज के दिनांक से तीस दिवस के भीतर सूचना देगा और ऐसे खनिजो के बारे में कोई पूर्वेक्षण संक्रियाएं नहीं करेगा जब तक कि ऐसे खनिज अनुज्ञप्ति में शामिल नही कर दिया जाता हैः

परन्तु यह कि खोजे गये कोई खनिज, गौण के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं होगा, अनुज्ञप्तिधारी को उक्त खनिज के रियायत प्राप्त करने का इस नियम में कोई अधिकार नहीं होगा।

सूचनाओं की तामीली :—

(2) अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों को लिखित में दी जाने वाली सूचना, उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसे अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया हो, इस तरह की नियुक्ति नहीं किए जाने की स्थिति में सूचना को अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आवेदन पत्र में उनके बताये गये पते अथवा समय समय पर उनके द्वारा भारत में स्थित बताये गये पते पर पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा और प्रत्येक ऐसी तामीली को अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों पर उचित एवं विधिमान्य तामील होना समझा जाएगा और उस पर प्रश्न अथवा चुनौती नहीं दी जाएगी।

प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व से सक्षम प्राधिकारी की उन्मुक्ति :—

(3) यदि किसी घटना में सक्षम प्राधिकारी के अधिकारी को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अध्याय चौदह के अधीन कार्यवाही के अनुसरण में संचालक अथवा राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षित, पुनर्विलोकित या रद्द कर दिया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों इन विलेखों द्वारा उसको/उनको प्रदत्त शक्तियों एवं विशेषाधिकारियों के प्रयोग में अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सहन की गयी किसी हानि के लिए प्रतिकर के हकदार नहीं होगा/होंगे।

इन प्रस्तुतियों में साक्ष्य स्वरूप नीचे बताई गई रीति तथा प्रथम उपरोक्त लिखित दिनांक तथा वर्ष पर निष्पादित किया गया।

अनुसूची–क

अनुज्ञप्ति द्वारा समाविष्ट भूमि

(यहॉ भूमि के क्षेत्र, सीमायें, जिले का नाम, उप–जिला, थाना आदि एवं यदि कोई हो तो भूमि का सर्वे क्रमांक, यदि भूमि का नक्शा संलग्न किया जाता है तो उसका उल्लेख विवरण में अन्तर्विष्ट करिये।)

अनुज्ञप्ति द्वारा समाविष्ट भूमि का विवरणः–

(एक) जिला
(दो) अनुविभाग
(तीन) तहसील
(चार) थाना
(पांच) पटवारी हलका नंबर
(छः) ग्राम का नाम

सरल कमांक	खसरा कमांक	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1		
2		
3		
योग		

....
अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियो द्वारा हस्ताक्षर

.... **हस्ताक्षर**
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(पदनाम)

साक्षी

(1) हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता/पति ....
पता ....
....

(2) हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता/पति ....
पता ....
....

#{ प्ररूप–चार क
गौण खनिज के लिये समेकित अनुज्ञप्ति विलेख

[नियम 13(3) देखिए]

यह करार .... दिन सन् 20.......... को राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य (जो इसमें इसके पश्चात् शासन के रूप में निर्दिष्ट है जहां अभिव्यक्तियां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे) प्रथम पक्षकार

और

जहां अनुज्ञप्तिधारी एक व्यक्ति हो

.................................(व्यक्ति का नाम, पता एवं व्यवसाय सहित) (जो इसमें इसके पश्चात्, ''अनुज्ञप्तिधारी'' के रूप में निर्दिष्ट है जहां अभिव्यक्तियां संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधिगण तथा अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे।)

जहां अनुज्ञप्तिधारी एक से अधिक व्यक्ति हो

.................................(व्यक्ति का नाम, पता एवं व्यवसाय सहित) तथा .... (व्यक्ति का नाम, पता एवं व्यवसाय सहित) तथा (जो इसमें इसके पश्चात् ''अनुज्ञप्तिधारी'' के रूप में निर्दिष्टि है जहां अभिव्यक्तियां संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधिगण तथा अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे।)

जहां अनुज्ञप्तिधारी पंजीकृत फर्म हो

.... (भागीदारों के नाम तथा पता) तथा .... (भागीदारों के नाम तथा पता) तथा .... (भागीदारों के नाम तथा पता) जो, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) अधीन रजिस्ट्रीकृत (फर्म का नाम) .... के नाम तथा कार्यशैली के अन्तर्गत सभी भागीदारी में व्यवसाय करते हैं तथा जिनका रजिस्ट्रीकरण कार्यालय .... नगर .... में है (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट है, जहां अभिव्यक्तियां संदर्भ के अनुकूल है, वहां उक्त फर्म के समस्त भागीदार, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे।)

जहां अनुज्ञप्तिधारी पंजीकृत कंपनी हो

.... (जिस अधिनियम के अधीन निगमित हो) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी .... (कंपनी का नाम) और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... (पता) में है (जो इसमें इसके पश्चात् ''अनुज्ञप्तिधारी'' के रूप में निर्दिष्ट है जहां अभिव्यक्तियां संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके अन्य भाग के उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे) के बीच आज तारीख...................... को किया गया।

यतः अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों ने, गौण खनिज नियम, 2015 (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट है), के अनुसार अनुसूची–क में विनिर्दिष्ट .... भूमि, जो कि इससे संलग्न प्लान में लिखित तथा चित्रित है में .... (गौण खनिज) के लिए पूर्वेक्षण की अनुज्ञप्ति हेतु राज्य शासन को आवेदन किया है और राज्य शासन के साथ ऐसी अनुज्ञप्ति के संबंध में विहित प्रतिभूति के रूप में रूपये .... की राशि जमा की है।

अब इसे साक्ष्य के रूप में निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं:

पृष्ठभूमि :

क. अनुज्ञप्तिधारी (जो कि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति–सह–खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक नीलामी/इलेक्ट्रॉनिक निविदा में भाग लिया था, उसके आधार पर प्रथम चरण में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति–सह–खनिपट्टा रियायत के लिये पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए योग्य हो)

ख. इस संबंध में, राज्य सरकार द्वारा इस अनुज्ञप्ति का उपयोग अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत शुल्क, स्वामिस्व तथा सहमति पत्र

आदि समाहित है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण तथा इसके किसी भी भाग के लिये शुल्क का भुगतान, अनुपालन एवं निष्पादन किया जाना है।

भाग—एक

1. अनुज्ञप्ति प्रदान करना

राज्य शासन एतदद्वारा अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित खनिज/खनिजों (खनिजों के नाम) के संबंध में अनुसूची एक में वर्णित क्षेत्र में (आरंभ दिनांक) (समयावधि) की कालावधि के लिए पूर्वेक्षण संक्रियायें संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करता है।

2. अधिकार और दायित्व

2.1 राज्य शासन तथा अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार एवं दायित्व, अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों मे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगे।

2.2 इसमें इसके पश्चात् आरक्षित तथा अन्तर्विष्ट शुल्क, स्वामित्व (रायल्टी), प्रसंविदा तथा करार के प्रतिफल में तथा अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों के पक्ष पर भुगतान के लिए, क्रियान्वयन तथा निष्पादन किये जाने हेतु राज्य शासन, एतद्द्वारा, स्वीकृति प्रदान करता है तथा अनुज्ञप्तिधारियों को पूर्ण अधिकार तथा अनुज्ञप्ति अन्तरित करता है।

3. भूमि में प्रवेश करना तथा खनिजों की खोज करना, प्राप्त करना, ले जाना और प्राप्त खनिजों का निपटारा करना :—

(1) उक्त भूमि में प्रवेश करना और उक्त भूमियों में सब जगह पड़े हुए या उसके भीतर के .... (खनिजों का नाम) के समस्त या किसी खनिज के खनन, वेधन, खुदाई या अन्यथा के द्वारा खोज करना;

(2) यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए खनिजों को प्राप्त करने या ले जाने का अधिकार प्रदान नहीं करेगा :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी, स्वामिस्व के भुगतान पर खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त करने और जिला खनिज संस्थान न्यास को अंशदान के उपरान्त . ... नियम में यथा विनिर्दिष्ट परीक्षण के प्रयोजन के लिए पांच घन मीटर तक .... (खनिज का नाम) को एकत्र कर सकेगा तथा ले जा सकेगा।

4. पूर्वगामी सर्व साधारण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

(क) अनुज्ञप्तिधारी :

(एक) अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और अन्य कोई लागू होने वाली विधि के उपबंधों का सदैव पालन करेगा;

(दो) स्वामिस्व का शीघ्र भुगतान करेगा और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये जाने वाला अन्य कोई भुगतान अपेक्षित करेगा;

(तीन) ऐसे सभी क्षतिपूर्तियों का भुगतान जिसका निर्धारण विधिसम्मत प्राधिकारी द्वारा संपूर्ण किसी क्षति, चोट या विघ्न के अध्यधीन जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जायेगा, की पूर्ति राज्य शासन के सभी दावों, जो कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसी क्षति, चोट या विघ्न के संबंध में होगा, की पूर्ति करेगा;

(चार) अपने स्वयं के खर्च पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु सभी उपाय करेगा यथा वृक्षारोपण, खनन की गयी भूमि का पुनरूद्धार, पर्यावरण को नियंत्रित रखने वाले

उपकरणों का उपयोग और ऐसे अन्य उपाय करेगा, जैसा कि समय समय पर केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये;

(पांच) बिना विलम्ब किए किसी भी ऐसी दुर्घटना जिसमें किसी की मृत्यु या गम्भीर रूप से शारीरिक क्षति या किसी सम्पत्ति को गम्भीर नुकसान या ऐसी कोई घटना जिससे किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को गम्भीर नुकसान होने की सम्भावना हो, जो कि इस अनुज्ञप्ति के अनुपालन के दौरान घटित हो, की जानकारी कलेक्टर को देगा;

(छः) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा राज्य शासन को इस अनुज्ञप्ति के अनुपालन के दौरान आवेदित क्षेत्र पर किये गये इस अनुज्ञप्ति के अधीन किये गये पूर्वेक्षण संक्रियाओं के कार्य का सम्पूर्ण जानकारी देगा, जिसमें खनिज से संबंधित सभी भूगर्भीय एवं खनिज संसाधन की जानकारी होगी; और

(सात) इस अनुज्ञप्ति के संबंध में लागू होने वाले देय स्टॉम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क का भुगतान करेगा।

(ख) राज्य शासन को :

(एक) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की गयी कार्यपालन प्रतिभूति को कार्यपालन प्रतिभूति की ऐसी शर्तों के अनुसार समायोजन का अधिकार होगा और कार्यपालन प्रतिभूति की भरपाई अनुज्ञप्तिधारी करेगा। सुरक्षा प्रतिभूति के रूप में जमा की गयी कार्यपालन प्रतिभूति के प्रकरण में, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समस्त दायित्वों को पूर्ण करने पर, इस तरह की ऐसी सुरक्षा प्रतिभूति उचित कटौतियों के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी को वापस की जायेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि सुरक्षा प्रतिभूति पर कोई ब्याज देय नहीं होगा; और

5. अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों को लिखित में दी जाने वाली सूचना, उस व्यक्ति को दी जायेगी, जिसे अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया हो, इस तरह की नियुक्ति नहीं किए जाने की स्थिति में सूचना को अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आवेदन पत्र में उनके बताये गये पते अथवा समय समय पर उनके द्वारा भारत में स्थित बताये गये पते पर पंजीकृत डाक से भेजा जायेगा और प्रत्येक ऐसी तामीली को अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों पर उचित एवं विधिमान्य तामील होना समझा जायेगा और उस पर प्रश्न अथवा चुनौती नहीं दी जायेगी।

भाग–दो

अनुज्ञप्तिधारी/अनुप्तिधारियों द्वारा प्रसंविदाएं

अनुज्ञप्तिधारी/अनुप्तिधारियों, एतद्द्वारा राज्य शासन के साथ निम्नानुसार प्रसंविदा/प्रसंविदाएं करते हैं :–

स्वामिस्व की दरें एवं भुगतान :–

(1) उक्त नियमों की अनुसूची तीन में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी दर से राज्य शासन को परीक्षण के प्रयोजन के लिए निकासी किये गये खनिज के लिए अग्रिम में स्वामिस्व का भुगतान करेगा, नियम 50 में अधिसूचित दर के अनुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि को अंशदान का भुगतान करने का दायी होगा।

कार्यकुशल कारीगर की भांति कार्य करना :

(2) (एक) एतद्द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति की संक्रियायें को उचित, व्यवस्थित, दक्षतापूर्ण एवं कार्यकुशल कारीगर की भांति और यथासंभव भूमि की सतह और वृक्षों, फसलों, भवनों, संरचनाओं और उस पर अन्य सम्पत्ति को कम नुकसान पहुंचाये, चलाना और कार्य करना;

(दो) ऐसे भूमि के खातेदार या कब्जेदार या स्वामी की सहमति से किसी निजी भूमि में कार्य करना;

(तीन) किसी भूमि के जिस पर किसी व्यक्ति का दखल हो, उसकी सहमति के बिना प्रवेश नहीं करना या न ही किसी वृक्ष, खड़ी फसल, भवन झोपड़ियों, संरचनायें अथवा किसी भूमि के दखलकार या अन्य व्यक्ति की अन्य किसी प्रकार की सम्पत्ति को या ऐसे स्वामी, दखलकार या व्यक्ति की बिना लिखित सहमति से प्रवेश करना, हानि पहुंचाना।

लेखाओं का सही हिसाब रखना :–

(3) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, समेकित संक्रियाओं पर उसके द्वारा किये गये समस्त खर्चों का विश्वसनीय और सही हिसाब बनाये रखेगा और ऐसी संक्रियाओं के साथ प्राप्त किये गए समस्त खनिजों के भेजे जाने के दौरान उनकी मात्रा तथा अन्य विशिष्टियों का भी हिसाब रखेगा;

ब्रिज, सड़क आदि से निर्बंधित दूरी के भीतर पूर्वेक्षण–सह–उत्खनन संक्रियायें नहीं किया जानाः–

(4) अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, रेल्वे लाईन के किसी पूल से 100 मीटर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग के अन्य जिला मार्ग अन्तर्गत निर्मित सड़क से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्ते से 10 मीटर किसी नदी से 100 मीटर या कोई सार्वजनिक स्थल से 50 मीटर के भीतर किसी स्थान पर कोई पूर्वेक्षण–सह–उत्खनन संक्रियायें करने के लिये कार्य नहीं करेगा अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं देगा।

बिना पूर्व अनुमति के, वन भूमि में प्रवेश नहीं करना तथा वृक्षों को काटना अथवा हानि पहुंचाना, आदिः–

(5) (एक) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों और केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किसी वन भूमि में प्रवेश नहीं करेगा या वृक्षों की कटाई या क्षति नहीं पहुंचायेगा।

(दो) किसी वन भूमि में, प्राधिकृत वन अधिकारी तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अनुसार ऐसी स्वीकृति, जैसा कि विहित किया जाये अनुमति की शर्तों तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अधीन पूर्व लिखित अनुमति अभिप्राप्त किये बिना, प्रवेश नहीं करेगा एवं पूर्वेक्षण–सह–उत्खनन प्रारंभ नहीं करेगा।

समस्त दावों के विरूद्ध शासन को मुक्त करना :–

(6) (क) इस अनुज्ञप्ति द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करने के कारण हुई समस्त टूट–फूट, क्षति अथवा अव्यवस्था के लिए समुचित समाधान करना तथा क्षतिपूर्ति करना जैसा कि तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार विधिक प्राधिकरण द्वारा आंकलित किया जाये तथा राज्य शासन को ऐसे समस्त दावों से जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे टूट–फूट, क्षति अथवा अव्यवस्था के कारण किये जाये तथा उस संबंध में जो मूल्य अथवा व्यय चुकाना पड़े उससे पूर्ण एवं समस्त रूप से मुक्त रखना।

(ख) समय समय पर केन्द्र या राज्य शासन द्वारा विहित न्यूनतम मजदूरी की अपेक्षा कम मजदूरी नहीं देगा।

(ग) खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों का पालन करना ।

(घ) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के उपबंधों का पालन करना।

(ङ.) पर्यावरण के संरक्षण के लिए, अपने खर्चों का उपाय करना, जैसे वृक्षारोपण, खान की भूमि का सुधार, प्रदूषण नियंत्रण उपायों का उपयोग करना और ऐसे अन्य उपायों को करना, जो केन्द्र या राज्य शासन द्वारा समय समय पर विहित किया जाये।

(च) सतह की भूमि के दखलकार को, इन नियमों में बताई गई तारीख और रीति से मुआवजा भुगतान करना।

जमा की गई प्रतिभूति आदि की जब्ती :–

(7) जब कभी जमा की गई प्रतिभूति राशि रूपये .... या उसका कोई भाग या कोई अन्य और राशि एतद्द्वारा राज्य शासन के पास सम्पूर्ति हेतु जमा कराई हो, वह राज्य शासन द्वारा इस निमित्त एतद्द्वारा घोषित शक्तियों के अनुसरण में, जब्त या अनुप्रयुक्त की जाएगी तत्पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों, तत्काल ऐसी अन्य रकम को राज्य शासन को जमा करेगा/करेंगे, जो कि प्रतिभूति के विनियोजित नहीं किये गये भाग को, राज्य शासन के पास जमा प्रतिभूति की राशि रूपये .... के समतुल्य करने के लिए पर्याप्त हो।

अनुज्ञप्तिधारी का न्यास, संघ आदि से नियंत्रित नहीं होना :–

(8) अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों, स्वयं सभी को, राज्य शासन से लिखित सहमति के सिवाय स्वयं को या परस्पर सभी को किसी न्यास, संघ, निगम, फर्म या व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं किया जायेगा/जायेंगे।

दुघर्टना की रिपोर्टः–

(9) अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों, किसी दुर्घटना जो इस अनुज्ञप्ति के अधीन पूर्वेक्षण संक्रियाओं के उपक्रम में घटित हो सकती है, जिसके कारण मृत्यु या शारीरिक गंभीर क्षति या सम्पत्ति को गंभीर क्षति या गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली या खतरा पहुंचाने वाली क्षति हुई हो, की रिपार्ट चौबीस घंटे के भीतर, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, संबंधित जिले के कलेक्टर को भेजेगा।

समाप्ति या अधित्याग के पश्चात्, भूमि की सतह पर बेधन, छिद्र बन्द करना, बाड़ लगाना आदि तथा यथा पूर्व स्थिति में लानाः–

(10) उस भूमि के मामले को छोड़कर, जिस पर अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों को अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्ति या शीघ्र अवधारण पर या उसके पूर्व, एक उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा, तो वह अनुज्ञप्ति के पर्यावसान, शीघ्र या अवधारण या अनुज्ञप्ति के परित्याग की तारीख जो भी पहले घटित होगी, के तीन महीने के भीतर सुरक्षित रूप से किसी भी बेधन या छिद्र को बन्द करेगा तथा भर देगा या किसी छिद्र या उत्खनन् स्थल में बाड़ लगायेगा, जो कि ऐसी सीमा तक किये जायेंगे, जिसकी अपेक्षा संबंधित कलेक्टर द्वारा की गई हो तथा जितनी सीमा तक भूमि की सतह और समस्त भवन या उस पर अवस्थित जो आंकलन के उपक्रम में क्षतिग्रस्त या विनष्ट हो चुके हों यथा पूर्व स्थिति में बहाल करेगा। परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों से उस भूमि की सतह या किसी भवन को यथापूर्व स्थिति में बहाल करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, यदि उसके बारे में पूरा और समुचित मुआवजा पहले ही भुगतान किया जा चुका है।

अवधि समाप्ति, अवधि पूर्व समाप्ति या अधित्याग के पश्चात्, मशीनरी आदि का हटाया जानाः–

(11) इस अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्ति या शीघ्रतर अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों 30 दिनों के भीतर अपने/उनके स्वयं के खर्चे पर शीघ्रता से समस्त भवन, संरचनायें, संयंत्र, इंजन, मशीनरी, औजार, बर्तन–भाड़े तथा अन्य सम्पत्ति, चल सम्पत्ति वहां पूर्व में अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संस्थित की गई या लाई गई और तब वहां उक्त भूमि पर खड़ी या मौजूद होने पर तथा इन विलेखों के प्राधिकार के अधीन अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वहां पूर्व में प्राप्त किये गये खनिज भी और जो उस समय उक्त भूमियों पर हो, हटा लेगाः

परन्तु यह कि प्रसंविदा उक्त भूमियों के किसी ऐसे भाग को लागू नहीं होगी, जो कि अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों को अनुदत्त किसी उत्खनन पट्टे में सम्मिलित किया जाये। यदि मशीनरी इत्यादि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं हटाई जायेगी तो वह सरकारी संपत्ति हो जायेगी।

जमा प्रतिभूति की वापसी के पहले किए गए कार्य का प्रतिवेदन :—

(12) किसी समय पर, उक्त जमा प्रतिभूति को, उसे उनको वापस करने से पहले या किसी अन्य खाते में अन्तरण करने के पहले या अवधि समाप्ति से एक माह के भीतर या अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्ति या संक्रियाओं के अधित्याग के पश्चात्, जो भी पूर्वतर हो, अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों, संचालक एवं संबंधित कलेक्टर को गोपनीय रूप से एक पूरी रिपोर्ट उसके/उनके द्वारा कार्य कर चुकने की पेश करेगा/करेंगे और उसमें उसके/उनके द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन चलाई या की जा रही संक्रियाओं के उपक्रम में, अनुज्ञप्ति द्वारा समाविष्ट क्षेत्र के भूगर्भीय या भौमिकी तथा खनिज संसाधनों के संबंध में अर्जित की गई सूचनायें प्रकट करेगा/करेंगे।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त जानकारी की रिपोर्ट :—

(13) अनुज्ञप्ति की समाप्ति या संक्रियाओं का परित्याग के या अनुज्ञप्ति का पर्यावसन, इसमें से जो पूर्वतर हो, के नब्बे दिवस के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी राज्य शासन को उसके द्वारा किये गए कार्य की अन्तिम प्रतिवेदन और अनुज्ञप्ति द्वारा आच्छादित क्षेत्र में समेकित संक्रियाओं के अनुक्रम में खनिज संसाधनों की सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करेगा। प्रमाणित और सम्भावित खनिज भण्डारों की श्रेणी और मात्रा अन्तिम प्रतिवेदन में बताई जायेगी।

भाग—तीन
शासन की शक्तियां

यह एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में सहमति हुई है :—

शर्तों के भंग करने की दशा में अनुज्ञप्ति का निरसन और जमा राशि का समपहरण:—

(1) अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा या उसके अन्तरिती द्वारा अनुज्ञप्ति की किसी शर्त के किसी उल्लंघन किये जाने की दशा में, सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों को उसको/उनको अपना पक्ष अभिकथन करने के लिये युक्तियुक्त अवसर देगा और जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि उल्लंघन ऐसा है कि जिसे कि दूर करने का उपाय नहीं किया जा सकता, अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों या उसके अन्तरिती को 30 दिनों की सूचना देकर अनुज्ञप्ति और/या समय पूर्व समाप्त कर देगा और उक्त जमा राशि रूपये .... समस्त या कुछ भाग जो उस बारे में प्रसंविदाओं के अधीन जमा की गई जैसा कि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे, जब्त करेगा। उस दशा में, जबकि सक्षम प्राधिकारी उल्लंघन को सुधार योग्य प्रकृति का होना मानता है, तो वह, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों या उसे या उसके अन्तरिती को सूचना देते हुए उससे/उनसे अपेक्षा करेगा कि वह/वे सूचना की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिनों के भीतर उल्लंघन का सुधार और उसे यह सूचित करते हुए कि यदि ऐसा सुधार ऐसी कालावधि के भीतर नहीं किया गया तो प्रस्तावित शास्ति लगा दी जायेगी। यदि विहित कालावधि के भीतर उल्लंघन का उपचार नहीं किया जाता है तो प्रतिभूति राशि के समर्पण सहित अनुज्ञप्ति रद्द हो जायेगी।

भाग—चार
अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों के अधिकार

यह एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में अतिरिक्त सहमति हुई है :—

(1) **अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों के उत्खनन् पट्टा प्राप्त करने के लिए अधिमान्यता.—**
जहां किसी भूमि के संबंध में समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है तो भूमि के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी को अन्य किसी व्यक्ति की अपेक्षा (समकक्ष) उत्खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए अधिमान्यता अधिकार रहेगा, परन्तु यह कि स्वीकृति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा, ऐसी भूमि में खनिज भण्डार स्थापित करने के लिये समेकित संक्रियायें किया है, समेकित अनुज्ञप्ति के निर्बंधन एवं शर्तों में से

किसी का भी उल्लंघन नहीं किया है; और अन्यथा उत्खनन पट्टा अनुदत्त किये जाने के लिए योग्य व्यक्ति है।

(2) **जमा राशि की वापसी :–**

नियम .... के अन्तर्गत जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप यदि इन नियमों के अधीन राजसात नहीं की गई हो तो आवेदक को वापस की जायेगी, शीघ्र ही नियम .... के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

भाग–पांच
सामान्य उपबन्ध

यह अन्तिम रूप से निम्नानुसार सहमति हुई है :–

अपरिहार्य घटना के कारण अनुज्ञप्ति के निर्बंधनों की पूर्ति में विलम्ब :–

नये खनिज की खोज :–

(1) अनुज्ञप्ति में, जो किसी खनिज में विनिर्दिष्ट नहीं है, उनमें से किसी का पता चलने पर कलेक्टर और संचालक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अनुज्ञप्तिधारी ऐसी खोज के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि के भीतर सूचना देगा और ऐसे खनिजों के संबंध में कोई समेकित संक्रियायें नहीं करेगा जब तक कि ऐसे खनिज अनुज्ञप्ति में शामिल नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु यह कि खोजे गए कोई खनिज, गौण के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं होगा, अनुज्ञप्तिधारी को खनिज प्राप्त करने का इन नियमों के अधीन सम्मिलित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व से सक्षम प्राधिकारी की उन्मुक्ति :–

(2) यदि किसी घटना में सक्षम प्राधिकारी के आदेशों को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अध्याय तेरह के अधीन कार्यवाही के अनुसरण में संचालक तथा राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षित या रद्द कर दिया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों इन विलेखों द्वारा उसको/उनको प्रदत्त शक्तियों एवं विशेषाधिकारियों के प्रयोग में अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सहन की गई किसी हानि के लिये प्रतिकर के हकदार नहीं होगा/होंगे।

अनुसूची–क
अनुज्ञप्ति द्वारा समाविष्ट भूमि

(यहां भूमि के क्षेत्र, सीमाएं, जिले का नाम, अनुविभाग, थाना आदि एवं यदि कोई हो तो भूमि का सर्वेक्षण/खसरा क्रमांक, यदि भूमि का नक्शा संलग्न किया जाता है तो उसका उल्लेख विवरण में अन्तर्विष्ट करिये।

अनुज्ञप्ति द्वारा समाविष्ट भूमि का विवरण :–

(एक) जिला
(दो) अनुविभाग
(तीन) तहसील
(चार) थाना
(पांच) पटवारी हल्का नंबर
(छ:) ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम

स. क्र.	भूमि का सर्वेक्षण/खसरा क्रमांक	क्षेत्र हेक्टेयर में
1.		
2.		
3.		
	योग	

इन परिस्थितियों में, साक्ष्य स्वरूप नीचे बताये गये दिन..........माह.........वर्ष......... में यह निष्पादित किया गया।

................................हस्ताक्षर

अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों **छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम** द्वारा हस्ताक्षर **तथा आदेशानुसार,**

....

(पदनाम)

साक्षी :

(1) हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता/पत्नी ....
पता ....
....

(2) हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता/पत्नी ....
पता ....
....}

प्रतिस्थापित 23.3.2016

प्ररूप पांच

[देखिये नियम 15(1)]

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदनों का रजिस्टर

जिला ....

1. अनुक्रमांक
2. प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने का दिनांक
3. आवेदक का पूरा नाम एवं पता फोन नं., ई–मेल
4. भूमि जिसके लिये आवेदन किया गया है की अवस्थिति एवं चतुर्सीमाएं

   (एक) ग्राम का नाम,

   (दो) ग्राम पंचायत का नाम

   (तीन) ब्लॉक

   (चार) विधानसभा

   (पांच) तहसील

   (छः) पटवारी हल्का नंबर

   (सात) खसरा क्रमांक

5. क्षेत्रफल हेक्टेयर में (खसरावार)
6. खनिजों का विवरण, जिसके लिए आवेदक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति चाहता है
7. चुकाया आवेदन शुल्क
8. टिप्पणी (चाहा गया अधिमानी अधिकार)
9. आवेदन का अंतिम निराकरण, आदेश क्रमांक एवं दिनांक सहित

10 अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप छः
[देखिये नियम 15(2)]

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का रजिस्टर

जिला ....

1. अनुक्रमांक
2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम पूर्ण पते, फोन नंबर, ई–मेल सहित
3. आवेदन प्राप्ति का दिनांक एवं आवेदन रजिस्टर का अनुक्रमांक
4. भूमि की अवस्थिति एवं चतुर्सीमाएं
5 खनिज जिसके लिये अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई
6 अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के आदेश का क्रमांक एवं दिनांक, प्राधिकार सहित
7. अनुज्ञप्ति की अवस्थिति एवं चतुर्सीमाएं
8 ग्राम का नाम ....
9 ग्राम पंचायत का नाम ....
10 ब्लॉक ....
11 विधानसभा ....
12 तहसील ....
13 पटवारी हल्का नंबर ....
14 खसरा नंबर ....
15 अनुज्ञप्ति के लिए स्वीकृत क्षेत्र हेक्टयेर में ....
16 अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तिथि ....
17 स्वीकृत कालावधि ....
18 अनुज्ञप्ति शुल्क भुगतान का विवरण
19 प्रतिभूति की जमा राशि
20 पूर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक और प्रमाणित किये गये भंडार एवं श्रेणी का विवरण
21 जमा प्रतिभूति के निराकरण अथवा वापसी का विवरण
22 उत्खनन पट्टा आवेदन की तिथि (यदि कोई हो)
23 टिप्पणी
24 अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप सात
पूर्वेक्षण संक्रियाओं के प्रारंभ की सूचना
[देखिए नियम 16(दो)]

महत्वपूर्ण : यह फार्म विधिवत रूप से भरा हुआ, संबंधित अधिकारी के पास पूर्वेक्षण संक्रिया प्रारंभ के 15 दिनों के अंदर पहुचना चाहिए।

प्रति,

1. संचालक,
   भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़,
   ....
   रायपुर, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर
   जिला .... छत्तीसगढ़

1. खनिज/खनिजों के नाम जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किया गया है। ....
2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम
   पूर्ण पता,
   फोन नंबर,
   ई–मेल
3. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का विवरण
   (एक) अनुबंध दिनांक ....
   (दो) अवधि .... वर्ष, ...से .... तक
   (तीन) अनुज्ञप्ति के अंतर्गत क्षेत्र .... हेक्टेयर
4. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति क्षेत्र की अवस्थितिः
   (एक) सर्वे ऑफ इंडिया की टोपो शीट क्रमांक ....
   (दो) जिला और तहसील
   (तीन) विकासखण्ड
   (चार) ग्राम पंचायत का नाम
   (पांच) पटवारी हल्का नंबर
   (छः) ग्राम का नाम
   (सात) खसरा नंबर
   (आठ) क्षेत्र हेक्टेयर में
5. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति क्षेत्र के लिए नियोजित भौमिकीविद् या खनन–यंत्री का विवरण
   (एक) नाम एवं पता
   फोन नंबर
   ई–मेल
   (दो) अर्हताएं
   (तीन) नियुक्ति का दिनांक
   (चार) नियुक्ति का स्वरूप : पूर्णकालिक/अंशकालिक
6. पूर्वेक्षण संक्रिया के प्रारंभ करने की तिथि .... माह................. वर्ष ....

स्थानः
दिनांक :

हस्ताक्षर
पूरा नाम :
पदनाम :
मालिक/एजेंट/
खनन–यंत्री/प्रबंधक

प्ररूप आठ

[देखिए नियम 16(आठ)(क)]

गौण खनिज के पूर्वेक्षण संक्रियाओं की अंतिम रिपोर्ट

महत्वपूर्ण : **यह प्ररुप विधिवत रूप से भरा हुआ, संबंधित प्राधिकारियों के पास, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से एक वर्ष या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति या पूर्वेक्षण संक्रियाओं के त्याग, जो भी पहले हो, होने से नब्बे दिन के अंदर पहुँचना चाहिए।**

प्रति,

1. संचालक,
   भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़,
   ....
   रायपुर, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर
   जिला ....
   छत्तीसगढ़

1. खनिज या खनिजों के नाम, जिनके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है। — (क) .... (ख)..

2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम व पता — ....पिन.. ....

3. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का विवरण

   (एक) निष्पादन का दिनांक ....
   (दो) अवधि .... वर्ष
   से .... तक ....

   (तीन) अनुज्ञप्ति के अंतर्गत क्षेत्र.. हेक्टेयर

4. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति क्षेत्र की अवस्थिति :

   (क) खसरा नंबर
   (ख) ग्राम / तहसील / जिला

5. पूर्वेक्षण संक्रियाओं के भौमिकीविद् / भारसाधक खनन यंत्री का विवरण
   (क) नाम एवं पताः — पिन ....
   (ख)योग्यता — ....
   (ग) नियुक्ति का दिनांक — ....
   (घ) नियुक्ति का प्रकार
   (कृपया जो लागू हो (√) अंकित करें) — पूर्णकालिक ( ) अंशकालिक ( )

6. (एक) पूर्वेक्षण संक्रिया की स्थितिः
   (कृपया जो लागू हो (√) अंकित करें) — पूर्ण ————————— ( ) परित्यक्त —————— ( )

(दो) यदि पूर्वेक्षण संक्रियाएं पूर्ण हो गई हों या बंद है, तो ऐसी पूर्णता या परित्यक्तता का दिनांक

7. अनुज्ञप्ति क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रियाओं से आच्छादित कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) ....

8. की गई पूर्वेक्षण संक्रियाओं का विवरण ....

(क) विस्तृत भौमिकीय मानचित्रण
- (एक) क्षेत्र हेक्टेयर में ....
- (दो) स्केल ....

(ख) टोपोग्राफिकल सर्वे
- (एक) क्षेत्र हेक्टेयर में...
- (दो) स्केल...
- (तीन) कंटुर अंतराल..

(ग) गड्ढा खोदना
- (एक) गड्ढो की संख्या ....
- (दो) गहराई (मीटर में)
  - औसत ....
  - अधिकतम ....
  - न्यूनतम ....

(घ) खाई खोदना
- (एक) खाई की संख्या ....
- (दो) गहराई (मीटर में) ....
  - औसत ....
  - अधिकतम ....
  - न्यूनतम ....

(ड.) वेधन
- (एक) पूर्ण किये गये बोरहोल की संख्या ....
- (दो) बोरहोल का ग्रिड अंतराल ....
- (तीन) कुल वेधन कार्य (मीटर में) ....

(च) वेधन मशीन का विवरण	प्रकार	मेक	क्षमता	वेधन की संख्या
	....	....	....	....

(छ) विश्लेषित नमूनों की संख्या
- सतह नमूने ....
- गड्ढे/खाईं के नमूने ....
- कोर के नमूने ....
- (एक) मूख्य तत्व ....
  (कृपया मूलकों/तत्वों को दर्शाएं)
- (दो) पूर्ण विश्लेषण ....
- (तीन) रासायनिक प्रयोगशाला का पता ....
  ....

9. क्षेत्र का संक्षिप्त भौमिकीय विवरण और निक्षेप की प्रकृति ....
....

10. क्षेत्र में आंकलित श्रेणी सहित भंडार ....

11. अन्य कोई जानकारी ....

....

टीप– कृपया पूर्वेक्षण संक्रिया संबंधी भौमिकी प्रतिवेदन के साथ भौमिकीय मानचित्र एवं सेक्शन मानचित्र (क) बोरहोल (ख) गड्ढे (ग) खाई (घ) दृश्यांश तथा अन्य भौमिकीय विवरण संलग्न करें रसायन प्रयोगशाला जहां नमूने का विश्लेषण किया गया था के द्वारा सत्यापित रसायन विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षरः ....

पूरा नाम : ....

पदनाम ....

मालिक/एजेंट /खनन–यंत्री/प्रबंधक

प्ररूप नौ
(देखिये नियम 23)

गौण खनिज के उत्खनन पट्टा प्रदान/नवीनीकरण करने के लिए आवेदन पत्र

आवेदन प्राप्ति का .... (स्थान) .... दिनांक .... 20.....

दिनांक ....20.......

प्रति,

कलेक्टर
जिला ....
छत्तीसगढ़

1. मै/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट .... हेक्टेयर क्षेत्र पर उत्खनन पट्टा प्रदान करने # { } हेतु आवेदन किया हूं/है।

2. इन नियमों के अधीन आवेदन शुल्क के रूप में रूपये .... चालान क्रमांक .... दिनांक .... स्थान .... द्वारा जमा किया गया हूं/है।

3. आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

(एक)	आवेदक का नाम	....
(दो)	आवेदक की राष्ट्रीयता (भागीदार, संचालक, सदस्यों)	....
(तीन)	निगमन के पंजीयन का स्थान (फर्म/कंपनी या समिति/संघ)	....
(चार)	व्यक्ति की उपजीविका फर्म या कंपनी या सोसायटी/संघ के व्यवसाय की प्रकृति तथा व्यवसाय का स्थान	....
(पांच)	व्यक्ति, फर्म/कंपनी या सोसायटी/संघ का डाक का पूर्ण पता पिन कोड फोन/मोबाईल नंबर ई–मेल	....
(छः)	व्यक्ति, भागीदारों, संचालकों, सदस्यों के पेन कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/ड्रायविंग लाइसेंस/आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति	....
(सात)	जाति (व्यक्ति या सोसायटी/सहयोजन के सदस्य)	....
(आठ)	शैक्षणिक अर्हता (व्यक्ति या सोसायटी/सहयोजन के सदस्य)	....
(नौ)	आयु (व्यक्ति या सोसायटी/सहयोजन के सदस्य)	
(दस)	निवास का पता (व्यक्ति या सोसायटी/सहयोजन के सदस्य)	

विलोपित 23.3.2016

(ग्यारह) संचालकों/भागीदारियों/सदस्यों की सूची ....

(बारह) पंजीयन/ निगमन प्रमाण पत्र ....

(तेरह) वित्तीय स्थिति ....

(चौदह) आर्टिकल ऑफ मेमोरंडम/भागीदारी अभिलेख/उप–विधियां ....

(पन्द्रह) # { }

(सोलह) खनिज/खनिजों के नाम, जिसका आवेदक खनन करने का इच्छुक है ....

(सत्रह) अवधि जिसके लिए उत्खनन पट्टे का प्रदान/ नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित है ....

(अठारह) (क) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, स्वीकृति का आदेश क्रमांक एवं दिनांक और वह तिथि जिस पर यह अवसान होगी ....

(ख) उक्त क्षेत्र में किये गये पूर्वेक्षण कार्य के विवरण दर्शाने वाला प्रतिवेदन संलग्न किया जाए ....

(ग) पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार खनिज का भंडार और श्रेणी ....

(उन्नीस) वह रीति जिसमें निकाले जाने वाले खनिज का उपयोग किया जाना है

(क) विनिर्माण के लिए ....

(ख) विक्रय के लिए ....

(ग) अन्य किसी उद्देश्य ....

विनिर्माण की स्थिति में जिस उद्योग के संबंध में आवश्यकता है, की जानकारी दी जाए। स्वयं के स्वामित्व, स्थापित किये जाने वाले संयंत्र (संयंत्रों) का विवरण।

4. राज्य के प्रत्येक जिलों के खनिजवार सभी क्षेत्रों को दर्शाने वाला विवरण शपथ पत्र द्वारा समर्थित :–

(एक) मेरे/हमारे नाम/नामों पर (तथा अन्यों के साथ संयुक्त रूप से), मेरे/हमारे द्वारा पहले ही धारित उत्खनन पट्टा, गौण खनिज का नाम बताएं

(दो) के लिए आवेदन किया है किन्तु स्वीकृति नही हुआ है; और

(तीन) के लिए साथ–साथ आवेदन किया जा रहा है ।

5. भू–सतह अधिकार प्राप्त करने का शपथ पत्र ....

6. प्ररूप दो में अदेय प्रमाण पत्र ....

7. (क) प्लान की (छः प्रतियों) क्षेत्र/क्षेत्रों, जिसके लिए आवेदन किया गया है, की अवस्थिति तथा सीमाएं दर्शाते हुए तथा रियायतें, यदि हों, समीपस्थ संलग्न है/हैं (यदि यह प्लान/ये प्लान अपर्याप्त समझे जाएं, मैं/हम प्रार्थना करते है कि आवश्यक क्षेत्र/क्षेत्रों के प्लान दो प्रतियों में आपके कार्यालय में मेरे/हमारे खर्चे पर तैयार किये जा सकते हैं.

विलोपित 23.3.2016

(ख) खसरा पांच साला.

8. प्लान में दर्शायें जाने वाले महत्वपूर्ण विवरण, अर्थात :—
(एक) यदि रेल लाईन है, तो उसका पूर्ण विवरण जैसे दक्षिण पूर्व रेल या मध्य रेल, मुख्य मार्ग या शाखा मार्ग या कोयला खदान ट्रामवे
(दो) यदि रोड है, तो क्या ग्रामीण रोड है या लोक निर्माण विभाग का या बैलगाड़ी चलने का मार्ग
(तीन) कुएं
(चार) मंदिर या मस्जिद
(पांच) पड़ती जमीन, श्मशान घाट (कब्रिस्तान) इत्यादि

9. # { }

10. खनिज निकालने का साधन यथा मजदूरों के हाथ, यांत्रिकी या विद्युत शक्ति से ....
11. चाहा गया अधिमान्यताधिकार (उप नियम/नियम दर्शाएं) ....

12. अन्य कोई विवरण जो आवेदक उपलब्ध कराना चाहता हो ....

अनुसूची

आवेदित क्षेत्र का विवरण
(एक) ग्राम का नाम ....
(दो) पंचायत और पुलिस थाना ....
(तीन) खसरा नंबर एवं प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल या उसका भाग

खसरा नम्बर	**रकबा हेक्टेयर में**

(चार) नैसर्गिक आकृति के संदर्भ में आवेदित क्षेत्र का पूर्ण विवरण
(पांच) विकासखण्ड
(छः) विधानसभा
(सात) तहसील
(आठ) पटवारी हलका नंबर
(नौ) जिला

11. **संलग्नकों की सूची**
(एक)
(दो)
(तीन)
(चार)
(पांच)
(छः)

विलोपित 23.3.2016

(सात)
(आठ)
(नौ)
(दस)

स्थान . . . . भवदीय,

दिनांक . . . .

नाम तथा पदनाम

टिप्पणी—

- यदि आवेदन पत्र आवेदक के प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेन्ट) द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है तो अधिकार पत्र (पावर ऑफ एटार्नी) संलग्न करना चाहिए।
- यदि सभी खसरा क्रमांक इस प्ररूप में दर्ज नहीं किये जा सकें, तो उन्हे पृथक शीट पर दर्ज करते रहना चाहिए तथा संलग्न कर हस्ताक्षरित करें।
- जहां किसी खसरा क्रमांक का केवल कोई हिस्सा अपेक्षित हो, तो उस भाग का अनुमानित क्षेत्रफल पर्याप्त होगा।

प्ररूप दस
[देखिए नियम 29(2) # { }]

प्रतिभू–बंधपत्र

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
की धारा 1–क के 57 मद में
यथा विनिर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क.

इस विलेख के द्वारा सबको यह ज्ञात हो कि मैं ....आत्मज श्री .... (जो इसमें इसके पश्चात् ''प्रतिभू'' के रूप में निर्दिष्ट है), तहसील .... जिला .... का निवासी हूँ, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जो इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' के रूप में निर्दिष्ट है), उनके उत्तराधिकारी या समनुदेशिती या उनके अटर्नी या राज्यपाल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को मात्र .... रूपये की रकम का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हूँ और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हूँ, जिसका भुगतान पूर्णतः और सही रूप से किया जाएगा, मैं, एतद्द्वारा, स्वयं को अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूँ;

इसके साक्ष्य स्वरूप आज तारीख .... माह .... सन 20............ को इस पर मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिये;

और यतः श्री .... आत्मज .... तहसील..... .... में .... का निवासी है, (जो इसमें इसके पश्चात पट्टेदार के रूप में निर्दिष्ट है) को ग्राम ....तहसील ....जिला .... में .... हेक्टेयर क्षेत्र पर .... (खनिज) के लिए .... कालावधि के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/उत्खनन पट्टा आदेश कमांक .... दिनांक ....के द्वारा स्वीकृत किया गया है;

और यतः पट्टेदार राज्य शासन के साथ विहित करार को निष्पादित करने के लिए सहमत है;

और यतः राज्यपाल (पट्टाकर्ता) तथा पट्टेदार के बीच निष्पादित किये जाने वाले करार के आधार पर, उक्त संबंध में, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति/पट्टा पर, उद्भूत होने वाले अनिवार्य भाटक, स्वामिस्व (रायल्टी), भूतल भाटक और अन्य शोध्यों का नियमित तथा समय पर भुगतान किया जाना अपेक्षित हैं।

और यतः राज्य शासन ने श्री .... आत्मज .. .. को रूपये .... तक (रूपये .... मात्र) प्रतिभूति देने के लिए कहा है, मैं, ... उपरोक्त रकम के लिए उसका प्रतिभू होता हूँ तथा यह बंधपत्र निष्पादित करता हूँ कि यह संपत्ति बंधक अथवा दान की हुई नहीं है और समस्त विलंगम से मुक्त है;

सम्पत्ति का विवरण—————————————मूल्य—————————

और बंधपत्र की शर्ते ऐसी है कि यदि पट्टेदार की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया

विलोपित 23.3.2016

हो जाता है या किसी भी समय यथास्थिति, उक्त अनुज्ञप्ति/पट्टा से उद्भूत होने वाले

अनिवार्य भाटक, स्वामिस्व भूतल भाटक या अन्य शोध्यों का भुगतान नहीं करता है, तो यथास्थिति, इस अनुज्ञप्ति/पट्टा के अधीन इस लेखे पर ऐसे किसी शोध्य द्वारा राज्यपाल को तुरन्त शोध्य और संदेय हो जायेगा और उसकी वसूली इस बंधपत्र के आधार पर मेरे ऊपर उल्लिखित संपत्ति से भू–राजस्व की बकाया की भांति एक किश्त में की जायेगी;

और मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं उपरोक्त संपत्ति को इस बंधपत्र के प्रवृत्त रहने तक, विक्रय, बंधक, दान नहीं करूंगा अथवा किसी अन्य रीति से इसका अंतरण नहीं करूंगा और किसी भी रूप में ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे व्ययन हो;

इसके साक्ष्य स्वरूप उक्त .... ने आज तारीख ....

.... माह .... सन 20............ को हस्ताक्षर कर दिये।

प्रतिभू के हस्ताक्षर,

प्रतिभू की फोटो

सत्यापित किया जाता है कि यह बंधपत्र आज मेरे समक्ष हस्ताक्षरित किया गया और ठीक पाया गया.

तारीख. ......

कार्यपालिक दण्डाधिकारी.

साक्षी

(1) हस्ताक्षर ....

नाम ....

पिता/पति ....

पता ....

....

(2) हस्ताक्षर ....

नाम ....

पिता/पति ....

पता ....

....

प्ररूप ग्यारह

[देखिये नियम 36]

गौण खनिज के उत्खनन पट्टों के आवेदनों का रजिस्टर

जिला ....

1. अनुक्रमांक
2. प्राप्तकर्त्ता अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति दिनांक
3. आवेदक का नाम एवं पूरा पता, दूरभाष क्रमांक, ई–मेल सहित
4. भूमि जिसके लिए आवेदन किया गया है की अवस्थिति एवं चर्तुसीमाएं :–

    (क) ग्राम का नाम

    (ख) पंचायत का नाम

    (ग) ब्लॉक

    (घ) विधानसभा

    (ड.) तहसील

    (च) पटवारी हल्का क्रमांक

    (छ) खसरा क्रमांक

5. क्षेत्रफल हेक्टेयर में (खसरावार)
6. खनिजों का विवरण, जिसके लिए आवेदक उत्खनन पट्टा चाहता है
7. यदि उत्खनन पट्टा हेतु आवेदित क्षेत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, तो उसका विवरण
8. अवधि जिसके लिए आवेदन किया गया है
9. देय आवेदन शुल्क
10. टिप्पणी (चाहे गए अधिमानी अधिकार)
11. आवेदन का अंतिम निराकरण, आदेश क्रमांक एवं दिनांक सहित
12. अधिकारी का हस्ताक्षर

प्ररूप बारह
[देखिये नियम 41(1)]

गौण खनिज के उत्खनन पट्टों का रजिस्टर

जिला ....

1. अनुक्रमांक
2. पट्टेदार का नाम, पूर्ण पता, दूरभाष क्रमांक, ई–मेल सहित
3. आवेदन का दिनांक एवं आवेदन रजिस्टर का अनुक्रमांक
4. खनिज, जिसके लिए पट्टा स्वीकृत किया गया है.
5. (क) पट्टा दिये जाने का क्रमांक एवं दिनांक प्राधिकारी सहित.
   (ख) उत्खनन पट्टे के निष्पादन का दिनांक
6. कालावधि, जिसके लिए प्रदान / नवीनीकरण किया गया
7. स्वीकृत पट्टे की अवस्थिति एवं चर्तुसीमाएं
8. ग्राम का नाम
9. ग्राम पंचायत का नाम
10. ब्लॉक
11. विधानसभा
12. तहसील, पटवारी हल्का क्रमांक
13. खसरा क्रमांक
14. स्वीकृत पट्टे का क्षेत्र हेक्टेयर में
15. उत्खनन प्लान का अनुमोदन क्रमांक एवं दिनांक तथा कालावधि
16. इन्वायर्मेंट इम्पेक्ट असेसेमेंट (ईआइए) सम्मति का क्रमांक एवं दिनांक और कालावधि (यदि लागू हो)
17. कालम 14 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए दी गई क्षतिपूर्ति की राशि, भुगतान के दिनांक सहित तथा क्या शासन के माध्यम से अथवा निजी वार्ता द्वारा, भूमि अर्जन अथवा पट्टा अंतरण का क्रमांक, आदेश सहित.
18. निर्धारित सतही भाटक की राशि तथा निर्धारण का दिनांक
19. वित्तीय आश्वासन की राशि एवं विवरण
20. प्रतिभूति राशि एवं विवरण
21. वित्तीय आश्वासन का निराकरण अथवा वापसी का विवरण
22. प्रतिभूति राशि के निराकरण अथवा वापसी का विवरण
23. पट्टे की समाप्ति या त्याग देने अथवा उसके रद्दकरण का दिनांक
24. नवीनीकरण, वास्तविक समाप्ति या त्यागने के दिनांक संबंधी विशिष्टियां, विवरण सहित
25. पट्टे के समनुदेशन अथवा अंतरण दिनांक, यदि कोई है तथा समनुदेशिती या अंतरिति का नाम तथा पता
26. उत्खनन पट्टे के पट्टाधारी का नाम, राष्ट्रीयता अथवा अन्य विवरण में परिवर्तन होने पर, परिवर्तन का दिनांक, परिवर्तन के विवरण सहित.
27. दिनांक जब से क्षेत्र प्रदाय हेतु उपलब्ध है (अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक एवं उपलब्धता का दिनांक)
28. टिप्पणियां
29. अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप तेरह
[नियम 47(1) देखिये]
गौण खनिज के उत्खनन पट्टा अनुबंध विलेख

यह करार एक पक्षकार के रूप में .... के माध्यम से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जो इसमें इसके पश्चात् ''पट्टाकर्ता'' के रूप में निर्दिष्ट है जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकूल है वहां उनके पदोत्तरवर्ती भी सम्मिलित हैं) और दूसरे पक्षकार श्री .... आत्मज .... (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) (जो इसमें इसके पश्चात् ''पट्टेदार'' के रूप में निर्दिष्ट है जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी सम्मिलित हैं))

अथवा

.... (सोसायटी या सहयोजन का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) तथा .... (व्यक्ति का नाम पदनाम सहित) (जो इसमें इसके पश्चात् ''पट्टेदार'' के रूप में निर्दिष्ट है जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकूल है वहां उनके क्रमशः वारिस निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उनके अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी सम्मिलित है);

अथवा

....
.... (भागीदारों के नाम तथा पते) तथा ....(भागीदारों के नाम तथा पते) जो, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) अधीन रजिस्ट्रीकृत (फर्म का नाम) ....के नाम तथा कार्यशैली के अन्तर्गत भागीदारी में व्यवसाय करते हैं तथा जिनका रजिस्ट्रीकरण कार्यालय .... नगर .... में है (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट है जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकूल है वहां उक्त फर्म के समस्त भागीदार, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे)

अथवा

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी... ....(कंपनी का नाम) और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ....(पता) में है (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट है जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे)

यतः पट्टेदार/पट्टेदारों ने, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2014 (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट है) के अनुसार इसके नीचे लिखी गई अनुसूची के भाग–एक में वर्णित भूमियों के संबंध में .... के उत्खनन पट्टे के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है और राज्य शासन के पास प्रतिभूति के रूप में रूपये .... की राशि जमा की गई है;

साक्षी है कि इस विलेख में तथा इसमें इसके नीचे लिखी अनुसूची में तथा उसके द्वारा आरक्षित और अंतर्विष्ट भाटकों तथा स्वामित्वों का पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा भुगतान किये जाने के और उनके व्दारा अनुपालन, पालन की जाने वाली प्रसंविदाओं तथा करारों के प्रतिफलस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी, एतद्द्वारा, पट्टेदारों को पट्टा प्रदान और अंतरित करता है;

.... की ऐसी समस्त खदानें (यहां खनिज या खनिजों का विवरण दें) (जिसे इसमें इसके पश्चात् और अनुसूची में उक्त खनिजों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है), जो उन भूमियों में, जिन्हें भाग–एक की उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, स्थित अथवा अवस्थित है और उनमें तथा उसके नीचे है, इसके संबंध में प्रयोज्य स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों को सम्मिलित करते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग–दो में वर्णित है, ऐसी स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने तथा उपभोग करने के संबंध में उन निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त अनुसूची

के भाग–तीन में वर्णित है, को इस अपवाद के साथ और इस पट्टे में से, राज्य शासन के प्रति वे स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार आरक्षित करते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग–चार में वर्णित है, परिसर, दिनांक .... से आगामी .... वर्ष की कालावधि के लिए धारण करने हेतु पट्टेदार/पट्टेदारों को, एतद्द्वारा, प्रदान किये जाते है, पट्टे पर दिये जाते है, अतः उन विभिन्न भाटकों तथा स्वामित्वों को, जो उक्त अनुसूची के भाग–पांच में वर्णित है, क्रमशः ऐसे समयों पर, जो उसमें विनिर्दिष्ट है, उक्त अनुसूची के भाग–छः में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य शासन को देगा या उनका भुगतान करेगा और पट्टेदार एतद्द्वारा, राज्य शासन के साथ ऐसी प्रसंविदा करता है/करते है, जिसे उक्त अनुसूची के भाग–सात में अभिव्यक्त किया गया है, और राज्य शासन एतद्द्ारा, पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ ऐसी प्रसंविदा करता है, जिसे उक्त अनुसूची के भाग–आठ में अभिव्यक्त किया गया है, और इसके पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से ऐसी सहमति की जाती है, जो उक्त अनुसूची के भाग–नौ में अभिव्यक्त की गई हैं;

जिसकी साक्ष्य में यह विलेख उस दिनांक और वर्ष को जो कि ऊपर लिखे हैं, उस रीति में, जो इसके अधीन प्रकट होती है, निष्पादित किया जाता है.

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची
भाग एक – इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्रः– .... ग्राम में स्थित भूमियों वह समस्त भू–भाग (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) जो ....तहसील में .... ग्राम पंचायत में है और जो खसरा सर्वे क्रमांक .... जिसमें .... या उसके लगभग .... का क्षेत्र है, जो इससे संलग्न नक्शे में अंकित है तथा जो ....रंग से दर्शाया गया है, और जिसकी सीमाएं निम्नानुसार अंतर्विष्ट है :–

उत्तर में .... द्वारा

दक्षिण में .... द्वारा

पूर्व में .... द्वारा
और
पश्चिम् में .... द्वारा

जो इसमें इसके पश्चात् ''उक्त भूमि'' के रूप में निर्दिष्ट हैं.

भाग दो

उन निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो भाग–तीन में दिये गये है, पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा प्रयोग और उपभोग की जाने वाली स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार.

1. **भूमि पर प्रवेश करना, कार्य करना इत्यादि**.– अवधि (पट्टा अंतरण की अवधि) के दौरान समस्त समयों पर, उक्त भूमि पर एतद्द्वारा प्रवेश करने और उक्त खनिज/खनिजों, को प्राप्त करने के संबंध में उपार्जन करने, कार्य करने, उनकी दरेसी करने, प्रसंस्करित करने, संपरिवर्तित करने, ले जाने तथा उनका निपटारा करने के बारे में स्वतंत्रता तथा शक्ति।
2. **मशीनरी, उपस्कर इत्यादि को लाना तथा उनका उपयोग करना.–** इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में उक्त भूमि पर या उसके नीचे कोई इंजन, मशीनरी, संयंत्र, दरेसी–फर्शी, ईंट–भट्टा, कर्मशाला, भण्डार गृह, गोदाम, शेड तथा अन्य भवन और अन्य कार्य स्थापित करने, निर्माण करने, संधारण करने और उपयोग करने तथा उस भूमि पर या उसके नीचे उसी प्रकार की सुविधाओं के लिए या उनके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति।
3. **रास्तों तथा मार्गों इत्यादि का बनाया जाना और विद्यमान रास्तों तथा मार्गों का उपयोग**.– इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में, उक्त भूमि में या उसके ऊपर कोई ट्राम पथ, रास्ते तथा अन्य मार्गों को बनाने और घोड़ों, पशुओं, वेगनों या अन्य वाहनों सहित या रहित उसका (या उक्त भूमि में या उस पर किसी विद्यमान ट्रामपथों, रास्तों तथा अन्य मार्गों) ऐसी शर्तों पर, जैसी कि सहमत हों, उनका उपयोग करने की या उनके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति.

4. भवन तथा रास्ते की सामग्री इत्यादि.— इस भाग में वर्णित प्रयोाजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में उत्खनन कर पत्थर, बजरी तथा भवन और रास्ते के निर्माण संबंधी अन्य सामग्रियों तथा मिट्टी प्राप्त करने और उनका उपयोग करने और उन्हें काम में लेने तथा ऐसी मिट्टी से ईंटें या कवेलू विनिर्मित करने और ऐसे ईंटों तथा कवेलूओं का उपयोग करने के लिए और उसके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति, किन्तु ऐसी किसी सामग्री, ईंटों या कवेलूओं का विक्रय करने के लिए नहीं.

5. जलधाराओं से पानी का उपयोग इत्यादि.— इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए किन्तु किसी विद्यमान या भावी पट्टेदारों के अधिकारों के अध्यधीन रहते हुए तथा कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा से उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किन्हीं जलधाराओं, जलमार्गों, झरनों या अन्य स्त्रोतों को काम में लाने और उनका पानी उपयोग करने या ऐसी किसी जलधारा या जलमार्ग को मोड़ने, उसे बढ़ाने या उस पर बांध बनाने और ऐसे किसी जल को संग्रहित करने तथा अवरूद्ध करने और किसी जलमार्ग, पुलिया, नालियां या जलाशयों को बनाने, निर्माण करने और बनाये रखने के लिए और उस संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति, किन्तु इस प्रकार नहीं कि जिससे किन्हीं कृषि भूमियों, ग्रामों, भवनों या पशुओं के पानी पीने के स्थानों या पूर्व में आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त रूप से जल प्रदाय से वंचित करेगा और न किसी भी प्रकार से किसी जलधारा या झरनों को गंदा या प्रदूषित ही करेगा, परन्तु यह कि पट्टेदार/ पट्टेदारों किसी नाष्य जलधारा में नौचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा या राज्य शासन की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी जलधारा को नहीं मोड़ेगा.

6. चट्टे लगाने, ढेर लगाने, जमा करने के प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग.— उक्त भूमियों की सतह के पर्याप्त भाग पर, उसमें खदानों के किसी उत्पाद या किये गये कोई कार्य और किन्हीं औजारों, उपस्करों, मिट्टी तथा सामग्रियों और पदार्थों के, जो इस भाग में वर्णित स्वतंत्रताओं शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोदे गये हों, या निकाले गये हों, चट्टे लगाने, ढेर लगाने, भण्डारण करने या जमा करने के प्रयोजनों के लिए, प्रवेश करने और उपयोग करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति.

7. हित/प्रसंस्करण और उत्पाद को ले जाना.— हित के लिए, उक्त भूमियों की सतह के पर्याप्त भाग के उपयोग और प्रवेश करने के लिये / उक्त भूमि से उत्पादित गौण खनिज प्रसंस्करण और गौण खनिज को बाहर ले जाने की स्वतंत्रता और शक्ति.

8. झाड़—झंखाड़ को साफ करना और वृक्षों को गिराना और उपयोग करना आदि.— इस भाग में उल्लेख किये गये उद्देश्यों के संबंध में और अन्य के मौजूदा अधिकारों और इस अनुसूची के भाग—तीन के खण्ड—तीन में प्रावधानित निषेध के अनुसूची के अनुसार उक्त भूमि पर उपलब्ध झाड़—झंखाड़ और झाड़ियों को साफ करने तथा उक्त भूमि पर खड़े या पाये जाने वाले पेड़ अथवा ईमारती लकड़ी को गिराने और उपयोग करने के प्रयोजन से प्रवेश करने एवं उपयोग करने की स्वतंत्रता और शक्ति परन्तु राज्य शासन पट्टेदार/पट्टेदारों को गिराये गए और उपयोग किये गये पेड़ों और ईमारती लकड़ियों के लिये कलेक्टर या राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगी.

भाग तीन

भाग दो में वर्णित स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के संबंध में निबंधन तथा शर्तें

1. कतिपय स्थानों पर कोई भवन इत्यादि नहीं होगा.— किसी सार्वजनिक विहार भूमि, शमशान भूमि या कब्रिस्तान भूमि या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने गये किसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान में या जिसे राज्य शासन सार्वजनिक स्थान के रूप में अवधारित करें, कोई भवन या तद्दृश्य कोई संरचना ऐसी रीति में निर्मित, स्थापित या रखी नहीं जाएंगी और कोई भी भूतल संक्रियाएं नहीं की जायेंगी जिससे किन्हीं भवनों, कार्यों संपत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को, कोई हो या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े और भूतल संक्रियाओं के लिए ऐसी किसी भूमि का, जो इस पट्टे में सम्मिलित न होने वाले कार्यों या प्रयोजनों के लिए राज्य शासन से भिन्न अन्य व्यक्तियों व्दारा पूर्व में ही दखल में ली गई हो, उपयोग नहीं किया जाएगा पट्टेदार किसी मार्ग, कुंए या तालाब के संबंध में किसी अधिकार में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा/नहीं करेंगे.

2. ऐसी भूमि में जो पूर्व से उपयोग में न हो, भूतल संक्रियाओं के लिए अनुज्ञा.— ऐसी भूमि का, जो भूतल संक्रियाओं के लिए पूर्व में ही उपयोग में नहीं लाई गई है, उस बाबत् उपयोग करने के पूर्व, पट्टेदार/ पट्टेदारों जिले के कलेक्टर को दो कैलेण्डर मास पूर्व की एक लिखित सूचना देगा/देंगे जिसमें स्थान का नाम या अन्य वर्णन तथा इस प्रकार उपयोग किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा और वह प्रयोजन जिसके लिए वह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा उक्त भूमि का, यदि कलेक्टर,

उसके व्दारा ऐसी सूचना प्राप्ति के दो मास के भीतर आपत्ति करे, तब तक इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस प्रकार की कि गई आपत्ति, राज्य शासन को निर्देश किये जाने पर, निष्प्रभावित नहीं की जाती या वह अभित्यक्त नहीं कर दी जाती.

3. **अनारक्षित भूमि पर पेडों को काटना**.— पट्टेदार/पट्टेदारों कलेक्टर की अभिव्यक्त स्वीकृति के बिना उक्त भूमियों पर किसी ईमारती लकड़ी या पेड़ों को नहीं काटेगा या क्षतिग्रस्त नहीं करेगा लेकिन ऐसी स्वीकृति के बिना किसी झाड़ी या झाड़–झंखाड़ को साफ कर सकेगा जो इन विलोपों द्वारा प्राधिकृत किन्ही संक्रियाओं में बाधक हो। कलेक्टर अथवा राज्य शासन पट्टेदार/पट्टेदारों से जिले के कलेक्टर द्वारा विर्निदिष्ट दरों पर उसके/उनके द्वारा गिराये गये और उपयोग में लाए गये किन्हीं पेड़ों या ईमारती लकड़ी के लिये संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

4. **प्रतिषिद्ध दूरी के भीतर कोई खनन् संक्रियाएं नहीं की जाएंगी**.— पट्टेदार/पट्टेदारों नियम 5 (2) एवं 51 (12) में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध दूरियों के भीतर किसी भी स्थल पर कोई कार्य या खनन संक्रियाएं नहीं करेगा/करेंगे या उन्हें करने की अनुज्ञा नहीं देगा.

5. **आसन्न शासकीय अनुज्ञप्तियों तथा पट्टों के लिए सुविधाएं**.— पट्टेदार/पट्टेदारों ऐसी किसी भूमि पर, जो पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट है, या ऐसी भूमि से लगी हुई है या जिस तक उसके/उनके द्वारा धारित भूमि से पहुंचा जाता है, शासकीय अनुज्ञप्तियों या पट्टे के विद्यमान तथा भावी धारकों को उस तक पहुंच की युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान किये जाने बाबत् अनुज्ञा देगा :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तियों या पट्टों के ऐसे धारकों द्वारा इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की संक्रियाओं के बारे में कोई सारवान् प्रतिबाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता का उपयोग किये जाने के कारण पट्टेदार/पट्टेदारों को हुई हानि या नुकसान के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हों, या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य शासन व्दारा विनिश्चित् किया जाये.

भाग चार

राज्य शासन के लिए आरक्षित स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार

1. **अन्य खनिजों के लिये कार्य करना**.— राज्य शासन या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या किसी पट्टेदार को उक्त भूमि में तथा उस पर प्रवेश करने और उक्त खनिजों को छोड़कर अन्य खनिज तथा किन्हीं अन्य पदार्थों की खोज करने, प्राप्त करने, उसके संबंध में कार्य करने, खोदने, पाने उत्खनन करने, दरेशी करने, प्रसंस्करित करने, संपरिवर्तित करने और ले जाने और उन प्रयोजनों के लिए, खनने, सुरंग बनाने, तैयार करने, स्थापित करने, निर्माण करने, संधारण करने और ऐसे गढ़ढ़ों, कूपकों, आनतियों, अनुसूरंगों, समतालिकाओं तथा अन्य लाइनों, जलमार्गों, वायुमार्गों, जल प्रवाहों, नालों, जलाशयों, इंजनों, मशीनरियों, संयंत्र, भवनों, नहरों, ट्रामपथों, रेलपथों, सड़क मार्गों तथा अन्य कार्यों, और सुविधाओं का जैसा कि आवश्यक या सुविधाजनक समझी जाए, उपयोग करने की स्वतंत्रता तथा शक्तिः

परन्तु यह कि ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्ति का प्रयोग करने में, इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उनके संबंध में कोई सारवान् प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जायगा और इस स्वतंत्रता या शक्ति या प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हों, या असहमति की दशा में जैसा कि राज्य शासन द्वारा विनिश्चित् किया जाये।

2. **रेलपथ तथा रास्ते बनाना**.— राज्य शासन या इस निमित्त उसके व्दारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या किसी पट्टेदार को इस विलेख के भाग–दो में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए उक्त भूमियों में तथा उस पर प्रवेश करने और उस पर, उसके ऊपर या उसके आरपार किन्हीं रेलपथों, ट्रामपथों तथा सड़क मार्गों को बनाने, संधारित करने और उनकी मरम्मत करने या किन्हीं विद्यमान रेलपथों, ट्रामपथों, सड़क मार्गों, पाइप लाईनों, तथा अन्य मार्गों से या उन पर से या उनके साथ–साथ समस्त प्रयोजनों के लिए और जैसा कि किसी अवसर पर अपेक्षित हो, घोड़ों, पशुओं या अन्य पशुगाड़ियों, वेगनों, वाहकों, लोकोमोटिवों या अन्य वाहनों सहित या रहित, पुनः पार करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति, परन्तु यह कि ऐसे अन्य पट्टेदार/पट्टेदारों या व्यक्ति द्वारा ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्ति

का प्रयोग करने में, इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उनके संबंध में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता या शक्ति का प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकार दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य शासन व्दारा अवधारित किया जाय.

भाग पांच

इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक और स्वामिस्व (रायल्टी)

1. **अनिवार्य भाटक या स्वामिस्व, जो भी उच्चतर हो, का भुगतान करना.–** पट्टेदार, पट्टे के प्रथम वर्ष को छोड़कर, प्रत्येक वर्ष के लिए इस भाग के खण्ड 2 में विनिर्दिष्ट अनिवार्य भाटक का भुगतान करेगाः

   परन्तु इन नियमों के नियम 51 के अधीन जहां ऐसे पट्टे का धारक उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता, प्रबंधक, नियोजित व्यक्ति, ठेकेदार या उप–पट्टेदार द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये या खपाये गये किसी भी खनिज के लिए स्वामिस्व (रायल्टी) के भुगतान करने के लिए दायी हो गया है, वहां वह ऐसे क्षेत्र के संबंध में ऐसे स्वामिस्व या अनिवार्य भाटक, जो भी उच्चतर हो, का भुगतान करने का दायी होगा.

2. **अनिवार्य भाटक के भुगतान की दरें एवं रीति.–** इस भाग के खण्ड 1 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, पट्टे के अस्तित्व के दौरान पट्टेदार/पट्टेदारों पट्टान्तरित और इस अनुसूची के भाग–एक में वर्णित भूमियों के लिए, इन नियमों की अनुसूची–चार में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से ऐसी रीति में, जैसा कि नियम 51(1)(क) में विनिर्दिष्ट है, वार्षिक अनिवार्य भाटक का राज्य शासन को भुगतान करेगा/करेंगे.

3. **स्वामिस्व के भुगतान की दरें तथा रीति.–** इस भाग के खण्ड 1 के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, पट्टेदार/पट्टेदारों इस पट्टे के अस्तित्व के दौरान उसके/उनके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये खनिज/खनिजों के संबंध में नियम 51(1)(ख) में विनिर्दिष्ट किये गये स्वामिस्व का, इन नियमों की अनुसूची–तीन में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से राज्य शासन को भुगतान करेगा/करेंगे.

4. **सतही भाटक का भुगतान.**–पट्टेदार/पट्टेदारों, उक्त भूमियों के जो समय–समय पर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इस विलेख के प्राधिकार के अधीन दखल की गई है या उपयोग की गई है, समस्त भागों के सतह के संबंध में, क्रमशः प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिए रूपये .... की प्रचलित दर से या ऐसे दखल या उपयोग के प्रारंभ होने की कालावधि के दौरान दखल किये गये या उपयोग किए हुए उसके भाग का, जब तक कि क्षेत्र का इस प्रकार दखल या उपयोग समाप्त न हो जाय, भाटक का राज्य शासन को भुगतान करेगा/करेंगे और इस प्रकार उपयोग की गई सतह भूमि को यथासंभव उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित करेगा/करेंगे। सतह भाटक का भुगतान नियम 51(1)(ग) में दिये गये ब्यौरे के अनुसार किया जाएगा।

#{ **5. नीलामी राशि का भुगतान–** नीलामी/निविदा के माध्यम से स्वीकृत पट्टे के पट्टेधारी को पट्टा क्षेत्र से प्रति माह निकास किये गये खनिज की मात्रा पर नीलामी राशि का भुगतान राज्य शासन को करना होगा। नीलामी राशि में मूल्य वृद्धि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होगी तथा इस हेतु नीलामी वर्ष को आधार वर्ष माना जायेगा।}

अंतःस्थापित 23.3.2016

भाग छः

भाटक और स्वामिस्व संबंधी उपबंध

1. **भाटक और स्वामिस्व कटौती आदि से मुक्त होंगे.—** इस अनुसूची के भाग—पांच में उल्लिखित भाटक और स्वामिस्व का, नियम 51 (1) में विनिर्दिष्ट अनुसार राज्य शासन को किसी भी कटौती से मुक्त भुगतान किया जाएगा.

2. **स्वामिस्व (रायल्टी) की संगणना की रीति.—** उक्त स्वामिस्वों की संगणना करने के प्रायोजनों के लिए, पट्टादार/पट्टेदार खपत किये गये तथा प्रेषण किये गये खनिज/खनिजों के उत्पादन का एक सही लेखा रखेगा. साथ ही खनिज/खनिजों की मात्रा का जो कि स्टाक में है या निर्यात की प्रक्रिया में है, इस नियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल की जा सकेगी.

3. **यदि भटकों और स्वामिस्वों का समय पर भुगतान नहीं होता है, तो कार्रवाई.—** इस विलेख के निबंधनों तथा शर्तो के अधीन राज्य शासन को शोध्य कोई भाटक, स्वामिस्व या अन्य रकम का पट्टेदार/पट्टेदारों व्दारा विहित समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो, वह रकम, उस पर शोध्य चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अथवा खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64 क में विनिर्दिष्ट ब्याज की दर, जो भी उच्चतर हो साधारण ब्याज के साथ, खनिज अधिकारी/सहायक खनिज अधिकारी के प्रमाणपत्र पर भू—राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी.

भाग—सात

पट्टेदार/ पट्टेदारों की प्रसंविदाएं

1. **पट्टेदार भाटको, स्वामिस्वों (रायल्टीयों) तथा करों इत्यादि का भुगतान करना.—** पट्टेदार/पट्टेदारों, इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक तथा स्वामिस्वों का ऐसे समयों पर तथा ऐसी रीति में, जो इस विलेख के भाग—पांच तथा छः उपबंधित है, भुगतान करेगा/करेंगे और ऐसे समस्त करों, किरायों, निर्धारणों तथा अधिरोपणों का, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, जो सार्वजनिक मांग के स्वरूप के हों और जो पट्टेदार/पट्टेदारों के उन परिवारों तथा संकायों के, जो तत्सदृश्य अन्य परिसरों तथा संकायों के सामिलाती हो, सिवाय भू—राजस्वों की मांगों के, पर या उनके संबंध में राज्य शासन के प्राधिकार द्वारा समय—समय पर प्रभारित किये जाए, निर्धारित किये जाये या अधिरोपित किये जायें, का भी भुगतान करेगा/करेंगे तथा उनका उन्मोचन करेगा/करेंगे.

2. **सीमा चिन्हों का अच्छी हालत में संधारण करना तथा रखना.—** पट्टेदार/पट्टेदारों अपने/उनके स्वयं के व्यय पर इस पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाये जाने वाले सीमांकन के अनुसार सीमा चिन्हों तथा स्तंभों को स्थापित करेगा और समस्त समयों पर उन्हें संधारित तथा मरम्मत में रखेगा. ऐसे चिन्ह तथा स्तंभ झाड़ियों से तथा अन्य बाधाओं से पर्याप्त स्पष्ट रहेंगे जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें ।

3. **संक्रियाएं एक वर्ष के भीतर प्रारंभ की जाएंगी और कुशलता से कार्य किया जाएगा.—** पट्टेदार/पट्टेदारों, पट्टा निष्पादित किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संक्रिया प्रारंभ करेगा/करेंगे और उसके पश्चात् इस पट्टे के चालू रहने के दौरान समस्त समयों पर उक्त खनिजों को, स्वेच्छापूर्वक अवरोध के बिना निपुणता से तथा कुशलता से और इसमें इसके पश्चात् खण्ड 12 में विनिर्दिष्ट रीति से, उक्त भूमियों के भूतल या उस पर की फसलों, भवनों, संरचनाओं या अन्य संपत्ति को अनावश्यक या परिहार्य नुकसान किये बिना या किये जाने की अनुज्ञा दिये बिना, प्राप्त करेगा/करेंगे, उनके संबंध में कार्य करेगा/करेंगे तथा विकास करेगा/करेंगे. इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए संक्रियाओं में खान के संबंध में मशीनरी स्थापित करना, ट्रामपथ बिछाना या किसी रास्ते का निर्माण करना सम्मिलित है.

4. **शासन को समस्त दावों के विरूद्ध क्षतिपूरित रखा जाएगा.—** पट्टेदार/पट्टेदारों, इस पट्टे के अस्तित्व में रहने के दौरान समस्त गढ़ढ़ों तथा खदानों को, जो कि उक्त भूमियों में बनाये जायं, या उपयोग में लाये जायें, इमारती लकड़ी या अन्य टिकाऊ साधनों से अच्छी तरह से तथा पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा/रखेंगे और ऐसे प्रत्येक गढ़ढ़े या खदान के चाहे वह परित्यक्त हो अथवा न हो, इर्द—गिर्द, कलेक्टर के समाधान पर्यन्त बाड़ लगाएगा/लगाएंगे तथा उसे संधारित करेगा/करेंगे और

उस अवधि के दौरान, उक्त भूमियों में की समस्त खदानों को सिवाय ऐसी खदानों के जो परित्यक्त कर दी गई हैं, यथासंभव जल से तथा दूषित वायु से मुक्त रखेगा/रखेंगे।

5. **गढ्ढे (पीट्स, शाफ्ट्स) इत्यादि की सुरक्षा करना तथा अच्छी हालत में रखना**.— पट्टेदार/पट्टेदारों, इस पट्टे के अस्तित्व में रहने के दौरान समस्त गढ्ढों तथा खदानों को, जो कि उक्त भूमियों में बनाये जायं, या उपयोग में लाये जाये, इमारती लकड़ी या अन्य टिकाऊ साधनों से अच्छी तरह से तथा पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा/रखेंगे और ऐसे प्रत्येक गढढ़े या खदान के चाहे वह परित्यक्त हो अथवा न हो, इर्द–गिर्द, कलेक्टर के समाधान पर्यन्त बाड़ लगाएगा/लगाएंगे तथा उसे संधारित करेगा/करेंगे और उस अवधि के दौरान, उक्त भूमियों में की समस्त खदानों को सिवाय ऐसी खदानों के जो परित्यक्त कर दी गई है, यथासंभव जल से तथा दूषित वायु से मुक्त रखेगा/रखेंगे.

6. **खान को आवश्यक सीमा तक मजबूत करना तथा संभालना**.— पट्टेदार/पट्टेदारों, यथास्थिति, संबंधित रेल प्रशासन या राज्य शासन के समाधान पर्यन्त खान के किसी भाग को, जो कि उसकी राय में किसी रेलपथ, जलाशय, नहर, रास्ते, तथा किसी अन्य सार्वजनिक कार्य या संरचना की सुरक्षा के लिए ऐसा मजबूतीकरण या संभाल अपेक्षित है, मजबूत करेगा/करेंगे तथा संभाल करेगा/करेंगे ।

7. **खदानों का निरीक्षण अनुज्ञात किया जाना**.— पट्टेदार/पट्टेदारों, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण करने और उसके नक्शे बनाने, नमूने लेने तथा कोई आंकड़े एकत्र करने के प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को परिसर में, जिसमें कोई भवन, उत्खनन, या पट्टेदार/पट्टेदारों में समाविष्ट भूमि सम्मिलित है, प्रवेश करने को अनुज्ञात करेगा/करेंगे और पट्टेदार/पट्टेदारों उसके/उनके द्वारा नियोजित ऐसे योग्य व्यक्ति के साथ, जो खान से तथा कार्यों से परिचित है, ऐसे अधिकारी, अभिकर्ताओं, नौकरों तथा कर्मकारों को ऐसे प्रत्येक निरीक्षण करने में प्रभावी तौर पर सहायता करेगा/करेंगे और खदानों के कार्यकरण के संबंध में ऐसी समस्त सुविधाएं, जानकारी देगा/देंगे जो कि वे युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित करें और ऐसे समस्त आदेशों तथा विनियमों, जैसे कि केन्द्र या राज्य शासन ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा, समय–समय पर अधिरोपित करना उचित समझे, के अनुरूप अनिवार्य रूप से कार्य करेगा/करेंगे तथा उनका अनुपालन करेगा/करेंगे ।

8. **दुर्घटना की रिपोर्ट किया जाना**.— पट्टेदार/पट्टेदारों, बिना विलंब के कलेक्टर को किसी ऐसी दुर्घटना की एक रिपोर्ट भेजेगा/भेजेंगे जो इस पट्टे के अधीन संक्रियाओं के अनुक्रम में हुई हो जिनके कारण मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति या संपत्ति में गंभीर क्षति कारित की गई हो या जो जीवन या संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या संकटापन्न करने वाली हो.

9. **अन्य खनिजों के अन्वेषण की रिपोर्ट की जाना**.— पट्टेदार/पट्टेदारों, पट्टा क्षेत्र में ऐसी किसी खनिज को, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, अन्वेषण की रिपोर्ट ऐसे प्रत्येक उपलब्धि के स्वरूप तथा स्थिति के बारे में पूर्ण विवरण के साथ कलक्टर को अविलंब देगा/देंगे. यदि ऐसा कोई खनिज, जो पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, पट्टा क्षेत्र में अन्वेषित किया जाता है, तो पट्टेदार/पट्टेदारों ऐसे खनिज को तब तक प्राप्त नहीं करेगा/करेंगे और उसका निपटारा नहीं करेगा/करेंगे जब तक कि ऐसे खनिज को पट्टे में सम्मिलित न कर लिया जाय या उसके लिए पृथक पट्टा अभिप्राप्त न कर लिया जाय.

10. **उत्पादन तथा कर्मचारियों इत्यादि के बारे में अभिलेखों तथा लेखाओं का रखा जाना**.— पट्टेदार/पट्टेदारों उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर ऐसे कार्यालय में, जो उक्त भूमियों पर या उसके निकट स्थित हो, लेखाओं की सही तथा बोधगम्य ऐसी लेखा पुस्तकें रखेगा/रखेंगे या रखवाएगा/रखवाएंगे, जिनमें निम्नलिखित के संबंध में समय–समय पर सही प्रविष्टयां अंतर्विष्ट होंगी:–

    (1) उक्त भूमियों से प्राप्त खनिज/खनिजों की मात्रा तथा प्रकार.

    (2) उन खनिज/खनिजों को, जिनका विक्रय तथा निर्यात किया गया हो, मात्राएं तथा विभिन्न प्रकार, पृथक–पृथक रूप से.

    (3) अन्यथा निपटाये गये विभिन्न प्रकारों के उक्त खनिज/खनिजों की मात्राएं और ऐसे निपटारे की रीति तथा प्रयोजन.

    (4) उक्त खनिज/खनिजों के समस्त विक्रयों की कीमतें तथा अन्य समस्त विवरण.

    (5) उक्त भूमियों पर खानों या कार्यों में नियोजित व्यक्तियों, की संख्या तकनीकी कार्मिकों की राष्ट्रीयता, अर्हताएं तथा वेतन विनिर्दिष्ट करते हुए.

(6) ऐसे अन्य तथ्य, विशिष्टियों तथा परिस्थितियां, जिनके बारे में केन्द्र या राज्य शासन, समय–समय पर अपेक्षा करें और ऐसे अधिकारियों को ऐसे समयों पर, जैसा कि केन्द्र या राज्य शासन नियत करें, ऐसी समस्त या किन्हीं लेखा पुस्तकों के असली तथा सही संक्षिप्त सार और पूर्वोक्त समस्त या किसी विषय के बारे में ऐसी जानकारी, विवरणियां, जैसा कि राज्य शासन विहित करें, निःशुल्क प्रस्तुत करेगा/करेंगे तथा ऐसे युक्तियुक्त समयों पर ऐसे अधिकारियों को, जैसा कि केन्द्र या राज्य शासन उस निमित्त नियुक्ति करें, उक्त लेखा–पुस्तकों, रेखांकों तथा अभिलेखों का परीक्षण तथा निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपियां तथा उनके उद्धरण तैयार करने के प्रयोजनों के लिए उक्त कार्यालयों में प्रवेश करने तथा उन तक अबाध पहुंच रखने के लिए अनुज्ञात करेगा/करेंगे ।

11. प्लान इत्यादि संधारित करना.– पट्टेदार/पट्टेदारों, उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर खान कार्यालय में उक्त भूमियों में की खानों के सही, बोधगम्य, अद्यतन तारीख तथा सम्पूर्ण रेखांक संधारित करेगा/करेंगे. पट्टे के अधीन उक्त रेखांक में उसके/उनके द्वारा की गई समस्त संक्रियाएं तथा खुदाई और उसके/उनके द्वारा की गई संक्रियाओं के अनुक्रम में उसके/उनके व्दारा की गई समस्त खाईयां, गढ्ढे तथा भू–वैज्ञानिक आंकड़े दर्शाये जायेंगे और ऐसे समस्त रेखांक, उस प्रयोजन के लिए किये जाने वाले ऐसे वास्तविक सर्वेक्षण से और उसके व्दारा, जो कि बारह मास या किसी ऐसी कालावधि के अंत में, जो समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, संशोधित किये जायेंगे तथा भरे जाएंगे और पट्टेदार/पट्टेदारों, राज्य शासन को जब कभी अपेक्षित किये जाएं, ऐसे रेखांकों की सही तथा ठीक प्रतिलिपियों निःशुल्क प्रस्तुत करेगा/करेंगे. समस्त खाइयों, गढ्ढों के शुद्ध अभिलेखों में–

(क) वह अवमृदा तथा स्तर (स्ट्राटा) जिसमें वे है;
(ख) कोई खनिज जो मिला है;
(ग) राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हित का कोई अन्य विषय और समस्त आंकड़े

दर्शाए जायेंगे ।

पट्टेदार/पट्टेदारों इस निमित्त राज्य शासन व्दारा प्राधिकृत अधिकारी को समस्त युक्तियुक्त समयों पर उसका निरीक्षण करना अनुज्ञात करेगा/करेंगे. जब कभी राज्य शासन द्वारा अपेक्षा की जाये, उस क्षेत्र का एक ऐसा संयुक्त रेखांक भी प्रदाय करेगा/करेंगे जिसमें मोटाई, झुकाव, ढाल इत्यादि के साथ–साथ भण्डार के प्रकार के अनुसार मात्रा दर्शाई जाएगी.

12. तृतीय पक्षों को हुई क्षति के लिए प्रतिकर का भुगतान.– पट्टेदार/पट्टेदारों इस विलेख द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए पट्टेदार/पट्टेदारों किसी व्यक्ति या संपत्ति के किये गये समस्त नुकसान, क्षति या बिघ्न के लिए युक्तियुक्त तथा समाधानकारक प्रतिकर देगा तथा उसका भुगतान करेगा/करेंगे और समस्त समयों पर ऐसे समस्त वादों, दावों तथा मांगों के लिए तथा उनके विरूद्ध जो कि ऐसे किसी नुकसान, क्षति या बिघ्न के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किये जाएं, राज्य शासन को हानिरहित रूप से बचाएगा और क्षतिपूरित रखेगा. शासकीय भूमि की दशा में पट्टेदार/पट्टेदारों राजस्व विभाग द्वारा संबंधित जिले की पड़त भूमि के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित की जाने वाली कीमत के पांच प्रतिशत समतुल्य राशि के प्रतिकर का भुगतान राज्य शासन को करेगा/करेंगे.

13. अन्य खनिजों की खुदाई में बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी.– पट्टेदार/पट्टेदारों एतद्द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं तथा शक्तियों का ऐसी रीति में प्रयोग करेगा/करेंगे कि जिससे उक्त भूमियों के भीतर ऐसे किसी खनिज का, जो इस पट्टे में सम्मिलित नहीं है, के विकास तथा खुदाई में कोई अनावश्यक या युक्तियुक्त रुप से परिहार्य कोई बाधा या अवरोध न हो और समस्त समयों पर, यथास्थिति, उक्त भूमियों से निकट किसी भूमि में किसी ऐसे खनिजों या किन्हीं खनिजों के संबंध में, केन्द्र और राज्य शासन तथा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों, खनि पट्टों या उत्खनन् अनुज्ञापत्र के धारकों को ऐसे खनिजों को प्राप्त करने, खुदाई करने, विकास करने तथा उनको ले जाने के प्रयोजन के लिए उन तक उक्त भूमियों के ऊपर तथा उसके आरपार युक्तियुक्त पहुंच मार्ग तथा सुरक्षित और सुविधाजनक पथ प्रदान करेगा/करेंगे. परन्तु यह कि पट्टेदार/पट्टेदारों, ऐसे पट्टेदारों या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के धारकों द्वारा ऐसे पथ के उपयोग के कारण या परिणामस्वरूप उसे/उन्हें किसी नुकसान या क्षति के लिए युक्तियुक्त प्रतिकर प्राप्त करेगा/करेंगे.

14. पट्टे का अंतरण/विलयन.– (1) पट्टेदार/पट्टेदारों, स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना–

(क) उत्खनन् पट्टा या उसमें के किसी अधिकार, हक या हित को समनुदेशित नहीं करेगा/करेंगे, उप–पट्टे पर नहीं देगा/देंगे, बंधक नहीं करेगा/करेंगे या किसी भी रीति से अंतरित नहीं करेगा/करेंगे, या

(ख) ऐसा कोई ठहराव, संविदा या समझौता नहीं करेगा/करेंगे जिसके द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों का सारवान सीमा तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से वित्त पोषण होगा जिसके द्वारा या जिसके अधीन पट्टेदार की संक्रियाएं या कारबार सारवान रूप से पट्टेदार/पट्टेदारों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की निकाय द्वारा नियंत्रित की जायं.

(ग) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी एक लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय पट्टे को पर्यवसित कर सकेगा यदि उसकी राय में पट्टेदार/पट्टेदारों ने ऊपर दिये गये उपबंधों से किसी भी उपबंध का भंग किया है या नियम 56 में दिये गये अनुसार के सिवाय पट्टे या उसमें के किसी अधिकार, हक या हित का अंतरण किया है परन्तु यह कि ऐसा कोई भी आदेश पट्टेदार/पट्टेदारों को उसका/उनका कथन करने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा.

(2) पट्टेदार/पट्टेदारों, नियम 57 के अनुसार, उत्खनन पट्टों के विलयन हेतु आवेदन के साथ, विलय हेतु प्रस्तावित पट्टों के संबंध में एकजाई खनन प्लान प्रस्तुत करेगा/करेंगे. संचालक, पट्टों के विलयन को अनुज्ञात कर सकेगा. विलयीन पट्टों की कालावधि, उस पट्टे के साथ सह–मार्गत होगी जिस पट्टे की कालावधि पहले समाप्त होगी.

15. पट्टेदार आवश्यक अतिरिक्त रकम जमा करेगा.– जब कभी रूपये . . . . का प्रतिभूति निक्षेप या उसका कोई भाग या प्रतिभूति निक्षेप की पुनः पूर्ति करने, राज्य शासन के पास इसमें इसके पश्चात् जमा की गई और रकम समपहृत की जाय या इसमें इसके पश्चात् घोषित शक्ति के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा उपयोग की जाये, तब पट्टेदार/पट्टेदारों राज्य शासन के पास ऐसी और रकम जमा करेगा/करेंगे जो कि प्रतिभूति रकम के अविनियोजित भाग के साथ मिलकर राज्य शासन के पास जमा रकम को रूपये . . . . तक लाने के लिए पर्याप्त हो.

16. पट्टे का पर्यवसान किये जाने पर अच्छी हालत में खदान की राज्य शासन को सुपुर्दगी.– पट्टेदार/पट्टेदारों उक्त अवधि या उसके नवीनीकरण का अवसान होने पर या ऐसी अवधि के पहले उसका पर्यवसान कर दिये जाने पर, राज्य शासन को समस्त खानें, गढ़ढ़े, जलमार्ग और अन्य कार्य जो अब विद्यमान है या जो इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि पर खोदे जाने वाले है या उस पर या उसके अधीन बनाये जाने वाले है, सिवाय उनके जिनका राज्य शासन की स्वीकृति से परित्याग कर दिया गया है और किसी सामान्य या उचित कार्यकरण वाले समस्त इंजिनों, मशीनरी, संयंत्र, भवनों, संरचनाएं, अन्य कार्य तथा सुविधाएं, जो कि उक्त अवधि के प्रारंभ होने के समय उक्त भूमि पर या उसके नीचे थे. तथा पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा स्थापित ऐसी समस्त मशीनरी जो कि खानों को क्षति पहुंचाये बिना निकाली नहीं जा सकती या उक्त भूमि के नीचे के खुदाई कार्य (सिवाय उसमें से ऐसे जो राज्य शासन की स्वीकृति से काम में न लाने वाले हो गये हैं) और पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा भूतल के ऊपर ईंटों या पत्थर से बनाये गये समस्त भवन तथा संरचनाएं, अच्छी मरम्मत की हालत में तथा दशा में और उक्त खानों का तथा उक्त खनिजों की और खुदाई के लिए समस्त दृष्टि से उपयुक्त हों, सुपुर्द करेगा/करेंगे.

17. अग्रक्रय का अधिकार.– (क) राज्य शासन को, उक्त अवधि के दौरान समय–समय पर तथा समस्त समयों पर एतद्द्वारा अंतरित उक्त भूमियों में पड़े उक्त खनिजों पट्टेदार/पट्टेदारों या पट्टेदार/पट्टेदारों के नियंत्रण में और कहीं पड़े हुए उक्त खनिजों को समस्त शीघ्रता से समस्त खनिजों को या इस उपबंध के अधीन, राज्य शासन द्वारा क्रय किये गये उत्पाद या खनिजों को, ऐसी मात्रा में, ऐसे समयों पर, ऐसी रीति में तथा ऐसे स्थान पर, जो कि उक्त अधिकारों का प्रयोग करने बाबत् सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, सुपुर्द करेगा/करेंगे.

(ख) राज्य शासन द्वारा, एतद्द्वारा, प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, अग्रक्रय में लिये गये समस्त खनिजों या खनिजों के उत्पादों की भुगतान की जाने वाली कीमत वह होगी जो कि अग्रक्रय के समय विद्यमान उचित बाजार कीमत हो:

परन्तु यह कि उक्त उचित बाजार कीमत की संगणना करने में सहायता करने की दृष्टि से पट्टेदार/पट्टेदारों यदि ऐसी अपेक्षा की जाये, राज्य शासन को, उसकी गोपनीय जानकारी के लिए अन्य ग्राहकों को, बेचे गये उक्त खनिजों या उनके उत्पादों की मात्राओं, वर्णनों तथा कीमतों के और मालभाड़े के लिए, उसका वहन करने के लिए किये गये भाटक पत्र (चार्टर) के विवरण प्रस्तुत

करेगा/करेंगे और ऐसी अधिकारी या अधिकारियों को, जैसा कि राज्य शासन द्वारा निदेशित किया जाय, ऐसे खनिजों या उत्पादों के विक्रय या मालभाड़े के लिए पक्षकारों व्दारा की गई संविदाओं तथा भाटक पत्रों की मूल या अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करेगा/करेंगेः

(ग) युद्ध स्थिति या आपात–काल के विद्यमान रहने की दशा में (जिस के विद्यमान रहने के बारे में भारत के राष्ट्रपति एकमात्र निर्णायक रहेंगे और भारत के राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना निश्चायक सबूत होगी) राज्य शासन को केन्द्रीय सरकार को सहमति से, उक्त अवधि के दौरान समय–समय पर तथा समस्त समयों पर उक्त भूमियों पर या उनके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों के कार्यों, संयंत्र, मशीनरी तथा परिसर का या इस पट्टे के अधीन संक्रियाओं का तत्काल कब्जा तथा नियंत्रण लेने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेदार/पट्टेदारों को एक लिखित सूचना द्वारा किया जाएगा) और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान पट्टेदार ऐसे कार्यों, संयंत्रों, परिसरों तथा खनिजों के उपयोग करने या उन्हें काम में लाने के बारे में केन्द्रीय या राज्य शासन व्दारा या उसकी ओर से दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन तथा पालन करेगा/करेंगेः

परन्तु यह कि ऐसे उचित प्रतिकर का, जो कि राज्य शासन व्दारा करार करने में व्यतिक्रम किये जाने पर उसके द्वारा अवधारित किया जाये, पट्टेदार/पट्टेदारों को, इस खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में या उसके परिणामस्वरूप उसे/उन्हें हुए समस्त हानि का या नुकसान का भुगतान किया जाएगाः

परन्तु यह और ऐसी शक्तियों का प्रयोग, एतद्द्वारा, प्रदान की गई उक्त अवधि को पर्यवसित नहीं करेगा या इस विलेख के निबंधों तथा उपबंधों को, इस खण्ड के उपबंधों को प्रभावशील करने के लिए आवश्यकता से अधिक प्रभावित नहीं करेगा।

18. राज्य शासन द्वारा किये गये व्ययों की वसूली.– यदि कोई ऐसे कार्य या विषय जो कि उस निमित्त इसमें इसके पूर्व अंतविष्ट प्रसंविदाओं के अनुसार पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा किये जाने है या उनका पालन किया जाना है. उस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर नहीं किये जाते है या उनका पालन नहीं किया जाता है, तो राज्य शासन उन्हें करवा सकेगा या उनका पालन करवा सकेगा और पट्टेदार/पट्टेदारों, मांग की जाने पर, राज्य शासन को ऐसे समस्त व्ययों का भुगतान करेगा/करेंगे, जो कि इस प्रकार कार्य किये जाने या उनका अनुपालन किये जाने में किये गये हों तथा ऐसे व्ययों के संबंध में राज्य शासन का विनिश्चय् अंतिम होगा।

19. अन्य बाध्यताएं.– (क) पट्टेदार/पट्टेदारों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्रीय या राज्य शासन द्वारा समय–समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से अन्यून मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा/करेंगे;

(ख) पट्टेदार/पट्टेदारों, खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा/करेंगे;

(ग) पट्टेदार/पट्टेदारों, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा/करेंगे;

(घ) पट्टेदार/पट्टेदारों, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा/करेंगे;

(ड.) पट्टेदार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा/करेंगे;

(च) पट्टेदार/पट्टेदारों स्वयं के व्यय पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, भूमि का पुनरूद्धार, प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों का उपयोग जैसे उपाय और ऐसे अन्य उपाय करेगा/करेंगे जैसे कि कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किये जाये;

(छ) पट्टेदार/पट्टेदारों, नियमों में निर्धारित तारीख पर तथा रीति में भूमि के अधिभोगी को प्रतिकर का भुगतान करेगा/करेंगे;

(ज) पट्टेदार/पट्टेदारों, नियोजन के विषय में, जनजातियों तथा स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा/देंगे;

(झ) पट्टेदार/पट्टेदारों नियमों में यथा उपबंधित विधिमान्य अभिवहन पास के बिना पट्टा क्षेत्र से कोई खनिज या उसके उत्पाद का परिवहन नहीं करेगा/करेंगे।

भाग—आठ

राज्य शासन की प्रसंविदाएं

1. **पट्टेदार/पट्टेदारों अधिकारों को निर्बाध रूप से धारण तथा उनका उपभोग कर सकेगा/सकेंगे.**— पट्टेदार/पट्टेदारों, एतद्द्वारा आरक्षित भाटकों तथा स्वामिस्वों का भुगतान करने पर और इसमें अंतर्विष्ट समस्त प्रसंविदाओं तथा करारों का पालन तथा संपादन करने पर या पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से पालन तथा संपादन किये जाने पर, ऐसे अधिकारों तथा परिसरों का, जो एतद्द्वारा, पट्टान्तरित किये गये है तथा ऐसी अवधि के दौरान, जो कि, एतद्द्वारा, प्रदान की जाती है, राज्य शासन या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उसके अधीन दावा करे, बिना किसी अवैध विघ्न के धारण करेगा/करेंगे या धारण कर सकेगा/कर सकेंगे और उनका उपभोग करेगा/करेंगे या उपभोग कर सकेगा/कर सकेंगे.

2. **तृतीय पक्षों की भूमि का अर्जन तथा उसका प्रतिकर.**— यदि, इस अनुसूची के भाग—सात के खण्ड 4 के उपबंध के अनुसार, पट्टेदार/पट्टेदारों उक्त भूमियों के किसी भाग की सतह के दखलकार को किसी नुकसान या क्षति के लिए, जो कि पट्टेदार/पट्टेदारों की प्रस्तावित संक्रियाओं के कारण उद्भूत हों, प्रतिकर देने की प्रस्थापना करे और उक्त दखलकार राज्य शासन को आरक्षित तथा इस विलेख द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को पट्टान्तरित किये गये है अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करने में अपनी सहमति देने से इंकार करे तो पट्टेदार/पट्टेदारों इस विषय की रिपोर्ट राज्य शासन को करेगा/करेंगे और उसके पास वह रकम जमा करेगा/करेंगे जो कि प्रतिकर के रूप में प्रस्थापित की थी और यदि राज्य शासन का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिकर की प्रस्थापित रकम उचित तथा युक्तियुक्त है या यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है और पट्टेदार/पट्टेदारों ने उसके पास ऐसी और रकम, जैसी कि राज्य शासन उचित तथा युक्तियुक्त समझे, तो राज्य शासन दखलकार को यह आदेश देगा कि वह पट्टेदार/पट्टेदारों को उस भूमि में प्रवेश करना और ऐसी संक्रियाएं करना अनुज्ञात करे, जैसी कि इस पट्टे के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, ऐसे प्रतिकार की रकम का निर्धारण करने में राज्य शासन, भूमि अर्जन अधिनियम के सिद्धान्तों से मार्गदर्शित होगा।

3. **नवीनीकरण किया जाना.**— नियमों के उपबंधों की शर्तों के अनुसार उत्खनन पट्टा नवीनीकरण किये जाने योग्य है.

4. **पट्टा पर्यवसित करने की स्वतंत्रता.**— (1) पट्टेदार/पट्टेदारों, स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को कम से कम छः कैलेण्डर मास की एक लिखित सूचना देकर इस पट्टे को किसी भी समय पर्यवसित कर सकेगा/कर सकेंगे और ऐसी सूचना का अवसान होने पर, यदि पट्टेदार/पट्टेदारों ऐसा अवसान होने पर समस्त भाटकों, स्वामिस्वों, नुकसानों के लिए प्रतिकर और ऐसा धन देगा/देंगे और उसका भुगतान करेगा/करेंगे जो कि उस समय शोध्य हो तथा इस विलेख के अधीनस्थ पट्टाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्तियों को देय है और इस विलेख को राज्य शासन को परिदत्त करेगा, तब यह पट्टा तथा उक्त अवधि और एतद्द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार अत्यंतिक रूप से समाप्त हो जायेंगे तथा पर्यवसित हो जाएंगे किन्तु वे, इस विलेख में अंतर्विष्ट किन्हीं प्रसंविदाओं या करार के किसी भंग के संबंध में पट्टाकर्ता के किसी अधिकार या उपचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे.

   (2) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी, पट्टेदार द्वारा किये गये आवेदन पर उसे उसके पट्टे से, जो कि खनिजों के समूह के लिए है, एक या अधिक खनिजों का इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि उस खनिज के भंडार अब इस सीमा तक निःशेष हो चुके हैं या उनका इस सीमा तक ह्रास हो गया है कि उस खनिज के बारे में कार्य करना आर्थिक रूप से और आगे संभव नहीं है, अभ्यर्पित करने की अनुज्ञा देगा, कि पट्टेदार—

   (क) ऐसे खनिज के अभ्यर्पण के लिए आवेदन ऐसी आशयित तारीख के कम से कम छः माह पूर्व करेगा, और

(ख) यह वचन देता है कि वह, इस प्रकार अभ्यर्पित खनिज के बारे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे उस खनिज के लिए बाद में उत्खनन पट्टा प्रदान किया गया है, की जाने वाली खुदाई में कोई रूकावट कारित नहीं करेगा.

5. **प्रतिभूति निक्षेपों की प्रतिदाय.**— इस पट्टे या उसके किसी नवीनीकरण का पर्यावसान होने के पश्चात् ऐसी तारीख को जिसे कलेक्टर चयन करें, इस पट्टे के संबंध में भुगतान की गई प्रतिभूति निक्षेप की रकम का, जो राज्य शासन के पास जमा है और जिसका उपयोजन इस पट्टे में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित नहीं है, पट्टेदार/पट्टेदारों को प्रतिदाय कर दी जाएगी. प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं होगा।

भाग—नौ

सामान्य उपबंध

1. **निरीक्षण में बाधाएं.**— इस मामले में, जहां पट्टेदार/पट्टेदारों या उसका/उनके अंतरिकी, समनुदेशिती उन अधिकारियों द्वारा, जो उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किये गये है, प्रवेश किये जाने या निरीक्षण किये जाने को अनुज्ञात नहीं करता है, तो कलेक्टर, पट्टेदार/पट्टेदारों को लिखित सूचना देगा तथा उससे/उनसे यह आदेश करेगा कि वह/वे ऐसे समय के भीतर, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, यह कारण बतलाए कि पट्टा क्यों न पर्यवसित कर दिया जाये तथा उसका/उनके प्रतिभूति निक्षेप क्यों न समपहृत कर लिये जाएं, और यदि पट्टेदार/पट्टेदारों उपरोक्त समय में स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को समाधानपर्यन्त कारण बतलाने में असफल रहता है/रहते है तो वह पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा प्रतिभूति निक्षेप की सम्पूर्ण राशि या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगा,

2. **स्वामिस्व (रायल्टी) का भुगतान करने में व्यक्तिक्रम करने तथा प्रसंविदाओं का भंग करने के मामले में शास्ति.**—यदि पट्टेदार/पट्टेदारों या उसका/उनके अंतरिती या समनुदेशिती नियमों, अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित भाटक या स्वामिस्व का भुगतान करने में व्यक्तिक्रम करता है/करते है या शर्तो में से किसी शर्त तथा प्रसंविदा का, उन शर्तो को छोड़कर, जो कि ऊपर प्रसंविदा 1 में निर्दिष्ट है, भंग करता है/करते है, तो कलेक्टर, पट्टेदार/पट्टेदारों से यह अपेक्षा करते हुए नियम 51 (1)(घ) के अनुसार सूचना देगा कि वह/वे यथास्थिति, भाटक, स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उपचार, सूचना की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर करे/करें और यदि ऐसे समय के भीतर भाटक तथा स्वामिस्व का भुगतान या भंग का उपचार नहीं किया जाता है, तो स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, जो कि उसके/उनके विरूद्ध की जा सकती है, पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा प्रतिभूति निक्षेप की संपूर्ण राशि या उसका कोई भाग समपहृत कर सकेगा या नियमों में यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित कर सकेगा.

3. **पट्टे का अवसान होने पर पट्टेदार/पट्टेदारों उसकी/उनकी संपत्ति हटा लेंगे.**— पट्टेदार/पट्टेदारों, इस विलेख के कारण देय भाटकों तथा स्वामिस्वों का प्रथमतः भुगतान करने पर तथा उन्हें उन्मोचित करने पर उक्त अवधि का अवसान होने के पश्चात् या उसका पूर्वतर पर्यावसान किये जाने के पश्चात् या उसके पश्चात् तीन कैलेण्डर माह के भीतर (जब तक कि पट्टा इस भाग के खण्ड 1 तथा 2 के अधीन पर्यवसित न कर दिया जाए और उस मामले में, पन्द्रह दिन से कम न होने वाले समय में किसी भी समय, ना कि ऐसे पर्यवसान से तीन कैलेण्डर माह के भीतर) उसके/उनके फायदे के लिए समस्त या किसी इंजन, मशीनरी, संयंत्र, भवन, संरचना, ट्रामपथ तथा अन्य किसी कार्य, परिनिर्माण और सुविधाओं को, जो कि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा उक्त भूमियों में या उन पर खड़े किये गये हों, स्थापित किये गये हों, या रखे गये हों, और जिन्हें पट्टेदार/पट्टेदारों इन नियमों के अधीन राज्य शासन को परिदत्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं/नहीं है, उठाए जा सकेंगे तथा हटाये जा सकेंगे.

4. **पट्टा पर्यवसित किये जाने से तीन मास से अधिक समय के पश्चात् रहने दी गई सम्पत्ति का समपहरण.**— यदि उक्त अवधि के अवसान या इस अनुसूची के भाग—आठ के खण्ड 4 में अंतर्विष्ठ उपबंध के अधीन उस अवधि के पूर्वतर पर्यावसान के प्रभावी होने से तीन कैलेण्डर माह के अंत में उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजिन, मशीनरी, संयंत्र, भवन, संरचनाएं, ट्रामपथ तथा अन्य कार्य, परिनिर्माण और सुविधाओं या अन्य संपत्ति, जो कि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा, खनि पट्टे के अधीन उसके द्वारा/उनके द्वारा धारित किन्हीं अन्य भूमियों में किये जावे वाले संकायों के संबंध में अपेक्षित नहीं है, तो

वे उन्हें हटाये जाने की अपेक्षा करते हुए, कलेक्टर द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों को दी गई लिखित सूचना के पश्चात् यदि एक कैलेण्डर माह के भीतर न हटाये जाये, तो वे उनके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई प्रतिकर देने या उस बाबत् उन्हें कैफियत देने के दायित्व के बिना राज्य शासन की संपत्ति समझे जायेंगे तथा वे ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य शासन उचित समझे, विक्रय किये जा सकेंगे या उनका निपटारा किया जा सकेगा.

5. यह पट्टा .... में निष्पादित किया गया है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अध्यधीन, पट्टेदार और पट्टाकर्ता के बीच, एतद्द्वारा, यह करार किया जाता है कि पट्टे के अधीन क्षेत्र, पट्टे की शर्त, पट्टे के अधीन वसूली शोध्यों के संबंध में तथा पट्टेदार और पट्टाकर्ता के संबंध के बारे में कोई विवाद होने की दशा में, वाद (या अपीलें) . . . . स्थित (नगर का नाम) के सिविल न्यायालयों में फाइल किये जायेंगे तथा यह स्पष्टतः करार किया जाता है कि ऊपर नामित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में कोई वाद फाइल करने या कोई कार्रवाई करने या कोई याचिका फाइल करने के लिए पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार सक्षम नहीं होगा.

6. स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित क्षेत्र से प्रत्याशित स्वामिस्व रूपये . . . . .प्रतिवर्ष हैं.

जिसके साक्ष्य में यह विलेख, प्रथमतः ऊपर लिखी तारीख को इसके अधीन वर्णित रीति में निष्पादित किया गया हैं.

राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिए तथा उनकी ओर से

द्वारा हस्ताक्षरित
तारीख
(पट्टाधारी)
तारीख
(हस्ताक्षरित तथा पदाभिधान)

साक्षीः—

(1) हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता या पति या पत्नी ....
पता ....

(2) हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता या पति या पत्नी ....
पता ....

प्ररूप चौदह

[नियम 51(14) देखिए]

गौण खनिजों के प्रेषण के लिए अभिवहन पास/अभिवहन पासबुक जारी करने के लिए आवेदन

1. पट्टे/अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा धारक का नाम
2. पता
3. पट्टा/अनुज्ञप्ति/अनुज्ञापत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक और दिनांक
4. खनिज का स्त्रोतः–
   (एक) खदान/अनुज्ञा का ग्राम
   (दो) तहसील
   (तीन) पंचायत
   (चार) पुलिस थाना
   (पांच) जिला
5. खनिज का नाम
6. स्टाक में खनिज की मात्रा एवं प्रेषण/परिवहन किये जाने की प्रस्तावित मात्रा, परिवहन का तरीका
7. प्रेषण का प्रयोजन (स्वयं के उपभोग/विक्रय के लिए,

   विक्रय के मामले में, खरीददार का नाम व पता दिया जाना चाहिए)
8. रेल परिवहन के मामले में –
   (एक) लदान का स्टेशन
   (दो) माल का गंतव्य, माल पाने वाले का नाम एवं पते के साथ.
9. खनिज का विक्रय मूल्य
10. कालावधि, जिसके भीतर आवेदक उक्त मात्रा का प्रेषण/परिवहन करना चाहता हैं.
11. अन्य विशिष्टियां, जो आवेदक दर्शाना चाहता हैं.

मैं/हम एतदद्वारा प्रमाणित करता/करती हूं/करते है कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरे/हमारे अधिकतम जानकारी एवं विश्वास अनुसार सही है.

स्थान : आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक : नाम ....

प्ररूप पन्द्रह

[51(20)(क), 58(4)(ड.), 70(2)देखिए]

गौण खनिज के उत्खनन पट्टा/अनुज्ञापत्र की मासिक विवरणी

(आगामी माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत किया जाएं)

माह ....

प्रति,
1. कलेक्टर,
   जिला ....
2. ग्राम पंचायत
   ....

(क) पट्टेदार/अनुज्ञाधारक का नाम ....

(ख) डाक का पता/दूरभाष क्रमांक/ई–मेल ....

....

(ग) उत्खनन खदान/अनुज्ञा की अवस्थिति : जिला ....,तहसील..............................

..............., ब्लॉक ...., ग्राम पंचायत ....

..................,

पटवारी हल्का क्रमांक ...., ग्राम ....

(घ) उत्खनन पट्टे/अनुज्ञा का ब्यौरा : खनिज/खनिजों ....

....

क्षेत्र हेक्टेयर में .... पट्टा/अनुज्ञा की अवधि .... से ....तक
खसरा क्रमांक ....

नोटः– सभी आंकड़े घनमीटर में दिये जायें.

1. प्रारंभिक स्टाक ....
2. खनिज का उत्पादन ....
3. योग (1 + 2) ....
4. खनिज की खपत ....
5. खनिज का प्रेषण ....
6. खपत एवं प्रेषण का योग (4 + 5) ....
7. अंत में स्टाक (3–6) ....
8. उपयोग में लाये गये अभिवहन पास बुक क्रमांक तथा सरल क्रमांक ....
9. खपत किये गये खनिज से उत्पाद ....

   (क) प्रारंभिक स्टाक ....

(ख) उत्पादन ....

(ग) योग (क+ख) ....

(घ) प्रेषण ....

(ड.) अंत में स्टाक (ग – घ) ....

10. भुगतान योग्य बकाया स्वामिस्व ....

11. इस माह के लिए स्वामिस्व ....

12. कुल स्वामिस्व (10+11) ....

13. भुगतान किया गया स्वामिस्व चालान कमांक................ दिनांक .... स्थान ....

14. शेष बकाया (12–13) ....

15. टिप्पणियां ....

दिनांक ....

स्थान .... पट्टा/अनुज्ञा धारक अथवा उसके प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर.........................

प्ररूप सोलह

[नियम 51(20)(ख)देखिए]

गौण खनिज के उत्खनन पट्टा की अर्द्धवार्षिकी विवरणी

1.1. 20....... से 30.6.20.........
1.7.20.......से 31.12.20..........

(15 जुलाई / 15 जनवरी तक प्रस्तुत किया जाये)

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला ....
2. ग्राम पंचायत
   ....

(क) उत्खनन पट्टेदार धारक का नाम ....

(ख) डाक का पता / दूरभाष क्रमांक / ई–मेल ....

....

(ग) उत्खनन पट्टे की अवस्थिति : जिला ....,तहसील..,

ब्लॉक ...., ग्राम पंचायत ....,

पटवारी हल्का क्रमांक ...., ग्राम ....

(घ) उत्खनन पट्टे का ब्यौरा : खनिज / खनिजों ....

क्षेत्र हेक्टेयर में .... पट्टा की अवधि .... से ....तक
खसरा क्रमांक...

नोटः– सभी आंकड़े घनमीटर में दिये जायें.

1. अर्धवर्ष में कुल उत्पादन ....
2. खपत ....
3. प्रेषण ....
4. योग (2 + 3) ....
5. स्वामिस्व ....
6. भुगतान किया गया अनिवार्य भाटक ....
7. भुगतान योग्य स्वामिस्व (5–6) ....
8. भुगतान किया गया स्वामिस्व चालान क्रमांक......... दिनांक .... स्थान ....
9. कृपया इनका ब्यौरा दें–

   (1) गड्ढा मुख्य मूल्य ....
   (2) विक्रय मूल्य ....
   (3) प्रतिदिन नियोजित व्यक्तियों की औसत संख्या ....

(4) खदान की गहराई ....

(5) विस्फोटकों का उपयोग, यदि कोई है, ...

10. टिप्पणी ....
....

दिनांक ....

स्थान ....

पट्टा/अनुज्ञा धारक अथवा उसके प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर...................................

प्ररूप सत्रह

[नियम 51(20)(ग), 70(2)देखिए]

गौण खनिज के उत्खनन पट्टा अनुज्ञापत्र की वार्षिक विवरणी
(प्रतिवर्ष 31 जनवरी तक प्रस्तुत की जाये)

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला ....
2. ग्राम पंचायत
   ....

भाग–एक सामान्य

(क) पट्टेदार का नाम ....

(ख) डाक का पता / दूरभाष कमांक / ई–मेल ....

....

(ग) उत्खनन पट्टे की अवस्थिति : जिला ....,तहसील...,

ब्लॉक ...., ग्राम पंचायत ....,

पटवारी हल्का कमांक ...., ग्राम ....

(घ) उत्खनन पट्टे का ब्यौरा : खनिज / खनिजों ....

क्षेत्र हेक्टेयर में .... खसरा कमांक .... निष्पादन कमांक....................धारण करने का दिनांक .... उत्खनन पट्टे की अवधि .... से ....तक

5. पूर्व उत्खनन पट्टे का अंतरण यदि कोई हो तो ....
   अंतरण की तारीख
6. स्वामित्व (कृपया चिन्ह लगाइये)

   (एक) अनुसूचित जनजाति सोसायटी

   (दो) अनुसूचित जाति सोसायटी

   (तीन) शिक्षित बेरोजार सोसायटी

   (चार) व्यक्ति
   (पॉच) (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि दर्शाएं)
   (छः) कोई अन्य

भाग–दो क्षेत्र का उपयोग

7. वर्ष के अंत में पट्टा क्षेत्र का उपयोग –

   (क) क्षेत्र जिसका पहले से ही उपयोग किया जा चुका है तथा त्यागा जा चुका है. ....

(ख) वर्तमान संक्रियाओं के अधीन आने वाला क्षेत्र ....

(ग) अवशिष्ट के निपटान में उपयोग किया गया क्षेत्र ....

(घ) किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया क्षेत्र (ब्यौरा दें) ....

भाग–तीन भाटक तथा स्वामिस्व

8. वर्ष के दौरान भुगतान किया गया स्वामिस्व–

(क) वर्ष के दौरान स्वामिस्व

(ख) पिछली बकाया की राशि यदि कोई हो जो इस वर्ष के दौरान भुगतान की गई है.

9. इस वर्ष के दौरान भुगतान किये गये अनिवार्य भाटक की राशि.

10. सतही भाटक क्षेत्र जिसके लिए सतही भाटक भुगतान योग्य है–

(एक) वर्ष के लिए भुगतान की गई राशि.

(दो) पिछले बकाया, यदि कोई हो, की राशि जो भुगतान की गई है.

भाग–चार उत्पादन एवं प्रेषण

11. उत्पादन एवं प्रेषण

(एक) प्रारंभिक स्टाक

(दो) उत्पादन

(तीन) प्रेषण

(चार) अंतिम स्टाक

भाग–पांच उत्पादन लागत

12. (एक) लागत प्रति टन

(दो) उपरि लागत

(तीन) ब्याज

(चार) मूल्यह्रास

(पांच) कर, स्वामिस्व (रायल्टी) इत्यादि

13. उपयोग किये गये विस्फोटक तथा मशीनें (विशिष्ट विवरण दें)

भाग–छः सामान्य भू–विज्ञान और खनन

14 (क) क्षेत्र का सामान्य भू–विज्ञान

(एक) भू–विज्ञान

(दो) अपशिष्ठ के रूप में खोदे एवं निपटाये गये चट्टान/खनिज का नाम

(तीन) खोदे गये पर विक्रय नहीं किये गये अर्थात अस्वीकृत चट्टान/खनिज का नाम

(चार) वर्ष के दौरान आंकलन किये गये भंडार एवं संसाधन

(ख) अन्वेषण :

मद	संख्या	मीटर	ग्रीड/आकार	टिप्पणी
वेधन				
खाईकरण				
गड्ढाकरण				

(ग) खनन :

(एक) पेढ़ियों (बेन्चों) की संख्या : खनिज में .... अधिभार में ....

(दो) पेढ़ियों की ऊंचाई (मीटर में) : औसत .... अधिकतम .... न्यूनतम ....

(तीन) लगी हुई भूमि से सर्वाधिक गहराई का कार्य स्थल ....

(चार) वर्ष के दौरान लगाये गये वृक्षों की संख्या ....

(पांच) विगत वर्ष तक लगाये गये पौधे .... जीवित वृक्षों की संख्या ....

(छः) आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित खनिज उत्पादन ....

(सात) कृपया उन विशिष्टियों को दर्शाएं जिनके कारण वर्ष के दौरान उत्खनन संक्रियाएं प्रभावित हुई हो : ....

....

दिनांक ....
स्थान ....

पट्टा/अनुज्ञा धारक अथवा उसके प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर..............

प्ररूप अठारह

[नियम 51(24) देखिए]

सूचना

1. (क) खान का नाम

   (ख) खनन किये गये खनिज का नाम

   (ग) खान की स्थिति (ग्राम, थाना, अनुविभाग, जिला, राज्य)

   (घ) दिनांक जब प्रथम बार कार्य प्रारंभ किया गया था.

2. (क) वर्तमान मालिक/मालिकों का नाम, डाक का पता, दूरभाष और ई–मेल

   (ख) अभिकर्ता का नाम, डाक का पता, दूरभाष और ई–मेल यदि कोई हो.

3. (क) प्रबंधक का नाम एवं डाक का पता.

   (ख) उसकी आयु

   (ग) उसकी अर्हताएं

   (घ) खनन के कार्य में उसका अनुभव

4. क्या खनन क्रियाओं का भूमितल के नीचे विस्तार किये जाने की संभावना है.

5. (क) सबसे ऊपरी बिन्दु से नीचे तक परिमापित खुली खदान में की गई खुदाई की अधिकतम गहराई.

   (ख) दिनांक जब प्रथम बार गहराई 6 मीटर से अधिक हुई है.

6. (क) उपयोग किये गये विस्फोटकों का स्वरूप, मात्रा एवं प्रकार, यदि कोई हो.

   (ख) दिनांक जब प्रथम बार विस्फोटकों का उपयोग किया गया.

....

मालिक/अभिकर्ता/प्रबंधक का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक ....

प्रति इनको भेजी जाए :—

1. महानिदेशक, खान सुरक्षा, भारत शासन, धनबाद.
2. महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, भारत शासन, नागपुर.
3. जिला दण्डाधिकारी, उस जिले का जहां खान स्थित है.
4. खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी

प्ररूप उन्नीस
[नियम 56(3) देखिए]

गौण खनिज के उत्खनन पट्टा के अंतरण के लिये आदर्श प्ररूप

जब अंतरक एक व्यक्ति है .... यह विलेख एक पक्षकार के रूप ....में दिनांक..................20................के बीच (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जो इसमें पश्चात् ''अंतरक'' के रूप में निर्दिष्ट है जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो, वहां इसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे);

अथवा

जब अंतरक एक सोसाइटी/सहयोजन है .... (सोसाइटी/सहयोजन का नाम, पता और उपजीविका) और .... (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जो इसमें पश्चात् ''अंतरक'' के रूप में निर्दिष्ट है जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो इसके अंतर्गत क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उनके अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे);

अथवा

जब अंतरक एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है प्रथम पक्षकार के रूप में.. (सभी भागीदारों का नाम और पता सहित) जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक फर्म है और जो .... (एक फर्म का नाम) नाम तथा अभिधान के अधीन भागीदारी में कारबार चला रही है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... में है (जो इसमें इसके पश्चात् ''अन्तरक'' के रूप में निर्दिष्ट है जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत क्रमशः उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे)

अथवा

और जब अंतरक रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी है .... (कंपनी का नाम) जो .... (अधिनियम जिसके अधीन निगमित है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... (पता) में है (जो इसमें इसके पश्चात् ''अन्तरक'' के रूप में निर्दिष्ट है जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत क्रमशः उसके उत्तराधिकारी निष्पादक प्रशासक प्रतिनिधि और उनके अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे)

और

जब अंतरिती एक व्यक्ति है .... (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जो इसमें पश्चात् ''अंतरिती'' के रूप में निर्दिष्ट है जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो, वहां इसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे)

अथवा

जब अंतरिती एक सोसाइटी/सहयोजन है .... (सोसाइटी/सहयोजन का नाम, पता और उपजीविका) और .... (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जो इसमें इसके पश्चात् '' अंतरिती'' कहा गया है जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत उसके क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उसके अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे).

अथवा

जब अंतरिती रजिस्ट्रीकृत एक फर्म है प्रथम पक्षकार के रूप में.. (सभी भागीदारों का नाम और पता सहित) जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन

रजिस्ट्रीकृत एक फर्म है (जो फर्म का नाम) .... तथा अभिधान के अधीन भागीदारी में कारबार चला रही है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... में है (जो इसमें इसके पश्चात् ''अंतरिती'' के रूप में निर्दिष्ट है जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत उसके क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे)

और

तृतीय पक्षकार के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जो इसमें इसके पश्चात् ''राज्य शासन'' के रूप में निर्दिष्ट है जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो, वहां इसके अन्तर्गत क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और उनके अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे) के बीच आज तारीख ....माह .... सन् .... को किया गया.

यतः तारीख .... के पट्टा विलेख के आधार पर, जो .... (स्थान) के उप–रजिस्ट्रार कार्यालयों में तारीख .... को संख्या .... के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है (जो इसमें इसके पश्चात् ''पट्टा'' के रूप में निर्दिष्ट है और जिसकी मूल प्रति को, उस पर ''क'' चिन्हांकित कर इसके साथ संलग्न किया गया है, जो राज्य शासन (जो इसमें इसके पश्चात ''पट्टाकर्ता'' के रूप में निर्दिष्ट है) और अन्तरक जो इसमें इसके पश्चात''पट्टेदार'' के रूप में निर्दिष्ट है के बीच किया गया है, अन्तरक उससे संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमियों में वर्णित उस अवधि के लिए तथा उन भाटकों और स्वामिस्वों (रायल्टी) का भुगतान करने पर पट्टेदार की प्रसंविदा और शर्तों का, जो उक्त पट्टा विलेख में आरक्षित और अन्तर्विष्ट है, पालन और अनुपालन करने पर .... (खनिज/खनिजों का नाम) ढूंढ़ने के संबंध में, प्राप्त करने और खान और खनिजों से संबंधित कार्य करने का हकदार है तथा जिसके अन्तर्गत ऐसी प्रसंविदा भी है कि वह, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, पट्टा या उसके अधीन किसी हित का समनुदेशन नहीं करेगा.

और यतः अन्तरक अब अन्तरिती को पट्टे का अन्तरण और समनुदेशन करना चाहता है और सक्षम प्राधिकारी के अन्तरक की प्रार्थना पर आदेश क्रमांक .... दिनांक .... अन्तरक को पट्टे का ऐसा अन्तरण और समनुदेशन इस शर्त पर करने की अनुज्ञा दे दी है, कि अन्तरिती एक ऐसा करार करेगा जिसमें इसमें इसके पश्चात् वर्णित निबंधन और शर्ते होंगी ।

अब यह विलेख निम्नानुसार इस बात का साक्षी है किः

1. अन्तरिती एतदद्वारा राज्य शासन से प्रसंविदा करता है कि पट्टे के अंतरण और समनुदेशन से और उसके बाद, अन्तरिती इसमें इसके पूर्व कथित किए गए पट्टों में अन्तर्विष्ट सभी प्रसंविदाओं, अनुबंधों और शर्तों के सभी उपबंधों का सभी प्रकार से पालन और अनुपालन करने के लिए और उसके अनुरूप कार्य करने के लिए उसी प्रकार से आबद्ध और दायी होगा मानो कि वह पट्टा अन्तरिती को पट्टेदार के रूप में इस प्रकार प्रदान किया गया था और उसने उसे मूल रूप में निष्पादित किया है.–

2. एक पक्षकार के रूप में अन्तरक और दूसरे पक्षकार के रूप में अंतरिती के बीच एतदद्वारा यह और करार किया जाता है और उनके द्वारा घोषणा की जाती है कि –

(एक) अन्तरक और अन्तरिती यह घोषणा करते है कि उन्होंने यह सुनिश्चित् कर लिया है कि जिस क्षेत्र के लिए खनि पट्टा अन्तरित किया जा रहा है उस पर खनिज संबंधी अधिकार राज्य शासन में निहित है.

(दो) अन्तरक एतदद्वारा यह घोषणा करता है कि उसने उत्खनन पट्टे का, जो अब अन्तरित किया जा रहा है, समनुदेशन नहीं किया है, उप–पट्टे पर नहीं दिया है, बंधक नहीं किया है या किसी अन्य रीति में अन्तरित नहीं किया है और कि अन्तरित किये जा रहे वर्तमान खनि पट्टे में किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अधिकार, हक या हित नहीं है.

(तीन) अन्तरक यह भी घोषणा करता है कि उसने ऐसा कोई करार, संविदा या समझौता नहीं किया है, जिसके द्वारा उसका पर्याप्त वित्त पोषण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सारवान सीमा तक किया गया था या किया जा रहा है और या जिसके द्वारा या जिसके अधीन अन्तरक

की संक्रिया या समझौते का सारभूत रूप में नियंत्रण, अन्तरक से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा किया जा रहा था या किया जा रहा है.

(चार) अन्तरिती, एतद्द्वारा, यह घोषणा करता है कि उसने वे सभी शर्तें और दायित्व स्वीकार कर लिये है, जो ऐसे उत्खनन पट्टे के संबंध में अन्तरक के पास थे.

(पांच) अन्तरिती, एतद्द्वारा यह भी घोषणा करता/करती है कि यह खनन संक्रिया के लिए वित्तीय रूप से सक्षम है और उसे स्वयं करेगा.

(छः) अन्तरक ने अन्तरिती को क्षेत्र में के और उसके चारों और 65 मीटर के दायरे में के सभी परित्यक्त कार्यो के सभी मानचित्रों की मूल या अधिप्रमाणित प्रतियां दे दी हैं.

(सात) अन्तरिती, एतद्द्वारा, यह घोषणा करता है कि इस अन्तरण के परिणामस्वरूप, उसके द्वारा उत्खनन पट्टे के अधीन धारित कुल क्षेत्र, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के उल्लंघन में नहीं हैं.

(आठ) अंतरक ने, इस पट्टे के संबंध में, आज दिनांक तक शासन को शोध्य सभी भाटक, स्वामिस्व (रायल्टी) और अन्य शोध्यों का भुगतान कर दिया हैं.

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने इसमें सर्वप्रथम लिखे दिनांक को इस पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं.

अनुसूची

पट्टे की अवस्थिति और क्षेत्र

(क्षेत्र या क्षेत्रों का विवरण) ग्राम .... तहसील .... जिला ....में स्थित भूमियों के वे सभी भूखंड जिनका खसरा नं. .... है और जिनका क्षेत्रफल ....या उसके लगभग है और जिसे इससे संलग्न नक्शे में .... रंग से दर्शाया गया है और जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैः–

उत्तर में ....द्वारा
दक्षिण में ....द्वारा
पूर्व में ....द्वारा और
पश्चिम में ....द्वारा

राज्य शासन के लिये और उसकी ओर से

1.
2.

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए.

निम्नलिखित की उपस्थिति में अन्तरक ने हस्ताक्षर किए

1.
2.

निम्नलिखित की उपस्थिति में अन्तरिती ने हस्ताक्षर किए.

1.
2.

प्ररूप बीस
[नियम 58(1)(तीन) देखिये]

उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र

आवेदन प्राप्ति का .... (स्थान) .... दिनांक .... 20...........

प्रति,

कलेक्टर
जिला ....
छत्तीसगढ़

1. निवेदन है कि मै/हम अनुसूची में विनिर्दिष्ट .... हेक्टेयर भूमि के लिए .... कालावधि हेतु .... से .... तक के लिए उत्खनन अनुज्ञापत्र अनुदत्त किये जाने हेतु आवेदन करता हूं/करते हैं.

2. नियमानुसार आवेदन शुल्क रूपये .... मात्र चालान क्रमांक .... दिनांक .... स्थान .... में जमा की गई है।

3. आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :—
(एक) आवेदक का नाम एवं पदनाम ....
(दो) विभाग ....
(तीन) कार्यालय ....
(चार) कार्यालय के पूर्ण डाक पता ....
पिन कोड ....
दूरभाष/मोबाईल क्रमांक ....
ई—मेल ....

(पांच) आवेदित गौण खनिज/खनिजों ....
(छः) उत्पादन (मात्रा घन मीटर में) ....
(सात) कालावधि के लिए चाही गई उत्खनन अनुज्ञप्ति ....

4. प्ररूप दो में अदेय प्रमाण पत्र ....

5. (क) प्लान की (छः प्रतियों) अवस्थिति तथा क्षेत्र/क्षेत्रों की सीमाएं दर्शाते हुए जिसके लिए आवेदन किया गया है तथा रियायतें, यदि हों, समीपस्थ संलग्न हैं/हैं (यदि यह प्लान/ये प्लान अपर्याप्त समझे जाएं, मैं/हम प्रार्थना करते है कि आवश्यक क्षेत्र/क्षेत्रों का प्लान दो प्रतियों में आपके कार्यालय में मेरे/हमारे खर्चे पर तैयार किये जा सकते हैं).

(ख) खसरा पांच साला ....

6. विधि जिसके द्वारा खनिज निकाला जाएगा (शारिरिक खनन अथवा यांत्रिक खनन) ....

7. क्रशर स्थापित किये जाने की स्थिति में क्रशर की क्षमता ....

8. अन्य कोई विशिष्टियां अथवा विवरण जो आवेदक देना चाहता है ....
....
....

अनुसूची

आवेदित क्षेत्र का विवरणः–
(एक) ग्राम का नाम
(दो) पंचायत का नाम
(तीन) प्रत्येक क्षेत्र अथवा उसके भाग का खसरा नंबर एवं रकबा

खसरा नम्बर	**रकबा हेक्टेयर में**

(चार) नैसर्गिक आकृति के विषय में आवेदित क्षेत्र का पूर्ण विवरण :–
(पांच) ब्लॉक,
(छः) विधानसभा
(सात) तहसील ....
(आठ) पटवारी हल्का क्रमांक..
(नौ) जिला ....

10. संलग्नकों की सूची
(एक)
(दो)
(तीन)
(चार)
(पांच)

स्थान . . . . भवदीय,

दिनांक . . . . नाम तथा पद

टिप्पणी– यदि आवेदन, आवेदक के अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया है तो मुख्तियार नामा संलग्न किया जायेगा।

यदि सभी खसरा क्रमांक इस प्ररूप में दर्ज नहीं किये जा सकें, तो उसे पृथक शीट पर दर्ज करते जाना चाहिए तथा संलग्न कर हस्ताक्षरित करें। जहां किसी खसरा क्रमांक का केवल कोई हिस्सा अपेक्षित हो, तो उस भाग का अनुमानित क्षेत्रफल पर्याप्त होगा

प्ररुप इक्कीस

[नियम 58(1)(चार) देखिए)]

गौण खनिज के उत्खनन अनुज्ञापत्र आवेदन का रजिस्टर

जिला ....

1. सरल क्रमांक ....
2. प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने का दिनांक ....
3. आवेदक का नाम पूरा पता, फोन नं., ई–मेल सहित ....
4. आवेदित क्षेत्र की स्थिति एवं सीमाः

   (एक) ग्राम का नाम
   (दो) पंचायत का नाम
   (तीन) ब्लॉक
   (चार) विधानसभा
   (पांच) तहसील
   (छः) पटवारी हल्का कमांक
   (सात) खसरा नंबर

5. रकबा हेक्टेयर में (खसरावार)
6. आवेदित खनिजों का विवरण
7. खनिज की चाही गई मात्रा घन मीटर में
8. उत्खनन अनुज्ञा पत्र के लिए कालावधि
9. आवेदन शुल्क का विवरण
10. टिप्पणी (परियोजना का विवरण जिसके लिए खनिज की आवश्यकता है)
11. आदेश क्रमांक एवं दिनांक सहित आवेदन का अंतिम निराकरण
12. अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप बाईस
{नियम 58(1)(पांच) देखिये}

उत्खनन अनुज्ञा पत्र प्रदान करने के लिए प्ररूप

उत्खनन अनुज्ञापत्र कमांक .... स्थान .... दिनांक ....

यतः, श्री .... (नाम एवं पदनाम) ने ग्राम .... पंचायत .... तहसील .... जिला .... में खसरा नंबर ....से .... घन मीटर .... (गौण खनिज) के उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिये छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम.............. के अंतर्गत आवेदन किया है और आवेदन शुल्क रूपये .... जमा कर दी है ।

2. राज्य/केन्द्र सरकार के .... विभाग/सार्वजनिक उपक्रम की जिला ...., तहसील ...., पंचायत ...., पटवारी हल्का ...., ग्राम .... में स्थित .... (परियोजना का नाम) के लिए .... (खनिज) उत्खनन, एकत्रीकरण, हटाने तथा परिवहन के लिए संलग्न मानचित्र में दर्शाये क्षेत्र/क्षेत्रों, एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है ।

3. उत्खनन अनुज्ञापत्र दिनांक ....से .... तक .... (कालावधि) के लिए विधि मान्य होगा ।

4. उत्खनन अनुज्ञापत्र निम्नलिखित शर्तों से प्रशासित होगा अर्थात :
   - (क) उत्खनन अनुज्ञापत्र धारक क्षेत्र से हटाये गये और परिवहन किये गये खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा संधारित करेगा।
   - (ख) उत्खनन अनुज्ञापत्र धारक उप संचालक/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी/ खनि निरीक्षक अथवा कलेक्टर या जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उत्खनन संक्रियाओं का निरीक्षण एवं लेखा के सत्यापन करने की अनुज्ञा देगा।
   - (ग) अनुज्ञत मात्रा के परिवहन करते ही तीस दिवस अथवा तीस दिवस के भीतर अथवा उसके पहले, सभी अभिवहन पास की मूल प्रति, उपयोग नहीं किये गये अभिवहन पास, संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित मात्रा के साथ पत्रक को स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
   - (घ) उत्खनन अनुज्ञापत्र के धारक को क्षेत्र से खनिजों के उत्खनन (निकास) अथवा हटाने पर लागू होने वाले सभी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत समस्त अनुमतियां/ सम्मतियां प्राप्त करना होगा।
   - (ड.) उत्खनन अनुज्ञापत्र के धारक प्रत्येक माह की दस तारीख तक प्ररूप पन्द्रह में विवरणी कलेक्टर और ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा।
   - (च) अन्य कोई शर्तें जिसे स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी उचित समझे।

संलग्नकः—

1. स्वीकृत उत्खनन अनुज्ञा पत्र के क्षेत्र दर्शित मानचित्र

सक्षम प्राधिकारी के
हस्ताक्षर
पदमुद्रा सहित

प्रति,

श्री ....

प्रतिलिपिः—

1. जिले का खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी
2. जनपद पंचायत
3. ग्राम पंचायत

सक्षम प्राधिकारी के
हस्ताक्षर
पदमुद्रा सहित

{प्ररूप—बाईस क
(नियम 58 देखिये)
उत्खनन अनुज्ञा पत्र अनुबंध

यह करार .... दिन सन् 20.................. को कलेक्टर (जो इसमें इसके पश्चात् ''पट्टादाता'' के रूप में निर्दिष्ट है जहां अभिव्यक्तियां संदर्भ के अनुकूल हैं वहां उसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे) प्रथम पक्षकार और दूसरे पक्षकार

.... (जो इसमें इसके पश्चात् ''पट्टाधारी'' के रूप में निर्दिष्ट है जहां अभिव्यक्तियां संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधिगण तथा अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित हैं) समझे जायेंगे।

यतः, पट्टाधारी .... ने ग्राम .... तहसील .... जिला .... में खसरा नंबर .... क्षेत्र से .... हेक्टेयर (गौण खनिज) के उत्खनन अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए पट्टाधारी द्वारा आवेदन शुल्क रूपये .... और प्रतिभूति राशि रूपये .... जमा किया है तथा वह पट्टेधारी द्वारा अनुबंध पत्र में दिये गये नियम और शर्तों का भलीभांति पालन करेगा।

और यतः, कलेक्टर .... इस प्रकार वर्णित तथा हस्तान्तरित भूमियों के संबंध में ऐसी अवधि के लिये......................इस करार में इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट प्रतिक्षकों तथा शर्तें के अध्यधीन रहते हुए ऐसी अवधि के लिये निम्नानुसार करेगाः—

पट्टाकर्ता एतद्द्वारा इसके अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित तथा इससे संलग्न योजना परिशिष्ट में अंकित की जाने वाली उन समस्त भूमियों को पट्टेदार को पट्टातंरित करेगा।

2. उक्त उत्खनन् अनुज्ञापत्र में उसके प्रयोजनों के लिये, निम्नलिखित स्वतंत्रतायें सम्मिलित हैः—

(एक) अनुज्ञापत्रधारक इसमें इसके पश्चात्, उक्त भूमियों से खनिज निकालने हेतु प्राधिकृत होगा।

(दो) सामान्यतः समस्त कार्य, जो उस क्षेत्र से खनिज प्राप्त करने के लिये, आवश्यक और सुविधाजनक हो, करना।

(तीन) अनुज्ञापत्रधारी अनुसूची.................. में यथा विनिर्दिष्ट स्वामिस्व उक्त निर्बंधन के दौरान भुगतान हेतु सहमत होगा।

(चार) अनुज्ञापत्रधारक द्वारा वर्तमान तथा भविष्य में होने वाले समस्त दर निर्धारण, चाहे वो जो भी हो, का, वहन, भुगतान करेगा, जो कि हस्तांतरित भूमि या निकाले गये खनिज पर रोपित या प्रभारित हो।

(पांच) अनुज्ञापत्रधारक उत्खनन योजना तथा पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये गए सभी शर्तों का पालन करेगा।

(छः) हस्तांतरित भूमि का आधिपत्य या किसी अन्य को समनुदेशित नहीं करेगा।

(सात) अनुज्ञापत्रधारक को साफ—सुथरा लेखा ऐसे प्ररूप में रखना होगा, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर अपेक्षित तथा निर्देशित किये जाये, जिसमें उक्त भूमियों से अनुज्ञापत्रधारक द्वारा प्राप्त उक्त खनिजों स्पष्ट मात्रा तथा अन्य जानकारियां होंगी।

(आठ) यदि उत्खनन प्रक्रिया के दौरान किसी ऐसे खनिज की प्राप्ति होती है, जो कि इस अनुबंध में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो ऐसे खोज की जानकारी

अनुज्ञप्तिधारक तुरन्त संबंधित प्राधिकारी को देगा तथा ऐसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे कार्य के लिये आदेश प्राप्त करेगा।

(नौ) पट्टादाता या उनके अधिकृत अधिकारियों को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अनुज्ञापत्रधारक द्वारा खनन कार्यों का निरीक्षण करे तथा वह भूमि को सुरक्षित रखने अथवा नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के हित में आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर सकेगा।

(दस) अनुज्ञापत्रधारक किसी भी वृक्ष को क्षति नहीं पहुंचाएगा न ही काटेगा।

(ग्यारह) पट्टेदार उन सभी आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी होगा, जो कि अनुज्ञापत्रधारक द्वारा उसे हस्तांतरित भूमि पर रोपित या उसमें अवस्थित या किसी किसी भी वनस्पति को नुकसान या क्षति पहुंचाने पर लिया जायेगा, अनुज्ञापत्रधारक इसके अतिरिक्त पट्टेदार द्वारा किये गये ऐसे भी दावों जो कि किसी व्यक्ति या किसी नुकसान या उसे चोट पहुंचाई गई या उसकी संपत्ति आदि से संबंधित होगा, जो कि उसके सम्पत्ति के नुकसान पहुंचाने के विरूद्ध होगा। प्राधिकारी इस खाते पर अनुज्ञापत्रधारक द्वारा देय ऐसे नियत किये गये किसी क्षतिपूर्ति एवं निर्धारण के लिये सक्षम होगा।

(बारह) अनुज्ञापत्रधारक को अपने स्वयं के खर्च पर क्षेत्र की सीमा क्षेत्र में सीमा स्तम्भ का निर्माण उच्च श्रेणी की निर्माण सामग्री द्वारा करना होगा, जैसा कि उस क्षेत्र के नक्शे में वर्णित है।

(तेरह) अनुज्ञापत्रधारक लिखित में एक माह का सूचना देकर सम्पूर्ण क्षेत्र अथवा किसी भाग के संबंध में इस अनुज्ञापत्र को निरस्त कर सकता है, परन्तु उसके द्वारा ऐसी सूचना के पूर्व अनुज्ञापत्रधारक को सभी प्रकार की देय राशि का भुगतान करना होगा।

(चौदह) अनुज्ञापत्रधारक को ऐसे अवधारण पर किसी भी तरह के कोई मुआवजे का अधिकार नहीं होगा।

(पन्द्रह) अनुज्ञापत्रधारक द्वारा समस्त दुर्घटनाओं का अविलंब प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी एवं उस जिले के कलेक्टर को तुरन्त देगा।

(सोलह) अनुज्ञापत्रधारक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध ट्रांजिट पास के बिना किसी भी खनिज का परिवहन नहीं किया करेगा तथा उपयोग में लाई गई ट्रांजिट पास की समस्त प्रतियां और उपयोग में नहीं लाई गई ट्रांजिट पास, जिसकी समय–सीमा समाप्त हो गई है, को सक्षम प्राधिकारी के पास जमा करेगा।

(सत्रह) उत्खनन का क्रियान्वयन सतह से छः मीटर के बाद प्रतिबंधित होगा।

3. पट्टाकर्ता एतद्द्वारा अनुज्ञापत्रधारक से यह प्रसंविदा करेगा कि वह छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में उपबंधित तथा इसमें विभिन्न प्रसंविदाओं तथा अनुबंधों का संप्रेक्षण तथा पालन करेगा। अनुज्ञापत्रधारक हस्तांतरित भूमि को शांतिपूर्ण ढंग से रखेगा तथा उसे उक्त अवधि के दौरान एतद्द्वारा हस्तांतरित तथा उसे प्रदान की गई भूमि का उसके अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति या पट्टाकर्ता के किसी हस्तक्षेप के बिना दावे का पूर्ण रूप से अधिकार होगा।

4. उत्खनन अनुज्ञापत्र दिनांक .... दिन............. सन् 20.................. से दिनांक ....दिन......... सन् 20............. (कालावधि) के लिये विधि मान्य होगा।

अनुसूची

पट्टाकर्ता का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	गांव की सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)

उक्त हस्तांतरित भूमि ....उक्त अनुज्ञापत्रधारक द्वारा दिनांक ....वर्ष 20 इन परिस्थितियों में साक्ष्य स्वरूप ....नीचे बताए गए, कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश एवं दिशानिर्देश से अनुज्ञापत्रधारक द्वारा दिनांक .... सन् 20............... को अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित करता है,

साक्षी :–

1. ....

2. ....

हस्ताक्षर और ऊपर दिये गए नाम पर वितरण के लिए

पट्टादाता ....

अनुज्ञापत्रधारक **..............**

साक्षी :–

1. ....

2. ....

अंतःस्थापित 23.3.2016

प्ररूप तेईस

[नियम 72 (1) देखिए]

रिहायशी भवन अथवा भवनों के विक्रय अथवा व्यवसायिक भवन अथवा भवनों के विक्रय/किराये के प्रयोजन हेतु निर्माण में उपयोग किए जाने वाले गौण खनिजों के लेखा संधारण का प्ररुप

1. व्यक्ति/व्यक्तियों, कंपनी, फर्म, सोसायटी/सहयोजन का नाम, पता, दूरभाष और ई–मेल :– ....
....
....

2. निर्माण कार्य का विस्तृत विवरण :–
   (एक) स्थान
   (दो) निर्माण का प्रकार (रोड/भवन आदि)
   (तीन) प्रस्तावित सिविल निर्माण का क्षेत्र
   (चार) प्रस्तावित सिविल निर्माण कार्य हेतु खनिजवार अनुमानित मात्रा

3. आवश्यक गौण खनिजों की मात्रा एवं उनका स्त्रोत (माह .... वर्ष..............................):–

सरल क्रमांक	दिनांक	खनिज	वाहन क्रमांक	खदान का नाम	अभिवहन पास क्रमांक	मात्रा (घन मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7

4. माह .... 20............. में प्राप्त किये गये खनिज की कुल मात्रा

(मात्रा घनमीटर में)

खनिज का नाम	ट्रकों की संख्या	माह में प्राप्त की गई कुल मात्रा	माह में सिविल निर्माण में उपयोग की गई मात्रा	स्थल पर शेष स्टॉक मात्रा	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
(क) मेटल/गिट्टी					
(ख) रेत					
(ग) मुरूम					
(घ) ईंट (मात्रा संख्या में)					
(ङ) फर्शी पत्थर/ प्राकृतिक फर्शी					
(च) अन्य					

5. निर्माण कार्य की प्रस्तावित अवधि

6. अन्य कोई जानकारी

स्थानः ....

दिनांकः .... हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पद नाम

प्ररूप चौबीस

[नियम 72(1) देखिए]

रिहायशी भवन अथवा भवनों के विक्रय अथवा व्यवसायिक भवन अथवा भवनों के विक्रय/किराये के प्रयोजन हेतु निर्माण संक्रियाओं में खपत किए गए गौण खनिजों की त्रैमासिक रिपोर्ट

(प्ररूप को पूर्ण भरकर इस तरह से भेजा जाए कि त्रैमासिक कालावधि के समाप्त होने के 30 दिवस के भीतर यह संबंधित प्राधिकारी तक पहुंच जाए)

प्रति,

भारसाधक अधिकारी
खनिज शाखा ....
कलेक्टर कार्यालय
जिला

विषयः— अवधि दिनांक .... से .... तक खपत किये गये गौण खनिजों की त्रैमासिक रिपोर्ट

----

1. व्यक्ति/व्यक्तियों, कंपनी, फर्म, सोसायटी/सहयोजन का नाम, पता, दूरभाष और ई—मेल :— ....
....
....

2. निर्माण कार्य का विस्तृत विवरण :—
(एक) स्थान
(दो) निर्माण का प्रकार (रोड/भवन आदि)
(तीन) प्रस्तावित सिविल निर्माण का क्षेत्र
(चार) प्रस्तावित सिविल निर्माण कार्य हेतु खनिजवार अनुमानित मात्रा

3. .... से .... तक त्रैमास के दौरान प्राप्त/खपत/उपयोग/शेष खनिज की कुल मात्रा

खनिज का नाम	ट्रकों की संख्या	त्रैमास में प्राप्त की गई कुल मात्रा	त्रैमास में सिविल निर्माण में उपयोग की गई मात्रा	स्थल में शेष मात्रा	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
(क) मेटल/गिट्टी					
(ख) रेत					
(ग) मुरूम					
(घ) ईंट					
(ङ) फर्शी पत्थर/ प्राकृतिक फर्शी					
(च) अन्य					

4. निर्माण हेतु प्रस्तावित अवधि

5. अन्य कोई जानकारी जो पट्टाधारी देना चाहें

स्थानः ....

दिनांकः ....

हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं
पद नाम

प्ररूप पच्चीस
[नियम 81(1) देखिए]

अपील # {/पुनर्विलोकन} के लिए आवेदन का आदर्श प्ररुप
(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये)

1. आवेदन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों, सोसाइटी, फर्म या कंपनी का नाम और पता
2. दूरभाष क्रमांक और ई–मेल
3. व्यवसाय
4. प्राधिकारी का नाम, आदेश का क्रमांक और दिनांक, जिसके विरूद्ध अपील/पुनर्विलोकन के लिये आवेदन किया गया है (प्रति संलग्न है)
5. गौण खनिज या खनिजों, जिसके लिये अपील/पुनर्विलोकन दायर की गई
6. उस क्षेत्र के ब्यौरे, जिसकी बाबत् अपील आवेदन किया गया है.

जिला	तहसील	ग्राम	पंचायत	खसरा क्रमांक तथा कुल क्षेत्र

7. क्या आवेदन शुल्क विहित रीति से जमा की गई है । (मूल रसीद संलग्न की जाय)
8. क्या अपील/पुनर्विलोकन के लिये आवेदन विनिर्दिष्ट समय में दायर किया गया है, यदि नहीं तो जैसा कि नियमों में उपबंधित है विहित सीमा में पेश न किए जाने का कारण ।
9. पक्षकार जो बनाये गये हैं, का नाम व पूरा पता
10. संलग्न की गई प्रतियों की संख्या
11. प्रकरण की संक्षेपिका (अधिकतम दो पृष्ठ में)
12. तारीख एवं घटनाओं की सूची
13. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य
14. अपील/पुनर्विलोकन का आधार
15. प्रार्थना
16. यदि # {अपील/पुनर्विलोकन} आवेदन मुख्तारनामा धारण करने वाले द्वारा दायर किया गया है तो मुख्तारनामा संलग्न किया जाये.

स्थान: ....

दिनांक: ....

आवेदक के हस्ताक्षर

अंतःस्थापित 23.3.2016

नया रायपुर, दिनांक **27 मार्च, 2015**

क्रमांक एफ 6–42/2012/12:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(इफ्फत आरा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

Government of Chhattisgarh
Mineral Resources Department
Mantralaya, Capitol Complex,
Mahanadi Bhawan, Naya Raipur - 492 002

//NOTIFICATION//

Naya Raipur, Date 27 March, 2015

No. F 6-42/2012/12:: In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following rules, namely:-

RULES

CHAPTER-I
PRELMINARY

1. Short title, extent and commencement.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015.

(2) These rules shall apply to the grant and regulation of Quarry Leases and other mineral concessions in respect of Minor Minerals and for purposes connected therewith in the State of Chhattisgarh only.

(3) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Act**" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957);

(b) "**Additional Director**", "**Joint Director**", "**Deputy Director**" and "**Assistant Geologist**", means the respective officers of Directorate of Geology and Mining, Government of Chhattisgarh;

(c) "**Agreement**" means an agreement to quarry and carry away one or more minor minerals specified therein;

(d) "**Air Pollution**" shall have the meaning as assigned to it under clause (b) of Section 2 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981);

(e) "**Appellate Authority**" means the Government or any other authority vested with such powers under these rules;

(f) “**Assessee**” means a person holding a Mining Lease, Quarry Lease or Quarry Permit and includes any other person who holds a mine of minor minerals granted under these rules, save as exempted under rules;

(g) "**Assessing Authority**" means Deputy Director (Mineral Administration),Mining Officer, Assistant Mining Officer and Mining Inspectors posted in the district;

(h) “**Assessment**” means the assessment levied under these rules with reference to the extent of minor minerals extracted;

(i) “**Assessment Year**” means the yearly period beginning from the date of commencement of the lease and ending on 31st December for the first year of the lease and thereafter from 1st January to 31st December or part thereof;

(j) “**Association**” means a body of persons associated for objects and promotion of the economic interest of its members and is so registered under the Chhattisgarh Cooperative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961);

"(jj) **“Auction Money”** means the price quoted by the bidders to be paid on the basis of Rupees per cubic metre /metric ton or any other standard unit to the State Government on monthly basis for mineral despatched from the lease area;"

(k) “**Below Poverty Line**” means the family declared as Below Poverty Line by the State Government, from time to time;

(l) “**Collector**” shall have the same meaning as assigned to him under the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(m) “**Commissioner**” of a revenue division shall have the same meaning as assigned to him in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(n) “**Competent Authority**” means a Competent Authority appointed by the State Government to carry out the provisions of these rules;

“(nn) “**Composite Licence**” means prospecting licence-cum-quarry lease granted under Rule 7;”

(o) “**Co-operative Society**” has the same meaning as assigned to it under the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961);

(p) "**Corporation**" shall have the same meaning as assigned to it under the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956);

(q) "**Dead Rent**" and "**Royalty**" shall have the same meaning as respectively assigned to them under the Act;

(r) "**Director**" means the Director/Commissioner, Geology and Mining, Government of Chhattisgarh;

(s) "**Educated Unemployed**" means a person,-

(i) who holds at least High School Certificate Examination i.e. 10th pass in (10+2) system of the Chhattisgarh Board of Secondary Education;

(ii) who is a resident of the State of Chhattisgarh;

(iii) who is above 18 years but below 35 years of age;

(iv) who belongs to Below Poverty Line family; and

(v) who has not availed any facility under any other scheme for Educated Unemployed at any time;

"(ss) "**Electronic Auction**" means an electronic auction through an online electronic platform, which meets the minimum technical and security requirements as specified by the Government of India, Ministry of Communications and Information Technology, where dynamic bidding is carried out in forward ascending mode through a two stage process as explained under these Rules;

(sss) **"Electronic Tendering"** means tendering through an online electronic platform, which meets the minimum technical and security requirements as specified by the Government of India, Ministry of Communications and Information Technology, where the bidding involves submission of bids within a finite deadline as explained under these Rules;"

(t) "**Environment**" shall have the same meaning as assigned to it under clause (a) of Section 2 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(u) "**Financial Assurance**" means the sureties furnished by the Mining Lease holder, Quarry Lease holder or Quarry Permit holder to the Competent Authority, so as to indemnify the authorities against the reclamation and rehabilitation cost;

"(uu) **“Floor Price”** means the highest initial price offered amongst the Technically Qualified Bidders in Stage-I of e-auction and is an amount in Rupees per cubic metre /metric ton or any other standard unit of mineral despatched per month from lease area;"

(v) “**Form**” means a form appended to these Rules;

(w) “**Gram Panchayat**”, “**Janpad Panchayat**”, “**Zila Panchyat**” and “**Gram Sabha**” shall have the same meaning assigned to them respectively in the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);

"(ww) **“Initial Price Offer”** shall mean the initial offer submitted by the bidders in Stage-I round of e-auction and is an amount in Rupees per cubic metre /metric ton or any other standard unit of mineral despatched per month from lease area;"

(x) “**Lessee**” means a person who has been granted a Prospecting Licence, Mining Lease, Quarry Lease or Quarry Permit under these rules and includes any contractor, sub-lessee and agent, whether appointed or not, who is acting or purporting to act on behalf of the lessee and is taking part in the management, supervision, extraction and dispatch of mineral;

(y) “**Mine**” and “**Owner**’ shall have the same meaning assigned to them respectively in the Mines Act, 1952 (35 of 1952);

(z) "**Mineral Concession**" includes Prospecting Licence, Mining Lease, Quarry Lease and Quarry Permit;

(aa) “**Mining Officer**”, “**Assistant Mining Officer**” and “**Mining Inspector**” mean the respective officers of the Directorate of Geology and Mining, Government of Chhattisgarh;

(ab) “**Mining Operation**” and “**Quarrying Operation**” means any operation undertaken for the purpose of winning any minor mineral and shall include erection of machinery, construction of roads in connection with the mine;

(ac) “**Minor Minerals**” means the minerals as specified in Schedule-I and Schedule-II appended to these Rules and any other mineral which the Government of India may, by notification in the Official Gazette, declare to be a minor mineral under clause (e) of Section 3 of the Act;

(ad) "**Municipality**" shall have the same meaning as assigned to it under clause (18) of Section 3 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

(ae) "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

"(aee) **"Preferred Bidder"** means the bidder referred to in sub-clause (ix) of clause (d) of sub-rule (2) of rule 9, sub-clause (v) of clause (d) of sub-rule (2) of rule 9A, sub-clause (ix) of clause (d) of sub-rule (2) of rule 39 and sub-clause (v) of clause (d) of sub-rule (2) of rule 39A;"

(af) "**Prospecting Licence**" means a licence granted for the purpose of undertaking Prospecting Operation of minor minerals;

#"(aff) "**Prospecting Licence cum Quarry Lease**" means a two stage concession granted for the purpose of undertaking prospecting operations through a prospecting licence followed by quarrying operations of minor minerals through quarry lease;"

(ag) "**Prospecting Operation**" means any operation undertaken for the purpose of prospecting, locating or proving minor mineral deposits;

(ah) "**Public Place**" means roads, public buildings, reservoirs, irrigation canals, tanks, natural water courses, village paths, religious places, burial ground etc;

"(ahh) **"Qualified Bidder"** means the bidder referred to in sub-clause (viii) of clause (d) of sub-rule (2) of rule 9, sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 9A, sub-clause (vi) of clause (d) of sub-rule (2) of rule 39 and sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 39A;"

(ai) "**Quarry Closure Plan**" means a plan for the purpose of decommissioning, reclamation and rehabilitation in the quarry or part thereof, after cessation of mining and mineral processing operations that has been prepared in the manner specified in the standard format and guidelines issued by the State Government;

(aj) "**Quarry Lease**" means #{a mining lease} granted for mining and removal of minor minerals as mentioned in Section 15 of the Act;

(ak) "**Quarry Permit**" means the permission granted under these rules to extract and remove any specific quantity of minor mineral within a specified period;

(al) "**Quarry Plan**" means a plan prepared under these rules for mining of minor mineral/minerals;

(am)"**Railway**" and "**Railway Administration**" shall have the same meaning as respectively assigned to them under the Indian Railways Act, 1989 (No. 24 of 1989);

(an) "**Recognised Qualified Person**" means a person having the prescribed educational qualification or/and experience as notified by the State Government, under these Rules, from time to time;

"(ann) **"Reserve Price"** means a price, which shall be the minimum price above which the bidders shall quote their bids and shall be twenty percent of the notified royalty for the particular mineral, in Rupees per cubic metre/metric ton or any other standard unit of mineral despatched per month as defined under these rules;"

(ao) "**Schedule**" means a schedule appended to these Rules;

(ap) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(aq) "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(ar) "**Special Area**" shall have the same meaning as assigned to it in the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973);

(as) "**State Government**" means the Government of Chhattisgarh;

#"(ass) "**Successful Bidder**" means the bidder referred to in clause (2) of Rule 10 and clause (2) of Rule 42;

(asss) "**Tender Document**" means document published on the electronic-auction website or electronic-tender website by the Competent Authority as mentioned in sub-clause (ii) of clause (d) of sub-rule (2) of rule 9, sub-clause (ii) of clause (d) of sub-rule (2) of rule 9A, sub-clause (ii) of clause (d) of sub-rule (2) of rule 39 and sub-clause (ii) of clause (d) of sub-rule (2) of rule 39A;"

(at) "**Water Pollution**" shall have the same meaning as assigned to it under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974).

(2) All other words and expressions used in these rules but not defined in these rules but defined in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) shall have the same meaning as respectively assigned to them in the said Act.

3. Exemptions. - Notwithstanding anything contained in these rules,-

(i) Extraction of ordinary clay or ordinary sand by hereditary Kumhars, being domicile of Chhattisgarh or their co-operative societies for preparing pots, tiles and bricks by traditional means, but not by process of manufacture in chimney-kilns or by any mechanical means, from the area of village of their common residence that may be decided and earmarked by the Gram Panchayats within their respective panchayat area for extraction of ordinary clay and ordinary sand:

Provided that no extraction shall be made from any public place and within 50 meters in all directions from such public place;

(ii) The removal of minor minerals from quarries shall be exempted, whether situated in private or Government land, when such quarries have not been appropriated to the use of a department of the State Government and the minor minerals are not mined for sale but are required for the construction or repairs of wells, other agricultural works or for the construction or improvement of the dwelling houses of agriculturists, village artisans and labourers residing in revenue or forest villages;

(iii) The minor minerals removed from Government lands for public works by Gram Panchayats, Janpad Panchayats and Zila Panchayats for work undertaken by respective Panchayats shall be exempted.

(iv) The search for minor minerals at the surface, not involving any substantial removal of the soil by digging up pits, trenches or otherwise, shall be exempted;

(v) The chipping of outcrops with a geological hammer, for the purposes of taking samples, shall not be deemed to be a substantial removal of the soil:

Provided that the aforesaid exemptions do not afford immunity from any action which might be taken under any existing rules or any act of the State or the Central Government, for unauthorized removal of minor minerals from

any land by private person without the permission of the State Government or any officer or Authority authorized by it in this behalf;

(vi) Excavation and regulation of the Minor Minerals specified in Part B of Schedule-II shall be governed by the Chhattisgarh Minor Mineral Sand Excavation and Trade Regulation Order, 2006.

CHAPTER II
GENERAL RESTRICTIONS ON UNDERTAKING PROSPECTING OR MINING OR QUARRYING OPERATIONS

4. Prohibition of prospecting or quarrying operation without a #{prospecting licence or composite licenc} or quarry Lease or quarry permit.- (1) No person shall undertake any Prospecting or Quarrying Operation in any area except under and in accordance with the terms and conditions of #{prospecting licence or composite licenc} or a Quarry Lease or Quarry Permit granted under these rules:

Provided that nothing in this sub-rule (1) shall affect any Prospecting or Quarrying Operation undertaken in any area in accordance with the terms and conditions of #{prospecting licence or composite licenc} or Quarry Lease or Quarry Permit granted before the commencement of these rules, in force at that time:

Provided further that these rules shall be made applicable to the existing Quarry Lease and Quarry Permit from the date of its renewal.

(2) No #{prospecting licence or composite licenc} or Quarry Lease or Quarry Permit shall be granted other than in accordance with the provisions of these rules.

(3) Any #{prospecting licence or composite licenc} or Quarry Lease or Quarry Permit granted, renewed or permission for removal of ordinary sand and bajri, in contravention of the provision of this rules or orders made thereunder, shall be void and be of no effect.

"(4) The recommendations of the Gram Sabha or the Gram Panchayat shall be mandatory prior to grant of prospecting licence or mining lease for minor minerals in the Scheduled Areas.

(5) The prior recommendation of the Gram Sabha or the Gram Panchayat shall be mandatory for grant of concession for the exploitation of minor minerals by auction, in the Scheduled Areas."

5. Restrictions on the grant of #{prospecting licence or composite licenc} or quarry Lease or quarry permit.- (1) No #{prospecting licence or composite licenc} or Quarry Lease or Quarry Permit shall be granted to any person unless such person is an Indian national or a company as defined under sub-section (20) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) and satisfies such conditions as prescribed in these Rules.

Explanation .- For the purposes of this sub-rule, in case of a firm or any other association of individuals, it shall be deemed to be an Indian entity only if all the members of the firm or association are citizens of India.

(2) No #{prospecting licence or composite licenc} or Quarry Lease or Quarry Permit shall be granted in respect of an area:-

(a) notified by the Government as reserved for the use of the Government and Local Authorities or for any other public or for special purposes except with the previous approval of the State Government;

(b) in forest land without the permission of appropriate authority as prescribed in the Forest (Conservation) Act, 1980 (No. 69 of 1980);

(c) within a distance of 100 meters in all directions from any bridge, National or State Highways, Railway line and within 50 meters in all directions from the road constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Mukhya Mantri Gram Sadak Yojana, other District Roads of Public Works Department and within 10 metres in all directions from Grameen Kachcha Rasta or within fifty meters in all directions from any public place except village path:

Provided that the amended provisions shall be made applicable from the date of renewal of the existing Quarry Leases and Quarry permits;

(d) which is not compact and contiguous.

6. **No quarry lease shall be granted without the satisfaction of the competent authority.-** No quarry lease for minor minerals shall be granted by the State Government or any other State Authority, notified by the State Government, unless it is satisfied that,-

(a) There is evidence to show that the area for which the lease is applied for has been prospected earlier or the existence of mineral contents therein has been established otherwise than by means of Prospecting Operation in such area:

Provided that no quarry lease for the minerals specified in Part A of Schedule-I shall be granted by the Competent Authority unless the area for which the lease is applied for has been prospected earlier:

Provided further that no quarry lease exceeding an area of five hectares or depth of six meters, for the minerals specified in Part B and Part C of Schedule-I and Part A of Schedule-II shall be granted by the Competent Authority unless the area for which the lease is applied for has been prospected earlier;

(b) Prospecting is not compulsory for the quarry lease in which proposed quarry operation shall be confined to the depth of six meters over an area not exceeding five hectares, for the minerals specified in Part B and Part C of Schedule-I and Part A of Schedule-II, however quarry lease shall be granted by the Competent Authority only after ascertaining the availability of mineral applied for through spot inspection carried out by Deputy Director/Mining Officer of the concerned District or Deputy Director or Assistant Geologist of concerned Regional Office or any officer authorised by the Director:

Provided that a non-refundable spot inspection fee of rupees five thousand shall be deposited in Government Treasury under the revenue head as prescribed in sub-rule (3) of rule 31;

(c) There is a quarry plan duly approved by the Competent Officer as notified by the Director in this behalf.

CHAPTER-III

#{Grant of Prospecting Licence and Composite Licence}

“**7. Grant of composite licence.-** (1) Powers to grant composite licence,-

(a) The provisions of this rule shall be applicable to the minerals specified in Schedule I and Part A of Schedule-II:

Provided that this provision shall not be applicable on a quarry lease where the proposed quarry operation is confined to the depth of six meters over an area not exceeding five hectares, for the minerals specified in Part B and Part C of Schedule-I and Part A of Schedule –II.

(b) The State Government shall have the powers to grant Composite Licence for minerals specified in Part A and Part B of Schedule I through the process of e-auction to be conducted by the Director.

(c) The Director shall have the powers to grant Composite Licence for minerals specified in Part C of Schedule I and Part A of Schedule II for an area of more than ten hectares through the process of e-tendering to be conducted by the Collector.

(d) The Collector shall have the powers to grant Composite Licence through the process of e-tendering for minerals specified in Part C of Schedule I and Part A of Schedule II for an area of upto 10 hectares.

(2) Rights of existing concession holders and applicants,- (a) All applications for prospecting licence received prior to the date of commencement of these amendment rules shall not be considered.

(b) Without prejudice to clause (a), such applications shall remain valid under these rules, where the Letter of Intent or Grant order for prospecting has been issued prior to the commencement of these Amendment Rules.

(3) Preliminary procedure for grant of composite licence,-

(a) (i) The Competent Authority shall have the powers to suo-moto identify, demarcate and notify an area, where there is inadequate evidence to show the existence of mineral contents of any minor mineral for grant of Composite Licence through e-auction or e-tendering, as the case may be.

(ii) Other than the areas so identified in sub clause (i), applications may be received by the Competent Authority in case of such areas where there is inadequate evidence to show the existence of mineral contents of any minor minerals for the grant of Composite Licence in Form-I. Applications for minerals contained in Part A and Part B of Schedule I

shall be received by the Director and applications for minerals contained in Part C of Schedule I and Part A of Schedule II shall be received by the Collector.

(b) The Competent Authority shall enter the date and time on which the application was received and process the area applied for e-auction or e-tendering, as the case may be, within a period of 60 days from the date of receipt of application. The e-auction or e-tendering, as the case may be, shall be notified on the departmental website. The details of the notification of e-auction or e- tendering, as the case may be, shall also be displayed on the notice board of the Collectorate, Zila Panchayat, Janpad Panchayat and Gram Panchayat of the district concerned.

(c) The State Government shall if it is of the opinion that it is necessary and expedient to do so, prescribe terms and conditions, procedure and bidding parameters in respect of categories of minerals, size and area of mineral deposits in a District or Districts, subject to which the e-auction or e-tendering shall be conducted:

Provided that the terms and conditions may include the reservation of any particular mine or mines for a particular end-use and subject to such condition only eligible end users shall be allowed to participate in the auction.

(4) Application For Composite Licence shall be accompanied by,-

(a) A non-refundable application fee of Rupees Five Thousand. The Fees shall be deposited in the Government Treasury under the following revenue receipt head,-

0853 Non ferrous Mining and Metallurgical Industry

{102} Mineral concession fees, rent and royalties

(0278) Receipt from minor minerals

and the original treasury receipt challan shall be attached to the application:

Provided that, the application fee shall be adjusted against the amount to be paid against the cost of auction/tender document.

(b) No-dues certificate as prescribed in Form-II, from the State Government or Any Officer or Authority authorized by the State Government in this behalf, of payment of mining dues such as royalty or Dead Rent and surface rent payable under the Act or the rules made thereunder:

Provided that, in case the applicant is a partnership firm or a private limited company, such certificates shall be furnished by all partners of the partnership firm or all members of the private limited company, as the case may be:

Provided further that, where any injunction has been issued by court of law or by any other Competent Authority staying the recovery of any such mining dues or income tax, non-payment thereof shall not be treated as a disqualification for the purpose of granting the said Composite Licence:

Provided also that, where a person has furnished an affidavit, to the satisfaction of the Competent Authority for the grant of Licence, stating that he does not hold or has held any Mineral Concession in the State, it shall not be necessary for him to produce the said no dues certificate:

Provided also that, a duly sworn affidavit stating that no dues are outstanding shall suffice, subject to the condition that the certificate required as above shall become invalid if the party fails to file the certificate within thirty days from the date of application:

Provided also that grant of above clearance certificate shall not discharge the holder of such certificate from the liability of paying dues which may subsequently be found to be payable by him under the Act or the rules made there under.

(c) An affidavit stating that the applicant has, –

(i) filed up-to-date income tax returns;

(ii) paid the income tax assessed on him; and

(iii) paid the income tax on the basis of self-assessment as provided in the Income Tax Act, 1961 (No. 43 of 1961).

(d) An affidavit showing particulars of mineral-wise areas in the State, that the applicant or any person jointly with him, –

(i) already holds under Prospecting Licence/ Composite Licence **;**

(ii) has applied for but not granted; and

(iii) being applied for, simultaneously.

(e) A statement in writing that the applicant, where the land is not owned by him, has obtained surface rights over the area or has the consent of the owner for starting Prospecting Operations:

Provided that no such statement shall be necessary where the land is owned by the Government."

8. Receipt of application.-Every application under sub-rule (1) of rule 7 shall be acknowledged in Form-III on the date of its receipt.

#"**9. Procedure for allotment of Composite Licence through Electronic auction.-**

(1) Prerequisites for Electronic auction of Composite Licence,-

(a) The Competent Authority may initiate an auction process for grant of a Composite Licence for any area within the State in accordance with the provisions of these Rules.

(b) The Competent Authority shall, prior to issuance of the notice inviting bid with respect to auction, identify and demarcate the area where a Composite Licence is proposed to be granted through auction on the basis of a demarcation report obtained from concerned revenue officials and forest officials.

(2) Procedure of e-Auction for Composite Licence.-

(a) Eligibility for Composite Licence,-

(i) For the purpose of participating in the auction of composite licence, an applicant shall meet all the requirements as specified in Rule 5.

(ii) The eligibility for participating in the auction shall be determined as per the terms and conditions of eligibility for participating in the auction and the Successful Bidder shall be decided solely on the basis of financial bids submitted by the eligible bidders.

(b) Electronic Auction,-

(i) An auction shall be conducted only through a two stage forward ascending auction on an online electronic auction platform.

(ii) The Competent Authority shall utilise any online electronic auction platform, which meets the minimum technical and security requirements as specified in the Guidelines for compliance to Quality requirements of e-Procurement Systems issued by the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate, Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.

(c) Bidding parameters,-

(i) There shall be a price fixed to be called the reserve price which shall be twenty percent of the notified royalty for the particular mineral; this amount shall be in Rupees per cubic metre /metric ton or any other standard unit of mineral despatched.

(ii) The bidders shall quote, over and above the reserve price, for the purpose of payment to the State Government, an amount in Rupees per cubic metre/metric ton or any standard unit of mineral despatched from the lease area as “auction money”.

(iii) The auction money shall be payable to the State Government on a monthly basis on the mineral being despatched every month. The rate offered by the bidder and accepted in e-auctioning process shall be subject to price escalation linked to the Wholesale Price Index from the financial year in which

the mineral despatch begins with the year in which auction was conducted being the base year.

(iv) Where an area is being auctioned for more than one mineral, auction money for the quantity of mineral despatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (ii) shall be applicable for the purpose of payment to the State Government in respect of each such mineral.

(v) If subsequent to grant of a quarry lease, one or more new minerals are discovered, the auction money for the quantity of mineral despatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (ii) shall be applicable for the purpose of payment to the State Government in respect of each such mineral.

(d) Bidding Process,-

(i) The Competent Authority shall issue a notice for auction, published on the departmental website, to commence the auction process. The details of the notice for auction shall also be displayed on the notice board of the concerned District Collectorate, Zila Panchayat, Janpad Panchayat and Gram Panchayat of the district concerned and such notice shall contain brief particulars regarding the area under auction, including,-

(I) particulars of the area identified and demarcated using demarcation report from concerned revenue officials divided into revenue land, forest land, and private land;and

(II) brief particulars regarding evidence of mineral contents with respect to all minerals discovered in the area .

(ii) The auction document issued by the Competent Authority shall contain,-

(I) report and details of the minerals available in the area;

(II) revenue survey details of the area identified and demarcated using demarcation report from concerned revenue officials divided into forest land, revenue land and private land;

(iii) The bidders shall be provided a fixed period to study the auction documents.

(iv) The bidding process shall commence after a period of 21 days from the date of publication of the notice inviting tender. The auction shall be an ascending forward online electronic auction.

(v) In Stage-I, the Bidders shall be required to submit the Technical Bid; and initial price offer, which will have to be above the reserve price. The Technical Bid shall be evaluated

to ascertain compliance of the Bidder with the eligibility conditions.

(vi) Only those Bidders who are found to be eligible in accordance with the prescribed eligibility conditions shall be declared as the "**Technically Qualified Bidders**".

(vii) The highest initial price offer amongst the Technically Qualified Bidders quoted above the reserve price shall be the floor price for the Stage-II of the online electronic auction.

(viii) (I) After opening of the Initial Price of the bid documents (Initial Price Bid), the Initial price bids shall be arranged in descending order and the technically qualified Bidders holding the first fifty percent of the ranks (with any fraction rounded off to higher integer) or the top five technically qualified bidders, whichever is higher, shall qualify as qualified bidders for participating in the stage two bidding. Only the Qualified Bidders shall be eligible to participate in the stage-II of the bid process, i.e, online forward auction.

(II) If the number of technically qualified bidders is less than five then all the technically qualified bidders shall be considered as qualified bidders.

(III) In the event of identical initial price offers being submitted by two or more technically qualified bidders, all such technically qualified bidders shall be assigned the same rank for the purposes of determination of qualified bidders and in such case, the afore mentioned fifty percent shall stand enhanced to fifty percent plus the number of technically qualified bidders whose initial price offers are identical less the number of such identical initial price offers.

(ix) The bidder who gives the highest final price offer shall be declared as the preferred bidder.

(3) Right of first refusal to the owner of seventy five percent or more of the area of lease,- Where an auction is notified by the Competent Authority for any land consisting of private land, either wholly or partly, in that case the highest price offer given by any bidder shall be disclosed and the owner of a private land who participated in the bidding process and who owns seventy five percent or more of the area of lease shall have the Right of first Refusal. Upon acceptance of the highest final price offer, such owner of private land shall be declared as the preferred bidder or

Otherwise on refusal by such an owner of private land, the bidder with the highest final price offer shall be declared as the preferred bidder:

Provided that the owner of private land shall exercise his right of first refusal, to be given in writing, within seven working days from the date of announcement of the highest price offer for the said area put on auction. If he fails to do so within the said period he shall be deemed to have exercised his Right of refusal.

(4) If at any stage of the auction process only one valid bid is given then the Competent Authority shall have the powers to extend the bid due date by another seven days and if again one bid is given then the Competent Authority shall have the powers to accept the same. The Competent Authority shall have the right to annul the auction at any stage for reasons to be recorded in writing."

"9A. Procedure for allotment of Composite Licence through Electronic tendering.- (1) Prerequisites for electronic tendering of Composite Licence,-

(a) The Collector may initiate an electronic tendering process for grant of a Composite Licence with respect to an area within the District in accordance with the provisions of these Rules.

(b) The Collector shall, prior to issuance of the notice inviting bids with respect to electronic tendering, identify and demarcate the area where a Composite Licence is proposed to be granted through electronic tendering on the basis of a demarcation report obtained from concerned revenue officials and forest officials.

(2) Procedure for Electronic tendering of Composite Licence,-

(a) Eligibility for Composite Licence,-

(i) For the purpose of participating in the Electronic tendering of composite licence, an applicant shall meet all the requirements as specified in rule 5.

(ii) The eligibility for participating in the process shall be determined as per the terms and conditions of eligibility for participating in the tender and such eligible bidders shall be called technically qualified bidder. The Successful Bidder shall be decided solely on the basis of financial bids submitted by the technically qualified bidders.

(b) Electronic Tender,-

(i) The tender shall be conducted only through an online electronic platform.

(ii) The Collector shall utilise any online electronic platform which meets the minimum technical and security requirements as specified in the Guidelines for compliance to Quality requirements of e-Procurement Systems issued by the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate, Department of Information Technology,

Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.

(c) Bidding parameters,-

(i) There shall be a price fixed to be called the reserve price, which shall be twenty percent of the notified royalty for the particular mineral; this amount shall be in Rupees per cubic metre /metric ton or any other standard unit of mineral despatched.

(ii) The bidders shall quote, for the purpose of payment to the State Government, an amount in Rupees per cubic metre/metric ton or any other standard unit of mineral despatched from the lease area as "auction money".

(iii) The auction money shall be payable to the State Government on a monthly basis on the mineral being despatched every month. The rate offered by the bidder and accepted in e-tendering process shall be subject to price escalation linked to the Wholesale Price Index from the financial year in which the mineral despatch begins with the year in which tender was conducted being the base year.

(iv) Where an area is being allotted for more than one mineral through e-tendering, auction money for the quantity of mineral despatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (ii) shall be applicable for the purpose of payment to the State Government in respect of each such mineral.

(v) If subsequent to grant of a mining lease, one or more new minerals are discovered, the auction money for the quantity of mineral despatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (ii) shall be applicable for the purpose of payment to the State Government in respect of each such mineral.

(d) Bidding Process.-

(i) The Competent Authority shall issue a notice inviting tender, published on the departmental website, to commence the Electronic-tender process. The details of the notice for Electronic-tender shall also be displayed on the notice board of the concerned District Collectorate, Zila Panchayat, Janpad Panchayat and Gram Panchayat of the district concerned and such notice shall contain brief particulars regarding the area under Electronic-tender, including,-

(I) particulars of the area identified and demarcated using demarcation report from concerned revenue officials divided into revenue land, forest land and private land; and

(II) brief particulars regarding evidence of mineral contents with respect to all minerals discovered in the area .

(ii) The tender document issued by the Competent Authority shall contain,-

(I) report and details of the minerals available in the area;

(II) revenue survey, details of the area identified and demarcated using demarcation report from concerned revenue officials, divided into forest land, revenue land and private land.

(iii) The bidders shall be provided a fixed period to study the tender documents.

(iv) The bidding process shall commence after a period of twenty one days from the date of publication of the notice inviting tender. The Electronic-tender shall be an electronic tendering process on electronic platform.

(v) The bidder who gives the highest final price offer shall be declared as the preferred bidder.

(vi) In the event of identical initial price offers being submitted by two or more technically qualified bidders, the bid submitted prior in time shall be declared as the preferred bid. The Competent Authority shall have the right to annul the tender at any stage for reasons to be recorded in writing.

(3) Right of first refusal to the owner of seventy five percent or more of the area of lease,- Where a tender is notified by the Competent Authority for any land consisting of private land, either wholly or partly, in that case the highest price offer given by any bidder shall be disclosed and the owner of a private land, who participated in the bidding process and who owns seventy five percent or more of the area of lease, shall have the Right of first Refusal. Upon acceptance of the highest final price offer, such owner of private land shall be declared as the preferred bidder or otherwise on refusal by such an owner of private land, the bidder with the highest final price offer shall be declared as the preferred bidder:

Provided that the owner of private land shall exercise his right of first refusal, to be given in writing, within seven working days from the date of announcement of the highest price offer for the said area put on auction. If he fails to do so within the said period he shall be deemed to have exercised his Right of refusal.

(4) If at any stage of the tender process only one valid bid is given then the Competent Authority shall have the powers to extend the bid due date by another seven days and if again one bid is given then the Competent Authority shall have the powers to accept the same. The Competent authority shall have the right to annul the tender at any stage for reasons to be recorded in writing."

"10. **Grant order for Composite Licence.-** (1) Upon completion of the auction/tender process, the preferred bidder shall submit a performance security in the manner specified in rule 13 and upon receipt of such performance security, the Sanctioning Authority shall issue a letter of intent to the preferred bidder.

(2) On receipt of the letter of intent, the preferred bidder shall be considered to be the successful bidder, upon fulfilment of the following conditions, namely:—

(a) compliance with all the terms and conditions of eligibility;

(b) obtaining all consents, approvals, permits, no-objections and the like, as may be required under applicable laws for commencement of prospecting operations; and

(c) consent of land owner for private land; and

(d) submitting the Scheme of prospecting.

(3) Upon fulfilment of the conditions specified in sub-rule (2), the Competent Authority shall grant a Composite Licence to the successful bidder and such Composite Licence shall be subject to the provisions of these rules, as applicable to a prospecting licence and quarry lease.

(4) Letter of intent shall be deemed to be cancelled, if preferred bidder is unable to fulfil the conditions specified in sub-rule (2) within one year for forest land and six months for non forest land from the date of issue of letter of intent and performance security shall be forfeited:

Provided that Director may extend additional period of six months in the period of sub-rule (4), if preferred bidder has sufficient reason for not fulfilling the conditions of sub-rule (2) within time.

(5) The minimum area for grant of a Composite Licence shall not be less than the minimum area for which a quarry lease may be granted in accordance with the provisions of these Rules and the maximum area shall be in accordance with these Rules.

(6) The holder of a Composite Licence shall conduct prospecting of the area under the Composite Licence so as to ascertain evidence of mineral contents and shall submit periodic reports in accordance with these Rules.

(7) If a holder of a Composite Licence,-

(a) fails to complete prospecting operations in accordance with these Rules, such holder shall not be eligible to receive a quarry lease and the Composite Licence shall be terminated;

(b) completes prospecting operations in accordance with these Rules, or otherwise establishes the existence of minerals, such holder shall make an application to the Competent Authority for grant of a quarry lease:

Provided that the quarry lease shall be granted only with respect to the area for which evidence of mineral contents has been found and shall be required for quarrying operations and shall not be for an area larger than the maximum area for which a quarry lease may be granted under these Rules:

Provided further that, any excess area shall be deemed to be surrendered by the holder of Composite Licence after completing its reclamation."

11. Period for which prospecting licence may be granted.- (1) For minerals dimensional Stone and Marble specified under Part-A of Schedule-I, the provisions of the Granite Conservation and Development Rules, 1999 and the Marble Development and Conservation Rules, 2002 respectively, shall apply.

(2) For minerals specified under Part-B of Schedule-I, Prospecting Licence shall be granted for a period of two year from the date of its execution.

(3) For minerals specified under Part-C of Schedule-I and Part-A of Schedule-II, Prospecting Licence shall be granted for a period of one year from the date of its execution.

{ (4) The Composite Licence (Prospecting cum Quarry Lease) shall be granted for a period, which shall be the total of the period of Prospecting Licence and the period of quarry lease for any mineral as prescribed for the said mineral in these rules.}

12. Area restriction on grant of prospecting licence.-(1)For minerals specified under Part-A of Schedule-I, the provisions of the Granite Conservation and Development Rules, 1999 and the Marble Development and Conservation Rules, 2002 respectively, shall apply.

(2) No person shall acquire one or more Prospecting licences, in respect of any mineral specified under Part-B and Part-C of Schedule-I and Part-A of Schedule-II, covering a total area, more than fifty hectares:

Provided that if the State Government is of opinion that in the interest of the development of any mineral it is necessary so to do, it may, for reason to be recorded by it, in writing permit any person to acquire one or more prospecting Licence covering an area in excess of the aforesaid total area.

Explanation:- For the purposes of this clause a 'person' includes an individual, a Hindu undivided family, a company, a firm, an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, a local authority, and every artificial juridical person.

 # {13. Bid security and performance security for Composite Licence. -

(1) For participation in auction/tender, all bidders shall deposit bid security amount as per Schedule V and VI, respectively.

(2) The preferred bidder shall provide a Performance Security of the amount as mentioned in Schedule V and VI as may be applicable, immediately after the auction is complete and in any case within seven days after announcement as the preferred bidder through a demand draft or a bank guarantee valid for a period of three years to be renewed from time to time so as to be valid throughout the period of the lease.

(3) The performance security may be invoked as per provisions of the Composite License Deed.}

14. Prospecting licence to be executed within sixty days.-(1) # {Where an order} has been made for the grant of Prospecting Licence, a licence deed in accordance with Form-IV shall be executed within sixty days from the date of the order. If no such deed is executed within the said period, due to any default on the part of the applicant, the Competent Authority may revoke the order granting the licence and in that event fee paid shall be forfeited in favour of the Government.

(2) Where the Licencee is unable to execute the licence deed within sixty days from the date of the order, he may submit an application to the Director explaining the reason for the same before the expiration of the said period. The application submitted after the expiration of said period shall not be considered.

(3) Every application under sub-rule (2) shall be accompanied by non-refundable application fee of rupees five hundred.

(4) The Director may, on receipt of an application made under sub-rule (2) and on being satisfied about the adequacy and genuineness of the reason for non execution of deed, pass an order for extension of the period of execution of deed.

15. Register of # {prospecting licence and composite licence } to be maintained.-

(1) A register of application for grant of # { prospecting licence and composite licence } shall be maintained by the officer-in-charge of mining section of the concerned district in the format under Form-V.

(2) A register for # { prospecting licence and composite licence } granted shall be maintained by the officer-in-charge of mining section of the concerned district in Form-VI.

16. Conditions of prospecting licence.- Every Prospecting Licence granted under these rules, in addition to other conditions that may be specified therein, shall be subject to the following conditions, namely:-

(i) Every holder of a Prospecting Licence shall submit to the concerned Collector and Director or any officer authorised by him, a scheme indicating the manner in which he proposes to carry out the Prospecting Operations, within a period of thirty days from the date of execution of deed of Prospecting Licence;

(ii) Every holder of a Prospecting Licence shall submit to the concerned Collector and Director or any officer authorised by him, an intimation in Form-VII of the commencement of Prospecting Operation, so as to reach them within a period of fifteen days of such commencement;

(iii) Every Licensee shall maintain an account of all the expenses incurred by him on Prospecting Operations and also the quantity and other particulars of all minerals obtained during such operations and their despatch.

(iv) The Licensee may, on payment of royalty and after obtaining the transit pass for transportation of mineral, collect and carry away maximum up to five cubic meter mineral for the purpose of testing during the period of licence.

(v) The Licensee shall report to the concerned Collector and Director or any officer authorised by him, the discovery of any mineral not specified in the licence, within a period of thirty days from the date of such discovery and shall make an application for inclusion of such mineral in his Prospecting Licence simultaneously. The Licencee shall not despatch the newly discovered mineral from the Licence area till such is included in his Prospecting Licence:

Provided that in case of discovery of any mineral not specified as a Minor Mineral, the Licencee shall not have any right of concession for that mineral under these rules.

(vi) The Licensee shall not pay less than the minimum wages prescribed by the Central or the State Government under the Minimum Wages Act, 1948.

(vii) The Licensee of granite or marble shall observe provisions of the Granite Conservation and Development Rules, 1999 and the Marble Development and Conservation Rules, 2002 respectively;

(viii) (a) The Licensee shall submit a final report under Form-VIII to the concerned Collector and Director or any officer authorised by him, within a period of ninety days from the expiry of the Prospecting Licence; and

(b) Any deposit made under rule 13, if not forfeited under these rules, shall be refunded to the Licensee on submission of application along with ProspectingReport as referred to in clause (a) above.

(ix) The Licensee shall provide compensation for damage to land, to the extent of damage, in respect of which the licence has been granted;

(x) The Licensee shall indemnify to the Government against the claim of a third party for any damage injury or disturbance caused to him by the Licensee;

(xi) Restrictions shall be placed regarding felling of trees on unoccupied and unreserved Government land and other environmental conditions, as may be notified by the State Government, from time to time;

(xii) Restriction on Prospecting Operations in any area prohibited by any Competent Authority due to Environmental or any other reasons, as may be notified, from time to time.

(xiii) Conditions regarding entry on occupied land;

(xiv) Facilities shall be provided by the Licensee for working other minerals in the licensed area or in adjacent areas.

17. Duties of the Licensee.-During subsistence of the licence, the Licensee shall,-

(i) Take immediate measures for the plantation and maintenance of not less than twice the number of trees fallen as a result of Prospecting Operations in the sanctioned area or area nearby as approved by the Officer in charge of mining section of the concerned district;

(ii) Restore other flora destroyed by Prospecting Operations to the maximum extent possible;

(iii) Securely plug all bores and fill up or fence all excavations in the land covered by the licence;

(iv) Pay to the occupier of surface of the land, such compensation as may be decided by the Collector;

(v) Furnish to the concerned Collector and Director or any officer authorised by him, such information and returns as may be prescribed in the Rules;

(vi) Allow any officer, authorised by the Central Government or Collector or Director or any officer authorised by him, to inspect any Prospecting Operation carried out by him;

(vii) Carry out Prospecting Operations in such a manner so as to ensure the systematic development and conservation of mineral deposits and protection of environment.

18. Cancellation of licence. - In the case of non-compliance of these rules or breach of any condition imposed on any holder of a Prospecting Licence, the Sanctioning Authority may, by order in writing, cancel the licence and/or forfeit full or part of the security deposited by the Licensee under rule 13:

Provided that no such order shall be made without giving the Licensee a fifteen day notice in writing and an opportunity of being heard.

19. Availability of certain areas.- No application for Prospecting Licence of minerals in Schedule-I and Part-A of Schedule-II shall lie for areas previously held or which are being held under a Quarry Lease or the area reserved for exploration/prospecting by Directorate of Geology and Mining or Geological Survey of India or any other government organisation, unless the availability of the area for grant is notified in the Official Gazette atleast thirty days in advance:

Provided that the State Government by recording reasons in writing may relax the provisions of this Rule for any special case.

CHAPTER IV

{POWER TO GRANT PROSPECTING LICENCE, COMPOSITE LICENCE, QUARRY LEASES, AND QUARRY PERMITS}

{**20. Extent of power to grant prospecting licence and composite licence - (1)** Prospecting Licence and Composite Licence, as the case may be, in respect of minerals specified in Schedule-I and Part-A of Schedule-II, shall be granted by the authority mentioned in column (2) for the minerals specified in column (3), subject to the extent as specified in the corresponding entry in column (4) and the electronic auction or electronic tendering as the case may be, shall be conducted by the authority mentioned in corresponding entry in column (5) thereof, of the table below, **-**

TABLE

S. No.	**Competent Authority for grant**	**Minerals**	**Extent of Power to grant**	**Competent Authority for E-Auction/ E-tendering**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	State Government	Minerals specified in Part-A and Part-B of Schedule-I.	Full powers.	Director
2.	Director	Minerals specified in Part-C of Schedule-I and Part-A of Schedule-II.	Where the area applied for is more than ten hectares.	Collector
3.	Collector	Minerals specified in Part-C of Schedule-I and Part-A of Schedule-II.	Where the area applied for is up to ten hectares.	Collector”

}

{**21. Extent of power to grant quarry lease -** Quarry Lease in respect of minerals specified in Schedule-I and Part-A of Schedule-II, shall be granted by the authority mentioned in column (2) for the minerals specified in column (3), subject to the extent as specified in the corresponding entry in column (4) and the electronic auction or electronic tendering as the case may be, shall be conducted by the authority mentioned in column (5) thereof, of the table below, **-**

TABLE

S. No.	**Competent Authority for grant of licence/ lease**	**Minerals**	**Extent of Power to grant**	**Competent Authority for E-Auction/ E-tendering**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	State Government	Minerals specified in Part-A and Part-B of	Full powers.	Director

		Schedule-I.		
2.	Director	Minerals specified in Part-C of Schedule-I and Part-A of Schedule-II.	Where the area applied for is more than ten hectares.	Collector
3.	Collector	Minerals specified in Part-C of Schedule-I and Part-A of Schedule-II.	Where the area applied for is up to ten hectares.	Collector"

}

22. Pending applications in relation to new minor minerals declared by the Government of India.- In relation to any mineral from minor minerals declared by notification dated 10th February, 2015 of Government of India, only on submission of amended application within sixty days from the date of enforcement of this rules shall be considered in accordance with this rules, in matters of pending applications of Mining Lease or Prospecting License submitted under sub-section (2) of Section 10A of the Act.

CHAPTER V

GRANT OF QUARRY LEASE IN RESPECT OF MINERALS SPECIFIED IN SCHEDULE-I AND PART-A OF SCHEDULE-II

23. Application for Quarry Lease.- # {An application for the grant of a Quarry Lease shall be made in Form-IX in triplicate, for the minerals specified in Schedule-I and in Part-A of Schedule-II } The application shall be affixed with a court fee stamp of the value of rupees five and shall contain the following particulars together with documents in support of the statement made therein, namely:-

(i) If the applicant is an individual, his name, nationality, profession, caste educational qualification, age, residence, present address and financial status;

(ii) If the applicant is a company, its name, nature and place of business, place of registration or incorporation, list of directors, their nationality, financial status and registration/incorporation certificate;

(iii) If the applicant is a firm, its name, nature and place of business, place of residence of partners, their nationality, partnership deed, registration certificate and financial status;

(iv) If the applicant is a society/association, its name, nature, place of working, list of members, their caste, educational qualification, nationality, registration, certificate, bye-laws and financial status of individual members;

(v) A description illustrated by a map or plan showing, as accurately as possible, the situation and boundaries of the land in respect of which the Quarry Lease is required. Where the area is unsurveyed, the location of the area should be shown by some permanent physical feature, roads, tank, etc;

(vi) Copy of latest khasrapanchsala;

(vii) The minerals or mineral which the applicant intends to mine;

(viii) The period for which the Quarry Lease is required;

(ix) The purpose for which the extracted mineral is to be used;

(x) Every application for the grant #{ } of a Quarry Lease shall be accompanied by an affidavit showing particulars of the areas mineral-wise in each district of the State, which the applicant or persons jointly with him-

(a) already hold under Quarry Lease;

(b) has already applied for, but not granted; and

(c) being applied for simultaneously;

(xi) An affidavit to the effect that the applicant has, where the land is not owned by him, obtained surface rights over the area or has obtained the consent of the owner/owners for conducting mining operations:

Provided that no such affidavit shall be necessary where the land-rights are vested in the State Government;

(xii) Every application for the grant #{ } of a Quarry Lease shall be accompanied by No Dues Certificate in Form-II, in respect of payment of mining dues payable under the Act or rules made there under from all the districts where the applicant holds or held Mineral Concessions, granted by the Mining Officer or Assistant Mining Officer or Officer-In-Charge of the mining section of the district:

Provided that it shall not be necessary for the applicant to produce the No Dues Certificate, if he has furnished an affidavit and such other evidence as may be required to the satisfaction of the concerned authority that he does not hold and has never held any Mineral Concession in any district of the State:

Provided further that the grant of No Dues Certificate shall not discharge a holder of such certificate from the liability to pay the mining dues which may be subsequently found to be payable by him under the Act or Rules made there under.

(xiii) Every application for the grant of Quarry Lease shall be accompanied by a Prospecting report or the report indicating existence of mineral contents as per rule 6.

(xiv) Every application for the grant or renewal of quarry lease confined to the depth of 6 meters over an area not exceeding five hectares, for the minerals specified in Part-B and Part-C of Schedule-I and Part A of Schedule-II, shall be accompanied by a Challan of rupees five thousand for spot inspection fee; and

(xv) Before the disposal of pending applications for sanction of mining lease of any mineral, if such mineral is declared as minor mineral by notification of the Central Government under clause (e) of Section 3 of the Act, then for areas relating to such applications pending before the date of issue of notification of the Government of India, only on submission of amended application as per these rules within a period of sixty days such notification by the applicant mining lease shall be considered for sanction in accordance with these rules:

Provided that renewal of mining lease, sanctioned before enforcement of these rules, shall be done under these rules.

{**23A. Grant of Quarry Lease.-** (1) Powers to Grant Quarry Lease: (a) The State Government shall have the powers to grant quarry lease for minerals specified in Part A and Part B of Schedule I through the process of electronic auction to be conducted by the Director.

(b) The Director shall have the powers to grant quarry lease for minerals specified in Part C of Schedule I and Part A of Schedule II for an area of more than ten hectares through the process of electronic tendering to be conducted by the Collector.

(c) The Collector shall have the powers to grant quarry lease for minerals specified in Part C of Schedule I and Part A of Schedule II for an area upto ten hectares through the process of electronic tendering to be conducted by the Collector.

(2) Rights of Existing concession holders and applicants: (a) All applications received for the grant of quarry lease prior to the date of commencement of these amendment rules, shall become ineligible.

(b) Without prejudice to sub-rule (a), the following shall remain eligible on and from the date of commencement of these Amendment Rules:—

(i) where before the commencement of these Amendment Rules, prospecting licence has been granted in respect of any land for any mineral, the licensee shall have a right for obtaining a quarry lease in respect of that mineral in that land, if the Competent Authority is satisfied that the licensee :-

(I) has undertaken prospecting operations, to establish the existence of mineral contents in such land through pitting and drilling as required or has otherwise established the existence of minerals;

(II) has not become ineligible under the provisions of these Rules; and

(III) has not failed to apply for grant of quarry lease, within a period of ninety days after the expiry of the prospecting licence, or within such further period not exceeding six months as may be extended by the Director.

(ii) Where Letter of Intent (by whatsoever name called) or Grant order for quarrying has been issued by the Competent Authority, prior to the commencement of these Amendment Rules, subject to the fulfilment of the conditions laid down in the Letter of intent within a period of 180 days from the commencement of these Rules or such other period not exceeding further six months as decided by the Director.

(iii) Applications pending for renewal under Rule 38 of these Rules.

(3) Preliminary Procedure for Grant of Quarry Lease : (a)(i) The Competent Authority shall have the powers to suo-motu identify, demarcate and notify an area, where the existence of mineral contents of any minor mineral is established in the manner prescribed by the State Government for grant of Quarry lease through electronic auction or electronic tendering, as the case may be .

(ii) Other than the areas so identified in sub clause (i), applications may be received in Form-I by the Competent Authority in case of such areas where the existence of mineral contents of any minor mineral is established for the grant of Quarry lease;. Applications for minerals contained in Part A and Part B of Schedule I shall be received by the Director and applications for minerals contained in Part C of Schedule I and Part A of Schedule II shall be received by the Collector.

(b) The Competent Authority shall enter on it the date and time on which the application was received by him and process the area applied for e-auction or e-tendering, as the case may be, within a period of 60 days from the date of receipt of application. The e-auction or e-tendering, as the case may be, shall be notified by with publication of notice for auction on the departmental website. The details of the notification for e-auction or e-tendering, as the case may be, shall also be displayed on the notice board of the concerned District Collectorate, Zila Panchayat, Janpad Panchayat and Gram Panchayat of the district concerned.

(c) The State Government shall if it is of the opinion that it is necessary and expedient to do so, prescribe terms and conditions, procedure and bidding parameters in respect of categories of minerals, size and area of mineral deposits and a District or Districts, subject to which the e-auction or e-tendering shall be conducted:

Provided that the terms and conditions may include the reservation of any particular mine or mines for a particular end-use and subject to such condition which allow only such eligible end users to participate in the auction.}

24. Quarrying operation for minor minerals to be in accordance with quarry plan.-

(1) Quarrying operation shall be undertaken in accordance with the duly approved Quarry Plan.

(2) The Quarry Plan once approved, shall be valid for the entire duration of the lease.

(3) Modification of the approved Quarry Plan during the operation of a Quarry Lease also requires prior approval.

(4) Where quarrying operations have been undertaken before the commencement of #{these amendment rules} without an approved quarrying plan, the holder of such Quarry Lease shall submit a quarry plan, within a period of one year from the date of commencement of these rules to the authorised officer in this behalf by the State Government for approval.

(5) The Quarry Plan shall incorporate, –

(i) Name of the Applicant

(ii) Address:-
City
District
Pin Code

Phone Number
E-mail

(iii) Status of Applicant

(iv) Name of the Recognised Qualified Person preparing the Quarry Plan
Address:-
City
District
Pin Code
Phone Number
E-mail

(v) Registration No. of Recognised Qualified Person or authorization of the State Government,
Date of Grant and Renewal
Valid up to

(vi) Name and details of the Prospecting Agency

(vii) Address:-
City
District
Pin Code
Phone Number
E-mail

(viii) Whether area is prospected by the Directorate of Geology and Mining, if yes then enclose a certified copy of prospecting report.

(ix) Location and Accessibility
Detail of the Area (with location map)
District, Tehsil, PatwariHalka Number, Village
Khasra Number/Compartment No.
Lease Area (Hectares)
Ownership
existence of public road/railway line, if any near by and approximate distance
Topo-sheet No. with latitude and longitude in case where the area is five hectares or more.
For area under reserve forest/protected forest, the area should be marked on forest map.

(x) The area showing the nature and extent of the mineral body

(xi) Spot or spots where the Quarrying operations are proposed and proposed maximum depth of quarrying operation.

(xii) A tentative scheme of quarrying, annual program and plan for excavation from year to year for five years

(xiii) The extent of manual quarrying or quarrying by the use of machinery and mechanical devices

(xiv) Measures of protection of environment, especially against air and water pollution due to Quarrying operation

(xv) Measures to be taken for reclamation of land

(xvi) Quarrying Closure Plan (Not applicable in case of temporary permit).

25. Quarry Plan to be prepared by recognized qualified persons (RQP).-(1) No Quarry Plan shall be approved unless it is prepared by a recognized qualified person or authorized person as notified by the Director.

(2) Recognized Qualified person / Authorized person shall possess the following qualification and experience, namely:-

(i) a degree in Mining Engineering or post-graduate degree in Geology from a University established or incorporated by or under a Central Act, or a State Act, including any institution recognised by the University Grants Commission established under Section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or any equivalent qualification granted by any University or Institution outside India; and

(ii) professional experience of three years in the field of mineral exploration /administration or mining after obtaining the degree or have been in the employment of the Directorate of Geology and Mining.

(3) A Recognised Qualified Person/Authorised person may also carry out modifications of an existing Quarry Plan.

26. Approval of Quarry Plan.- (1) Every Quarry Plan submitted for approval, shall be accompanied with a non-refundable fee of rupees one thousand for every hectare or part thereof, of quarrying area covered under the Quarry Lease.

(2)Any person aggrieved by any order made or direction issued in respect of Quarry Plan by the officer authorised by the Director may, within thirty days of the communication of such order or direction may apply to the Director,

alongwith original treasury challan of rupees one hundred for revision of the order or direction:

Provided that any such application may be entertained after the said period of thirty days if the Director is satisfied that he had sufficient cause for not making the application within time.

(3) On receipt of any application for revision under sub-rule (2), the Director, after giving a reasonable opportunity of being heard to the aggrieved person, may confirm, modify or set aside the order made or direction issued by any officer who approved the Quarry Plan.

(4) The procedure enumerated above, shall *mutatis mutandis*, be followed for the disposal of such application.

27. Power to approve Quarry Plan.- The Quarry Plan shall be approved by any officer authorized by the Director for this purpose through a notification,

{Provided that quarry plan of minerals specified in Part B of Schedule I shall also be approved by the officers of Indian Bureau of Mines.}

28. Grant of recognition by Director.- (1)Any person possessing the qualifications and experience, referred to in rule 25, may apply for being recognised as a Recognised Qualified Person to the Director or any officer duly authorised by the Director.

(2) After making such enquiry as it deems fit, the Director or officers authorised by the Director, may grant or refuse to grant recognition and where recognition is refused, shall record reasons in writing and communicate the same to the applicant.

(3) Recognition shall be granted for an initial period of 5 years and may be renewed for a period of 5 years at a time:

Provided that the Director or officers authorised by the Director, may refuse to renew recognition for reasons to be recorded in writing after giving an opportunity of being heard to the person concerned.

(4) An appeal shall lie to the State Government against the order of the Director refusing to grant or renew an application for recognition and in cases where the order has been passed by the officers authorised by the Director the appeal shall lie to the Director whose decision shall be final.

(5) If Recognised Qualified Person uses false or fabricated data/information for preparation of Quarry Plan, the officer competent to grant recognition shall cancel the recognition of that Recognised Qualified Person or black list for preparation of Quarry Plan for a period of five years or both:

Provided that before cancellation of recognition or black listing, the Recognised Qualified Person should be given reasonable opportunity of being heard:

Provided further that an appeal shall lie to the State Government against the order of the Director regarding cancellation of the recognition of that Recognised Qualified Person and black listing for preparation of Quarry Plan and in cases where the order has been passed by the officers authorised by the Director the appeal shall lie to the Director whose decision shall be final.

(6) If Recognised Qualified Person uses false or fabricated data/information for preparation of Quarry Plan, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to twenty five thousand rupees.

(7) Any Quarry Plan prepared by using false or fabricated data/information shall be void and be of no effect.

29. Financial assurance.- (1) Financial assurance has to be furnished by every Quarry Leaseholder. The amount of financial assurance shall be rupees twenty five thousand per hectare or part thereof of the lease area.

(2) The financial Assurance shall be submitted in one of the following forms to the Collector or the Director, as the case may be,-

(i) Letter of Credit from any scheduled bank; or

(ii) Surety bond in Form-X;

(3) The lessee shall submit the financial assurance to the Collector or the Director, as the case may be, before execution of the lease deed.

(4) Where quarrying operations have been undertaken before the commencement of these rules the holder of such Quarry Lease shall submit financial assurance within a period of one year from the date of commencement of these rules.

(5) Release of financial assurance shall be effective upon the notice given by the Lessee for the satisfactory compliance of the provisions contained in the Quarry Closure Plan and certified by the Collector.

(6) If Collector has reasonable grounds for believing that the protective, reclamation and rehabilitation measures as envisaged in the approved Quarry Closure Plan in respect of which financial assurance was given has not been or will not be carried out in accordance with the Quarry Closure Plan, either fully or partially, the Collector shall give the Lessee a written notice of his intention to issue the orders for forfeiting the sum assured at least thirty days prior to the date of the order to be issued.

(7) Within thirty days of the receipt of notice referred to in sub-rule (6), if no satisfactory reply has been received in writing from the Lessee, the Collector shall pass an order for forfeiting the surety amount and a copy of such order shall be endorsed to the Director.

(8) Upon issuance of such order by the Collector, the Director may realise any letter of credit or surety bond; guarantee provided or obtained as financial assurance for the purpose of performance of protective, reclamation, rehabilitation measures and shall carry out those measures or appoint an agent to do so.

30. Area restriction on grant of Quarry Lease.- (1) For minerals Granite and Marble specified under Part-A of Schedule-I, the provisions of Granite Conservation and Development Rules, 1999 and Marble Development and Conservation Rules, 2002 respectively, shall apply.

(2) No person shall acquire one or more Quarry Lease, in respect of any mineral specified under Part-B and Part-C of Schedule-I and Part-A of Schedule-II, covering a total area, more than fifty hectares:

Provided that if the State Government is of opinion that in the interest of the development of any mineral, it is necessary so to do, it may, for reason to be recorded by it, in writing, permit any person to acquire one or more Quarry Lease covering an area in excess of the aforesaid total area:

Provided further that for cluster mining of minor mineral/minerals the maximum area shall not exceed five hundred hectares.

Explanation:- For the purposes of this clause a 'person' includes an individual, a Hindu undivided family, a company, a firm, an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, a local authority, and every artificial juridical person.

(3) For minerals specified under Part-B of Schedule-I and except Serial No. 2 (Flagstone) of Part-C the minimum area shall not be less than one hectares. In case of Flagstone, and minerals specified in Part-A of Schedule-II, the minimum area shall not be less than 0.40 hectare.

Provided minimum area specified in this sub rule shall not apply for renewal of quarry leases granted before commencement of these rules.

31. Application Fee .- (1) There shall be paid a non-refundable application fee in respect of every application for grant or renewal of a Quarry Lease with respect to minerals specified in Schedule- I and minerals specified in Part-A of Schedule-II.

(2) A non-refundable application fee shall be deposited in the following manners;

S. No.	**Area Applied**	**Fee**
(1)	**(2)**	**(3)**
(i)	up to Five hectare	Rupees Five Thousand
(ii)	more than Five hectare	Rupees Ten Thousand

(3) The application fee shall be deposited in the Government Treasury under the revenue receipt head-

0853 Non ferrous Mining and Metallurgical Industry

{102} Mineral concession fees, rent and royalties.

(0278) Receipt from minor minerals

and the original treasury receipt Challan shall be attached with the application.

32. Officer authorised to receive applications. – The Deputy Director or Mining Officer or Assistant Mining Officer or in their absence any officer authorised by the Collector of the district shall receive the applications for grant or renewal of Quarry Lease for Minor Minerals and shall enter on it the date and time on which the application was received by him.

33. Availability of certain areas.- No application for Quarry Lease of minerals, mentioned in Schedule-I and Part-A of Schedule-II , shall lie for areas previously held or which are being held under a Mining/Quarry Lease or in respect of which the order had been made for the grant thereof, but due to any reason lease deed is not executed and in respect of which the order granting lease has been revoked or in respect of which an application for Quarry Lease has been rejected on the ground that the area should be reserved for any purpose, unless the date from which the area shall be available for grant is notified in the Official Gazette at least thirty days in advance:

Provided that the State Government may for reasons to be recorded in writing relax the provisions of this rule in a special case.

34. Reservation of areas for exploitation in the public sector, etc.- The State Government may, by notification in the Official Gazette, reserve any area for conservation, protection of environment, assessment of reserve by the State Government or for exploitation by the Government corporation established by the Central or the State Government or a Government Company within the meaning of sub-section (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013).

35. Acknowledgement of application.- (1) Where an application for the grant or renewal of a Quarry Lease is delivered personally, its receipt shall be acknowledged forthwith and where such application is received by registered post; and in other cases, the receipt shall be acknowledged within three days of the receipt.

(2) The receipt of every of such application shall be acknowledged under Form-III.

36. Register of application for Quarry Lease.- A register of applications for Quarry Lease shall be maintained by the Mining Officer or Assistant Mining Officer of the district in Form-XI.

37. Premature applications.- (1) Application for the grant of a Prospecting Licence, or Quarry Lease in respect of areas whose availability for grant is required to be notified under rule 33, shall, if,-

(i) no notification has been issued, under that Rule; or

(ii) where any such notification has been issued and the period specified in the notification has not expired,

then application shall be deemed to be premature and shall not be entertained.

(2) On request of applicant, the fee paid along with application as per sub-rule (1) shall be refunded.

(i) in sub-rule (1), for the punctuation full stop ".", the punctuation ":" shall be substituted;

(ii) below sub-rule (1), the following shall be inserted, namely:-

"Provided the provision of this sub-rule, shall be applicable only in the case of quarry lease which was granted prior to the date of commencement of these Amendment Rules but shall not be applicable in cases in which period of quarry lease has been extended under sub rule (3) and (4) of rule 38A"; and

(iii) Sub-rule (2) and (3) shall be omitted.

38. Renewal of Quarry Lease.- (1) Every application for the renewal of a Quarry Lease shall be made at least one year before the date on which the lease is due to expire; and shall be disposed off before the expiry of lease and if the application is not disposed off within the said period, the lease shall be deemed to have been extended by a further period till final orders are passed on the renewal of application by the sanctioning authority,

{Provided the provision of this sub-rule, shall be applicable only in the case of quarry lease which was granted prior to the date of commencement of these Amendment Rules but shall not be applicable in cases in which period of quarry lease has been extended under sub rule (3) and (4) of rule 38A}

(2) # { omitted}

(3) # { omitted}

{**38A. Period of quarry lease.-** (1) On and from the date commencement of these Amendment Rules, all quarry leases for minerals specified in Part B of the Schedule I shall be granted for the period of fifty years.

(2) On and from the date of commencement of these Amendment Rules all quarry leases for minerals specified in Part A and Part C of the Schedule I and Part A of Schedule II shall be granted for the period of thirty years.

(3) All quarry leases granted before the commencement of these Amendment Rules, for minerals specified in Part B of the Schedule I shall be

extended and be deemed to have been extended up to a period ending on 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with:

Provided that the lease holder shall be granted the aforesaid right upon execution of a supplementary lease deed to that effect, to be executed within a period of one year from the commencement of these Rules. The Director shall have the powers to extend this period for a further period of six months for reasons to be recorded in writing.

(4) All quarry leases granted before the commencement of these Amendment Rules for minerals specified in Part A and Part C of the Schedule I and Part A of Schedule II shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of thirty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with:

Provided that the lease holder shall be granted the aforesaid right upon execution of a supplementary lease deed to that effect, to be executed within a period of one year from the commencement of these Rules. The Director shall have the powers to extend this period for a further period of six months for reasons to be recorded in writing.

(5) On the expiry of the lease period, if the mineral resource is still available in the area; the lease shall be put to auction or tendering, as the case may be, as per the procedure specified in these Rules.}

{**39. Grant of Quarry Lease through electronic auction.-** (1) Pre-requisites for electronic auction of Quarry Lease.—

(a) The Competent Authority may initiate an auction process for grant of a quarry lease with respect to an area within the State in accordance with the provisions of these Rules.

(b) The Competent Authority shall, prior to issuance of the notice inviting bids with respect to auction, identify and demarcate the area where a quarry lease is proposed to be granted through an auction on the basis of a demarcation report obtained from concerned revenue officials and forest officials.

(2) Procedure for e-Auction for quarry lease:-

(a) Eligibility for quarry lease.

(i) for the purpose of participating in the auction of quarry lease, an applicant shall meet all the requirements as specified in Rule 5.

(ii) the eligibility for participating in the e-auction shall be determined as per the terms and conditions of eligibility for participating in the e-auction and the

successful bidder shall be decided solely on the basis of financial bids submitted by the eligible bidders.

(b) Electronic Auction.-

(i) The electronic auction shall be conducted only through a two stage forward ascending auction on an online electronic auction platform.

(ii) The Competent Authority shall utilise any online electronic auction platform which meets the minimum technical and security requirements as specified in the Guidelines for compliance to Quality requirements of e-Procurement Systems issued by the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate, Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.

(c) Bidding parameters.-

(i) There shall be a price fixed to be called the “reserve price” which shall be twenty percent of the notified royalty for the particular mineral; an amount in Rupees per cubic metre/metric ton or any other standard unit of mineral despatched.

(ii) The bidders shall quote, over and above the reserve price, for the purpose of payment to the State Government, an amount in Rupees per cubic metre/metric ton or any other standard unit of mineral despatched from the lease area as 'auction money’.

(iii) Where an area is being auctioned for more than one mineral through electronic auction, auction money for the quantity of mineral despatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (ii) shall be applicable for the purpose of payment to the State Government in respect of each such mineral.

(iv) The auction money shall be payable to the State Government on a monthly basis on the mineral being despatched every month. The rate offered by the bidder and accepted in e-auctioning process shall be subject to price escalation linked to the Wholesale Price Index from the financial year in which the mineral despatch begins with the year in which auction was conducted being the base year.

(v) If subsequent to the grant of a quarry lease, one or more new minerals are discovered, the auction money for the quantity of mineral despatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (ii) shall be applicable for the purpose of payment to the State Government in respect of each such mineral.

(d). Bidding Process.-

(i) The Competent Authority shall issue a notice for auction, published on the departmental website, to commence the auction process. The details of the notice for auction shall also be displayed on the notice board of the concerned District Collectorate, Zila Panchayat, Janpad Panchayat and Gram Panchayat of the district concerned and such notice shall contain brief particulars regarding the area under auction, including,-

(I) particulars of the area identified and demarcated using demarcation report from concerned revenue officials divided into revenue land, forest land and private land; and

(II) brief particulars regarding evidence of mineral contents with respect to all minerals discovered in the area .

(ii) The auction document issued by the Competent Authority shall contain,-

(I) report and details of the minerals available in the area;

(II) revenue survey details of the area identified and demarcated using demarcation report from concerned revenue officials divided into forest land, revenue land and private land.

(iii) The bidders shall be provided a fixed period to study the auction documents.

(iv) The bidding process shall commence after a period of 21 days from the date of publication of the notice for auction. The auction shall be an ascending forward online electronic auction.

(v) For the Stage I, the Bidders shall be required to submit the Technical Bid; and initial price offer, which will have to be above the reserve price. The Technical Bid shall be evaluated to ascertain compliance of the Bidder with the eligibility conditions.

(vi) Only those Bidders, who are found to be eligible in accordance with the prescribed eligibility conditions, shall be declared as the "**Technically Qualified Bidders**".

(vii) The highest initial price offer amongst the Technically Qualified Bidders quoted above the reserve price shall be the floor price for the stage-II of online electronic auction.

(viii) (I) After opening of the Initial Price of the bid documents (Initial Price Bid), the Initial price bids shall be arranged in descending order and the technically qualified Bidders holding the first fifty percent of the ranks (with any fraction rounded off to higher integer) or the top five technically qualified bidders, whichever is higher, shall qualify as qualified bidders for participating in the stage two bidding. Only the Qualified Bidders shall be eligible to participate in the stage II of the bid process, i.e, online forward auction.

(II) If the number of technically qualified bidders is less than five then all the technically qualified bidders shall be considered as qualified bidders.

(III) In the event of identical initial price offers being submitted by two or more technically qualified bidders, all such technically qualified bidders shall be assigned the same rank for the purposes of determination of qualified bidders and in such case, the afore mentioned fifty percent shall stand enhanced to fifty percent plus the number of technically qualified bidders whose initial price offers are identical less the number of such identical initial price offers.

(ix) The bidder who gives the highest final price offer shall be declared as the preferred bidder.

(3) Right of first refusal to the owner of seventy five percent or more of the area of lease: Where an auction is notified by the Competent Authority for any land consisting of private land, either wholly or partly, in that case the highest price offer given by any bidder shall be disclosed and the owner of a private land, who participated in the bidding process and who owns seventy five percent or more of the area of lease shall have the Right of first Refusal. Upon acceptance of the highest final price offer, such owner of private land shall be declared as the Preferred Bidder. Otherwise, on refusal by such an owner of private land, the bidder with the highest final price offer shall be declared as the preferred bidder:

Provided that, the owner of private land shall exercise his right of first refusal, to be given in writing, within seven working days from the date of announcement of the highest price offer for the said area put on auction. If he fails to do so within the said period he shall be deemed to have exercised his Right of refusal.

(4) Right of First Refusal to the holder of the lease: On the expiry of the lease period, the lease area shall be put up for electronic auction as per the procedure specified in these Rules. Power of right of first refusal shall be given to the holder of said lease on participation in the auction.

(5) If at any stage of the auction process only one valid bid is given then the Competent Authority shall have the powers to extend the bid due date by another seven days and if again one bid is given then the Competent Authority shall have the powers to accept the same. The Competent Authority shall have the right to annul the auction at any stage for reasons to be recorded in writing."

39A. Grant of Quarry Lease through Electronic tender.- (1). Pre-requisites for electronic tender of quarry lease- (a) The Competent Authority may initiate the tender process for grant of a quarry lease with respect to an area within the State in accordance with the provisions of these Rules.

(b) The Competent Authority shall, prior to issuance of the notice inviting tender with respect to tender, identify and demarcate the area where a quarry lease is proposed to be granted through tender on the basis of a demarcation report obtained from concerned revenue officials and forest officials.

(2) Procedure for Electronic tendering of Quarry Lease.—

(a) Eligibility for Quarry Lease.-

(i) For the purpose of participating in the E-tendering of quarry lease, an applicant shall meet all the requirements as specified in Rule 5.

(ii) The eligibility for participating in the process shall be determined as per the terms and conditions of eligibility for participating in the tender and such eligible bidders shall be called **technically qualified bidder**. The Successful Bidder shall be decided solely on the basis of financial bids submitted by the technically qualified bidders.

(b) Electronic Tender.-

(i) The tender shall be conducted only through an online electronic platform.

(ii) The Collector shall utilise any online electronic platform which meets the minimum technical and security requirements as specified in the Guidelines for compliance to Quality requirements of e-Procurement Systems issued by the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate, Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.

(c). Bidding parameters.-

(i) There shall be a price fixed to be called the reserve price which shall be twenty percent of the notified royalty for the particular mineral; an amount in Rupees per cubic metre /metric ton or any other standard unit of mineral despatched

(ii) The bidders shall quote, over and above the reserve price, for the purpose of payment to the State Government, an amount in Rupees per cubic metre /metric ton or any other standard unit of mineral despatched from the lease area as 'auction money".

(iii) The auction money shall be payable to the State Government on a monthly basis on the mineral being despatched every month. The rate offered by the bidder and accepted in electronic tendering process shall be subject to price escalation linked to the Wholesale Price Index from the financial year in which the mineral despatch begins with the year in which auction was conducted being the base year.

(iv) Where an area is being allotted for more than one mineral through Electronic-tendering, auction money for the quantity of mineral despatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (ii) shall be applicable for the purpose of payment to the State Government in respect of each such mineral.

(v) If subsequent to grant of a mining lease, one or more new minerals are discovered, the auction money for the quantity of mineral despatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (ii) shall be applicable for the purpose of payment to the State Government in respect of each such mineral.

(d) Bidding Process.-

(i) The Competent Authority shall issue a notice inviting tender, published on the departmental website, to commence the e tender process. The details of the notification for e-tender shall also be displayed on the notice board of the concerned District Collectorate, Zila Panchayat, Janpad Panchayat and Gram Panchayat of the district concerned and such notice shall contain brief particulars regarding the area under e-tender, including,-

(I) particulars of the area identified and demarcated using demarcation report from concerned revenue officials divided into revenue land, forest land and private land; and

(II) brief particulars regarding evidence of mineral contents with respect to all minerals discovered in the area.

(ii) The tender document issued by the competent authority shall contain,-

(I) report and details of the minerals available in the area;

(II) revenue survey details of the area identified and demarcated using demarcation report from concerned revenue officials divided into forest land, revenue land and private land.

(iii) The bidders shall be provided a fixed period to study the tender document .

(iv) The bidding process shall commence after a period of twenty one days from the date of publication of the notice inviting tender. The electronic tender shall be an electronic tendering process on electronic platform. .

(v) The bidder who gives the highest final price offer shall be declared as the preferred bidder.

(vi) In the event of identical initial price offers being submitted by two or more technically qualified bidders, the bid submitted prior in time shall be declared as the preferred bid. The Competent Authority shall have the right to annul the auction at any stage for reasons to be recorded in writing.

(3) Right of first refusal to the owner of seventy five percent or more of the area of lease: Where an electronic tender is notified by the Competent Authority for any land consisting of private land, either wholly or partly, in that case the highest price offer given by any bidder shall be disclosed and the owner of a private land who participated in the bidding process and who owns seventy five percent or more of the area of lease shall have the Right of first Refusal. Upon acceptance of the highest final price offer, such owner of private land shall be declared as the preferred bidder. Otherwise on refusal by such an owner of private land the bidder with the highest final price offer shall be declared as the preferred bidder:

Provided that, the owner of private land shall exercise his right of first refusal, to be given in writing, within seven working days from the date of announcement of the highest price offer for the said area put on auction. If he fails to do so within the said period he shall be deemed to have exercised his Right of refusal.

(4) Right of first refusal to the holder of the lease: On the expiry of the lease period, the lease shall be put up for electronic tendering as per the procedure specified in these Rules. Power of right of first refusal shall be given to the holder of said lease on participation in the tender.

(5) If at any stage of the tender process only one valid bid is given then the Competent Authority shall have the powers to extend the bid due date by another seven days and if again one bid is given then the Competent Authority shall have the powers to accept the same. The Competent Authority shall have the right to annul the auction at any stage for reasons to be recorded in writing.}

40. Reasons for refusal to be recorded .- (1) The Sanctioning Authority may, after giving an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the applicant, refuse to grant or renew a Quarry Lease over the whole or part of the area applied for.

(2) An application for the grant or renewal of a Quarry Lease made under rule 23, shall not be refused by the Sanctioning Authority only on the ground, that Form-IX, is not complete in all material particulars by the documents referred to in sub-clause (xi) and (xii) of rule 23.

(3) Where it appears that the application is not complete in all material particular or is not accompanied by the required documents, the Sanctioning Authority, shall by a notice require the applicant to supply the omission or, as the case may be, furnish the documents, without delay and in any case not later than thirty days from the date of receipt of the said notice by the applicant.

41. Register of Quarry Leases.-(1) A register of Quarry Leases shall be maintained by the Mining Officer/Assistant Mining Officer in Form-XII.

(2) The register of application for Quarry Leases and the register of Quarry Leases shall be available for inspection by any person on payment of the following fee, namely:-

(a) rupees fifty for first hour or part thereof; and

(b) rupees fifty for subsequent hour or part thereof.

(3) The fee under sub-rule (2) shall be deposited in the same manner as prescribed in sub-rule (3) of rule 31.

{**42. Grant Order of Quarry Lease.—** (1) Upon completion of the auction/ tendering process, the preferred bidder shall submit a performance security in the manner specified in sub-rule (2) of Rule 46 and upon receipt of such performance security, the Sanctioning Authority shall issue a letter of intent or grant order to the preferred bidder.

(2) On receipt of the letter of intent the preferred bidder shall be considered to be the successful bidder upon fulfilment of the following conditions, namely:—

(a) compliance with all the terms and conditions of eligibility;

(b) obtaining all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under applicable laws for commencement of quarry operations;

(c) consent of land owner/owners for private land; and

(d) submitting the quarry plan, prepared and approved as per Rule 24.

(3) Upon fulfilment of the conditions specified in sub-rule (2), the Sanctioning Authority shall grant a Quarry Lease to the successful bidder and such Quarry Lease shall be subject to the provisions of these rules, as applicable to a mining lease.

(4) The minimum area for grant of a Quarry Lease shall not be less than the minimum area for which a mining lease may be granted in accordance with the provisions of these Rules and the maximum area shall be in accordance with these Rules.

(5) Letter of intent shall be deem to be cancelled, if preferred bidder is unable to fulfil the conditions specified in sub rule (2) within a period of one year for forest land and six months for non forest land from the date of issue of letter of intent and performance security shall be forfeited:

Provided that the director may extend additional period of six months in the period of sub rule (5), if preferred bidder has sufficient reason for not fulfilling the conditions of sub-rule (2) within time.}

43. Period of Quarry Lease.- (1) The period for which a Mining Lease/Quarry Lease may by granted #{ } shall be as shown in the table below,-

TABLE

S.no.	Name of the Minerals	Period
(1)	(2)	(3)
1.	Minerals Specified in Part A of Schedule I	Thirty Years
2.	Minerals Specified in Part B of Schedule I	Fifty Years
3.	Minerals specified in Part C of Schedule I and Part A of schedule II	Thirty Years"

44. Aggregate holding area of limestone (minor mineral), marble and flag stone.- No lessee shall ordinarily hold in aggregate more than fifty hectares area of Limestone (Minor Mineral), Marble and Flag stone in the State.

Explanation: - The above limit shall ordinarily be applicable in renewal cases also.

45. Boundaries below the Surface.-The boundaries of the area covered by a Quarry Lease shall be vertically downward below the surface towards the centre of the Earth.

{**46. Bid and performance security for Quarry Lease.-**(1) Bid Security shall be an amount mentioned in Schedule V and VI, as may be applicable, to be submitted by all bidders in the auction.

(2) The preferred bidder shall provide a Performance Security of the amount as mentioned in Schedule V and VI as may be applicable, immediately after the auction is complete and in any case within seven days after announcement as the preferred bidder through a demand draft or a bank guarantee valid for a period of three years to be renewed from time to time so as to be valid throughout the period of the lease."

(3) The performance security may be invoked as per provisions of the Quarry Lease Deed.}

47. Lease to be executed within ninety days.-(1) Where a Quarry Lease is granted or renewed, the lease deed in Form-XIII shall be executed and registered under the Indian Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) within a period of ninety days of the order of sanction of the lease and if no such lease is executed within the aforesaid period, the order sanctioning the lease shall be deemed to have been revoked and in that event the application fee paid shall be forfeited to the State Government.

(2) Where the lessee is unable to execute the lease deed within a period of ninety days from the date of the order, he may submit an application to the Director explaining the reason for the same before the expiry of the said period.

(3) Every application under sub rule (2) shall be accompanied by non-refundable fee of Rupees Five Hundred.

(4) The Director may, on receipt of an application made under sub-rule (2) on being satisfied on the adequacy and genuineness for the non-execution of the deed, pass an order for extension of the period of execution of deed.

(5) The Collector shall send copy of every lease deed along with the plan to the respective Janpad Panchayat and shall intimate the full details of area to the respective gram panchayat.

48. Survey of the area leased.- (1) When a Quarry Lease is granted over any area, arrangement shall be made by the Deputy Director or Mining Officer or Assistant Mining Officer at the expense of the lessee for the preparation of map on tracing cloth showing co-ordinates of the area granted and the demarcation of the area granted under the lease, after collecting a fee calculated according to the rates specified in the table below:-

TABLE

S. No.	**Area**	**Rates of fees**
(1)	**(2)**	**(3)**
(a)	Area not exceeding 20 hectares	Rupees five hundred per hectare or part thereof subject to a minimum of rupees one thousand.
(b)	Area exceeding 20 hectares	Rupees one thousand per hectare or part thereof.

(2) The lessee shall erect and maintain at his own expense, boundary pillars of substantial material, standing not less than one meter above the surface of the ground at each corner or angle in the line of the boundary, delineated in the plan attached to the lease deed, co-ordinates should be marked on all the corner pillars.

(3) The maximum distance between any two successive boundary pillars should not be more than 100 meter.

(4) The fee under sub-rule (1) shall be deposited in the revenue receipt head as mentioned in sub-rule (2) of Rule 7.

49. Rent and Royalty.- (1) When a Quarry Lease is granted or renewed,-

(a) dead Rent shall be charged at the rated specified in Schedule-IV;

(b) royalty except for limestone shall be charged at the rates specified in Schedule- III;

(c) rate of royalty on limestone shall be the same as fixed by the Government of India, from time to time, for other limestone in Schedule-II of the Act;

(d) surface rent shall be charged at the rates specified by the Collector of the district, from time to time, for the area occupied or used by the lessee.

(2) On and from the date of commencement of these rules, the provisions of sub-rule (1) shall also apply to the leases granted or renewed prior to the date of such commencement and subsisting on such date.

(3) If the lease permits the working of more than one mineral in the same area separate Dead Rent in respect of each mineral may be charged:

Provided that the lessee shall be liable to pay the Dead Rent or royalty in respect of each mineral, whichever is higher in amount;

(4) Notwithstanding anything contained in any instrument of the lease, the lessee shall pay Royalty/Dead Rent in respect of any mineral removed and/or consumed at the rate specified from time to time in Schedule III and IV.

(5) The State Government, by notification in the Official Gazette, may amend Schedules III and IV, so as to enhance or reduce the rate at which Royalty/ Dead Rent shall be payable in respect of any mineral with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette:

Provided that the State Government shall not enhance the rate of Royalty/Dead Rent, in respect of any mineral more than once during any period of three years.

(6) On declaration of any mineral as minor minerals under clause (e) of Section 3 of the Act by the Government of India, rates of dead rent/ royalty notified by the Central Government for said minerals shall be effective till rates are notified

for the said minerals in Schedule-III and IV by the State Government. This provision shall also be applicable on minerals declared minor minerals by notification dated 10th February 2015 of Government of India.

50. District Mineral Foundation.- (1) For any district affected by operations relating to mining, the State Government shall by notification establish non-profit earning "District Mineral Foundation" under Section 9 B of the Act.

(2) The object of District Mineral Foundation shall be to work for benefit and profit of area and person affected from operations relating to mining in such manner as may be prescribed by the State Government.

(3) Formation and work of District Mineral Foundation shall be such as may be prescribed by the State Government.

#{ (4) The holder of quarry lease shall, in addition to the royalty, pay to the District Mineral Foundation Trust of the district in which quarrying operations are carried on, contribution at the rate specified in the table given below,-

TABLE

S.No	**Category of Lease**	**Contribution to District Mineral Foundation Trust**			
		Before amendment to these Rules		**After amendment to these Rules**	
		Minerals in Part B schedule-I	**Minerals in Part A & C schedule-I & Part A schedule-II**	**Minerals in Part B schedule-I**	**Minerals in Part A & C schedule-I & Part A schedule-II**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	Quarry lease Allotted without Auction	Thirty Percent	Five Percent	Thirty Percent	Thirty Percent
2.	Quarry lease Allotted with Auction	N.A.	N.A.	Ten Percent	Ten Percent
3.	Temporary Permit	N.A.	N.A.	Thirty Percent	Thirty Percent}

(5) Amount to be paid as per sub-rule (4) to the District Mineral Foundation shall be payable from the figures, words and punctuation #{12th January, 2015} of this rule.

CHAPTER VI
QUARRY LEASE-GENERAL CONDITIONS

51. Conditions of Quarry Lease.- (1) Every Quarry Lease shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) The lessee shall pay, for every year except for the first year of the lease, yearly Dead Rent at the rates specified in the Schedule IV, in advance for the whole year, on or before the 20th day of the first month or the year;

(b) The lessee shall pay the Dead Rent or Royalty in respect of each mineral whichever is higher in amount but not both. Such royalty shall be paid in respect of quantities of mineral intended to be consumed or transported from the leased area no sooner the amount of Dead Rent already paid equals the royalty on mineral consumed or transported by him. The Dead Rent or royalty shall be deposited in the Government Treasury under the following revenue receipt head, namely:-

0853 Non ferrous Mining and Metallurgical Industry
{102} Mineral concession fees, rent and royalties.
(0278) Receipt from minor minerals

{(bb) lessee of the lease granted through auction/tender shall also pay the auction money, at the rate of approved auction money, for the mineral dispatched from the lease area per month.}

(c) The lessee shall also pay for the surface area occupied or used by him for the purposes of mining operations and surface rent in advance for the whole year on or before the 20th day of the first month every year;

(d) Notwithstanding any other action that may be taken in case of default in payment of dues as specified in clause #{(a),(b),(bb),(c)} within time under these rules or under any other condition of the lease, the lessee shall pay interest at the rate of 24% per annum or

equivalent to the rate of interest prescribed under rule 64A of the Mineral Concession Rules, 1960, whichever is higher for all defaulted payments of #{Dead Rent, royalty, auction money and surface rent}.

(2) If any mineral, not specified in the lease is discovered in the leased area, the lessee shall report such discovery without delay to the Collector and shall not win or dispose off such mineral without obtaining a lease therefore. If he fails to apply for such a lease within a period of ninety days of the discovery of the mineral, the Competent Authority may sanction lease of such mineral, to any other person, who applied for it.

(3) The lessee shall not pay wages, less than the minimum wages prescribed by the State or the Central Government under the Minimum Wages Act, 1948 (No. 11 of 1948), from time to time.

(4) The lessee shall take all measures for planting not less than twice the number of trees destroyed by reasons of mining operation in addition to restoring and leveling the land in mined out area or any other area selected by the Collector.

(5) The lessee shall commence mining operation within one year from the date of execution of the lease deed and shall thereafter conduct such operations in a proper, skillful and workman-like manner.

(6) Subject to the provision under these rules, where mining operations have not commenced within a period of one year from the date of execution of the lease deed or discontinued for #{a cumulative period of one year} after commencement of such operation, the Sanctioning Authority may, by an order, declare the Quarry Lease as lapsed and communicate the declaration to the lessee.

(7) Where the lessee is unable to commence mining operation for a period exceeding one year or unable to continue mining after commencement for #{a cumulative period of one year}, for reasons beyond his control, he may submit an application to Sanctioning Authority explaining the reasons at least ninety days before the expiry of such period.

(8) There shall be paid, in respect of every application under sub-rule (7), a non-refundable fee of rupees five hundred, deposited in the Government treasury under the receipt head prescribed in sub-rule (3) of Rule 31 .

(9) The Sanctioning Authority of the lease shall, on receipt of an application made under sub-rule (7) and on being satisfied about the adequacy and genuineness of the reason for the non-commencement of mining operations or discontinuance thereof, pass an order before the date on which the lease would have otherwise lapsed, extended or refusing to extend the period of the lease:

Provided that where the Sanctioning Authority on receipt of application under sub-rule (7), does not pass any order before the expiry of the date on which the lease would have otherwise lapsed, the lease shall be deemed to have been extended until the order is passed by the concerned authority or for a period of one year, whichever is earlier.

(10) Where non-commencement of the mining operation is on account of delay in,-

(i) acquisition of surface rights, or

(ii) getting the possession of the leased area, or

(iii) supply or installation of machinery, or

(iv) getting Financial Assistance from banks or any financial institution,

and the lessee is able to furnish documentary evidence supported by a duly sworn-in affidavit stating sufficient reasons for non-commencement of mining operations, the sanctioning authority may revoke the declaration/order through which the lease has lapsed.

(11) The lessee shall, at his own expense, erect, maintain and keep in good repairs boundary marks and boundary pillars necessary to indicate the demarcation shown in the plan, at all times.

(12) The lessee shall not carry on or allowed to be carried on, any Mining operations in an area (areas) restricted as per sub-rule (2) of rule 5.

(13) The lessee shall keep correct accounts showing the quantity and other particulars of all minerals obtained from the mine, date wise and quantities of dispatches/consumptions from the lease hold, the price obtained for such minerals, the name of the purchaser, the receipts for money received, the

number or persons employed therein and shall allow all officers of the Directorate of Geology and Mining and any officer authorised by the Zila Panchayat/Janpad Panchayat/Gram Panchayat, in this behalf, to examine at any time any accounts and record maintained by him and shall furnish to the Collector and respective Zila Panchayat/Janpad Panchayat/Gram Panchayat such information and returns as may be required.

(14) The lessee shall issue a transit pass, in Form-1 of the Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009, to accompany every carrier for every trip carrying mineral or product or products from leased area. The transit pass shall be prepared in duplicate in a book form. Duplicate copy shall be given to the driver of the carrier, after making the necessary entries. The Mining Officer shall issue the transit pass book, duly stamped and signed by him, on an application made by the lessee in Form-XIV. The lessee shall surrender all previous duplicate copies of used transit pass books together with unused transit pass books issued to him before the royalty is paid by him under clause (b) of sub-rule (l) and fresh transit passes are issued. The Mining Officer shall keep proper accounts of issued and used duplicate transit passes. The Mining Officer will keep proper accounts of issued and used duplicate transit pass books and unused transit pass books deposited back by the lessee.

(15) Whosoever transports minerals or their products like bricks, tiles lime, dressed stone, blocks, Slabs, tiles, chips stone dust and ballast etc. without a valid pass under Form-I of the Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009, or where the transit pass is found to be incomplete, distorted or tampered with, the Collector, Additional Collector, Chief Executive Officer of the Zila Panchayat/Janpad Panchayat and Gram Panchayat, Deputy Director, Mining Officer, Assistant Mining Officer or Mining Inspector may seize the mineral or its products together with all tools and equipment and the vehicle used for transport:

Provided that the provisions of this sub-rule shall not apply for the purposes of clause (i) of rule 3.

(16) The Collector, Additional Collector, Chief Executive Officer of Zila/Janpad Panchayat and Gram Panchayat, Joint Director, Deputy Director or Mining Officer, by an order in writing, may impose a penalty up to a maximum of rupees ten thousand but not less than rupees five thousand.

(17) The seized mineral, its products, tools, equipment and vehicle may be released when the penalty so imposed is deposited.

(18) If the penalty so imposed is not paid within 15 days from the date of the order of imposing the penalty, all the minerals, its product, tools equipment and vehicles etc. so seized shall stand forfeited and shall become the property of the State Government.

(19) The lessee shall submit the records, books and accounts, for the purpose of assessment of royalty, to the concerned Assessing Authority, within thirty days from 30th June/31st December or whenever demanded by the Assessing Authority through a notice in writing. On failure, a penalty of one thousand rupees may be imposed for every month till the production of the said record.

(20) The lessee shall,-

(a) Submit by the 10th day of every month, to the Collector and Gram Panchayat, a return in Form XV giving the total quantity of mineral/minerals raised, removed/consumed in previous month;

(b) Submit on or before 15th day of July and January, to the Collector, half yearly returns upto June and December in Form-XVI;

(c) Submit by the 31st January of every year, to the Collector a statement giving information under Form-XVII regarding quantity and value of mineral/minerals raised /removed/consumed during last calendar year, average number of labourers employed (men and women separately) and the number of days worked.

(d) In case the lessee fails to submit the information in period/date as prescribed in clause (a), (b) and (c), a penalty of five hundred rupees per month or part thereof, shall be imposed till the said information in prescribed form is produced.

(21) The lessee shall strengthen and support to the satisfaction of Railway Administration or the sanctioning authority, as the case may be, any part of mine which in its opinion requires such strengthening or support for the safety of any railway, bridge, national highway, reservoir, tank, canal, or any other public works or buildings.

(22) If the lessee or his transferee or assignee does not allow entry or inspection under sub-rule (23), the sanctioning authority shall cancel the lease and forfeit, in whole or in part, the security deposit paid by the lessee under rule 46.

(23) (i) The lessee shall allow officers authorised by the State or the Central Government and any officer authorised by the Zila Panchayat/Janpad Panchayat/Gram Panchayat to enter upon any building, excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting the same.

(ii) Every owner, agent or manager of a mine shall provide all necessary facilities to the persons deputed by the State Government for the purpose of undertaking research or training in matters relating to mining operations.

(24) The lessee shall immediately provide to the Director General, Mines Safety of Government of India at Dhanbad, the Controller General of Indian Bureau of Mines of Government of India at Nagpur and the District Magistrate of the district in which the mine is situated, a notice under Form-XVIII appended to these rules, and shall comply with provisions mentioned in Mines Act, 1952 and rules and regulations made thereunder at the time when,-

(a) the working in the mine extends below superjacent ground; or

(b) the depth of any open cast excavation measured from its highest to the lowest point exceeds 6 meters; or

(c) the number of persons employed on any day exceed 50; or

(d) any explosive are used.

(25) The State Government shall, at all times, have the right of pre-emption of the minerals won from the land, in respect of which the lease has been granted:

Provided that a fair market price prevailing at the time of pre-emption shall be paid to the lessee, for all such minerals.

(26) In case of breach by the lessee or his transferee or assignee, of any of the conditions specified in sub-rule (1), (3), (4), (11), (12), or (13) of this rule, the Collector/Additional Collector shall give notice in writing to the lessee or his transferee or his assignee to show cause as to why such breach should not be penalized and directing him to remedy the breach within a period of thirty days from the date of the notice. On failure to show proper cause or if the branch is not remedied within such period, the sanctioning authority, without prejudice to any other action, shall determine the lease and forfeit, in the whole or in part, the security deposit or may alternatively receive from the lessee such penalty for the breach not exceeding four times the amount of the yearly Dead Rent as

mentioned in column 5 of Schedule-IV but in any case shall not be less than rupees ten thousand, as the lessor may fix.

(27) In case of breach of any conditions of the lease, by the lessee or his transferee or assignee, the sanctioning authority shall require the lessee to pay a penalty not exceeding an amount equivalent to twice the amount of annual Dead Rent as mentioned in column 5 of Schedule-IV but in any case shall not be less than rupees five thousand.

(28) A Quarry Lease may contain such other conditions as the sanctioning authority may deem necessary in regard to the following, namely,-

(a) the time limit, mode and place of payment of #{rents, royalties and auction money};

(b) the compensation for damage to the land covered by lease;

(c) the felling of trees;

(d) the restriction of surface operation in any area prohibited by any authority;

(e) the notice by lessee for surface occupation;

(f) the facilities to be given by the lessee for working other minerals in the leased area or adjacent areas;

(g) the entering and working in an reserved or protected forest;

(h) the security of pits and shafts;

(i) the reporting of accidents;

(j) the indemnity to State Government against claims of third parties;

(k) the maintenance of sanitary conditions in the mining area;

(l) the delivery of possession over lands and mines on the surrender, expiration or determination of the lease;

(m) the forfeiture of property left after determination of the lessee;

(n) the power to take possession of plant, machinery, premises, and mines in the event of war or emergency;

(o) the manner in which rights of third parties may be protected (whether by way of payment of compensation or otherwise) in cases

where any such party is prejudicially affected by reason of any mining operation;

(p) the manner in which rehabilitation of flora and other vegetation such as trees, shrubs etc, destroyed by reason of any Mining Operation, shall be made in the same area or in any other areas selected by the State Government, ,by way of reimbursement of the cost of rehabilitation or otherwise, by the person holding the Quarry Lease;

(q) the construction, maintenance and use of roads, power transmission lines, tramways, railways, aerial rope ways, pipelines and making of passage for water for mining purposes on any land comprised in a mine or other mineral concessions.

52. Special conditions. - A Quarry Lease may contain any other special conditions as may be specified by the State Government.

53. Establishment of cutting and polishing units.- (1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (5) of rule 51, in respect of Quarry Leases of minerals specified in Schedule-I, granted for the establishment of a cutting and polishing unit, if the unit is not established within a period of one year, from the date of execution of lease/leases in the State, the said lease/leases shall be deemed to be terminated.

(2) Where the lessee is unable to establish cutting and polishing unit within one year from the date of execution of lease/leases, he may submit an application to the Director explaining the reason for the same before the expiry of the said period.

(3) Every application under sub-rule (2) shall be accompanied by non-refundable fee of five thousand rupees.

(4) The Director may, on receipt of an application made under sub-rule (2) on being satisfied on the adequacy and genuineness for the non-establishment of cutting and polishing unit, pass an order for extension of the period up to one year to establish cutting and polishing unit.

(5)The lessee can transport inter-state or export the set quantity of rough blocks within the first year of the Quarry Lease or the period extended under sub-rule (4), as may be permitted by the State Government.

54. Rights of lessee.- Subject to the conditions specified in rule 51, the lessee, for the purposes of mining operations with respect to the land leased to him, shall have the right:-

(i) to work the mines;

(ii) to sink pits and construct building and roads;

(iii) to erect plant and machinery;

(iv) to mine and obtain building and road materials and make bricks, but not for the purposes of sale;

(v) to use water;

(vi) to use land for stacking purpose; and

(vii) to do any other thing specified in the lease.

55. Right to determine lease.- The lessee may determine the lease at any time by giving not less than six months notice in writing to the sanctioning authority after paying all outstanding dues to the Government and complying conditions of reclamation of quarry closure plan if applicable.

56. Transfer of Quarry Lease.- (1) No lessee shall transfer or sub-let his lease to any other person, nor make any arrangement with anybody, thereby creating any right, direct or indirect, over the area leased:

Provided that the permission for transfer may be granted to the lessee by the sanctioning authority on payment of twenty five thousand rupees per hectare or part thereof, deposited in the same manner as prescribed in sub-rule (3) of rule 31:

Provided further that in case of transfer of quarry lease, granted in government land, such transfer fee will be rupees fifty thousand per hectare or part thereof.

(2) The sanctioning authority, may by an order in writing, determine the lease at any time if in the opinion of the sanctioning authority the lessee has committed a breach of sub-rule (1).

(3) On receiving an application Lease under sub-rule (1), for transfer of Quarry Lease, the sanctioning authority has given consent for transfer of such lease, a transfer lease deed under Form-XIX shall be executed within three months from

the date of permission or within such further period as the sanctioning authority may allow in this behalf.

57. Amalgamation of leases.- (1) The Director may, in the interest of mineral conservation and development, record in writing and permit amalgamation of two or more adjoining leases held by a lessee/ lessees.

(2) Lessee/ lessees shall submit an application for amalgamation along with a common Quarry Plan for leases proposed for amalgamation.

(3) There shall be paid, in respect of every application for amalgamation of leases, a non-refundable application fee of rupees ten thousand.

(4) Period of amalgamated leases shall be co-terminus with the lease whose period expires first.

(5) The leases situated within the distance of 50 meters, from each other in all directions, may be treated as adjoining leases:

Provided that amalgamation of leases shall not be allowed where any all-weather road or nala or river or canal or high-tension power line or railway line or any other restricted structure is falling within the above mentioned area of 50 meters.

(6) The area between the lease as mentioned in sub-rule (5) shall be the part of the amalgamated lease.

CHAPTER VII

GRANT OF QUARRY PERMIT IN RESPECT OF MINERALS SPECIFIED IN PART-C OF SCHEDULE-I AND PART-A OF SCHEDULE-II

58.Procedure for grant of Quarry Permit.- (l) (i) The Collector shall grant Quarry Permit for extraction, removal and transportation of any Minor Mineral specified in Part-C of Schedule-I and Part-A of Schedule-II from any specified land which may be required for the works of any department or undertaking of the Central Government or State Government #{ : }

{Provided that, the Collector may also grant Quarry Permit to any person for extraction, removal and transportation of any Minor Mineral specified in Part-A of Schedule-II, except mineral specified in serial number (2); from any specified land which may be required for the works

of any department or undertaking of the Central Government or State Government or for private work.}

(ii) Such permission shall only be granted to either the concerned departmental authority or its authorised contractor on furnishing proof of award of contract #{ : }

{Provided that in case of proviso of clause (i) of sub-rule (1) of Rule 58, the furnishing of aforesaid proof shall not be required.}

(iii) An application for Quarry Permits shall be made to the Collector of the concerned district in Form-XX along with an application fee of rupees one hundred. Every such application shall be acknowledged in Form-III on the date of its receipt.

(iv) A register of applications of Quarry Permit shall be maintained in Form-XXI.

(v) The Collector shall grant such Quarry Permit in Form-XXII after satisfaction of the need and availability of mineral, on such conditions as he deem fit.

(2) Area of Quarry Permit shall not exceed the one hectare and duration of #{two years} and the quantity of mineral shall not exceed the quantity required for carrying out the particular work/works for which the permit has been granted.

(3) The transit pass for transportation of mineral in Form-1 of the Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009 shall be issued on payment of advance royalty only.

(4) The Quarry permit shall be governed by the following conditions, namely:-

(a) The holder of Quarry permit shall maintain complete and correct account of the mineral removed and transported from the area;

(b) The holder of Quarry permit shall allow Deputy Director/Mining Officer/Assistant Mining Officer/Mining Inspector or any officer authorised by the Collector or Zila Panchayat/Janpad Panchayat/ Gram Panchayat to inspect quarrying operations and verify the accounts;

(c) No sooner the permitted quantity is transported within the time period of 30 days or earlier, original of all transit pass, such unused

transit passes together with a complete statement of the quantities duly certified by the Officer of the concerned department shall be furnished to the Sanctioning Authority;

#{(cc) For quarry permits issued for minerals specified in Part A of Schedule II, except mineral specified in serial number (2); by the Collector an agreement in prescribed Format III B shall be signed between the Collector and the concerned permit holder.

(ccc) For quarry permits issued for minerals contained in Part A of schedule II except mineral specified in serial number (2); by the Collector an amount of Rupees Ten Thousand shall be deposited by the lessee as a security deposit.}

(d) The holder of Quarry permit shall obtain all permissions/consents from the competent authority under any Act and Rules applicable for excavation or removal of the minerals from the area;

(e) The holder of Quarry permit shall submit by the 10th of every month, to the collector and gram panchayat, a return in Form- XV;

(f) Any other condition, the sanctioning authority may deem fit.

59. Permission for disposal of minor minerals obtained during excavation work.-

(1) The Collector shall grant permission for removal and use of any such Minor Minerals obtained during deepening or widening Panchayat ponds/ tanks, well, water reservoir or any other digging work.

(2) The said permission shall be granted on payment of an amount equivalent to royalty of such mineral in advance, for the specified quantity and period.

60. Permission for disposal of Minor Minerals obtained during excavation work within Mining Lease area granted under the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957.- The Collector shall grant permission for transportation or use of any Minor Minerals obtained during mining operations within the mining leas area for the purpose of construction activities of the Government including local government bodies:

Provided that in case of use of Minor Mineral, collected within the Mining Lease area, by other than works department of the State Government, Collector shall sell it through auction. Royalty shall be paid in advance for the said sold Minor Mineral at prescribed rates.

CHAPTER VIII
QUARRYING OPERATIONS

61. Opencast working.- (1) In opencast working, the benches formed shall be so arranged that the benches in mineral and overburden are separated so as to avoid mixing or wastage of mineral.

(2) (i) in alluvial soil, murrum, gravel, clay or other similar ground, the sides shall be slopped at an angle of safety, not exceeding 45 degrees from horizontal or such other angle as the Competent Authority may permit by an order in writing;

(ii) the sides shall be kept benched, and the height of any bench shall not exceed 1.5 meter and the breadth there of shall not be less them the height;

(iii) the benches in overburden shall be kept sufficiently in advance so that their working does not interfere with the working of mineral;

(iv) the overburden and waste material obtained during quarrying operations shall not be allowed to be mixed with non-salable or sub-grade minerals. They shall be dumped and stacked separately;

(v) the quarrying operations shall be carried out in workmen-like-manner and in accordance with the provisions of the State and Central Acts and rules and regulations made there under, wherever applicable;

(vi) if in the opinion of the Collector of the concerned district or any officer authorised by the State Government, the compliance with the provisions thereof is not reasonably practicable, he may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, exempt from the operation of these rules for any workings in those cases in which special difficulties exist.

62. Exemptions. - Subject to the exemptions granted under the Mines Act, 1952 (No.35 of 1952) and rules made thereunder, the lessees shall comply with all provisions of the said Act and rules.

CHAPTER IX
PROTECTION OF ENVIRONMENT

63. Protection of environment.- (1) Every holder of Quarry Lease shall take all possible precautions for the protection of environment and control of pollution while conducting quarrying operation in the following manner, namely-

(a) Wherever top soil exists and is to be excavated for quarrying operation, it shall be removed separately;

(b) The top soil so removed shall be stored for future use;

(c) The dumps shall be properly secured to prevent escape of material there from and cause land degradation or damage to agricultural fields, pollution of surface water bodies or cause floods;

(d) The site of dumps shall be selected, as far as possible, on impervious and barren ground within the leased area; and

(e) The top soil dumps shall be suitably terraced and established through vegetation or otherwise.

(2) The top soil so removed shall be utilised for restoration or rehabilitation of the land which is no longer required for quarrying operations.

(3) Removal, storage and utilisation of overburden etc.**-** (a)Every holder of an Quarry Lease/Quarry Permit shall take steps so that the over burden, waste rock, rejects and fines generated during quarrying or during sizing shall be stored in separate dumps;

(b)The dumps shall be properly secured and shall be suitably terraced and stabilised through vegetation or otherwise;

(c) Wherever possible, the waste rock, over burden etc. shall be back-filled into the mined out area excavations with a view to restoring the land to its original use as far as possible;

64. Reclamation and rehabilitation of lands.- Every holder of Quarry Lease shall,-

(i) Undertake the phased restoration, reclamation and rehabilitation of lands affected by quarrying operations and shall complete this work before the conclusion of such operations and the abandonment of quarry;

(ii) Carry out quarrying operations in such a manner so as to cause least damage to the flora of the area held under Quarry Lease and the nearby area;

(iii) Every holder of a Quarry Lease/Quarry Permit shall,-

(a) take immediate measures for planting in the same area or any other area selected by the Collector not less than twice the number of trees destroyed by reason of any quarrying operations;

(b) look after them during the subsistence of the lease after which the trees shall be handed over to the Gram Panchayat of the area in which the quarries situated; and

(c) restore to the extent possible other flora destroyed by quarrying operations.

(iv) Upon failure to observe these rules by the holder of a Quarry Lease/Quarry Permit, the Sanctioning Authority shall recover the cost of rehabilitation and reclamation from financial assurance deposited by the holder of lease/permit under Rule 29.

65. **Precautions against damage to public places, etc.** - Every holder of a Quarry Lease or institution responsible for removal of Minor Minerals, ordinary sand and bajri, specified in Part-B of Schedule-II, shall take adequate precautions against damage to public buildings, monuments, roads, religious places either within the lease/specified area or in proximity to the lease/ permit/specified area.

66. Measures against air, water and environment pollution, etc.- Every holder of a Quarry Lease or institution responsible for removal of Minor Minerals ordinary sand and bajri, specified in Part-B of Schedule-II, shall take all necessary measures for avoiding air and water pollution and protection of Environment, and shall obtain necessary consent, if applicable, from competent authority, required under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981) and the Environmental (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986) and rules made thereunder and shall take all necessary steps / actions as mentioned in the consent during the course of quarrying/removal operation, as the case may be.

67. Provisions for cluster mining.- (1) "Cluster" shall mean the geographical boundary declared by the State Government, comprising of Quarry Lease/Quarry Permits for Minor Minerals which already exists or will be granted in future. The area of a cluster, as far as possible, shall not exceed 500 hectares and mineral concessions area, at the time of formation of cluster, shall not be less than 50 hectares. For cluster having area less than 500 hectares, the minimum area under concession should be proportionate.

(2) No Quarry Lease /Quarry Permits shall be granted without a proper Quarry Plan including the Regional Environment Management Plan (EMP) in a cluster. For clusters of leases /permit, a Regional Environment Management Plan shall be prepared by association of lessees /permit holders of the cluster through qualified person/agency and submitted to the Competent Authority under the Environment (Protection) Act,1986 for Environment Clearance/Consent.

(3) Small leases/permit holders falling in a cluster shall form an association for the implementation of Regional Environment Management Plan approved by the Competent Authority. Any lessee/ permit holder within the boundary of cluster shall be deemed to be a member of the association. Such associations shall be registered under the provisions of the relevant laws.

(4) The objectives of Regional Environment Management Plan shall be to manage the Regional Environment risk and the Regional Environment Management Plan shall primarily comprises of the following issues, namely:-

(i) removal and utilisation of top soil;

(ii) storage of overburden waste rock, etc;

(iii) reclamation and rehabilitation of lands;

(iv) precaution against air pollution;

(v) discharge of effluents;

(vi) precaution against noise;

(vii) restoration of flora and fauna;

(viii) water management;

(ix) risk management; and

(x) integrated environmental management.

68. Quarry lease or permit undertaken before the commencement of these rules.- Where quarrying operation, under any Quarry Lease or Permit, have been undertaken before the commencement of these rules, without an approved Environment Management Plan/scheme, as the case may be, from the Competent Authority, the holder of all such Quarry Leases/Permits shall submit approved Environment Management Plan/scheme, at the time of renewal or within six month from the commencement of these rules, whichever is earlier of such quarry.

69. Penalty.- Contravention of any of the provisions of Rule 63 to 65 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend up to three months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both. In case of continuing contravention, an additional fine of twenty five hundred rupees for every day during which such contravention continue after conviction for the first such contravention, shall be imposed.

CHAPTER X
ASSESSMENT OF ROYALTY

70. Assessment and determination of royalty. – (1) Assessment and determination of royalty due from an assessee during an assessment year or as required, shall be made by the Assessing Authority after the returns in respect of that year have been filed by the assessee as required under the terms and conditions of the lease deed or the statement of production, dispatches or consumption has been submitted by the lease/permit holder:

Provided that the Assessing Authority may make a provisional assessment for a particular period during the assessment year after the receipt of returns in respect of that period.

(2) For the purpose of assessment of royalty as mentioned in sub-rule (1), the assessee shall submit monthly returns under Form-XV by the 10th of following month and annual return under the Form-XVII within one month from the expiry of the assessment year.

(3) If the assessee fails to submit returns as required under sub-rule (2) or the returns filed appear to be incorrect, the Assessing Authority may hold such inquiry as it may deem fit and assess royalty of the assessment year:

Provided that the Assessing Authority shall give reasonable opportunity of being heard to an assessee before taking any action under this sub-rule.

(4) For the purpose of sub-rule (3), the Assessing Authority shall serve a 15 days notice upon the assessee requiring him to be present on such date and place specified in the notice, to produce any evidence on which the assessee relies upon in support of the correctness of the returns, statement and records furnished by him and to produce or cause to be produced such accounts pertaining to the assessment year as the Assessing Authority may require.

(5) On the day specified in the notice, given in sub-rule (4), or on any other day thereafter which the Assessing Authority may fix, the Assessing Authority after hearing and considering the evidence as may be produced by the assessee in this behalf, shall make an order in writing or assessment of royalty payable by the assessee.

(6) Notwithstanding anything contained in these rules or in the agreement of Quarry Lease, if the assessee contravenes any of the provisions of sub-rule (2), (4) and (5) or has not adopted any method of regular accounting on the basis of which assessment can be made properly, then the Assessing Authority shall assess the royalty to the best of its judgment and may impose for each of the contravention, a penalty of 50 % of annual Dead Rent as mentioned in column (5) of Schedule-IV.

(7) If an assessee fails to submit monthly returns, under Form-XIV under sub-rule (2), for any month within the prescribed time limit and if the Assessing Authority has reasons to believe that the assessee has evaded or avoided payment of royalty, the Assessing Authority shall, after giving to assessee a reasonable opportunity of being heard and after making such inquiry as it may consider necessary, assess the royalty for the period to the best of its judgment which shall be payable forthwith by the assessee.

CHAPTER XI
PENALTY FOR UNAUTHORISED EXTRACTION AND TRANSPORTATION

71. Penalty for unauthorized extraction and transportation.- (l) Whenever any person is found extracting or transporting minerals or on whose behalf such extraction or transportation is being made, otherwise than in accordance with these rules, shall be presumed to be a party to the illegal extraction of minerals

and every such person shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to twenty five thousand rupees or with both.

(2) Whenever any person is found extracting or transporting mineral in contravention of the provisions of these rules, the Collector/Joint Director/Deputy Director/Mining Officer/Assistant Mining Officer/Mining Inspector or any Officer authorised by him or Zila Panchayat/Janpad Panchayat/Gram Panchayat, may seize the minerals and its products together with all tools, equipments and vehicles used in committing such offence.

(3) The officer seizing such illegally extracted or transported mineral or its product, tools, equipments and vehicles shall give a receipt of the same to the person from whose possession such things were so seized and shall make report to the Magistrate having jurisdiction to try such offence.

(4) The property so seized under sub-rule (2) shall be released by the officer who seized such property on execution of a bond to the satisfaction of the officer by the persons from whose possession such property was seized. It shall be produced at such time and place when production is asked for by such officer:

Provided that where a report has been made to a Magistrate under sub-rule (3) then the seized property shall be released only under the orders of such Magistrate.

(5) The Collector/Joint Director/Deputy Director/Mining Officer or any officer authorised by Zila Panchayat/Janpad Panchayat/Gram Panchayats may, either before or after the institution of the prosecution, compound the offence so committed under sub-rule (1) on payment of market value of mineral so extracted or transported and such fine which may extend to double the market value of mineral so extracted or transported, but in no case it shall be less than five thousand rupees or ten times of royalty of minerals so extracted whichever is higher:

Provided that in case of continuing contravention, the Collector/Deputy Director/Mining Officer may, in addition to the fine imposed also recover an amount of one thousand rupees for each day till such contravention continues.

(6) Where an offence is compounded under sub-rule (5), no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be taken against the offender in

respect of the offence so compounded, and the offender, if in custody, shall be released forthwith.

(7) Any person who trespasses on any land in contravention of these rules shall be served with an order of eviction by the Collector.

(8) All property seized under sub-rule (2) shall be liable to be confiscated, by an order of the Magistrate trying the offence, if the amount of the fine and other sums imposed are not paid within a period of one month from the date of the order:

Provided that on payment of such sum within one month of the order all property so seized shall be released except that the mineral or its products, so seized mineral or its products under sub-rule (2) shall be confiscated and shall be the property of the State Government.

(9) The Authorities empowered to take action under this rule, if deem necessary, request to the Police Authority in writing for the help of Police and the Police Authorities shall render such assistance as may be necessary to enable the officer to exercise the powers conferred on them by this rule to stop illegal extraction and transportation of minerals.

(10) (i) Subject to such conditions as may be specified, the Collector may authorise, either generally or in respect of particular case or class of cases, any officer not below the rank of assistant mining officer to investigate all or any offence punishable under this rule;

(ii) Every officer so authorised to conduct such investigation, shall exercise the powers conferred upon the officer-in-charge of a police station by the Criminal Procedure Code,1973 (No. 2 of 1974) for the investigation of a cognizable offence;

(iii) The investigation officer for the purposes of this rule shall exercise the powers of the Code of Civil Procedure 1908 (No. 5 of 1908) in respect of the following matters, namely-

(a) Enforcing the attendance of any person and examining him on oath or affirmation;

(b) Completing production of documents.

72. Provision for maintaining records of consumption of minor minerals in construction activities.-(1) Every person, company, firm, society/association

engaged in construction of residential building or buildings for sale and commercial building or buildings for sale/rental purpose shall maintain a true account of all the Minor Minerals procured and used in construction under Form-XXIII and shall submit to the officer-in-charge of the mining section of the concerned district, a quarterly report of Minor Minerals procured and consumed under Form-XXIV so as to reach them within thirty days after the expiry of every quarter.

(2) Every person, company, firm, society/association engaged in construction of residential building or buildings for sale and commercial building or buildings for sale/rental purpose shall allow District Collector /District Mining Officer or any other officer authorised by the Collector of the concerned District, to enter upon any premises/area of construction or storage of construction material for the purpose of inspection of the minerals, stored or used in the construction.

73. Suspension of quarrying operations.- The Director/District Collector or any other officer authorised by the Director, in this behalf, shall prohibit Prospecting/Quarrying Operation and seize minerals, equipment, tools and vehicles in case the Prospecting/ Mining Operations are being carried out in contravention of the terms and conditions of the Prospecting Licence, Quarry Lease or Quarry Permit granted under these rules or without any lease or permit irrespective of minerals, tools, equipment and vehicles lying at site or in transit:

Provided that an opportunity of hearing shall be given before prohibiting the Prospecting / Quarrying Operation.

CHAPTER XII
MINOR MINERAL OFFENCES PREVENTION AWARD

74. Awards .- (1) Any officer of Directorate, Geology and Mining, Chhattisgarh furnishing information leading to or otherwise contributing to the prosecution of offence in respect of illegal mining and transport, or of offences otherwise committed against the Act and the rules, may be granted awards.

(2) Awards may be granted only in cases when the information furnished is useful to impose penalty under the rules.

(3) <u>Conditions and extent of award</u>.- The awards may be granted under these rules shall be in cash, subject to the following conditions-

(i) Where minerals are seized.- The maximum amount of an award shall be 5% of the sale value of the seized mineral after realisation or ten thousand rupees, whichever is less;

(ii) Where no mineral is seized.-A maximum amount of an award shall be 5% of the penalty amount realized.

(4) Awards under these rules cannot be claimed as a matter of right. No appeal lies to any authority on any award made by the Competent Authority under these rules.

75. Authority and mode of awards.- (1) The power to grant awards shall vest with the Director.

(2) The case or proposal to make an award shall be examined and decided by a committee consisting of the Director with two other officers of his directorate nominated by him.

(3) The award shall be drawn on Form-XXXIV of the Chhattisgarh Treasury Code, Volume-II by the drawing and disbursing officer who disburses the pay and allowances of the Government servant concerned.

CHAPTER XIII
DISBURSEMENT OF REVENUE AMONGST JANPAD PANCHAYATS AND GRAM PANCHAYATS

76. Deposition of revenue.- (l) The revenue along with interest from Minor Minerals, under the provisions of these rules, within the control of Municipal Corporation, Municipality, Nagar Panchayat or Panchayats shall be first deposited in the Consolidated Fund of the State as per sub-rule (3) of rule 31. The State Government at the beginning of the financial year shall, if the Legislative Assembly has provided for an appropriation, draw from the Consolidated Fund, all such amounts which are to be distributed from the revenue of the minor minerals received in the preceding financial year.

(2) The amount drawn under sub-rule (1) shall be distributed for development of the areas affected by mining and related operation of minor minerals as per the directions and procedure prescribed by the State Government.

(3) Sub-rule (1) shall not apply to the revenue received from Minor Mineral “Ordinary sand and bajri", which is directly deposited to the Municipal Corporation/ Municipality/ Nagar Panchayat or Panchayats.

CHAPTER XIV
APPEAL, REVISION AND REVIEW

77. Appeal, appellate authorities.-(l) Where any power is exercisable by Gram Panchayat, Janpad Panchayat or Zila Panchayat, under these rules in relation to any matter, an appeal shall lie from every such order to the authority mentioned in the Chhattisgarh Panchayat (Appeal and Revision) Rules, 1995 and in the same manner as prescribed therein.

(2) Where any power is exercisable by the Collector under these rules, in relation to any matter, an appeal shall lie from every such order to the Director, Geology and Mining, Chhattisgarh.

(3) Where any power is exercisable by the Director under these rules, in relation to any matter, an appeal shall lie from order passed under these rules to the State Government.

78. Revision.- The State Government and Director may at any time, suo-moto for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed by or as to the regularity of the proceedings of any officer subordinate to it, call for and examine the record of any case pending before or disposed of by such officer and may pass such order in reference thereto as it thinks fit:

Provided that any order in revision under this rule shall not be varied or reversed unless reasonable opportunity of being heard is given to the interested parties.

79. Review.- The State Government may, suo-moto or on application of interested parties, review its original order within ninety days from the date of issue of original order and may pass such order as it deems fit:

Provided that any order in review under this rule shall not be varied or reversed unless reasonable opportunity of being heard is given to the interested parties.

80. Limitation of appeal. - No appeal shall be entertained unless presented within sixty days from the date of the order and in computing the period aforesaid, time requisite for obtaining a copy of the said order shall be excluded:

Provided that any such appeal may be entertained by an Appellate Authority after the said period, if the appellant satisfies authority that he has sufficient cause for not making the application for appeal within time.

81. Application for appeal.- (1) An application for #{appeal/review} shall be made in triplicate under Form-XXV appended to these rules. The application for #{appeal/review} shall be accompanied by a non refundable application fee of rupees one thousand shall be deposited, in the Government Treasury under the revenue receipt head as mentioned in sub-rule (3) of Rule 31 and the original treasury receipted challan shall be attached to the application.

(2) The application for #{appeal/review} shall be affixed with a court fee stamp of the value of ten rupees.

(3) Every application for #{appeal/review} under sub-rule (1) against the order refusing to grant a Quarry Lease, any person to whom a Quarry Lease was granted in respect of the same area or part thereof, shall be impleaded as party.

(4) Along with the application for #{appeal/review} under sub-rule (1), the applicant shall submit as many copies thereof as there are parties impleaded under sub-rule (3).

82. Copies of application of #{appeal/review} to be sent to impleaded parties.- On receipt of the application for #{appeal/review} and the copies thereof, the #{Appellate Authority/the State Government} shall send a copy of the application for #{appeal/review} to each of the parties impleaded under sub-rule (3) of rule 81 specifying the date on or before which he may make his representation, if any, against the #{appeal/review} application.

83. Order on appeal application.- Where an application for #{appeal/review} is made under these rules, the authority may confirm, modify or set aside the order or pass such other order in relation thereto as it may deem just and proper.

84. Grant of stay.- The #{Appellate Authority/the State Government} may at any time direct that the execution of the order against which an #{appeal/review} is pending be stayed for such time as it may deem fit:

Provided that no stay for the recovery of mining dues shall be granted unless the party seeking stay has paid the undisputed amounts of rents, royalties and interest due thereon and has furnished bank guarantee for the disputed amounts of such rent, royalty and interest.

CHAPTER XV
MISCELLANEOUS

85. Power to rectify apparent mistakes. - The Competent Authority may, at any time within six months from the date of the order passed by it under these rules on its own motion, rectify any mistake or error apparent on the face of the record and shall, within the like period, rectify any such mistake or error which has been brought to its notice by an applicant for the grant of quarry:

Provided that no such rectification having or purported to have a prejudicial effect on another application for the grant of the Prospecting licence/ Quarry Lease shall be made unless the Competent Authority has given to such applicant notice of its intention to do so and has allowed him reasonable opportunity of being heard.

86. Relaxation of rules in special cases. -In any case or class of cases in which the State Government is of the opinion that the public interest so requires, it may grant a Prospecting licence/Quarry Lease on the terms and conditions other than those prescribed in these rules.

87. Handing over possession of quarry.- (1) Where Quarry Lease is cancelled or determined or right of pre-emption is exercised or the period for which the lease is granted has expired, the lessee shall hand over possession of quarry to the Collector or any officer authorised by him or to Zila Panchayat/Janpad Panchayat/Gram Panchayat within a period of fifteen days of the cancellation of the lease or determination of the lease or exercise of the right of pre-emption or the day immediately following date of expiry of the lease, as the case may be.

(2) Where a lessee fails to hand over possession of the quarry in accordance with sub-rule (1), the Collector or the Officer authorized by him or Zila Panchayat/Janpad Panchayat/Gram Panchayat shall serve or cause to be served a notice on the lessee, either by post or by tendering or delivering a copy of it personally to the lessee or one of his family members or servants or by affixing it to a conspicuous part of the place of his residence or publishing it in at least one newspaper having circulation in the locality where the lessee resides.

(3) Notice under sub-rule (2) shall contain a statement that the lessee shall hand over possession of the quarry within a period of fifteen days from the date of service of the notice to an officer authorised by him under sub-rule (1) of this

rule. Where a lessee fails to hand over possession of a quarry within the period specified in the notice under sub-rule (2), to the officer authorised under sub-rule (1) of this rule, he may take possession of the quarry from the lessee and for that purposes may use such force as prescribed by the provisions under these rules.

88. Payment of compensation to owner of surface rights etc. – The holder of a Prospecting Licence or Quarry Lease or Quarry Permit shall be liable to pay to the occupier of the surface of the land, over which he holds the Prospecting Licence or Quarry Lease or Quarry Permit, as the case may be, such annual compensation as may be determined by the Collector of the concerned district.

89. Delegation of powers and functions.- The State Government, may by notification in the Official Gazette, direct that any power or function which may be exercised or performed by it under these rules, may in relation to such matters subject to such conditions, if any, as it may specify in the notification, be exercised or performed also by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the notification.

90. Repeal.-All rules or executive instructions corresponding to these rules in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that anything done or any action taken under the rules or instructions so repealed shall, so far as they are not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.D. Kunjam)
Joint Secretary
Government of Chhattisgarh
Mineral Resources Department

SCHEDULE-I

SPECIFIED MINERALS

PART - A

1. Dimensional stone-granite, dolerite, and other igneous, sedimentary and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.

2. Marble which is used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.

PART-B
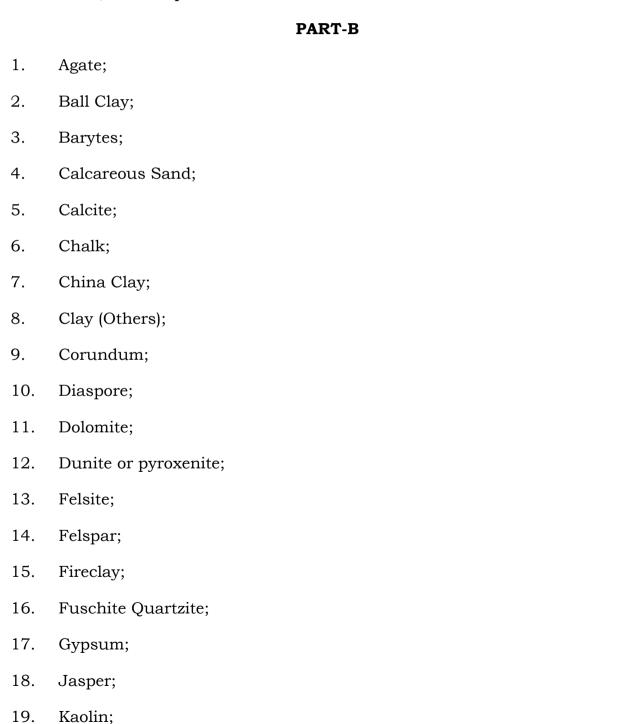
1. Agate;
2. Ball Clay;
3. Barytes;
4. Calcareous Sand;
5. Calcite;
6. Chalk;
7. China Clay;
8. Clay (Others);
9. Corundum;
10. Diaspore;
11. Dolomite;
12. Dunite or pyroxenite;
13. Felsite;
14. Felspar;
15. Fireclay;
16. Fuschite Quartzite;
17. Gypsum;
18. Jasper;
19. Kaolin;
20. Laterite;

21. Limekankar;

22. Mica;

23. Ochre;

24. Pyrophyllite;

25. Quartz;

26. Quartzite;

27. Sand (Others);

28. Shale;

29. Silica Sand;

30. Slate; and

31. Steatite or Talc or Soapstone.

PART - C

1. Low grade limestone when used in kilns for manufacture of lime and/or as building material for building, road and other construction work.

2. Flag stone-natural sedimentary rock which is used for flooring, roof top etc. and used in cutting and polishing industry.

3. Stone for making gitti by mechanical crushing (i.e. use of crusher).

4. Bentonite /Fuller's earth.

5. Ordinary clay for making bricks or tiles by fixed chimney kiln.

SCHEDULE-II
OTHER MINERALS
PART - A

1. Ordinary clay for making bricks, pots, tiles etc. (Except by fixed chimney).
2. Stone, Boulder, Road Metal, Gitti, Dhaka, Khanda, Dressed Stones, used as Rubble, Chips.
3. Murrum.
4. Gravel.
5. RehMitti.
6. Slate, when used for building material.
7. Shale, when used for building material.
8. Quartzite and quartzite sand, when used for purposes of building or for making road, metal or house-hold utensils.
9. Salt petre.

PART - B

1. Ordinary Sand and Bajri.

SCHEDULE-III

(See rule 49)

RATES OF ROYALTY

S. No	Mineral	Rates
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Dimensional Stone-Granite, dolerite, and other igneous, sedimentary and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension (a) Black colour (b) Other colour	 Rs. 1500/- per cubic metre Rs. 500/- per cubic metre
2.	Marble, used for cutting and polishing purpose for making blocks slabs, tiles of specific dimension.	Rs. 750/- per cubic metre
3.	Marble stone used for other purposes	Rs. 350/- per cubic metre
4.	Flagstone-natural sedimentary rock which is used for flooring, roof top etc.	Rs. 103/- per cubic metre
5.	Ordinary Sand, bajri	Rs. 20/- per cubic metre
6.	Murrum	Rs. 20/-per cubic metre
7.	Stone (c) Boulder (d) Gitti, roadmetal (e) Dressed Stone, Khanda, Dhoka	Rs. 103/- per cubic metre
8.	Soil - for making bricks and tiles	Rs. 20/- per cubic metre
9.	Other minor minerals	Rs. 30/-per cubic metre

SCHEDULE-IV

(**See rule 49**)

RATES OF DEAD RENT IN RUPEES PER HECTARE PER ANNUM

S. No.	**Category of Mineral**	**First year of the Quarry Lease**	**Second year to third year of the Quarry Lease**	**Fourth year of the Quarry Lease and onward**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	Dimensional stone-Granite, dolerite, and other igneous, sedimentary and metamorphic rocks which are used for cutting & polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension	Nil	10,000	15,000
2.	Marble used for cutting & polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension and marble stone for other purpose.	Nil	5,000	7,500
3.	Low grade limestone when used in kilns for manufacture of lime and/or as building material for building, road and other construction works.	Nil	5,000	7,500
4.	Flagstone – Natural sedimentary rock which is used for flooring, roof top etc.	Nil	5,000	7,500
5.	Stone for crusher	Nil	5,000	7,500
6.	Ordinary sand, bajri	Nil	5,000	7,500
7.	Murrum	Nil	2,000	3,000
8.	Stone for building purposes and other minor minerals	Nil	2,000	3,000

#{SCHEDULE-V

Fees, security deposit etc for auction/tender of Composite Licence and Quarry Lease for minerals specified in PART A and PART C of Schedule-I and PART A of Schedule-II shall be as under,-

Table

S.No	Items	Rates
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Cost of Auction/Tender document	Rupees Five Thousand
2.	Bid security	20 percent of performance security
3.	Processing fees for Electronic Auction/Tender	Rupees Five hundred
4.	Performance security	HALF OF {Highest dead rent as notified x Area for concession in Hectares (or part thereof) x Lease period}

Explanation: Highest dead rent means the notified dead rent payable from fifth year onwards for the concerned mineral.

SCHEDULE-VI

Fees, security deposit etc for auction of Composite Licence and Quarry Lease for minerals specified in PART B of Schedule I shall be as under,-

TABLE

S.No	Item	Rates
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Cost of auction document	Rupees Five Thousand
2.	Bid security	20 per cent of performance security
3.	Processing fees for Electronic Auction	Rupees Five hundred
4.	Performance security	Highest dead rent as notified x Area for concession in Hectares (or part thereof) x Lease period”

Explanation: Highest dead rent means the notified dead rent payable from fifth year onwards for the concerned mineral.}

FORM I
[See rule 7 (1)]
"To be submitted in Triplicate"

Application for the Grant of Prospecting Licence for Minor Minerals

Received at ……………. (Place) on the ………………. day of ……….. 20……

Date ……….. 20……

To,

The Collector
………………………………………
District……………………………
Chhattisgarh

1. I/We request that a Prospecting Licence under the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, be granted to me/us.

2. A sum of Rupees. ……………………………… as application fee payable under the rules has been deposited vide challan No. ……………. Dated ……….. place. ………………

3. The required particulars are given below: -

(i)	Name of applicant	………………………………………………
(ii)	Nationality of the applicant (partners, Directors, Members)	………………………………………………
(iii)	Place of registration of incorporation (firm, Company or Society/ Association)	………………………………………………
(iv)	Profession of individual, nature of business of firm or company or Society/Association and place of business.	………………………………………………
(v)	Complete postal address, of the individual firm, company or society/association Pin Code Phone/Mobile number E-mail	……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
(vi)	Self attested copy of PAN card/voter ID/ driving Licence/Aadhar card of individual, partners , Directors, Members	………………………………………………
(vii)	Caste (individual or members of Society/ Association)	………………………………………………
(viii)	Education qualification	………………………………………………

	(individual or members of Society / Association)	
(ix)	Age (individual or members of Society / Association)	………………………………………………
(x)	Residence address (individual or members of Society / Association)	……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
(xi)	List of Directors / Partners / Members	………………………………………………
(xii)	Registration/incorporation certificate	………………………………………………
(xiii)	Financial Status	………………………………………………
(xiv)	Articles of memorandum / partnership deed / bye - laws	………………………………………………
(xv)	Mineral / Minerals which the applicant intends to prospect.	………………………………………………
(xvi)	Period for which the prospecting licence is required.	………………………………………………

4. A statement supported by an affidavit showing all the areas of prospecting licence, mineral wise in each district of the State,-
   (i) already held by me / us in my / our name / names (and jointly with others) under the prospecting licence for minor minerals,
   (ii) already applied for but not yet granted and,
   (iii)being applied for simultaneously.

5. An affidavit of obtaining surface rights.

6. No dues certificate in Form II.

7 (a) A plan (six copies) showing the situation and boundaries of the area /areas applied for and concession if any, adjoining is/are enclosed. (If this plan/these plans be considered insufficient, I/we request that the necessary plan/plans of the area/areas may be prepared in duplicate in your office at my/our cost.)
   (b) Khasrapanchsala

8. The plan should indicate important features, viz-
   (i) if a railway, its full details i.e. whether South East Central Railway or East Coast Railway, whether a branch line or a main line or colliery tramway.
   (ii) if a road, whether village or public works department or cart track.
   (iii)wells,
   (iv) temples or mosques.
   (v) burning ghat or burial ground, etc.

9. Preferential right sought for (mention sub-rule/rules) ……………………………………………………………………………………

10. Any other particulars which the applicant wishes to furnish.

……………………………………………

SCHEDULE

Description of the area applied for :-

(i) Name of village ………………………………

(ii) Gram Panchayat ………………………………

(iii) Khashra number and area of each field or part thereof :–

Khasra Number	Area in Hectares

(iv) Full description of the area applied for with regard to natural feature –

(v) Block, ………………………………

(vi) Vidhansabha ………………………………

(vii) Tehsil ………………………………

(viii) Patwari circle number ………………………………

(ix) District ………………………………

11. List of enclosures :-

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

Place ……………..

Dated ……………..

Your faithfully,
Name and Designation

N.B. –

- If the application is signed by an authorized representative of the applicant, power of attorney should be attached.
- If all the Khasra number cannot be entered on this form they should be continued on a separate sheet attached to it and signed.
- Where a portion of a khasra number only is required the approximate area of such portion will suffice.

FORM II
[See rules 7 (2) (b); 23 (xii)]

NO DUES CERTIFICATE

Office of issue ....
No. .... District .... Date ....

This is to certify that the following mineral concessions are held by Shri / M/s .... in district.................................

(Prospecting Licence/Mining Lease/Quarry Lease/Quarry Permit etc.)

Village	**Tehsil**	**Minerals**	**Area in hectares**	**Total Dues Assessed (in Rupees)**				**Period**
				Surface Rent	**Dead Rent**	**Royalty**	**Others**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**

Amount paid during the period from .... to .... in rupees

Surface Rent	**Dead Rent**	**Royalty**	**Others**	**Total**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**

Balance Dues :-

1.
2.
3.

1. In case there has been no assessment in any year, it must be stated clearly with reasons thereof.
2. It must be stated whether any attachment or R.R.C. are pending in respect of this lease.
3. This is valid only for six months from the date of issue.

Signature and
Designation of authorized officer
with seal of office.

FORM III
[See rules 8; 35 (2); 58 (1) (iii)]
Receipt of Application for Prospecting Licence/Quarry Lease/ Quarry Permit or Renewal for Minor Minerals

S. No. .... Date ....Time........................

Received application with the following enclosures for grant / renewal of .... from Shri / Sarvashri .... on .... 20......... for about .... hectares of land located in Village .... Panchayat .... Tehsil .... District ...., Chhattisgarh for .... Mineral.

Enclosures : -

1).......................................

2)....................................

3)....................................

4)....................................

5)...................................

6)..................................

7)..................................

8)................................

9)................................

10)...............................

Place : ....
Date : ....

Signature............................

Name.............................
(Seal of the receiving officer)
[Seal of the receiving officer]

For clause (1) of PART-II of FORM IV, the following shall substituted, namely:-

"To pay royalty to the State Government at such rates as specified in Schedule III of the said rules and contribution to District Mineral Foundation as per the rates notified in Rule 50 in advance for mineral despatched for experimental purposes."

FORM IV

PROSPECTING LICENCE DEED FOR MINOR MINERALS

[See rule 14]

THIS INDENTURE made on this --------------- day of 20 ------- between the Governor of the State of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the Government which expression shall, where the context so admits be deemed to include his successors and assigns) of the one part

and

When the Licensee is an individual

--- (Name of person with address & occupation) (hereinafter referred to as the 'Licensee' which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives, and permitted assigns)

When the Licensees are more than one individual

------------------------------------ (Name of person with address & occupation) and -- (Name of person with addresses & occupation) and --- (Name of person with addresses & occupation) (hereinafter referred to as the "Licensee" which expression shall, where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and permitted assignee).

When the Licensee is a registered firm

--- -----(Name & address of partner) and -- (Name & address of partner) and ------- -- (Name & address of partner) All carrying on business in partnership under the firm name and style of (Name of the Firm) -- registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at ----------- ------ in the town of -------------------- (hereinafter referred to as the "the Licensee" which expression shall, when the context so admits be deemed to include all the partners of the said firm, their respective heirs, executors, legal representative and permitted assignee).

When the Licensee is a registered Company

--- (Name of the Company) a Company registered under --------------------------------- (Act under which incorporated) and having its registered office at ------------------- ----------------------------------- ------------------- (Address) (hereinafter referred to as the "the Licensee" which expression shall, where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assignee) of the other part.

WHEREAS the Licensee/ Licensees has/have applied to the State Government in accordance with the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules) for a licence to prospect for ------------ ---------------------- -------- (minor mineral) in the land specified in Schedule-'A' hereunder written and delineated in the plan herewith annexed (hereinafter referred to as the said lands) and has/have deposited with the State Government the sum of Rupees --- as prescribed security in respect of such licence.

NOW THESE PRESENTS WITNESS as follows:

PART – I

In consideration of the fees, royalties, covenants and agreements hereinafter reserved and contained and on the part of the Licensee/ Licensees to be paid, observed and performed, the State Government, hereby, grants and demise into the Licensee /Licensees, the sole rights and the licence.

To enter upon the lands and to search for, win, carry away and dispose of mineral won:-

(1) To enter upon the said lands and to search for by mining, boring and digging or otherwise all or any --------------------------- (Name of minerals) lying or being within under or throughout the said lands;

(2) This licence shall not confer upon the Licensee a right to win or carry away the minerals for commercial purposes:

Provided that the Licensees may collect and carry away upto five cubic meter of ---------------------- (Name of mineral) for the purposes of testing as specified in rule 16 (4) after obtaining transit pass for transportation of mineral on payment of royalty.

To clear undergrowth, brushwood etc:-

(3) Subject to the provisions of clauses (4) & (5) of Part-II of these presents, for the purpose aforesaid, to clear undergrowth and brush wood and trees with the sanction of the Collector, previously obtained in writing, to make and use any drains or water courses on the said lands for purposes as may be necessary for effectually carrying on the prospecting operations and for the workmen employed thereon and with the like sanction to use any water. Provided that such use shall not diminish or interfere with the supply of water to which any cultivated land, village, building or watering palace for livestock has heretofore been accustomed and that no streams, springs or well shall be fouled or polluted by any such use or the prospecting operations hereby Licensed.

To bring upon and erect machinery etc. on the said lands:-

(4) To erect and bring upon the said lands all such temporary huts, sheds and structures, steam sand, other engine machinery and conveniences, chattels and effects as shall be proper and necessary for effectually carrying on the prospecting operations hereby Licensed or for the workmen employment thereon.

RESERVED nevertheless to the State Government, full power and liberty at all times to enter into and upon and to grant or demise to any person or persons whomsoever liberty to enter into and upon the said lands for all or any purposes other than those for which sole rights; and
licence are hereby expressly conferred upon the Licencee/Licencees and particularly (and without hereby in any way qualifying such general power and liberty) to make on, over or through the said lands such roads, tramways and ropeways as shall be considered necessary or expedient for any purposes and to obtain from and out of the said lands such stone, earth or other materials as may be necessary or requisites for making, repairing or maintaining such roads, tramways, railways and ropeways to pass and re-pass at all times over and along such roads, tramways, railways and ropeways for all purposes and as occasion shall require;
To hold the said right and licence unto the Licensee/Licensees from the date of these presents for the term of one year.

PART-II
Covenants by Licensee / Licensees

The Licensee/Licensees hereby covenants / covenant with the State Government as follows:-

Payment and rates of royalty:-

#{**(1)**To pay royalty to the State Government at such rates as specified in Schedule III of the said rules and contribution to District Mineral Foundation as per the rates notified in Rule 50 in advance for mineral despatched for experimental purposes.}

To carry on work in workman like manner:-

(2) To work and carry on the operations, hereby, Licensed in a fair orderly skilful and workman like manner and with as little damage as may be to the surface of the lands and to trees, crops, buildings structures and other property thereon;

To undertake prospecting in Khatedari or any private land with the consent of Khatedar or occupier or owner of such land;

Not to enter upon any land in the occupation of any person without the consent of the occupier nor to cut or in any way injure any trees, standing crops, buildings, huts, structures or property of any kind of the occupier of any land or any other person without the written consent of such owner, occupier or person.

Maintenance of correct accounts:-

(3) every Licensee shall maintain a correct and faithful account of all the expenses incurred by him on prospecting operations and also the quantity and other particulars of all minerals obtained during such operations and their despatch;

No prospecting operations within restricted distance from bridge, road etc.:-

(4) The Licensee / Licensees shall not work or carry on or allow to be worked or carried on any prospecting operations at or to any points within a distance of 100 meters from any bridge, national or state highways, railway line, 50 meters from the road constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, other District Roads of Public Works Department; and 10 meters from grameen kachcha rasta; or 50 meters from any public place except village path;

Not to enter and cut or injure trees in forest land, etc. without previous permission:-

(5) (i) Not to enter and cut or injure any timber or tree on any forest land except in accordance with the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 and guidelines issued by the Central Government, from time to time.

(ii) Not to enter upon or commence prospecting in any forest land without obtaining the prior written sanction of the authorized Forest Officer and in accordance with such conditions as may be prescribed in such sanction as per provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 and guidelines issued by the Central Government, from time to time, in this regard.

Indemnify Government against all claims:-

(6) (a) To make reasonable satisfaction and pay such compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury, or disturbance which may be done by him in exercise of the powers granted by this licence and to indemnify and keep indemnified fully and completely the State Government against all claims which may be made by

any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and expenses in connection therewith.

(b) To pay a wage not less the minimum wage prescribed by the Central or State Government, from time to time.

(c) To comply with the provisions of the Mines Act, 1952.

(d) To comply with the provisions of the Chhattisgarh Minor Mineral Concessions Rules, 2015.

(e) To take measures, at his own expense, for the protection of environment like planting of trees, reclamation of mines land, use of pollution control devices and such other measures as may be prescribed by the Central or State Government, from time to time.

(f) To pay compensation to the occupier of the surface of the land on the date and in the manner laid down in these rules.

Forfeiture of security deposit, etc:-

(7) Whenever the security deposit of Rs…………………………………………………………… or any part thereof or any further sum hereafter deposited with the State Government in replenishment thereof shall be forfeited or applied by the State Government. Pursuant to the power hereinafter declared in that behalf, the Licensee/ Licensees shall forthwith deposit with the State Government such further sum as may be sufficient with the un-appropriated part thereof to bring the amount in deposit with the State Government up to the sum of Rupees……………………………….

Licensee not to be controlled by trust, syndicate, etc:-

(8) The Licensee / Licensees shall not be controlled or permit himself / themselves to be controlled by any trust, syndicate, corporation, firm or person except with the written consent of the State Government.

Report of accident:-

(9) The Licensee / Licensees shall within twenty-four hours send to the Director, Geology and Mining, Collector of concerned district a report of any accident causing death or serious bodily injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the prospecting operation under this licence.

(10) The Licensee, in case of prospecting of granite and marble, shall abide all the provisions of the Granite Conservation and Development Rules, 1999 and the Marble Development and Conservation Rules, 2002 and the rules as amended from time to time, as the case may be, and shall not carry on estimation or other operations under the said Licence in any way other than as prescribed under these rules.

Plugging of bore holes, fencing etc., and restoring the surface land after determination or abandonment:-

(11) Save in the case of land over which the Licensee/Licensees shall have been granted, a Quarry Lease, on or before the expiration or sooner determination of the licence, he shall within three months next after the expiration or sooner, determination of the licence or date of abandonment of the undertaking, whichever shall first occur, securely plug any bore or hole and fill up or fence any holes or excavations that may have been made in the lands to such an extent, as may be required by the Collector concerned and shall to a like extent restore the surface of the land and all buildings there on which may have been damaged or destroyed in the course of prospecting. Provided that Licensee/Licensees shall not be required to restore the surface of the land, or any building in respect of which full and proper compensation has already been paid.

Removal of machinery etc., after expiration, determination or abandonment:-
(12) Upon expiration or sooner determination of this licence, the Licensee / Licensees shall remove expeditiously not later than thirty days at his/ their own cost all buildings structure, plant, engines, machinery implements, utensils and other property and effects theretofore erected or brought by the Licensee / Licensees and then standing or being upon the said lands by the Licensee / Licensees under the authority of these presents and then being upon the said lands:

PROVIDED that this covenant shall not apply to any part of the said lands which may be comprised in any Quarry Lease granted to the Licensee /Licensees. If the machinery etc. is not removed within specified period then it shall be deemed to have become Government property.

Report of work done before the refund of security deposit:-
(13) At any time before the said security deposit as refunded to him / them or transferred to any other account or within one month after the expiration or sooner determination of the license or abandonment of the operations, whichever is earlier, the Licensee /Licensees shall submit to the Director and concerned Collector a full report of the work done by him / them and disclose all information acquired by him / them in the course of the operations carried on under this licence regarding the geology and mineral resources of the area covered by the licence.

Report of information obtained by Licensee:-
(14) The Licensee shall submit to the State Government within ninety days of the expiry of the licence, or abandonment of operations or termination of the licence, whichever is earlier, a final report of the work done by him and all information relevant to mineral resources acquired by him in the course of prospecting operations in the area covered by the licence. Final report shall indicate the quality and quantity of proved and probable reserves of mineral.

PART-III
Powers of the Government

It is hereby agreed as follows:-

Cancellation of the licence and forfeiture of the security deposit in case of breach of conditions:-
(1) In the case of any breach of any condition of the licence by the Licensee / Licensees or his assignees, the competent authority shall give a reasonable opportunity to the Licensee / Licensees of stating him / their case and where it is satisfied that the breach is such as cannot be remedied, on giving thirty days notice to the Licensee / Licensees or his assignees, determine the license and/ or forfeit the whole or any part of the said security deposit of rupees ……………………deposited under the covenant in that behalf as the Competent Authority may deem fit. In case the Competent Authority considers the breach to be of a remediable nature, it shall give notice to the Licensee / Licensees or his or assignees, as the case may be, requiring him / them to remedy the breach within fifteen days from the date of receipt of the notice informing him of the penalty proposed to be inflicted if such remedy is not made within such period. If the breach is not remedied within prescribed period the licence shall be cancelled with forfeiture of the security deposit.

PART-IV
Right of Licensee / Licensees

It is hereby further agreed as follows:-

(1) **Preferential right of the Licensee / Licensees for obtaining Quarry Lease:-**

Where a Prospecting Licence has been granted in respect of any land, the Licensee shall have a preferential right for obtaining a Quarry Lease in respect of that land over any other person, provided that the sanctioning authority is satisfied that the licensee/licensees, has/have undertaken prospecting operations to establish reserves in such land; has not committed any breach of the terms and conditions of the prospecting licence; and is otherwise a fit person for being granted the Quarry Lease.

(2) **Refund of deposit:-**

Security deposit made under rule 13, if not forfeited under these rules, shall be refunded to the applicant as soon as the report referred under rule 16(8) (a) is submitted.

PART-V
General Provisions

It is lastly agreed as follows:-

Delay in fulfillment of the terms of licence due to force majeure:-
Discovery of new mineral:-

(1) The Licensee shall report to the Collector and Director or any officer authorized by him, the discovery of any mineral not specified in the licence within a period of thirty days from the date of such discovery and shall not undertake any prospecting operations in respect of such mineral unless such mineral is included in the licence.

Provided that in case of discovery of any mineral not specified as minor mineral, the Licensee shall have no right for including that mineral in the licence under these rules.

Service of notices

(2) Every notice required to be given to the Licensee/Licensees shall be given in writing to such person as the Licensee/Licensees may appoint for the purpose of receiving such notices or if no such appointment is made then the notice shall be sent to the Licensee/Licensees by registered post addressed to him/them at the address shown in his/their application for the licence or at such other address in India as he/they designate from time to time and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the Licensee/Licensees and shall not be questioned or challenged by him.

Immunity of Competent Authority from liability to pay compensation

(3) If in any event the orders of the *Competent Authority are* revised or cancelled by the Director and State Government in pursuance of proceedings under Chapter XIII of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2014, the Licensee/Licensees shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the Licensee/Licensees in exercise of the powers and privileges conferred upon him/them by these presents.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in the manner hereunder appearing the day and year first above written.

SCHEDULE-A

The land covered by the licence

(Here insert the description of lands with area, boundaries, names of District, Sub-Division, Thana, etc. and cadastral survey numbers, if any. In case a map is attached, refer the map in the description to be inserted.)

Description of the land covered by the licence:-

(i) District

(ii) Subdivision

(iii) Tehsil

(iv) Thana

(v) Patwari circle number

(vi) Name of village

S.No.	Cadastral survey numbers	Area in Hectare
1		
2		
3		
	Total	

…………………………………

Signature by Licensee / Licensees Signature

……………………….

By order and on behalf of the Governor of Chhattisgarh (Designation)

WITNESSES:-

(1) Signature……………………….
Name…………………………….
S/o or D/o or W/o……………….
Address ………………………….
…………………………………..

(2) Signature……………………….
Name…………………………….
S/o or D/o or W/o……………….
Address ………………………….
…………………………………..

#{FORM -IV A
COMPOSITE LICENCE DEED FOR MINOR MINERALS
[See rule 13 (3)]

THIS INDENTURE made on this --------------- day of 20 ------- between the Governor of the State of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the Government which expression shall, where the context so admits be deemed to include his successors and assigns) of the one part

and

When the Licensee is an individual

--- (Name of person with address & occupation) (hereinafter referred to as the 'Licensee' which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives, and permitted assigns)

When the Licensees are more than one individual

------------------------------------ (Name of person with address & occupation) and -- (Name of person with addresses & occupation) and --- (Name of person with addresses & occupation) (hereinafter referred to as the "Licensee" which expression shall, where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and permitted assignee).

When the Licensee is a registered firm

-- -----(Name & address of partner) and -- (Name & address of partner) and --- (Name & address of partner). All carrying on business in partnership under the firm name and style of (Name of the Firm) -- registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at ----------------- in the town of -------------------- (hereinafter referred to as the "the Licensee" which expression shall, when the context so admits be deemed to include all the partners of the said firm, their respective heirs, executors, legal representative and permitted assignee).

When the Licensee is a registered Company

-- (Name of the Company) a Company registered under --------------------------------- (Act under which incorporated) and having its registered office at ------------------- --- (Address) (hereinafter referred to as the "the Licensee" which expression shall, where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assignee) of the other part.

WHEREAS the Licensee/ Licensees has/have applied to the State Government in accordance with the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules) for a licence to prospect for ------------------------------------- --- (minor mineral) in the land specified in Schedule-A hereunder written and delineated in the plan herewith annexed (hereinafter referred to as the said lands)

and has/have deposited with the State Government the sum of Rupees ------------ --- as prescribed security in respect of such licence.

NOW THESE PRESENTS WITNESS as follows:
BACKGROUND:

A. The Licensee [had participated in an Electronic Auction/Electronic Tender for grant of a prospecting licence-cum-quarry lease, pursuant to which the Licensee has become eligible for grant of a prospecting licence as a first stage of the prospecting licence-cum- quarry lease concession]

B. Accordingly, the State Government is now executing this Licence for grant of a Licence to the Licensee in consideration of the fee, royalties, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of the Licence to be paid, observed and performed.

PART-I

1. GRANT OF LICENCE

The State Government hereby grants the Licence to the Licensee over an area described in Schedule I for conducting prospecting operations for a period of [time period], commencing from [date of commencement] with respect to following mineral(s), [name of the minerals].

2. RIGHTS AND OBLIGATIONS

2.1. The rights and obligations of the State Government and the Licensee shall be as specified in the Act and the rules made thereunder,

2.2 In consideration of the fees, royalties, covenants and agreements hereinafter reserved and contained and on the part of the Licensee/ Licensees to be paid, observed and performed, the State Government, hereby, grants and demise into the Licensee/ Licensees, the sole rights and the licence.

3. To enter upon the lands and to search for, win, carry away and dispose of mineral won:-

(1) To enter upon the said lands and to search for by mining, boring and digging or otherwise all or any -------------------------- (Name of minerals) lying or being within under or throughout the said lands;

(2) This licence shall not confer upon the Licensee a right to win or carry away the minerals for commercial purposes:

Provided that the Licensees may collect and carry away up to five cubic meter of --------------------- (Name of mineral) for the purposes of testing as

specified in rule ....after obtaining transit pass for transportation of mineral on payment of royalty.

4. Without prejudice to the generality of the foregoing,

(a) the Licensee shall:

(i) at all times comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder and any other applicable law;

(ii) make prompt payment of royalty and any other payment required to be made by the Licensee ;

(iii) pay such compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury, or disturbance which may be done by the Licensee in exercise of the powers granted by this Licence and to indemnify and keep indemnified fully and completely the State Government against all claims which may be by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith;

(iv) take measures, at his own expense, for the protection of environment like planting of trees, reclamation of mined land, use of pollution-control devices, and such other measures as may be prescribed by the Central or State Government from time to time;

(v) without delay send to the Collector a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this Licence;

(vi) submit to the State Government a full report of the work done by the Licensee and disclose all information acquired by the Licensee in the course of the prospecting operations carried out under this Licence regarding the geology and mineral resources of the area covered by the Licence; and

(vii) pay stamp duty and registration charges as may be applicable in respect of this Licence.

(b) the State Government shall:

(i) have the right to appropriate the performance security provided by the Licensee in accordance with terms of such performance security and require the Licensee to replenish the performance security. In case the performance security has been provided through a security deposit after termination of the Licence and fulfillment of all obligations of the Licensee , such security deposit shall be returned to the Licensee after appropriate deductions. It is clarified that the security deposit shall not carry any interest; and

5. Every notice required to be given to the Licensee /Licensee s shall be given in writing to such person as the Licensee /Licensee s may appoint for the purpose of receiving such notices or if no such appointment is made then the notice shall be sent to the Licensee /Licensee s by registered post addressed to him/them at the address shown in his/their application for the licence or at such other address in India as he/they designate from time to time and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the Licensee /Licensee s and shall not be questioned or challenged by him.

PART-II

Covenants by Licensee / Licensee s

The Licensee /Licensee s hereby covenants / covenant with the State Government as follows:-

Payment and rates of royalty:-

(1) To pay royalty to the State Government at such rates as specified in Schedule III of the said rules and in advance for experimental purposes and shall be liable to pay contribution to District Mineral Foundation Fund as per the rates notified in Rule 50 for mineral carried beyond five cubic metres.

To carry on work in workman like manner:-

(2)(i) To work and carry on the operations, hereby, Licensed in a fair, orderly, skilful and workman like manner and with as little damage as may be to the surface of the lands and to trees, crops, buildings structures and other property thereon;

(ii) To undertake work in any private land with the consent of Khatedar or occupier or owner of such land;

(iii) Not to enter upon any land in the occupation of any person without the consent of the occupier nor to cut or in any way injure any trees, standing crops, buildings, huts, structures or property of any kind of the occupier of any land or any other person without the written consent of such owner, occupier or person;

Maintenance of correct accounts:-

(3) every Licensee shall maintain a correct and faithful account of all the expenses incurred by him on Composite operations and also the quantity and other particulars of all minerals obtained during such operations and their despatch;

No Prospecting-cum-quarrying operations within restricted distance from bridge, road etc.:-

(4) The Licensee / Licensee s shall not work or carry on or allow to be worked or carried on any Prospecting-cum-quarrying operations at or to any points within a distance of 100 meters from any bridge, national or state highways, railway line, 50 meters from the road constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, other District Roads of Public Works Department; and 10 meters from grameen kachcha rasta; 100 meters from any river or 50 meters from any public place.

Not to enter and cut or injure trees in forest land, etc. without previous permission:-

(5) (i) Not to enter and cut or injure any timber or tree on any forest land except in accordance with the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 and guidelines issued by the Central Government, from time to time.

(ii) Not to enter upon or commence Prospecting-cum-quarrying operation in any forest land without obtaining the prior written sanction of the authorized Forest Officer and in accordance with such conditions as may be prescribed in such sanction as per provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 and guidelines issued by the Central Government, from time to time, in this regard.

Indemnify Government against all claims:-

(6) (a) To make reasonable satisfaction and pay such compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury or disturbance, which may be done by him in exercise of the powers granted by this licence and to indemnify and keep indemnified fully and completely the State Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and expenses in connection therewith.

(b) To pay a wage not less the minimum wage prescribed by the Central or the State Government, from time to time.

(c) To comply with the provisions of the Mines Act, 1952.

(d) To comply with the provisions of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015.

(e) To take measures, at his own expense, for the protection of environment like planting of trees, reclamation of mines land, use of pollution control devices and such other measures as may be prescribed by the Central or the State Government, from time to time.

(f) To pay compensation to the occupier of the surface of the land on the date and in the manner laid down in these rules.

Forfeiture of security deposit, etc:-

(7) Whenever the security deposit of Rs.. or any part thereof or any further sum hereafter deposited with the State Government in replenishment thereof shall be forfeited or applied by the State Government. Pursuant to the power hereinafter declared in that behalf, the Licensee / Licensee s shall forthwith deposit with the State Government such further sum as may be sufficient with the un-appropriated part thereof to bring the amount in deposit with the State Government up to the sum of Rupees.....................................

Licensee not to be controlled by trust, syndicate, etc:-

(8) The Licensee /Licensees shall not be controlled or permit himself/themselves to be controlled by any trust, syndicate, corporation, firm or person except with the written consent of the State Government.

Report of accident:-

(9) The Licensee / Licensees shall within twenty-four hours send to the Director, Geology and Mining, Collector of concerned district a report of any accident causing death or serious bodily injury to property or seriously

affecting or endangering life or property which may occur in the course of the prospecting operation under this licence.

Plugging of bore holes, fencing etc., and restoring the surface land after determination or abandonment:-

(10) Save in the case of land over which the Licensee/Licensees shall have been granted, a Quarry Lease, on or before the expiration or sooner determination of the licence, he shall within three months next after the expiration or sooner, determination of the licence or date of abandonment of the undertaking, whichever shall first occur, securely plug any bore or hole and fill up or fence any holes or excavations that may have been made in the lands to such an extent, as may be required by the Collector concerned and shall to a like extent restore the surface of the land and all buildings there on which may have been damaged or destroyed in the course of Composite. Provided that Licensee/Licensees shall not be required to restore the surface of the land, or any building in respect of which full and proper compensation has already been paid.

Removal of machinery etc., after expiration, determination or abandonment:-

(11) Upon expiration or sooner determination of this licence, the Licensee / Licensees shall remove expeditiously not later than thirty days at his/ their own cost all buildings structure, plant, engines, machinery implements, utensils and other property and effects theretofore erected or brought by the Licensee / Licensees and then standing or being upon the said lands by the Licensee / Licensees under the authority of these presents and then being upon the said lands:

provided that this covenant shall not apply to any part of the said lands which may be comprised in any Quarry Lease granted to the Licensee /Licensees. If the machinery etc. is not removed within specified period then it shall be deemed to have become Government property.

Report of work done before the refund of security deposit:-

(12) At any time before the said security deposit as refunded to him / them or transferred to any other account or within one month after the expiration or sooner determination of the license or abandonment of the operations, whichever is earlier, the Licensee /Licensees shall submit to the Director and concerned Collector a full report of the work done by him / them and disclose all information acquired by him / them in the course of the operations carried on under this licence regarding the geology and mineral resources of the area covered by the licence.

Report of information obtained by Licensee:-

(13) The Licensee shall submit to the State Government within ninety days of the expiry of the licence, or abandonment of operations or termination of the licence, whichever is earlier, a final report of the work done by him and all information relevant to mineral resources acquired by him in the course of Composite operations in the area covered by the licence. Final report shall indicate the quality and quantity of proved and probable reserves of mineral.

PART-III
Powers of the Government

It is hereby agreed as follows:-

Cancellation of the licence and forfeiture of the security deposit in case of breach of conditions:-

(1) In the case of any breach of any condition of the licence by the Licensee / Licensees or his assignees, the competent authority shall give a reasonable opportunity to the Licensee / Licensees of stating him / their case and where it is satisfied that the breach is such as cannot be remedied, on giving thirty days notice to the Licensee / Licensees or his assignees, determine the license and/ or forfeit the whole or any part of the said security deposit of rupees ……………………..deposited under the covenant in that behalf as the Competent Authority may deem fit. In case the Competent Authority considers the breach to be of a remediable nature, it shall give notice to the Licensee / Licensees or his or assignees, as the case may be, requiring him / them to remedy the breach within fifteen days from the date of receipt of the notice informing him of the penalty proposed to be inflicted if such remedy is not made within such period. If the breach is not remedied within prescribed period the licence shall be cancelled with forfeiture of the security deposit.

PART-IV
Right of Licensee / Licensees

It is hereby further agreed as follows:-

(1) **Preferential right of the Licensee / Licensees for obtaining Quarry Lease.-** Where a Composite Licence has been granted in respect of any land, the Licensee shall have a preferential right for obtaining a Quarry Lease in respect of that land over any other person, provided that the sanctioning authority is satisfied that the licensee/licensees, has/have undertaken Composite operations to establish reserves in such land; has not committed any breach of the terms and conditions of the Composite licence; and is otherwise a fit person for being granted the Quarry Lease.

(2) **Refund of deposit:-**

Security deposit made under rule …………., if not forfeited under these rules, shall be refunded to the applicant as soon as the report referred under rule ………………. is submitted.

PART-V
General Provisions

It is lastly agreed as follows:-

Delay in fulfillment of the terms of licence due to force majeure:-

Discovery of new mineral:-

(1) The Licensee shall report to the Collector and Director or any officer authorized by him, the discovery of any mineral not specified in the licence within a period of thirty days from the date of such discovery and shall not undertake any Composite operations in respect of such mineral unless such mineral is included in the licence:

Provided that in case of discovery of any mineral not specified as minor mineral, the Licensee shall have no right for including that mineral in the licence under these rules.

Immunity of Competent Authority from liability to pay compensation

(2) If in any event the orders of the *Competent Authority are* revised or cancelled by the Director and State Government in pursuance of proceedings under Chapter XIII of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules,2015, the Licensee/Licensees shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the Licensee/Licensees in exercise of the powers and privileges conferred upon him/them by these presents.

SCHEDULE-A

The land covered by the licence

(Here insert the description of lands with area, boundaries, names of District, Sub-Division, Thana, etc. and cadastral survey numbers, if any. In case a map is attached, refer the map in the description to be inserted.)

Description of the land covered by the licence:-

(v) District
(vi) Subdivision
(vii) Tehsil
(viii) Thana
(v) Patwari circle number
(vi) Name of village

S.No.	Cadastral survey numbers	Area in Hectare
1		
2		
3		
	Total	

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in the manner hereunder appearing the day and year first above written.

Signature by Licensee/Licensees
....

Signature ....
By order and on behalf of the Governor of Chhattisgarh
(Designation

WITNESSES:-

(1) Signature...........................
Name.................................
S/o or D/o or W/o...................
Address ....
....

(2) Signature...........................
Name.................................
S/o or D/o or W/o...................
Address .... }

FORM V
[See rule 15 (1)]

Register of application for Prospecting Licence

District ....

1. Serial No.
2. Date on which application was received by receiving officer.
3. Name of applicant with complete address, phone no., email.
4. Situation and boundaries of the land applied for;
   - (i) Name of the village
   - (ii) Name of Gram Panchayat
   - (iii) Block
   - (iv) Vidhansabha
   - (v) Tehsil
   - (vi) Patwari circle number
   - (vii) Khasra Number
5. Area in Hectares (Khasrawise)
6. Particulars of minerals which the applicant desires for Prospecting.
7. Application fee paid.
8. Remarks (preferential right sought for).
9. Final disposal of applications together with number and date of the order.
10. Signature of the officer.

FORM VI
[See rule 15 (2)]

Register of Prospecting Licence

District ………………….

1. Serial No.
2. Name of the licensee with complete address, phone no., email.
3. Date of application and serial number in application register.
4. Situation and boundaries of the land.
5. Mineral for which licence has been granted.
6 Number and date of grant order of licence with authority.
7. Situation and boundaries of the licence granted
8. Name of the village.
9. Name of Gram Panchayat.
10. Block.
11. VidhanSabha.
12. Tehsil .
13. Patwari circle number.
14. Khasra Numbers.
15. Area in hectares for which licence has been granted.
16. Date of execution of licence.
17. Period for which granted.
18. Details of licence fee paid.
19. Amount of security deposit.
20. Date of submission of prospecting report and details of reserve and grade proved.
21. Particulars of disposal or of refund of security deposit
22. Date of application for Quarry Lease (if any).
23. Remarks.
24. Signature of the Officer.

FORM VII
Notice of commence
ment of Prospecting operations
[See rule 16(ii)]

IMPORTANT: This Form, duly filled in must reach the concerned authorities within fifteen days of the commencement of Prospecting operations.

To,
1. Director
   Geology and Mining Chhattisgarh
   ……………………………….
   Raipur, Chhattisgarh
2. The Collector
   District ……………………. Chhattisgarh

1. Name of the mineral or minerals for which Prospecting Licence has been granted.
2. Name of the licensee
   complete address,
   phone no.,
   email .

3. Particulars of Prospecting Licence:
   (i) Date of execution___________________
   (ii) Period: ____ years, from _______to_______
   (iii) Area under licence________ hectares.

4. Location of the Prospecting Licence Area:
   (i) Survey of India, Topo Sheet Number
   (ii) District & Tahsil
   (iii) Block
   (iv) Name of Gram Panchayat
   (v) Patwari circle number
   (vi) Name of the village
   (vii) Khasra Number
   (viii) Area in hectare

5. Particulars of Geologist or Mining Engineer employed for the Prospecting Licensed area:
   (i) Name and address:
   phone no.
   email.
   (ii) Qualifications
   (iii) Date of appointment
   (iv) Nature of appointment: Whole time/ Part time.
6. Date of commencement of Prospecting Operations: ……th day ………. month …………. year

Place:
Date:

Signature :
Name in full:
Designation : Owner/Agent/ Mining Engineer/Manager

FORM VIII
[See rule 16(viii)(a)]

Final Report of Prospecting Operations carried out for Minor Mineral.

IMPORTANT: This Form, duly filled in must reach the concerned authorities within ninety days after expiration of one year from the date of execution of prospecting licence or the expiry of prospecting licence or abandonment of prospecting operations, whichever is earlier.

To,

1. Director
   Geology and Mining Chhattisgarh
   ....
   Raipur, Chhattisgarh

2. The Collector
   District ....
   Chhattisgarh

1.	Name of the mineral or minerals for which Prospecting licence has been granted	(a)... (b)...
2.	Name and address of the Licensee, Phone number, E-mail	.... PIN... ....
3.	Particulars of Prospecting Licence (i) Date of execution (ii) Period (iii) Area under licence	 .... years, from .... to............. hectares
4.	Location of Prospecting Licence Area: (i) Khasra Number (ii) Village/Tahsil/District	 ....
5.	Particulars of the Geologist /Mining Engineer – In-Charge of Prospecting operations : (i) Name and address: Phone number, E-mail (ii) Qualifications (iii) Date of appointment (iv) Nature of appointment (Please tick (√) mark one of the boxes whichever is applicable)	 .... PIN .... Whole time ( ) Part time ( )
6.	(i) Status of Prospecting operation: (Please tick (√) mark one of the boxes whichever is applicable)	Completed [ ] Abandoned [ ]

(ii) Date of completion or abandonment Prospecting operation ....

7. Total area, in hectare, covered under Prospecting operations within the Licenced area. ....

8. Details of Prospecting operation carried out:

(a) Detailed Geological Mapping

(i) Area in hectare

(ii) Scale.

(b) Topographical Survey

(i) Area in hectare

(ii) Scale.

(iii) Contour interval.

(c) Pitting

(i) Number of pits ....

(ii) Depth (metres)

Average ....

Maximum ....

Minimum ....

(d) Trenching

(i) Number of trenches ....

(ii) Depth/length of trenches (metres)

Average ....

Maximum ....

Minimum ....

(e) Drilling

(i) Number of boreholes completed . ...

(ii) Grid interval of boreholes ....

(iii)Total drilling (metres) ....

(f) Particulars of drilling machines: Type Make Capacity Number of drills

....

....

(g) Total number of samples analysed ....

Surface samples:- ....

Pit's/trench's samples:- ....

Core samples :- ....

(i) Main constituent ....

(please specify radicals /elements)

(ii) Complete analysis ....

(iii) Address of Chemical Laboratory

9.	Brief description of geology of area and Nature of deposit.	……………………………………………… ………………………………………………
10.	Assessed Reserve in the area along with Grade	………………………………………………
11.	Any other information	………………………………………………

Note: Please enclose a geological report describing the prospecting operations undertaken along with the detailed geological plans and sections showing locations of (a) boreholes, (b) pits, (c) trenches, (d) outcrops and other geological features etc. Copy of chemical analysis reports certified by the Chemical Laboratory, where samples were analysed.

Place:
Date:

Signature:
Name in full:
Designation : Owner/Agent/ Mining Engineer/Manager

(i) the symbol and word "/ Renewal", wherever they occur, shall be omitted;
(ii) clause (xv) of serial number 3 shall be omitted; and
(iii)serial number 9 shall be omitted.

FORM IX
(See rule 23)

Application For grant #{ } of Quarry Lease for Minor Mineral

Received at .... (place) on the .... day of .... 20......

To,   Date ....20......

The Collector
....
District ....
Chhattisgarh

1. I/ we beg to apply for grant of Quarry Lease #{ } of Quarry Lease for a term of .... years over .... hectares of land in the area specified in the schedule.

2. A sum of Rupees .... as application fee payable under rules has been deposited vide challan No. .... Dated .... at place. ....

3. The required particulars are given below : -

(i)	Name of applicant	....
(ii)	Nationality of the applicant (partners, Directors, Members)	....
(iii)	Place of registration of incorporation (firm, Company or Society / Association)	....
(iv)	Profession of individual, nature of business of firm or company or Society/Association and place of business.	....
(v)	Complete postal address, of the individual firm, company or society/association Pin Code Phone/Mobile number E-mail	....
(vi)	Self attested copy of PAN card/voter ID/ driving Licence/Aadhar card of individual, partners , Directors, Members	....
(vii)	Caste (individual or members of Society/ Association)	....
(viii)	Educational qualification (individual or members of	....

	Society / Association)	
(ix)	Age (individual or members of Society / Association)	....
(x)	Residential Address (individual or members of Society / Association)	....
(xi)	List of Directors / Partners / Members	....
(xii)	Registration/in-corporation certificate	....
(xiii)	Financial Status	....
(xiv)	Articles of memorandum/ partnership deed / bye-laws	....
(xv)	**#{omitted }**	
(xvi)	Mineral/Minerals which the applicant intends to mine.	....
(xvii)	Period for which the Quarry Lease / renewal of Quarry Lease is required.	....
(xviii)	(a) No. and date of grant order of Prospecting Licence and the date when it is due to expire (b) A report giving the details of Prospecting carried out in the said area to be attached	....
	(c) Reserve and grade of mineral deposit as per prospecting report	....
(xix)	Manner in which the mineral raised is to be utilized. (a) for manufacture (b) for sale (c) any other purpose	....

In case of manufacture the industries in connection with which it is required, should be specified. Details of plant(s) owned, proposed to be set up be given.

4. A statement supported by a affidavit showing all the areas mineral wise in each district of the State:-
   (i) already held by me / us in my / our name / names (and jointly with others) under quarry lease specifying the names of minor minerals,
   (ii) already applied for but not yet granted and,
   (iii)being applied for simultaneously.

5. An affidavit of obtaining surface rights. . . . .

6. No dues certificate in Form II. . . . .

7. (a) A plan (six copies) showing the situation and boundaries of the area / areas applied for and concession if any, adjoining is / are enclosed. (If this plan / these plans be considered insufficient, I / we request that the necessary plan / plans of the area / areas may be prepared in duplicate in your office at my / our cost.)

. . . .

(b) Khasrapanchsala . . . .

8. The plan should indicate important features, viz-
   (i) if a railway, its full details i.e. whether South East Central Railway or East Coast Railway, whether a branch line or a main line or colliery tramway.
   (ii) if a road, whether village or public works department or cart track.
   (iii) wells,
   (iv) temples or mosques.
   (v) burningghat or burial ground, etc.

9. **#{omitted }**

10. Means by which mineral is to be raised i.e. by hand laborers, mechanical or electric power. ....

11. Preferential right sought for (mention sub-rule/rules)

....

12. Any other particulars which the applicant wishes to furnish.

SCHEDULE

Description of the area applied for :-

(i) Name of village . ...

(ii) Gram Panchayat and Police Station ....

(iii) Khashra number and area of each field or part thereof:–

Khasra Number	**Area in Hectares**

(iv) Full description of the area applied for with regard to natural feature –

(v) Block, ...

(vi) Vidhansabha ....

(vii) Tehsil ....

(viii) Patwari circle number ....

(ix) District ....

13. <u>List of enclosures</u> :-
   (i)
   (ii)
   (iii)
   (iv)
   (v)
   (vi)

(vii)
(viii)
(ix)
(x)

Place ……………..
Dated ……………..

Yours Faithfully
Name and Designation

N.B. –

- if the application is signed by an authorized agent of the applicant, power of attorney should be attached.
- If all the number cannot be entered on this form they should be continued on a separate sheet attached to it and signed.
- Where a portion of a khasra number only is required the approximate area of such portion will suffice

FORM X
[See rule 29(2) #{ omitted}]

SURETY BOND

STAMP DUTY AS SPECIFIED

against Item 57 of Sec. 1. A.
of Indian Stamp Act, 1899

Know all Men by These Present, that I, ... S/o Shri .... Resident of .... in the Tehsil .... District .... (hereinafter called the surety) am held and firmly bound to the Governor of Chhattisgarh (herein after called the Governor) for the sum of Rs................................. only, to be paid to the Governor, his successors, or assignees or their attorney or the officer authorized by the Governor in this behalf, for which payment will and truly to be made, I hereby bind myself, my heirs, executors, administrators and representatives, firmly by these witnesses;

As witness I have set out my hand on this day of .... two thousand and ....

And whereas Shri .... Son of Shri .... resident of .... in the tehsil .... district .... (hereinafter called the lessee) has at his own request been granted prospecting Licence/Quarry Lease for .... (minor mineral) over an area of ....hectares in village .... Tehsil .... District .... for a period of .... vide order no. .... dated ....

And whereas the lessee has agreed to execute the prescribed agreement with the Government.

And whereas by virtue of the agreement to be executed between the Governor (lessor) and lessee, the said is required to pay regularly and timely the dead rent, royalty, surface rent and any other dues arising out of the licence/lease, as the case may be.

And whereas the Governor has asked Shri .... son of .... to furnish surety of Rs. .... (Rupees .... only), I, ... stand as surety for him to the above amount and execute this bond, and I declare that I own the following immovable property of which I am the absolute owner and that the property is not mortgaged or gifted and it is free from all encumbrances.

Details of the property................................. Value ....

And the conditions of the Bond is such that if the lessee shall die or become insolvent or at any time ceases to pay the dead rent, royalty, surface rent or any other dues arising out of the said licence/lease, as the case may be, by such due on this account under this licence/lease, as the case may be, shall immediately become due and payable to the Governor and the same will

be recovered from my property detailed above as an arrear of land revenue in installment by virtue of this Bond.

And I further declare that I will not sell, mortgage, gift or transfer in any other manner and will not act in to dispose off the above property till this bond is in force.

In witness whereof the said ……………………………… has signed hereinto on ……….day of ………………… Two thousand and ……………………

Dated :

Photo of surety

Signature of the surety

Verified and found correct has signed
This bond today in my presence
Magistrate, Executive

WITNESSES:-

(1) Signature………………………
Name…………………………….
S/o or D/o or W/o……………….
Address …………………………
………………………………….

(2) Signature………………………
Name…………………………….
S/o or D/o or W/o……………….
Address …………………………
………………………………….

FORM XI
[See rule 36]
Register of applications for Quarry Leases of Minor Mineral

District ………………….

1. Serial No.
2. Date on which application was received by receiving officer.
3. Name of applicant with complete address, phone no., email.
4. Situation and boundaries of the land applied for;
   (i) Name of the village
   (ii) Name of Gram Panchayat
   (iii) Block
   (iv) Vidhansabha
   (v) Tehsil
   (vi) Patwari circle number
   (vii) Khasra Number
5. Area in Hectares (Khasra wise).
6. Particulars of minerals which the applicant desires for Quarry Lease.
7. Particulars of the prospecting licence if the area applied for is covered by it.
8. Period for which applied.
9. Application fee paid.
10. Remarks (preferential right sought for).
11. Final disposal of applications together with number and date of the order.
12. Signature of the officer

FORM XII
[See rule 41(1)]
Register of Quarry Leases for Minor Mineral

District ………………….

1. Serial Number
2. Name of the lessee with complete address, phone no., email
3. Date of application and Serial number in application register
4. Mineral for which lease has been granted
5. (a) Number and date of grant order of lease with authority
   (b) Date of execution of Quarry Lease
6. Period for which granted/ renewed
7. Situation and boundaries of the lease granted
8. Name of the village
9. Name of Gram Panchayat
10. Block
11. Vidhansabha
12. Tehsil Patwari circle number
13. Khasra Numbers
14. Granted lease area in hectare.
15. Number and date of approval of Quarry Plan and period.
16. Number and date of EIA clearance (if applicable) and period.
17. Amount of compensation paid for Area – in col. No. 14 with date of payment and whether through Government or by private negotiations together with No. and date of order of land acquisition or transfer of lease.
18. Amount of surface rent fixed and date of fixation.
19. Amount and details of financial assurance
20. Amount and details of security deposits
21. Particulars of disposal or refund of financial assurance.
22. Particulars of disposal or refund of security deposit.
23. Date of expiry or relinquishment or cancellation of the lease.
24. Remarks with particulars as to date of renewal, actual expiry or relinquishment
25. Date of assignment or transfer of lease, if any, and the name and address of the assignee or transferee.
26. Date of change together with the details of change that take place, in name nationality or other particulars of the holder of Quarry Lease.
27. Date from which the area is available for grant (Date and number of Notification and date of availability)
28. Remarks
29. Signature of the Officer.

FORM XIII
[See rule 47 (1)]

QUARRY LEASE DEED FOR MINOR MINERAL

THIS INDENTURE made on this……… day of…………………… 20…… between the Governor of Chhattisgarh acting through the …………………………. (hereinafter referred to as the "lessor" which expression shall where the context so admits so deemed to include the successors in office) of the one part

AND

Shri …………………………… S/o …………………………… (Name of person with address and occupation) (hereinafter referred as the "lessee" which expression shall, where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assignees) of the other part.

OR

…………………………… (Name of society/Association with address and occupation) and …………………………… (Name of person with designation) (hereinafter referred to as "the lessee" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assignees) of the other part.

OR

……………………………………………. (Name and addresses of partners), son of ……………………. and ………………………… son of ………………………………………… all carrying on business in partnerships under the firm name and style of ……………………… (Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at …………………………… in the town of…………………… (hereinafter referred to as "the lessee" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners their) respective heirs, executors, legal representatives and permitted assignees) of the other part.

OR

…………………………… (Name of company) a company registered under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) and having its registered office at …………………………… (address) (hereinafter referred to as "the lessee" which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assignees) of the other part.

WHEREAS the lessee/ lessees has /have applied to the Competent Authority in Accordance with the Chhattisgarh Minor Minerals Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said Rules) for a Quarry Lease for …………………………in respect of the lands described in Part I of the Schedule hereunder written and has/have deposited with the State Government the sum of Rupees ……………………… as security deposit.

WITNESSTH that in consideration of the rents and royalties, covenants and agreements by and in these presents and the Schedule hereunder written, reserved and contained and on the part of the lessee/lessees to be paid,

observed and performed. The Competent Authority, hereby, grants and demise unto lessees.

All those mines bed ……………………… (herein state the mineral or minerals) lease, (hereinafter and in the Schedule referred to as the said minerals) situated lying and being in or under the lands which are referred to in Part I of the said schedule, together with the liberties, powers and privileges to be exercised or enjoyed in connection herewith, which are mentioned in part II of the said schedule subject to the restrictions and conditions as to the exercise and enjoyment of such liberties, powers and privileges which are mentioned in Part III of the said schedule.

EXCEPT and reserving out of this demise unto the State Government the liberties, powers and privileges mentioned in Part IV of the said Schedule.

TO HOLD the premises hereby granted and demised unto the lessee/lessees from the ……………………day ……………………… 20 …… for the term of ……………………… years hence next ensuing YIELDING AND PAYING therefore unto the State Government the several rents and royalties mentioned in Part V the said Schedule, at the respective times in specified, subject to the provisions contained in Part VI of the said Schedule and the lessee/lessees hereby covenant / covenants with the state Government as expressed in Part VII of the said Schedule And the State Government, hereby, covenants with lessee/lessees as expressed in Part VIII of the said Schedule and it is, hereby, mutually agreed between the parties hereto as expressed in part IX of the said Schedule is.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in manner hereunder appearing the day and year first above written.

The Schedule above referred to
PART I – THE AREA OF THIS LEASE

Location and area of the lease: - All that tract of lands situated at village …………………….. (Description of area or areas) …………………….. in Tehsil in …………………….. Gram Panchayat, …………….. bearing Khasra survey Nos. …………………….. containing an area of………………. or thereabout, in district,…………………………, delineated on the plan hereto annexed and thereon coloured……………and bounded as follows :-

On the North by ……………………………………………………………
On the South by……………………………………………………………
On the East by………………………………………………………………
And
On the West by……………………………………………………………
hereinafter referred to as "the said lands"

PART II

Liberties, powers and privileges to be exercised and enjoyed by the lessee/ lessees subject to the restrictions and conditions in Part III.

1. **To enter upon land win, work etc.** - Liberty and power at all times during the term, hereby, demised to enter upon the said lands and to win, work, dress, process, convert, carry away and dispose of the said mineral/minerals.

2. **To bring and use machinery equipment etc**. – Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to erect, construct, maintain and use on or under the said lands any engines, machinery, plant, dressing floors, brick-kilns, workshops, store house, godowns, sheds and other buildings and other works and conveniences of the like nature on or under the said lands.

3. **To make roads and ways etc. and use existing road and ways.** – Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to make any tramways, roads, and other ways in or over the said lands and to use, maintain and go, and repass with or without horses cattle, wagons, or other vehicles over the same (or any existing tramways, roads and other ways in or over the said land) on such conditions as may be agreed to.

4. **To get building and road materials etc**. –Liberty and power for or in connection with any of the purposes mentioned in this part to mine and get stone, gravel and other building and road materials and ordinary clay and to use and employ the same and manufacture such clay into bricks or tiles and to use such bricks or tiles but not to sell any such material bricks or tiles.

5. **To use water from streams etc.** – Liberty and power for or in connection with any of the purpose mentioned in this part but subject to the right of any existing or future lessees and with the written permission of Collector to appropriate and use water from any streams, water-courses, springs or other sources in or upon the said lands and to divert, set up or dam any such stream or water course and collect or impound any such water and to make, construct and maintain any water-course culverts, dams or reservoirs but not as so to deprive any cultivated lands, villages, building or watering places for livestock or a reasonable supply of water as before accustomed nor in any way to foul or pollute any stream or springs. Provided that the lessee/lessees shall not interfere with the navigation in any navigable steam or shall divert such stream without the previous written permission of the State Government.

6. **To use land for stacking, heaping, depositing purposes**. – Liberty and power to enter upon and use a sufficient part of the surface of the said lands for the purpose of stacking, heaping, storing or depositing therein any produce of the mines or works carried on and any tools, equipment, earth and materials and substances dug or raised under the liberties and powers mentioned in this part.

7. **Beneficiation/processing and conveying of production.-** Liberty and power to enter upon and use a sufficient part of the surface of the said lands to beneficiate/process any minor mineral produced from the said land and to carry away such beneficiated minor mineral.

8. **To clear brushwood and to fell and utilize trees, etc.**- Liberty and power for or in connection with any of the purpose mentioned In this part and subject to the existing rights of others and save as provided in clause 3 of Part III of this Schedule to clear undergrowth and brushwood and to fell and utilize any trees or timber standing or found on the said lands provided that the State Government may ask the lessee/lessees to pay for any trees

or timber felled and utilisied, by him/them the rates specified by the Collector or the State Government.

PART III

Restrictions and conditions as to the exercise of the liberties, power and privileges in PART II

1. **No building etc upon certain places**. – No building or thing shall be erected set up or placed and no surface operations shall be carried on in or upon any public pleasure ground, burning or burial ground or place held sacred by any class of person or any house or village site, public road or other place which the State Government may determine as public ground nor in such a manner as to injure or prejudicially effect any building, works, property or rights of other persons and land shall be used for surface operations which is already occupied by persons other than the State Government for works or purposes not included in this lease. The lessee/lessees shall not also interfere with any right of way, well or tank.

2. **Permission for surface operation in a land not already in use.** – Before using for surface operations any land which has not already been used for such operations, the lessee/lessees shall give to the collector of the District two calendar months previous notice in writing specifying the name or other description of the situation and the extent of the land proposed to be so used and the purpose for which the same is required and the said land shall not be so used if objection is issued by the collector within two months after the receipt by him of such notice unless the objection so stated shall on reference to the State Government be annulled or waived.

3. **To cut trees in unreserved lands:**- The lessee /lessees shall not without the express sanction of the Collector cut down or injure any timber or trees on the said lands but may without such sanction clearway any brushwood or under growth which interferes with any operations authorized by these presents. The Collector or the State Government may require the lessee/lessees to pay for any trees or timber felled and utilized by him /them at the rates specified by the Collector of the District.

4. **No Mining operations within prohibited distances**. – The lessee/ lessees shall not work or carry on or allow to be worked or carried on any mining operations at or to any point within the prohibited distances specified in rules 5 (2) and 51 (12).

5. **Facilities for adjoining Government Licence and leases** – The lessee / Lessees shall allow existing and future holders of Government Licensee or leases over any land which is comprised in or adjoins or is reached by the land held by the lessee/lessees reasonable facilities or access there to:

   Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused by such holders of Licences or leases to the operation lessee/ lessees under these present and fair compensation as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the State Government shall be made to the lessee/lessees for loss or damage sustained by the lessee/lessees by reason of the exercise of this liberty.

PART IV
Liberties, Powers and privileges reserved to the State Government

1. **To work other minerals**. – Liberty and power for the State Government or to any lessee or persons authorized by it in that behalf to enter into and upon the said land and to search for, win, work, dig , get , raise, dress, process, convert and carry away mineral other than the said minerals and any other substances and for those purposes to sink, drive make, erect, construct, maintain and use such pits, shafts, inclines, drifts, levels and other lines, waterways, airways, water courses, drains, reservoirs, engines, machinery, plant, building, canals, tramways, railway, roadways and other works and conveniences as may be deemed necessary or convenient:

   Provided that in the exercise of such liberty and power no substantial hindrance or interference shall be caused to or with the liberties, power and privileges of the lessee/lessees under these presents and that fair compensation as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the State Government shall be made to the lessee/lessees for all loss or damage sustained by the lessee/lessees by reasons for all loss or damages sustained by the lessee / lessees by reasons or in consequence of the exercise of such liberty and power.

2. **To make railway and roads** – Liberty and power for the State Government or any lessee or person authorized by in that behalf to enter into and upon the said lands and to make upon over or through the same any railways, tramways, roadways, or pipelines for any purpose other than those mentioned in Part II of these presents and to get from the said lands stones, gravel, earth and other materials for making, maintaining and repairing such railway, tramways and road or any existing railways and road and to re-pass at all times with or without horse, cattle or other animals carts, wagons carriages, locomotives or other vehicles over or along any such railway tramways, road lines and other ways for all purposes and as occasion may require, provided that in the exercise of such liberty and power by such other lessee or person no substantial hindrance or interference shall be caused to or with the liberties, powers and privileges of the lessee / lessees under these presents and that fair compensations as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the State Government be made to the lessee / lessees for all loss or damage sustained by the lessee / lessees by reason or in consequence of the exercises of such liberty and power.

PART V
Rents and royalties reserved by this lease

1. **To pay dead rent or royalty whichever is higher** – The lessee shall pay for every year except the first year of the lease, dead rent as specified in clause 2 of this part:

   Provided that, where the holder of such Quarry Lease becomes liable under Rule 51 of the rules to pay royalty for any mineral removed or consumed by him or by his agent, manager, employee, contractor or sub–lessee from the leased area he shall be liable to pay either such royalty or the dead rent in respect of that area, whichever is higher.

2. **Rate and mode of payment of dead rent.** – Subject to the provisions of clause 1 of this Part during the subsistence of the lease, the lessee/lessees shall pay to the State Government annual dead rent for the lands demised

and described in Part-I of this Schedule at the rate for time being specified in the Schedule IV of the Rules in such manner as specified in Rule 51 (1) (a).

3. **Rate and mode of payment of royalty** – Subject to the provision of clause 1 of this part, the lessee/lessees shall during the subsistence of this lease pay to the State Government as specified in Rule 51 (1)(b) royalty in respect of any mineral / minerals removed by him / them from the leased area at the rate for the time being specified in the Schedule - III to the Rules.

4. **Payment of surface rent** – The lessee / lessees shall pay rent to State Government in respect of all parts of the surface of the said lands which shall from time to time be occupied or used by the lessee / lessees under the authority of these presents at the rate of Rupees.. respectively per annum per hectare or part thereof for area so occupied during the period from commencement of such occupation or use until the area shall cease to be so occupied for used and shall as far as possible restore the surface land so used to its original condition. Surface rent shall be paid as detailed in Rule 51 (1) (c).

#{**5. Payment of auction money-** The lessee of lease granted through auction/ tender shall pay the auction money to the State Government for the mineral dispatched every month from the lease area. Escalation in auction money price shall be on the basis of Wholesale Price Index and for this base year shall be the year of auction.}

PART VI

Provisions relating to the rents and royalties

1. **Rent and royalties to be free from deduction etc**. – The rent and royalties mentioned in Part V of this Schedule shall be paid free from any deductions to the State Government as specified in Rule 51 (1).

2. **Mode of computation of royalty** – For the purposes of computing the said royalties the lessee/lessees shall keep a correct account of the mineral / minerals produced, consumed and dispatched. The accounts as well as the volume of mineral/minerals in stock or in the process of export may be checked by an officer authorized under the Rules.

3. **Course of action if rents and royalties are not paid in time** – Should any rent, royalty or order sums due to the State Government under the terms and conditions of these presents be not paid by the lessee/lessees within prescribed time, the same, together with simple interest due thereon at the rate of twenty four percent per annum or equivalent to the rate of interest prescribed under rule 64A of Mineral Concession Rules, 1960, whichever is higher, may be recovered on a certificate of Mining Officer / Assistant Mining Officer in the same manner as an arrear of land revenue.

PART VII

The Covenants of the lessee/lessees

1. **Lessee to pay rents and royalties, taxes etc**. – The lessee/lessees shall pay the rent and royalties reserved by this lease at such times and in the manner provided in Part-V and VI of these presents and shall also pay and discharge all taxes, rents, assessments and impositions whatsoever being in

the nature of public demands which shall from time to time be charged, assessed or imposed by the authority of the State Government upon or in respect of the premises and works of the lessee/lessees in common with other premises and works of a like nature except demands for land revenues.

2. **To maintain and keep boundary marks in good order** – The lessee/lessees shall at his / their own expense erect and at all times maintain and keep in repair boundary marks and pillars according to the demarcation to be shown in the plan annexed to this lease. Such marks and pillars shall be sufficiently clear of the shrubs and other obstruction as to allow easy identification, co-ordinates shall be marked on all the corner pillars. The maximum distance between any two successive boundary pillars should not be more than 100 meters.

3. **To Commence operations within a year and work in a workman like manner**. – Mining operation shall be undertaken in accordance with the approved Quarry Plan as per Rule 24. The lessee/lessees shall commence operation within one year from the date of execution of the lease and shall thereafter at all times during the continuance of this lease win, work and develop, the said minerals without voluntary intermission in a skillful and workman like manner and as prescribed under clause 12 hereinafter without doing or permitting to be done any unnecessary or avoidable damage to the surface of the said lands or the crops, building, structures or other property thereon. For the purposes of this clause operations shall include the erection of machinery, laying of a tramway or construction of a road in connection with the mine.

4. **To indemnify Government against all claims** – The lessee/lessees shall make and pay such reasonable satisfaction and compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury or disturbance which may be done by him/them in exercise of the powers granted by this lease and shall indemnify and keep indemnified fully and completely the State Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connections therewith.

5. **To secure and keep in good condition pits, shafts, etc.** – The lessee/lessees shall during the subsistence of this lease well and sufficiently secure and keep open with timber or other durable means all pits and workings that may be made or used in the said lands and make and maintain sufficient fences to the satisfaction of the Collector around every such pit or working whether the same is abandoned or not and shall during the same period keep all workings in the said lands except such as may be abandoned accessible free from water and foul air as far as possible.

6. **To strengthen and support the mine to necessary extent**. – The lessee/lessees shall strengthen and support to the satisfaction of the Railway Administration concerned or the State Government, as the case may be any part of the mine which in its opinion requires such strengthening or support for the safety of any railway, reservoir, canal, road and any other public works or structures.

7. **To allow inspection of workings**. – The lessee/lessees shall allow any officer authorized under these Rules to enter upon the premises including

any building excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting, examining, surveying, prospecting and making plans thereof sampling and collecting any data and the lessee/lessees shall with proper person employed by the lessee/lessees and acquainted with the mines and works effectually assist such officer, agents, servants and workman in conducting every such inspection and shall afford them all facilities, information connected with the working of the mines which they may reasonably require and also shall and will conform to and observe all orders and regulations which the Central and State Government as the result of such inspection or otherwise may from time to time see fit to impose.

8. **To report accident** – The lessee/lessees shall without delay send to the Collector a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to the property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this lease.

9. **To report discovery of other minerals.** – The lessee/lessees shall report to the Collector the discovery in the leased area of any mineral not specified in the lease without delay along with full particulars of the nature and position of each such find. If any mineral not specified in the lease is discovered in the leased area, the lessee/lessees shall not win and dispose of such mineral unless such minerals is included in the lease or a separate lease is obtained thereof.

10. **To keep records and accounts regarding production and employees etc.** – The lessee/lessees shall at all time during the said term keep or cause to be kept at an office to be situated upon or near the said lands correct and intelligible books of accounts which shall contain accurate entries showing from time to time : -
    (1) Quantity and quality of the said mineral / minerals realized from the said lands.
    (2) Quantities of the various qualities of the said mineral / minerals sold/ dispatched from said land and consumed within said land separately.
    (3) Quantities of the various qualities of the said mineral / minerals otherwise disposed of and the manner and purpose of such disposal.
    (4) The prices and all other particulars of all sales of said mineral / minerals.
    (5) The number of persons employed in the mines or work or upon the said lands specifying nationality qualification and pay of the technical personnel.
    (6) Such other facts, particulars and circumstances as the Central or the State Government may from time to time require and shall also furnish free of charge to such officers and at such times as the Central and State Government may appoint true and correct abstract of all or any such books of accounts and such information and returns to all or any of the matters aforesaid as the State Government may prescribe and shall at all reasonable times allow such officers as the Central Government or State Government shall in that behalf appoint to entre into and have free access to the said offices for the purpose of examining and inspecting the said books of accounts, plans and records and to make copies thereof and make extracts therefrom.

11. **To maintain plans, etc.** – The lessee / lessees shall at the all times during the said term maintain at the mine office correct intelligible up-to-date and complete plans of the mines in the said lands. They shall show all

the operations, and working and all the trenches, pits made by him / them in the course of operations carried on by him/them under the lease and geological data and all such plans shall be amended and filled up by and from actual surveys to be made for that purpose at the end of twelve months or any period specified from time to time and the lessee / lessees shall furnish free of charge to the State Government true and correct copies of such plans wherever required. Accurate records of all trenches, pits shall show –

(a) The subsoil and strata through which they pass.
(b) Any mineral encountered.
(c) Any other matter of interest and all data required by the State Government from time to time.

The lessee / lessees shall allow officer of the State Government authorized in this behalf to inspect the same at all reasonable time. He / they shall also supply when asked for by the State Government a composite plan of the area showing thickness, dip, inclination, etc. as also the quantity of reserves quality wise.

12. **To pay compensation for injury of third parties.** – The lessee / lessees shall make and pay reasonable and satisfactory compensation for all damage, injury or disturbance to person or property which may be done by or on the part of lessee / lessees in exercise of the liberties and power granted by these presents and shall at all times save harmless and keep indemnified the State Government from and against all suits, claims and demands which may be brought or made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance. In case of Government land the lessee/lessees shall pay, an amount equal to five percent of prevalent price fixed by Revenue Department for **paddath** land of concerned district in every financial year as a compensation to government.

13. **Not to obstruct working of other minerals** – The lessee/lessees will exercise the liberties and power hereby granted in such a manner as to offer no unnecessary or reasonably avoidable obstruction or interruption to the development and working within the said lands of any minerals not included in this lease and shall at all times afford to the Central and State Government and to the holders of prospecting Licence, Quarry Leases or quarry permit in respect of any such minerals or any minerals within any land adjacent to the said lands as the case may be reasonable means of access and safe and convenient passage upon and across the said land to such minerals for the purpose of getting working, developing and carrying away the same provided that the lessee/lessees shall receive reasonable compensation for any damage or injury which he/they may sustain by reason or in consequence of the use of such passage by such lessees or holders of prospecting Licences.

14. **Transfer/Amalgamation of lease**. – (1) The lessee/lessees shall not, without the previous consent in writing of the Sanctioning Authority –

(a) Assign, sublet, mortgage, or in any other manner transfer the Quarry Lease, or any right title or interest therein, or
(b) Enter into or make any arrangement, contract or understanding whereby the lessee / lessees will or may be directly or indirectly financed to a substantial extent by, or under which the lessee’s operation’s or undertakings will or may be substantially controlled by, any person or body of person other than the lessee / lessees.

(c) The Sanctioning Authority may by an order in writing determine the lease at any time if the lessee / lessees has / have in his opinion committed a breach of any of the above provisions of has/ have transferred lease or any right, title or interest therein otherwise than in accordance with rule 56, provided that no such order shall be made without giving the lessee / lessees a reasonable opportunity of stating his / their case.

(2) For amalgamation of leases, lessee/lessees shall submit an application for amalgamation, along with at common Quarry Plan for the leases proposed for amalgamation, in accordance with rule 57. The Director may permit amalgamation of leases and period of amalgamated lease shall be co-terminus with the lease whose period expires first.

15. **Lessees shall deposit any additional amount necessary**. – Whenever the security deposit of rupees. ……………………………………………………… or any part thereof or any further sum hereinafter deposited with the State Government in replenishment thereof shall be forfeited or applied by the State Government pursuant to the power in hereinafter declared in that behalf the lessee/lessees shall deposit with the State Government such further sum as may be sufficient with the inappropriate part thereof to bring the amount in deposit with the State Government up to the sum of rupees. ………………………………………………………………

16. **Delivery of working in good order to State Government after determination of lease**.– The lessee / lessees shall at the expiration or sooner determination of the said term or any renewal thereof deliver up to the State Government all mines, pits, water ways, and other works now existing or hereinafter to be sunk or made on or under the said lands except such as have been abandoned with the sanction of the State Government and in any ordinary and fair course of working all engines, machinery, plant, building, structure, other works and conveniences which at the commencement of the said term were upon or under the said lands and all such machinery set up by the lessee / lessees which cannot be removed without causing injury to the mines**, works under the said** lands (except such of the same as may with the sanction of the State Government have become dis-used) and all buildings and structures of bricks or stone erected by the lessee / lessees above ground level in good repair order and condition and fit in all respects for further working of the said mines and the said minerals.

17. **Right of pre-emption** –

(A) The State Government shall from time to time and all times during the said term have the right (to be exercised by notice in writing to the lessee / lessees) of pre-emption of the said minerals (and all products thereof) lying in or upon the said lands hereby demised or elsewhere under the control of the lease/leases and the lease/leases shall with all possible expedition deliver all minerals or products or minerals purchased by the State Government under the power conferred by this provisions in the quantities at the times in manner and at the place specified in the notice exercising the said rights.

(B) The price to be paid for all minerals or products of minerals taken in pre-emption by the State Government in exercise of the right hereby

conferred shall be the fair market price prevailing at the time of pre emption:

Provided that in order to assist in arriving at the said fair market price the lessee / lessees shall if so required furnish to the State Government for the confidential information of the Government, particulars of the quantities, description and prices of the said minerals or products thereof sold to other customers and of charters entered into for freight, for carriage of the same and shall produce to such officer or officers as may be directed by the State Government original or authenticated copies of contracts and charter parties entered into for the sale or freightage of such minerals or products.

(C) In the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence and president of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the gazette of India shall be conclusive proof), the State Government with the consent of the central Government shall from time to time and all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the lessee / lessees) forth with take possession and control of the works, plant, machinery and premised of the lessee / lessees on or in connection with the said lands or operations under this lease and during such possession or control the lessee / lessees shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central Government or State Government regarding the use or employment of such works, plants, premises and minerals:

Provided that fair compensation which shall be determined in default of agreement by the Government shall be paid to the lessee / lessees for all loss or damage sustained by him / them by reason or in consequence of the exercise of the powers conferred by this clause:

Provided also that the exercise of such powers shall not determine the said term hereby granted or affect the terms and provisions of these presents further than may be necessary to give effect to the provisions of this clause.

18. **Recovery of expenses incurred by the State Government** – If any of the works or matters which in accordance with the covenants in that behalf hereinbefore contained are to be carried or performed by the lessee / lessees be not so carried out or performed within the time specified in that behalf, the State Government may cause the same to be carried out or performed and the lessee / lessees pay the State Government on demand all expenses which shall be incurred in such carrying out or performance of the same and the decision of the State Government as to such expenses shall be final.

19. **Other obligations** –

(a) The lessee / lessees shall pay a wage not less than the minimum wage prescribed by the Central Government or State Government from time to time under Minimum Wages Act, 1948.

(b) The lessee / lessees shall comply with provisions of the Mines Act, 1952 and the rules made there under;

(c) The lessee / lessees shall comply with provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the rules made there under;

(d) The lessee / lessees shall comply with provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the rules made there under;
(e) The lessee / lessees shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under;
(f) The lessee/ lessees shall take measures for the protection of environment like planting of trees, reclamation of land, use of pollution control devices and such other measures as may be prescribed by the Collector or any other officer authorized for it, from time to time at his own expense.
(g) The lessee / lessees shall pay compensation to the occupier of the land on the date and in the manner laid down in the rules;
(h) The lessee/ lessees shall in the matter of employment give preference to the tribal's and to the local persons;
(i) The lessee/ lessees shall not transport any mineral or its product from the leased area without a valid transit pass as provided in the rules.

PART VIII

The Covenants of the State Government

1. **Lessee / Lessees may hold and enjoy rights quietly** – The lessee / lessees paying the rents and royalties hereby reserved and observing and performing all the covenants and agreements herein contained and on the part of the lessee / lessees to be observed and performed shall and may quietly hold and enjoy the rights and premises hereby demised for and during the term hereby granted without any in lawful interruption from or by the State Government or any person rightfully claiming under it.

2. **Acquisition of land of third parties and compensation thereof** – If in accordance with the provision of clause 4 of Part VII of this Schedule the lessee / lessees shall offer to pay to an occupier of the surface of any part of the said lands compensation for any damage or injury which may arise from the proposed operations of the lessee / lessees and the said occupier shall refuse his consent to the exercise of the rights and powers reserved to the State Government and demised to the lessee / lessees by these presents and the lessee / lessees shall report the matter to the State Government and shall deposit with it the amount offered as compensation and if the State Government are satisfied that the amount of compensation offered is fair and reasonable or if it is not so satisfied and the lessee / lessees shall have deposited with it such further amount as the State Government shall consider fair and reasonable the State Government shall order the occupier to allow the lessee / lessees to enter the land and to carry out such operations as may be necessary for the purpose of this lease. In assessing the amount of such compensation the State Government shall be guided by the principles of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013).

3. **To renew** – The Quarry Lease is renewable in terms of the provisions of the rules.

4. **Liberty to determine the lease**. –

(1) The lessee / lessees may at any time determine this lease by giving not less than six calendar months notice in writing to the Sanctioning Authority and upon the expiration of such notice provided that the lessee / lessees shall upon such expiration render and pay all rents,

royalties, compensation for damages and other moneys which may then be due and payable under these presents to the lessor or any other person or persons and shall deliver these presents to the State Government then this lease and the said term and the liberties, powers and privileges hereby granted shall absolutely cease and determine but without prejudice to any right or remedy of the lessor in respect of any breach of any of the covenants or agreements contained in these presents.

(2) The Sanctioning Authority may on an application made by the lessee permit him to surrender one or more minerals from his lease which is for a group of minerals on the ground that deposits of that mineral have since exhausted or depleted to such an extent that it is no longer possible to work the mineral economically, subject to the condition that the lessee;

(a) Makes an application for such surrender of mineral at least six months before the intended date of surrender and,

(b) Gives an undertaking that he will not cause any hindrance in the working of the mineral so surrendered by any other person who is subsequently granted a Quarry Lease for that mineral.

5. **Refund of security deposits** – On such date as the Collector may elect after the determination of this lease or of any renewal thereof, the amount of the security deposit paid in respect of this lease and then remaining in deposit with the State Government and not required to be applied to any of the purposes mentioned in this lease shall be refunded to the lessee/lessees. No interest shall run on the security deposit.

PART IX
GENERAL PROVISIONS

1. **Obstructions to inspection** – In case the lessee / lessees or his / their transferee /assignee does/ do not allow entry or inspection by the officers authorized by the Central or State Government under the said rules, the Collector shall give notice in writing to the lessee / lessees requiring him/ them to show cause within such time as may be specified in the notice why the lease should not be determined and his / their security deposit forfeited; and if the lessee / lessees fails / fail to show cause within the aforesaid time to the satisfaction of the Sanctioning Authority may determine the lease and forfeit the whole or part of the security deposit.

2. **Penalty in case of default in payment of royalty and breach of covenants**. - If the lessee / lessees or his / their transferee or assignee makes / make any default in payment of rent or royalty as required by the rules, Act or commits a breach of any of the conditions and covenants; other than those referred to in covenant I above , the Collector shall give notice to the lessee / lessees requiring him / them to pay the rent and royalty with interest as per rule 51 (1) (d) or remedy the breach, as the case may be within sixty days from the date of receipt of the notice and if the rent and royalty with interest are not paid or the breach is not remedied within such period, the Sanctioning Authority without prejudice to any proceedings that may be taken against him / them, determine the lease and forfeit the whole or part of the security deposit or may impose penalty as provided in the rules.

3. **Lessee / Lessees to remove his / their properties on the expiry of lease** - The lessee / lessees having first paid discharged rent, and royalties payable by virtue of these presents may at the expiration or sooner determination of the said term or within three calendar months thereafter (unless the lease shall be determined under clauses 1 and 2 of this part and in that case at any time not less than 15 days nor more than three calendar months after such determination) take down and remove for his / their own benefit all or any engines, machinery, plant, building, structures, tramways and other works, erections and conveniences which may have been erected, set up or placed by the lessee / lessees in or upon the said lands and which the lessee/ lessees is / are not bound to deliver to the State Government under these rules.

4. **Forfeiture or property left more than three months after determination of lease** - If at the end of three calendar months after the expiration or sooner determination of the said term under the provision contained in clause 4 of part VIII of this schedule become, effective there shall remain in or upon the said land any engines, machinery, plant, building structures, tramways and other work, erections and conveniences or other lands held by him / them under Quarry Lease the same shall if not removed by the lessee / lessees within one calendar months after notice in writing requiring their removal has been given to lessee / lessees by the Collector be deemed to become the property of the State Government and may be sold or disposed of in such manner as the State Government shall deem fit without liability to pay any compensation to the account to then lessee / lessees in respect thereof.

5. The lease is executed at ………………………………………………………. and subject to the provision of Article 226 of the Constitution of India, it is hereby agreed upon by the lessee and the lessor that in the event of any dispute in relation to the area under lease, condition of lease, the dues realizable under the lease and I respect of all matters touching the relationship of the lessee and the lessor, the suits (or appeals) shall be filed in the Civil court at ……………………….. (name of the city) and it is hereby expressly agreed that neither party shall be competent to file a suit or bring any action or file any petition at any place other than the courts named above .

6. For the purpose of stamp duty the anticipated royalty from the demised land is rupees ……………………. ………………………per year.

IN WITNESS WHEREOF these present have been executed in the manner hereunder appearing the day and year first above written.

Signed by
For and on behalf of the
Governor
(Lessor) dated
(Lessee)
(Signature and
Designation of Lessee
with date)

WITNESSES:-
(1) Signature………………………
Name……………………………

FORM XIV
[see Rule 51 (14)]
Application for issue of transit pass / transit pass book for dispatch of minor minerals

1. Name of lessee/licensee/permit holder
2. Address
3. Grant Order Number and date of lease/licence/permit.
4. Source of the Mineral: -
   (i) Mine/permit at village
   (ii) Tehsil
   (iv) Panchayat
   (v) Police Station
   (vi) District
5. Name of Mineral.
6. Quantity of Mineral in stock and the quantity – proposed to be dispatched /transported and mode transport
7. Purpose of dispatch (own consumption / sale in case of sale, the name and address of the purchaser should be furnished).
8. In case of Rail Transport: -
   (i) Station of loading
   (ii) Destination of the consignment with the name and the address of the consignee.
9. Sale value of the mineral
10. Period within which the applicant desires to dispatch / transport the quantity
11. Other particulars which the applicant wishes to state.

I / we hereby certify that the particulars given above are correct to the best of my / our knowledge and belief.

Place : Signature of Applicant

Date : Name ……………..

FORM XV
[See Rules 51(20)(a), 58(4)(e), 70 (2)]
Monthly Return for Quarry Lease/Permit for Minor Mineral
(To be submitted by 10th ensuing month)

For the month of ………………………………

To,
1. The Collector
District………………

2. Gram Panchayat
……………………..

(a) Name of the lessee /permit holder : ……………………………………………….
(b) Postal address/phone number/e-mail : ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
(c) Location of Quarry Lease/permit : District ……………………, Tahsil ………., Block …………., Gram Panchayat ……………………, Patwari circle number …………….Village …………………………,
(d) Detail of Quarry Lease/permit : Mineral/minerals ………………………………………… Area in hectare ………………… Period of lease/permit from ………………to…………Khasra Number …………………………………………………………………….

Note :- All figures be given in cubic meters.

1. Opening stock : ………………………………
2. Production of mineral : ………………………………
3. Total (1+2) : ………………………………
4. Consumption of mineral : ………………………………
5. Dispatch of Mineral : ………………………………
6. Total consumption and dispatch (4+5) : ………………………………
7. Closing Stock (3-6) : ………………………………
8. Transit passes used book Nos. and Serial Nos. : ……………..
9. Products from mineral consumed
   (a) Opening stock : ………………………
   (b) Production : ……………………………
   (c) Total (a+b) : ……………………………
   (d) Dispatch : ……………………………
   (e) Closing stock (c-d) : ……………………………
10. Balance payable royalty :…………………………………
11. Royalty for this month : ……………………………
12. Total Royalty (10+11) : ……………………………
13. Royalty paid vide challan No. …………………Date …………… Place
14. Balance due (12-13) …………………………………………
15. Remarks : ……………………………………………………………………

Date …………………………….
Place …………………………….
Signature………………………..
Name………………………………

of the lessees/permit holder
or authorize person

FORM XVI
[See Rule 51(20)(b)]
Half Yearly Return for Quarry Lease of Minor Mineral

1.1.20..... to 30.6.20.......
1.7.20..... to 31.12.20.....

(To be submitted by 15th July / 15th January)

To,

1. The Collector
   District...................
2. Gram Panchayat
   ....

(a) Name of the quarry lessee holder : ....
(b) Postal address/phone number/e-mail ....
....
(c) Location of Quarry Lease: District ...., Tahsil ...., Block ...., Gram Panchayat ...., Patwari circle number ....Village ....,
(d) Detail of Quarry Lease: Mineral/minerals ....
Area in hectare .... Period of lease .... year, from ....to ....Khasra Number ....

Note :- All figures be given in cubic meters.

1. Total production in half year : ....
2. Consumption : ....
3. Dispatches : ....
4. Total (2+3) : ....
5. Royalty : ....
6. Dead Rent paid : ....
7. Royalty payable (5-6) : ....
8. Royalty paid challan No. .... Date .... Place ...
9. Please give details for –
   (1) Pits mouth value : ....
   (2) Sale price : ....
   (3) Average number of persons employed per day : ....
   (4) Depth of mine : ....
   (5) Use of explosives if any : ....
10. Remark ....
....

Date ....
Place ....

signature and name
of the lessees
or authorize person

FORM XVII
[See Rules 51 (20)(c), 70 (2)]
Annual Return for Quarry Lease of Minor Minerals
(To be submitted by 31st January every year)

To,

1. The Collector
   District……………….

2. Gram Panchayat
   ……………………..

Part – I General

(1) Name of the lessee: ………………………………………………………
(2) Postal address/phone number/e-mail …………………………………
……………………………………………………………………………………
(3) Location of Quarry Lease : District …………………… , Tahsil ……………..,
Block ……………., Gram Panchayat ……………………, Patwari circle number
…… Village ………………………..,
(4) Detail of Quarry Lease: Mineral/minerals ………………………………
Area in hectare ………………… Khasra Number ……………………………
Date of execution: ………………………., Date of possession : ………
Period of Quarry Lease: ……………………., year ,from …………………to
(5) Transferor of previous quarry lessee, if any date of transfer:
…………………………………………………………………………………
(6) Ownership (please mark) –
(i) Schedule Tribe Society
(ii) Scheduled Caste Society
(iii) Education unemployed Society
(iv) Individual
(v) (Indicate S.C./S. T./O.B.C. etc.)
(vi) Any other

Part – II Utilization of area

(7) Lease area utilization as at the end of year –
(a) Area already exploited and abandoned
(b) Area covered under current operations
(c) Area used for waste disposal
(d) Area used for any other purpose (Give details)

Part – III Rents and Royalties

(8) Royalty paid during the year -
(a) Royalty during the year :
(b) Amount of past arrears if any paid during the year
(9) Amount of dead rent paid during the year
(10) Surface Rent Area for which surface rent is payable
(i) Amount paid for the year
(ii) Amount paid for past arrears if any

Part – IV Production and dispatches

(11) Production and dispatch
- (i) Opening stock
- (ii) Production
- (iii) Dispatches
- (iv) Closing stock

Part – V Cost of Production

(12) (i) Cost per tone
- (ii) Over - head cost
- (iii) Interest
- (iv) Depreciation
- (v) Taxes, Royalty etc.

(13) Explosives and machinery used (Give specific details)

Part – VI General Geology & Mining

(14) (a) General geology of the area :

(i) Geology

(ii) Name of rock/mineral excavated and disposed as waste.

(iii) Name of rock/mineral excavated but not sold i.e. mineral reject.

(iv) Reserves and Resources estimated at the and of year.

(b) Exploration :

Item	Number	Meterage	Grid/Dimension	Remark
Drilling				
Trenching				
Pitting				

(c) Mining :

(i) Number of benches : In mineral …………… In over burden

(ii) Height of benches : Average …………… Maximum ……….Minimum

(iii) Depth of the deepest working from adjacent ground : ……………………….

(iv) Number of trees planted during the year: …………………………………..

(v) Total trees planted up to previous year: ………. No. of survived trees: …….

(vi) Mineral production proposed for next year: ………………………………….

(vii) Please indicate the salient features which affected quarrying operations during the

year : ………………………………………………………………………………

Date …………

Place……………

signature and name
of the lessees
or authorize person

FORM XVIII
[See Rule 51(24)]

NOTICE

1. (a) Name of Mine
   (b) Name of mineral worked
   (c) Situation of mine (Village, Thana, Sub Division, District, State)
   (d) Date when work was first started.
2. (a) Name, postal address, phone and e-mail of present owner (s)
   (b) Name, postal address, phone and e-mail of agent, if any
3. (a) Name, postal address, phone and e-mail of the Manager
   (b) His age
   (c) His qualifications
   (d) His experience in mining.
4. Whether working are likely to be extended below ground.
5. (a) Maximum depth of open cast excavation measured from its highest to its lowest point.
   (b) Date when depth first exceeded 6 meters.
6. (a) Nature, amount and kind of explosives used, if any.
   (b) Date when explosive were first used.

....
Name and Signature of
Owner/Agent / Manager
Date............................

To be sent to :-

1. The Director General, Mines Safety, Govt. of India, Dhanbad.
2. The Controller General, Indian Bureau of Mines, Govt. of India, Nagpur,
3. The District Magistrate of the District where the mine situated.
4. The Mining Officer/Assistant Mining Officer.

FORM XIX
[See Rule 56 (3)]

MODEL FORM FOR TRANSFER OF QUARRY LEASE of MINOR MINERAL

When the transferor is an individual ………………………………… The indenture made this …………..day of …………… 20 …… between …………….. (Name of the person with address and occupation) hereinafter referred to as the "transferor" (which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs executors, administrators, representatives and permitted assignees);

OR

When the transferor is a Society / Association ………………………… (Name of the Society / Association with address and occupation) and ………………………………… (Name of person with address and occupation) hereinafter referred to as the "transferor" (which expression shall were the context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees);

OR

When the transferor is a registered firm …………………….. (Name of the person with address of all the partners) all carrying on business in partnership under the firm name and style of ………………………… (Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at ………………………. hereinafter referred to as the "transferor" (which expression shall where the context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees).

OR

When the transferor is a registered company …………………….. (Name of the company) a company registered under ………………………… (Act, under which incorporated)and having their registered office at …………………………(address) hereinafter referred to as the "transferor" (which expression shall where the context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees) of the first part.

AND

And when the transferee is an individual ………………………… (Name of the person with address and occupation) hereinafter referred to as the "transferee" (which expression shall were the context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees);

OR

When the transferee is a Society / Association ………………………… (Name of the Society / Association with address and occupation) and ………………………………… (Name of person with address and occupation) hereinafter referred to as the "transferee" (which expression shall were the

context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees);

OR

When the transferee is a registered firm ……………………… (Name of the person with address of all the partners) all carrying on business in partnership under the firm name and style of …………………………. (Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at …………………………. hereinafter referred to as the "transferee" (which expression shall where the context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees)

OR

When the transferee is a registered company ……………………… (Name of the company) a company registered under …………………………. (Act, under which incorporated)and having their registered office at ………………………….(address) hereinafter referred to as the "transferee" (which expression shall where the context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees) of the second part.

AND

The Governor of Chhattisgarh hereinafter referred to as the "State Government" (which expression shall where the context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees) of the third part.

Whereas by virtue of an indenture of leased dated the …………………. and registered as No. …………………… On ……………………… (date) in the office of the Sub-Registrar of …………………… (place) hereinafter referred to as lease the original whereof is attached hereto and marked "A" entered into between the State Government (herein-called the lessor) and transferor (therein called the lessee), the transferor is entitled to search for, win and work the mines and minerals in respect of ……………………… (name of mineral/s) in the lands described in schedule thereto and also in schedule annexed hereto for the term and subject to the payment of the rents and royalties and observance and performance of the lessee's covenant and condition is said deed of lease reserved and contained including a covenant not to assign the lease or any interest there under without the previous sanction of the competed authority.

And Whereas the transferor is now desirous of transferring and assigning the lease to the transferee and the Competent Authority has at the request of the transferor, granted permission to the transferor vide order No. …………………… Dated ……………………. to such a transfer and assignment of the lease upon the condition of the transferee entering into an agreement in and containing the terms and conditions hereinafter setforth.

Now this deed witnessed as follows :

1. The transferee hereby covenants with the State Government that from and after the transfer and assignment of the lease the transferee shall be bound

by, and be liable to perform, observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants, stipulations and conditions contained in said herein before recited lease in the same manner in all respect as if the lease had been granted to the transferee as the lessee there under and he had originally executed it as such.

2. It is further hereby agreed and declared by the transferor of the one part and the transferee of the other part that –

(i) The transferor and the transferee declare that they have ensured that the mineral rights over the area for which the Quarry Lease is being transferred vest in the State Government.

(ii) The Transferor hereby declares that he/she has not assigned, subject; mortgaged or in any other manner transferred the Quarry Lease now being transferred and that no other person or persons has any right; title or interest where under in the present Quarry Lease being transferred.

(iii) The transferor further declares that he/she has not entered into or made any agreements, contract or understanding whereby he had been or is being directly or indirectly financed to a substantial extent by or under which the transferor's operation or understandings were or are being substantially controlled by any person or body of persons other than transferor.

(iv) The transferee hereby that he / she has accepted all the conditions and liabilities which the transferor was having in respect of such "Quarry Lease"

(v) The transferee further declares that he/she is financially capable of and will directly undertake mining operations.

(vi) The transferor has supplied to the transferee the Original or certified copies of all plans of abandoned working in the area and in a belt 65 metre wide surrounding it.

(vii) The transferee hereby further declares that as a consequence of this transfer, the total area which is held by him under Quarry Leases are not in contravention of the Chhattisgarh Minor Minerals Rules, 2014.

(viii) The transferor has paid all the rent, royalties and other dues towards Government till the date, in respect of this lease.

In witness whereof the parties hereto have signed on the date and year first above written.

SCHEDULE

LOCATION AND AREA OF THE LEASE

All the tract of lands situated at village ………………………. (Description of area or areas) Tehsil ……………. District ………………. Bearing khasra Nos. ………………………. containing an area of ………………………. Or thereabout delineated on the plan hereto annexed and thereon coloured ……………….. and bounded as follows :-

On the North by ……………………………

On the South by ……………………………

On the east by ………………………………

AND

On the west by ………………………………

Signed by

For and on behalf of the State Government

In the presence of –

1.

2.

Signature of transferor

In the presence of witnesses

1.

2.

Signature of

transferee in the presence of

1.

2.

FORM XX
{See rule 58 (1)(iii)}

Application for Grant of Quarry Permit

Received at ………… (place) on the ……………….. day of ……….. 20……

To, Date ……….20……

The Collector
……………………………………….
District ……………………………
Chhattisgarh

1. I/ we beg to apply for grant of quarry permit for a term of …………….. years over …………….. hectares of land in the area specified in the schedule.

2. A sum of rupees ……………………………………………….. as application fee payable under rules has been deposited vide challan No. ……………. Dated …………….. at place. ……………………

3. The required particulars are given below : -
(i) Name and designation of applicant

(ii) Department

(iii) Office

(iv) Complete postal address, of the Office

Pin Code
Phone/Mobile number
E-mail
(v) Minor mineral/ minerals applied

(vi) Production (Quantity in cubic metres)

(vii) Period for which quarry permit required

4. No dues certificate in Form II. . . . .
5. (a) A plan (six copies) showing the situation and boundaries of the area / areas applied for and concession if any, adjoining is / are enclosed. (If this plan / these plans be considered insufficient, I / we request that the necessary plan / plans of the area / areas may be prepared in duplicate in your office at my / our cost.)
(b) Khasrapanchsala . . . .
7. Means by which mineral is to be raised i.e. by Manual Mining or Mechanical Mining. ……………………………
8. If crusher is installed, then mention capacity of crusher ………………………………

9. Any other particulars or details which the applicant wishes to furnish. ……
……
……
……
…………………………………………………………………

SCHEDULE

Description of the area applied for :-

(i) Name of village . …………………………………………

(ii) Gram Panchayat …………………………………………

(iii) Khasra number and area of each field or part thereof :–

Khasra Number	Area in Hectares

(iv) Full description of the area applied for with regard to natural feature –

(v) Block, …………………………………

(vi) Vidhansabha

(vii) Tehsil ……………………

(viii) Patwari circle number …………………………………

(ix) District …………………………………

11. <u>List of enclosures</u> :-

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Place ……………..
Dated ……………..

Yours Faithfully

Name and Designation

N.B. – if the application is signed by an authorized agent of the applicant, power of attorney should be attached.

If all the number cannot be entered on this form they should be continued on a separate sheet attached to it and signed. Where a portion of a khasra number only is required the approximate area of such portion will suffice.

FORM XXI

[See rule 58(1)(iv)]

Register of Application for Quarry Permit for Minor Minerals

District ....

1. Serial No.
2. Date on which application was received by receiving officer.
3. Name of applicant with complete address, phone no., email.
4. Situation and boundaries of the land applied for;
   - (i) Name of the village
   - (ii) Name of Gram Panchayat
   - (iii) Block
   - (iv) Vidhansabha
   - (v) Tehsil
   - (vi) Patwari circle number
   - (vii) Khasra Number
5. Area in Hectares (Khasra-wise)
6. Particulars of minerals applied for.
7. Quantity of mineral required in cubic meters.
8. Period for quarry permit.
9. Application fee paid.
10. Remarks (Details of project for which mineral is required).
11. Final disposal of applications together with number and date of the order.
12. Signature of the officer.

FORM XXII
[See rule 58(1)(v)]
FORM OF GRANT OF QUARRY PERMIT

Quarry permit no. .... Place..............................Date ....

Whereas, Shri ....(Name and designation) applied for grant of quarry permit for .... cubic metres of............................ (Name of Minor Minerals) from Khasra No............................. of Village ...., Panchayat .... Tehsil .... District .... under Rule .... of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 and has paid an application fee of Rs.............

2. Permission is hereby granted to quarry, collect, remove and transport .... (mineral) from the area indicated on the plan annexed hereto for the project....................................... (Name of project) .... department/ Public Sector Undertaking of the State/Central Government located at.. (village)...................................... (Patwari Halka No.).................................... (Panchayat) .... (Tehsil) .... (District).

3. The Quarry permit shall be valid for .... (period) from .... to ....

4. The Quarry permit shall be governed by the following conditions namely-

(a) The holder of Quarry permit shall maintain complete and correct account of the mineral removed and transported from the area;

(b) The holder of Quarry permit shall allow Deputy Director/Mining Officer/Assistant Mining Officer/Mining Inspector or any officer authorized by the Collector or Zila Panchayat/Janpad Panchayat/ Gram Panchayat to inspect quarrying operations and verify the accounts.

(c) No sooner the permitted quantity is transported within the time period of 30 days or earlier, original of all transit pass, such unused transit passes together with a complete statement of the quantities duly certified by the Officer of the concerned department shall be furnished to the Sanctioning Authority.

(d) The holder of Quarry permit shall obtain all permissions/consents from the competent authority under any Act and Rules applicable for excavation or removal of the minerals from the area.

(e) The holder of Quarry permit shall submit by the 10th of every month, to the collector and gram panchyat, a return in Form XV.

(f) Any other condition, the sanctioning authority may deem fit.

Enclosure :- Plan showing area granted under quarry permit.

Signature of the Competent Authority
With seal of office

To,

Shri ……………………………………

……………………………………

Copy to :-

1. Mining Officer / Assistant Mining Officer of the District.
2. Janpad Panchayat …………………..
3. Gram Pachayat . ……………………

Signature of the Competent Authority
With seal of office

#{FORM XXIIA
(See rule 58)

QUARRY PERMIT AGREEMENT

This indenture made on this …………..day of …………..20……………between the Collector (hereinafter called "lessor" which expression shall where they context so admits, include his successors in office and assignees) of the one part, and …………… (hereinafter called "lessee" which expression shall where they context so admits, include his heirs executors, administrators, representatives and assignees) of the other part.

WHERE AS, the lessee has been granted a quarry permit by the lessor on his application in the ……………. village ………… tehsil………… district………….for the purpose of quarrying for …………(name of the mineral) in the land comprising of khasra no. ……….area of………hec. and the lessee has deposited the application fees of Rs…………… and as security Rs…………….for the due and faithful performance by the lessee of the covenants and conditions on the part of the lessee hereinafter contained.

AND WHEREAS, the collector …………….. in respect of the lands so described and demised for the term of……… and subject to the covenants and conditions hereinafter contained now this indenture witness as follows :-

The lessor hereby demises to the lessee all those lands being specifically described in the schedule hereunder and delineated in the plan annexed hereinto.

2. In the said quarry permit for the purposes thereof, the following liberties are included:-

(i) Minerals hereinafter authorized to be got from the said lands by the permit holder.
(ii) Generally to do all things, which shall be convenient or necessary for getting the mineral and for removing and disposing thereto.
(iii) The permit holder hereby agrees to pay during the said terms royalty as specified in Schedule…………
(iv) To bear, pay and discharge all existing and future rates, assessment whatsoever imposed or charged upon the demised land or the mineral removed thereof.
(v) The permit holder shall follow the Quarry plan and the conditions mentioned in the Environment Clearance.
(vi) Not to assign, sub-let or part with the possession of the demised land.
(vii) That the lessee shall keep correct accounts, in such form as the authority shall, from time to time, require and direct showing the quantities and other particulars of the said minerals obtained by the permit holder from the said lands.
(viii) If in the course of quarrying and mineral not specified in this agreement is discovered the permit holder shall at once report such discovery to the

authority concerned and shall obtain orders from such competent authority for working the same.

(ix) The lessor or their authorised officers shall be at liberty at all reasonable times to inspect and examine the works carried on by the permit holder and may issue such orders and regulations as may be deemed necessary as the result of such inspection to keep the lands in good order and condition or in the interest of public health and safety.

(x) The lessee shall not cut or injure any timber or trees.

(xi) The lessee shall pay where ever necessary compensation for any loss or damage which may be caused by the permit holder to surface of the demised land or any vegetation growing or situated therein. The permit holder shall further always keep the lessor indemnified against any claim by any person for any loss or injury caused to him or to his property by the permit holder. the authority shall be competent to assess and fix any compensation payable by the permit holder on this account.

(xii) The permit holder shall erect and maintain at his own expense boundary pillars of substantial material along the boundary as delineated in the plan annexed hereto.

(xiii) That this quarry permit may be terminated in respect of the whole or any part of the lands by a one month notice in writing on either side provided that the permit holder has paid all outstanding dues before such notice is given by him.

(xiv) That on such determination the permit holder shall have no rights on compensation of any kind.

(xv) The permit holder shall immediately report all accidents to the competent authority and the collector of the district.

(xvi) The permit holder shall not transport any material without valid transit pass issued by the competent authority and shall surrender all duplicates of used transit passes and unused transit passes on expiry of the said permit period.

(xvii) The quarry operations shall be restricted to six meters from the surface.

3. The lessor hereby covenants with the permit holder that on observing and performing the several covenants and stipulation herein and provided in the Chhattisgarh Minor Mineral Rule 2015. The permit holder shall peacefully hold and enjoy the demised land and the liberties hereby demised and granted to him/her during the said term without any interruption by the lessor or any person right fully claiming under him.

4. The said demised land shall be held by the permit holder for the term of ....years from the ....day of ....20....to the .... day of ....20.......

SCHEDULE

Name of Lessor (1)	Khasra No. (2)	Area in Hect. (3)	Boundaries Village (4)

In witness where of ....acting for and on behalf of and by an order and direction of the said collector and the said permit holder have hereto set their hands on the day and year mentioned above.

Witness Signed and delivered

by

the above name

1....................... Lessor ....

2........................ permit holder................

Witness

1.......................

2........................}

FORM XXIII
[See rule 72(1)]

Format for maintaining records of consumption of minor minerals in construction of residential building or buildings for sale and commercial building or buildings for sale/rental purpose

1. Name, address, phone and e-mail of the :- person/s, company, firm, society/association
2. Details of construction work:-
   (i) Location
   (ii) Type of construction (road/building, etc.)
   (iii) Proposed area of civil construction
   (iv) Mineral wise estimated quantity required for the proposed civil work:
3. Quantity of the minor minerals required and Source, **(month .... year.......):-**

S.No.	Date	Mineral	Vehicle No.	Name of the Quarry	Transit Pass No.	Quantity (in cubic metres)
1	2	3	4	5	6	7

4. Total quantity of minerals procured during the month .... 20.......... :-

(Quantity in cubic metres)

Name of mineral	No. of trucks	Total Quantity procured in the month	Quantity used in the month for civil construction	Balance stock at the site	Remark
1	2	3	4	5	6
(a) Metal/gitti					
(b) Sand					
(c) Murrum					
(d) Bricks (Quantity in numbers)					
(e) Flagstone/ natural tiles					
(f) Others					

5. Proposed period of construction
6. Any other information :

Place : ....
Date : ....

Signature
Name in full & Designation

FORM XXIV

[See rule 72(1)]

Quarterly Report of consumption of minor minerals in construction of residential building or buildings for sale and commercial building or buildings for sale/rental purpose

[The form duly filled in shall be sent so as to reach the concern authority within 30 days after the expiry of every quarter]

To,

The Officer-In-Charge,
Mining Section,
Office of the Collector,
District ……………………

Subject: Quarterly Report of consumption of minor minerals for the period from ………….. to …………………

1. Name, address, phone and e-mail of the :- person/s, company, firm, society/association
2. Details of construction work:-
   (i) Location
   (ii) Type of construction (road/building, etc.)
   (iii) Proposed area of civil construction
   (iv) Mineral wise estimated quantity required for the proposed civil work:
3. Total quantity of minerals procured/consumed/utilised/balanced during the quarter from ……………. to ……………. .

(Quantity in cubic metres)

Name of mineral	**No. of trucks**	**Total Quantity procured in the month**	**Quantity used in the month for civil construction**	**Balance stock at the site**	**Remark**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
(a) Metal/Gitti					
(b) Ordinary Sand					
(c) Murrum					
(d) Bricks (Quantity in numbers)					
(e) Flagstone/ natural tiles					
(f) Others					

5. Proposed period of construction
6. Any other information :

Place : …………………………
Date : …………………………

Signature
Name in full & Designation

FORM XXV
[See Rule 81(1)]
MODEL FORM OF APPLICATION FOR #{APPEAL/REVIEW}
(To be submitted in triplicate)

1. Name and address of individual(s), society, firm or company, applying.
2. Phone no. and email.
3. Profession.
4. Name of authority, Order number and date against which the #{appeal/review} is filed (copy of order attached)
5. Minor mineral or minerals for which the appeal is filed.
6. Details of the area in respect of which the application is filed.

District	Tehsil	Village	Panchayat	Khasra No. & Total area

7. Whether application fee has been deposited in the manner prescribed. (Original receipt to be attached.)
8. Whether the appeal/review/revision application has been filled within time specified if not, the reasons for not presenting it within the prescribed limits as provided for in rules.
9. Name and complete address of the party / parties impleaded.
10. No. of copies attached.
11. Synopsis of the case (Maximum two pages).
12. List of dates and events.
13. Brief facts of the case.
14. Grounds of appeal.
15. Prayer.
16. If the #{appeal/review} application has been filled by the holder o power of Attorney, the Power of Attorney, to be attached.

Place : - ....
Date : - ....

Signature of the Applicant